त्रयोदश माला, खंड 23, अंक 17

शुक्रवार, 22 मार्च, 2002
1 चैत्र, 1924 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 23/9/2002

(खण्ड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 17, शुक्रवार, 22 मार्च, 2002/1 चैत्र, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 283	5-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 284 से 300	25-64
अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 से 3239	64-346
भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित व्यापार मेलों के बारे में दिनांक 27.07.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1037 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	346
सभा पटल पर रखे गए पत्र	347-363
राज्य सभा से संदेश	363
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	364
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां अट्ठाईसवां और उनतीसवां प्रतिवेदन	3364
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
बत्तीसवां प्रतिवेदन.	365
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
छियानवेवां, सतानवेवां और अठानवेवां प्रतिवेदन .	365
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	366
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
आस्ट्रेलिया में हाल ही में सम्पन्न राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन	
श्री जसवंत सिंह	366-367
राष्ट्रपति से संदेश	387
विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक — पुरःस्थापित	388

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
डा० अशोक पटेल	388
(दो) मुलुन्ड पूर्वी मुम्बई में संयुक्त कब्रिस्तान तक सम्पर्क मार्ग पूरा करने के लिए मुम्बई नगरपालिका निगम को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया .	389
(तीन) नसीराबाद और मह्रू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के शीघ्र निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय . . .	389
(चार) बिहार में बेतिया रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा० मदन प्रसाद जायसवाल . . .	390
(पांच) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामनरेश त्रिपाठी	390
(छह) उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के०पी० सिंह देव	390
(सात) मध्य प्रदेश के छतरपुर में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	391
(आठ) कर्नाटक में गुलबर्गा को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	392
(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 का आंध्र प्रदेश में पामारु से ओंगोल तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	392
(दस) उत्तर प्रदेश में बिडहर घाट में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री भालचन्द्र यादव	393
(ग्यारह) नांदेड़ जिले में पानी में फ्लोराइड की समस्या का निराकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवाजी माने	393
(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उरई में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री बृजलाल खाबरी	393

विषय	कॉलम
(तेरह) तमिलनाडु के होसुर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री वी० वेत्रिसेलवन	394
(चौदह) जनजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	394
(पन्द्रह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण और उन्हें छह लेन वाले मार्गों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी०सी० थामस	395
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	398
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक	
श्री सु० तिरुनावुकरसर	399
(दो) कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें और कल्याण) विधेयक	
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा	399
(तीन) चलचित्र (संशोधन) विधेयक (धारा 5ख का संशोधन)	
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा	400
(चार) राजनीतिक दल (सहायता तथा विनियमन) विधेयक	
श्री बीर सिंह महतो	400
(पांच) फर्जी शैक्षणिक संस्थान (बंद करना) विधेयक	
श्री पद्मसेन चौधरी	401
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 का संशोधन)	
श्री जी०एम० बनातवाला	401
(सात) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	402
(आठ) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विधेयक (नए अध्याय 2ख का अन्त:स्थापन)	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	402
(नौ) अवैध अप्रवासी (पहचान और विवासन) विधेयक	
श्री जी०एस० बसवराज	403

विषय कॉलम

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 269 का संशोधन)

श्री त्रिलोचन कानूनगो 403

(ग्यारह) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक
(धारा 9 का संशोधन)

श्री त्रिलोचन कानूनगो 404

(बारह) रेल (संशोधन) विधेयक
(धारा 126 आदि का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते 405

(तेरह) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक
(धारा 13 आदि का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते 405

(चौदह) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 154 और 161 का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते 405

(पन्द्रह) सरकारी कर्मचारी (उत्पीड़न से संरक्षण) विधेयक

श्री सुबोध मोहिते 406

(सोलह) कृषक (ऋणग्रस्तता का निराकरण) विधेयक

श्री वैको . . 406

(सत्रह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक
(पैरा 3 का लोप)

श्री वैको 406

(अठारह) संचार विधि (संशोधन) विधेयक

श्री वैको 407

(उन्नीस) बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक

श्री बीर सिंह महतो 407

(बीस) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक
(धारा 8क का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 408

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(धारा 105 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 408

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 124 आदि का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 409

विषय	कॉलम
(तेईस) पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक (नई धारा 6क का अंत:स्थापन)	
श्री रमेश चेन्नितला	409
(चौबीस) कार्यशील महिला कल्याण विधेयक	
श्रीमती कैलाशो देवी	421
(पच्चीस) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) (निरसन) विधेयक	
श्री चन्द्रनाथ सिंह	422
(छब्बीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 357 का संशोधन)	
श्री उत्तमराव ढिकले.	423
(सत्ताईस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 243यघ आदि का संशोधन)	
श्री उत्तमराव ढिकले.	423
(अट्ठाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 151क से 151ञ का अंत:स्थापन)	
श्री उत्तमराव ढिकले.	424
(उनतीस) औषधि विनियामक प्राधिकरण विधेयक	
श्री उत्तमराव ढिकले.	424
(तीस) किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक (धारा 53 का संशोधन)—वापस लिया गया	
श्री रमेश चेन्नितला . .	409
(इकतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)—विचाराधीन	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वैको	410
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन . . .	425
प्रो० रासा सिंह रावत	434
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	439
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	444
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(एक) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करना—विचाराधीन	
श्री थावरचन्द गेहलोत	446
कुंवर अखिलेश सिंह . . .	450
श्री प्रभुनाथ सिंह. . . .	452

विषय	कॉलम
श्री खारबेल स्वाइं	453
श्री माणिकराव होडल्या गावित	456
श्री भर्तृहरि महताब	457
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	461
श्री मंजय लाल	465
श्री रामदास आठवले . .	466
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	466
श्री के०पी० सिंह देव	470
श्री नवल किशोर राय	473
श्री पी०एस० गढ़वी . .	479
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	480
श्री शीशराम सिंह रवि	481
श्री ए० नरेन्द्र	482
श्री श्रीचन्द कृपलानी	482
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	483
डा० मदन प्रसाद जायसवाल	487
(दो) पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए नीति बनाना	
श्री पुन्नू लाल मोहले	487
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभा के स्थगन के बारे में	490

लोक सभा

शुक्रवार, 22 मार्च, 2002/1 चैत्र, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री भगवान दीन और श्री पी०जी० मावलंकर के दुखद निधन के बारे में जानकारी देनी है।

श्री भगवान दीन 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने तत्कालीन संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) का प्रतिनिधित्व किया।

श्री भगवान दीन 1946 से 1957 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा और 1976 से 1982 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री भगवान दीन, समर्पित सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने पददलितों, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने 1947 में अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग और 1948 में भारतीय सफाई मजदूर फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री भगवान दीन का निधन 86 वर्ष की आयु में एक लम्बी बीमारी के पश्चात् 18 फरवरी, 2002 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री पी०जी० मावलंकर 1972 से 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद् श्री मावलंकर ने संसदीय गतिविधियों और विश्व की अनेक लोकतंत्रीय संस्थाओं में गहरी रुचि ली। उन्होंने 1977-78 के दौरान विशेषाधिकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री मावलंकर पेशे से अध्यापक थे और उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

एक समर्पित और प्रख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री मावलंकर ने भारत के सौहार्द और अखंडता को बढ़ावा देने वाले अंतर-राज्य सांस्कृतिक सम्बन्धों और गतिविधियों से सम्बन्धित मामलों में विशेष रुचि ली। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय संगठनों की सेवा की।

श्री मावलंकर, प्रकाण्ड पण्डित और जाने-माने लेखक थे। उन्होंने गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें लिखी और वे अनेक पत्रिकाओं के सम्पादक रहे।

श्री पी०जी० मावलंकर का निधन 74 वर्ष की आयु में कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 14 मार्च, 2002 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त् परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सर, मैंने नियम के अनुसार आज का प्रश्नकाल स्थगित करने हेतु कल ही नोटिस दिया है। सर, आज अखबारों में भी यह खबर है कि नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस वर्मा का भी उन्होंने घेराव किया है। उनको भी ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया गया। वहां छः आदमी मर चुके हैं। हमने सरकार से आग्रह किया था कि इस देश के होम मिनिस्टर पूरे देश की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए, गुजरात की मौजूदा स्थिति के बारे में सदन को सूचित करें ताकि गुजरात के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है उससे हम अवगत हो सकें, लेकिन इसके बारे में सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है और न सदन में कोई बयान दिया है। इसीलिए मैंने प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया है कि आज प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और सरकार तुरन्त इस बारे में सदन को सूचित करे। गुजरात के हमारे एम०पी० यहां बैठे हैं। वहां क्या हाल है, उनको भी मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे, श्री रामजी लाल सुमन, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और आपसे तीन चार सूचनाएं मिली हैं। अब यह प्रश्न काल है 'प्रश्न काल' आरंभ होने दीजिए। प्रश्न काल के पश्चात्, शून्य काल के दौरान मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस वर्मा ने दौरा करने के बाद जो रिपोर्ट दी है उसको राज्य सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, स्वयं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह स्वीकार किया है कि *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको चांस मिलेगा, लेकिन क्वश्चन ऑवर के बाद। आपका नोटिस भी मुझे मिला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम प्रश्न काल आरंभ करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार इसे बड़े ही सामान्य ढंग से ले रही है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अपको शून्यकाल में अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, हम इसे शून्य काल के दौरान उठाएंगें और हम सरकार की प्रतिक्रिया भी जान सकते हैं। किन्तु इस प्रकार नहीं। अब, प्रश्न काल आरंभ करते हैं। प्रश्नकाल के बाद आप मामला उठा सकते हैं। आपको अवसर अवश्य मिलेगा। आपने, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, और श्री रामजीलाल सुमन सभी ने सूचनाएं दी हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, क्या सरकार का कोई फर्ज नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सर, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन महोदय, अब यह सिद्ध हो चुका है कि वहां जितनी भी हत्याएं हुई हैं, लोगों को उकसाया गया है, उसमें सरकार का हाथ है। *(व्यवधान)* मुख्य मंत्री का हाथ होने का पूरा का पूरा संकेत है। इसलिए जो वहां की परिस्थितियां हैं, उनका पूरा आकलन होना चाहिए क्योंकि वहां के दंगों में मुख्य मंत्री महोदय का हाथ होने का पूरा-पूरा संकेत है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा कोई और सवाल नहीं हो सकता है। सरकार का फर्ज क्या है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, इन्हें प्रश्न काल में अनुमति नहीं देनी चाहिए। *(व्यवधान)* प्रश्न काल के दौरान इन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्देश देंगे, हम बैठ जाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां यह सब कुछ राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के दंगों में सरकार का पूरी तरह हाथ है। वहां के मुख्य मंत्री जी का हाथ है। आप जरा हस्तक्षेप कीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आप सभी से सूचनाएं मिली हैं। अब हम प्रश्न काल आरम्भ करेंगे। शून्य काल के दौरान आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये दंगा फैलाना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि आपके निर्देश का पालन करते हुए हम बैठ जायेंगे लेकिन सवाल यह है कि पहले आप सत्ता पक्ष को नियंत्रित कीजिए। *(व्यवधान)* आप निर्देश दे रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं लेकिन ये हमें कैसे बैठा सकते हैं ? *(व्यवधान)* ये हमारी जुबान को कैसे रोकेंगे। *(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी की जुबान को कैसे रोकेंगे ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल आरम्भ करेंगें। प्रश्न सं० 281, श्री वीरेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : ये हत्यायें करवा सकते हैं, दंगा करवा सकते हैं, बच्चों व महिलाओं की हत्यायें करवा सकते हैं। *(व्यवधान)* पूरे गुजरात को जला रहे हैं लेकिन मुलायम सिंह को अपनी बात कहने से नहीं रोक सकते। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मेरे लिए क्या निर्देश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्देश यह है कि क्वश्चन ऑवर को आप चलने दीजिए। शून्यकाल में मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सारे नियम, परिपाटी, संविधान वगैरह को इन्होंने ताक पर रख दिया है। *(व्यवधान)* देश की यही स्थिति रहेगी तो इस सदन का क्या मतलब है? *(व्यवधान)* हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। *(व्यवधान)* देश की यही स्थिति रहेगी। *(व्यवधान)* सरकार कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। *(व्यवधान)* सरकार कोई काम नहीं कर रही है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन ऑवर को चलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। 37 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कल भी हिंसा में पांच लोग मारे गये हैं। *(व्यवधान)* जस्टिस वर्मा ने वहां दौरा किया है। *(व्यवधान)* राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह असत्य है। *(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैं पहले ही श्री वीरेन्द्र कुमार को बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का क्या होगा? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, शून्य काल में मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार साम्प्रदायिक हिंसा करा रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

\+

*281. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने खाद्यान्नों की खरीद में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का खरीद नीति में व्यापक सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए कागजात में यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूली संबंधी अपनी भूमिका धीरे-धीरे निजी व्यापारियों को सौंप देनी चाहिए और कि उन विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करने की जरूरत है जो खाद्यान्नों के भण्डारण, वितरण और प्रसंस्करण के मामले में निजी शुरूआतों को रोक रहे हैं। योजना आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि खरीदारी संबंधी एकाधिकार के सभी रूपों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने प्रो० अभिजीत सेन की अध्यक्षता में दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने के लिए एक उच्च्व स्तरीय समिति नियुक्त की है। आशा है कि उच्च्व स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगी। उच्च्व स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की विधिवत जांच की जाएगी और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के संबंध में सरकार की खाद्यान्न नीति से क्या सभी किसानों को लाभ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो इस दिशा में सरकार क्या योजना बना रही है और इस संबंध में योजना आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं और उनमें से कितनी सिफारिशों को माना गया है?

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग पालिसी रिफार्म्स के बारे में विचार कर रहा है। उस विचार के संदर्भ में योजना आयोग ने 3-4 बातें कहीं हैं। पहली बात यह कही है कि "राज्य के भीतर व बाहर खाद्यान्न की आवाजाही पर नियंत्रण को हटाने के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम बनाएं" इस संबंध में कई जगहों से पहले भी यह मांग थी कि हम फूडग्रेन के मूवमेंट के बारे में जो प्रतिबंध है, उनको हटायें। कुछ और बातें भी थीं। अब भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत एक निर्णय ले लिया है। उस निर्णय के मुताबिक बहुत से लाइसेंस लेने की आवश्यकता को समाप्त कर

दिया है। इस मूवमेंट पर जो प्रतिबंध थे, उनको भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने कम्पीटिटिव ग्रेन प्रोक्योरमैंट और मोनोपली परचेज आदि के बारे में कहा है। ...(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम के विरुद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री आसन पर कैसे पहुंच गये ?

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह प्रॉपर है ? *(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री आसन के पास कैसे पहुंच गए ? *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : जैसे आप जब इस साइड में बैठते थे और वहां पहुंचते थे, वैसे ही मैं अभी पहुंचा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अब दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पहले सप्लीमैंट्री का जवाब ही पूरा नहीं हुआ है।

श्री शांता कुमार : प्लानिंग कमीशन ने पॉलिसी रिफार्म के समय कुछ बातें कही हैं। उनमें से मूवमैंट ऑफ फूडग्रेन के बारे में सरकार ने पहले निर्णय ले लिया था। बाकी बातें सुझाव के रूप में हैं। पॉलिसी उसमें आ रही है और वह सारी बातें उसमें शामिल होने के बाद अगली पंचवर्षीय योजना में उसमें विचार किया जाएगा।

इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि क्या आज की व्यवस्था से सब किसानों को फायदा हो रहा है। सच्चाई यह है कि आज जिस प्रकार प्रोक्योरमैंट हो रहा है और ऐतिहासिक कारणों से होने पर आज हमारे पास वह स्थिति है, उसमें सभी प्रदेशों के सभी किसानों को आज की व्यवस्था से लाभ नहीं पहुंच रहा है।

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, देश में अनाज का उत्पादन काफी तीव्र गति से बढ़ रहा है और जिस दृष्टि से उत्पादन बढ़ रहा है, उस दृष्टि से भंडारण की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। इस साल के अंत तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितने भंडारण की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाने वाली है ? उनमें से कितना अनाज गोदामों में रखा रहेगा और कितना बाहर पड़ा रहेगा ? इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्रों में अगर गोदाम बनाने और संग्रहण करने के लिए इस तरह का कोई प्रस्ताव है तो कितने लोगों का अनुदान दिया गया ?

श्री शांता कुमार : भंडारण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तो पिछले प्रोग्राम के समय सात साल की गारंटी देकर लगभग 75 लाख टन की नई कैपेसिटी क्रिएट करने का प्रयत्न किया गया है। उसमें से 30-40 प्रतिशत कैपेसिटी क्रिएट की गई, उसका हम लाभ उठा रहे हैं। इसलिए पिछली बार की प्रोक्योरमैंट जितनी थी, उसको रखने की व्यवस्था होगी। इस बार की प्रोक्योरमैंट अधिक होगी, उत्पादन अधिक है। उसका प्रबंध करने का प्रयत्न किया जा रहा है। दो ही तरीके हैं – एक तो हम और अधिक लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा भारत सरकार ने नैशनल स्टोरेज पॉलिसी बनाई है जिसके अंतर्गत कन्वैंशनल गोडाउन्स भी बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट पार्टीसिपेशन से बड़े साइलो बनाने के लिए ग्लोबल टैंडर कर दिए गए हैं। कुल मिला कर 83 लाख टन की नई भंडारण क्षमता सात साल की गारंटी पर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन दिनों भारतीय खाद्य निगम मुख्य रूप से खाद्यान्न खरीद के लिए ही बनाया गया था। उन दिनों, कई बार खाद्यान्न किसानों से जबरन भी खरीदा जाता था किन्तु अब किसान बाहर हो गया है और उससे खाद्यान्न की खरीद भी नहीं की जा रही है। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि समिति का गठन, किसानों के कल्याण के लिए किया गया है या व्यापारियों के कल्याण के लिए।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : जो कमेटी नियुक्त की गई है, वह इसलिए की है कि वर्तमान व्यवस्था जब शुरू की गई, उस समय के हालात के मुताबिक बहुत उपयुक्त थी, बहुत ठीक थी क्योंकि उस समय देश स्केयरसिटी के युग में जी रहा था। अब हालात बदल गए हैं, परिस्थिति बदल गई है, अब स्केयरसिटी से हम सरप्लस में आ गए, अब पुरानी व्यवस्था काफी हद तक इररैलेवैंट हो गई है, उसमें कंट्राडिक्शन आ गया है। सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन यह है कि आज टोटल प्रोक्योरमैंट का 85-90 प्रतिशत केवल तीन प्रदेशों में होता है। सबसे बड़ी विसंगाते यह कि गरीब प्रदेशों के गरीब किसानों की मदद लगभग नहीं हो रही है, इसलिए आवश्यकता है कि देश एक नई खाद्य नीति बनाये और नई खाद्य नीति बनाने के लिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। उसकी इण्टरिम रिपोर्ट आई है, अप्रैल में उसकी पूरी रिपोर्ट आने वाली है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद सरकार नई खाद्य नीति बनाएगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी किसानों की मदद हो। देश में 10 करोड़ किसान हैं, आज हम लगभग 60 लाख से प्रोक्युरमेंट कर रहे हैं, बाकी किसानों की कोई मदद नहीं हो रही है। हालांकि कुलमिलाकर 21 हजार करोड़ रुपया इस व्यवस्था पर खर्च हो रहा है, लेकिन सभी किसानों की मदद नहीं हो रही। हमारे पास इतना भंडार इकट्ठा हो गया कि प्राइवेट रेट डिस्टॉर्ट हो गया है और इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि सबसे सलाह करके एक्सपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक नई व्यावहारिक खाद्य नीति नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों का मुकाबला करने वाली हम बनायें। उसमें कई प्रस्ताव हैं, डायरैक्ट इन्कम सपोर्ट का है, इन्श्योरेंस का है, ऐसे कई प्रस्ताव बहुत से स्थानों से आये हैं, उन पर विचार करके निश्चित रूप से नई खाद्य नीति बनाने का निर्णय सरकार ने किया है।

[अनुवाद]

श्री पी०एस० गढ़वी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने एक दीर्घकालीन अन्न नीति तैयार करने

के लिए प्रोफेसर अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है। मैं जानना चाहता हूं कि समिति कब नियुक्त की गई; यह समिति के विचारणीय विषय क्या हैं तथा यह समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह कमेटी प्रो० अभिजीत सेन की अध्यक्षता में बनी थी और इस कमेटी को अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट दे देनी है। टर्म्स ऑफ रैफरेंस तीन प्रकार का है।

[अनुवाद]

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं — वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य का अंतर, यदि कोई हो, फसलों की परस्पर समानता, ग्रेड/गुणवत्ता विशेषता तथा मूल्य समर्थन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की संभावना।

[हिन्दी]

फिर एफ०सी०आई० से रिलेटिड कुछ इश्यूज हैं। फंक्शंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यह बहुत लम्बा है, आप कहें तो मैं पढ़ दूं, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान पॉलिसी के अन्दर जो कंट्राडिक्शन आई है, उसमें किस प्रकार से उनको बदलकर एक नई खाद्य नीति हो सकती है, इस पर यह एक्सपोर्ट कमेटी विचार कर रही है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो एफ०सी०आई० खाद्यान्नों का भंडारण करती है तो प्रति क्विंटल कितना खर्चा एक वर्ष में आता है या जितने वर्ष तक खाद्यान्न भंडारण करते हैं, उस पर प्रति क्विंटल कितना खर्चा आता है ? पूरे देश में कितने खाद्यान्नों के भंडारण में कितनी चोरी हो गई है, यह माननीय मंत्री जी को अगर जानकारी हो तो इसको बतायें ? पृथ्वीगंज हवाई अड्डा, प्रतापगढ़ में मेरी जानकारी में है कि वहां बहुत गेहूं चोरी हुआ है, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है तो सदन को दें।

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष जी, इकोनोमिक कास्ट हमारी सचमुच ज्यादा आती है।

श्री चन्द्रनाथ कुमार : कितनी आती है ?

श्री शांता कुमार : जैसे हम गेहूं 610 रुपये में लेते हैं और हमारी इकोनोमिक कास्ट एक किलो पर 2.62 रुपये आती है। मैं यही कंट्राडिक्शन कह रहा हूं कि पूरे का पूरा एफ०सी०आई० का ढांचा, बाकी सारी बातें, इतना भारी भरकम, इतना खर्चीला हो गया है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जहां-जहां प्रोक्युरमेंट होता है, उन प्रदेशों ने टैक्सेज लगाये हैं। अब केवल पंजाब को पिछले साल 1300 करोड़ रुपये का हमने टैक्स दिया। टोटल टैक्सेज फूडग्रेन प्रिक्यूरमेंट पर 3700 करोड़ रुपये के प्रदेश सरकारों ने लगाये हैं। ये जो टैक्सेज हैं, वह तो भारत सरकार से प्रदेश की सरकारों को डायरैक्ट पैसे का ट्रांसफर है। जो टैक्सेज लगते हैं, वह भी इकोनोमिक कास्ट पर पड़ते हैं, वह भी सैण्ट्रल इश्यू प्राइस का हिस्सा बनते हैं। यह भी एक कंट्राडिक्शन है। एक किलो गेहूं का रखरखाव का हमारा खर्च 2.62 रुपये आ जाता है। इन सारी चीजों पर विचार करके हम बिल्कुल नये ढंग से सारी बातों को सोचना चाहते हैं। जो चोरी की बात पूछी गई है तो इस प्रश्न का सम्बन्ध उससे नहीं था। लेकिन ट्रांजिट लॉसेज होते हैं, कई जगहों पर चोरी भी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। उन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पिछले दो साल में पूरा एक्शन लिया गया है। क्रीमिनल केस दर्ज किए गए हैं, सी०बी०आई० को भी केस दिए हैं और भी बहुत सारी बातें करने की कोशिश की है।

[अनुवाद]

श्री एच०डी० देवगौड़ा : महोदय, बड़ी समस्याओं में से एक है किसानों को फसल हताशा में बेचने से रोकना। इसी बात को ध्यान में रखकर अतिरिक्त खाद्यान्न की खरीद की जाती है और भारत सरकार ने खरीद की ऐसी नीति बनाई है। अब, इस सरकार ने खाद्यान्नों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। क्या यह न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हटाएगी ? विवादास्पद मुद्दों में से एक मुद्दा है कि अभिजीत सेन समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य मामले की जांच कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाने से, कृषक व्यापारियों के शोषण के शिकार हो जाएंगें। इसका कृपया स्पष्टीकरण दीजिए क्योंकि मैं बिनावजह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। न्यूनतम समर्थन मूल्य के हटने से कृषक बाजार की ताकतों के शिकार हो जाएंगें। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को हताश होकर फसल बेचने से बचाना और बिचौलियों के शोषण से उनकी रक्षा करना है। क्या सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी ?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : महोदय, जहां तक मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन समाप्त करने का सवाल है, भारत सरकार ने इन सारे सवालों के लिए मुख्यमंत्रियों की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई है। उस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। उसमें यह कंसेंसैस बनी कि फूडग्रेन के मूवमेंट पर अब किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों की इस कंसेंसैस के आधार पर इस मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन को समाप्त किया गया है। जहां तक एम०एस०पी० समाप्त करने का सवाल है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एम०एस०पी० समाप्त करने का विचार नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्य देवे गौड़ा जी ने कहा, वही समस्या हमारे सामने है। उसीका समाधान हम ढूंढ़ रहे हैं। डिस्ट्रैस सेल न हो, देश के सभी किसानों को लाभ हो। दस करोड़ किसानों पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी केवल 60 लाख किसानों को हम लाभ दे रहे हैं, वह भी सीधे नहीं जाता, बीच में बिचौलिए उसका बहुत सा फायदा उठाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस सारी पालिसी पर बुनियादी तौर पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि दस करोड़ किसानों तक कैसे लाभ जाए। एम०एस०पी० समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : महोदय, मैंने तो अपना हाथ शुरू से ही उठा रखा है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह एक स्थापित नीति है। हमारा देश कृषि-आधारित देश है। इस नीति के अंतर्गत लाखों लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की एजेंसी है। देश में किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए उनके पास सुरक्षित भण्डार हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में योजना, राज्यों को हस्तांतरित करने की घोषणा की है किन्तु कोई भी राज्य इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार बहुत खर्च वहन करती है। ''माननीय मंत्री ने अभी कहा कि ''हम राज्य सरकारों को बहुत से करों का भुगतान कर रहे हैं।'' इन परिस्थितियों में, इस योजना का संज्ञेय लेने से पूर्व क्या सरकार सभी दलों के नेताओं और मुख्य मंत्रियों से परामर्श करेगी ?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : निश्चितरूप से इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी बुनियादी नीति में जब होगा, तो हम सबसे सलाह करेंगे ही, लेकिन एक बात निश्चित है कि वर्तमान नीति में इतनी अधिक विसंगतियां है कि नई खाद्य नीति बनाने का निर्णय सरकार ने किया है, वह नीति निश्चितरूप से किसानों के हित में होगी। प्रदेश सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशविरा आवश्यक है, हम वह अवश्य करेंगे।

श्री शिवराज वि० पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, 1980 में सरकार शक्कर लेती थी, वह बंद कर दी गई और खुले बाजार में शक्कर बेचने की परमिशन दी गई। 1980 में और उस समय जितनी भी शक्कर बाजार में आई, वह दो रुपये या ढाई रुपये किलो के हिसाब से खरीदी गई और सात-आठ महीने के बाद वही शक्कर बाजार में 17-18-20 रुपये तक बेची गई। यही एक कारण था कि जबकि उस वक्त की जो सरकार थी, उसके खिलाफ खाने वाले और काश्तकार भी गये थे। आज सरकार जो करने जा रही है, वह यही है कि सरकार माल नहीं खरीदेगी और व्यापारियों को माल खरीदने देगी और जब वह माल बाजार में आएगा, जैसा कि देवेगौड़ा जी ने कहा कि सस्ते दाम में खरीदा जाएगा, गोदामों में रखा जाएगा और पांच-छः महीने के बाद वही माल बाजार में आएगा और उसकी कीमत चौगुनी या पांच गुनी या दस गुनी भी हो सकती है। इसका मतलब यह होगा कि जो उपज करता है, उसको फायदा नहीं होगा, जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है, उसको फायदा नहीं है, फायदा बिचौलिये को हुआ। तो ऐसा न हो, इसके लिए क्या आप अपनी नीति में करने जा रहे हैं जिसकी वजह से उत्पादक और उपभोक्ता को नुकसान न हो। हमें डर है कि जब सरकार इसमें से निकल जाएगी और राज्य सरकार भी नहीं रहेगी तो पैसा आपके खजाने से, बैंक से जाएगा मगर उत्पादक को और उपभोक्ता को फायदा नहीं होगा। ऐसा न हो, इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है, अगर थोड़ा सा विस्तार में बताएं तो मैं अभारी रहूंगा।

श्री शांता कुमार : यह चीनी का प्रश्न नहीं है लेकिन एक बात बता दूं कि चीनी में भी टोटल डी-कंट्रोल का निर्णय हमने एक साल में किया है। हम 1978-1980 की गलती को दोहराने वाले नहीं हैं। वह एकदम निर्णय किया गया, उसकी तैयारी नहीं थी। हम चीनी के संबंध में ग्रेजुअल डी-कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लैवी 60 से 40, धीरे-धीरे 15 और फिर 15 से 10 हमने की है, उसमें भी फ्यूचर मार्केट का निर्णय कर लिया गया है। हमने एक्सचेंज तय कर दिये हैं। उसमें हमने अभी बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेज को रीइम्बर्स करेंगे। हमारा एक्सपोर्ट दस लाख टन हो गया। हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। ओवरऑल प्रोडक्शन और को-जनरेशन को हम बढ़ाएंगे और उससे हम लोन देंगे। ये सारी चीजें करने के बाद टोटल डी-कंट्रोल करेंगे ताकि रौल-बैक उस समय की तरह नहीं करना पड़े। आपने जो पूछा, उसमें पहला निवेदन यह है कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय करते समय जो आप बातें कह रहे हैं, उनका निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा। अब जो प्रस्ताव है, वह यह है कि हमारे यहां कृषि बहुत अधिक और बहुत कम के दुष्चक्र में फंस गई है। एन०एस०पी० जिस ढंग से हम देते गये, फूड ग्रेन का उत्पादन इतना अधिक कि रखने की जगह नहीं है और ऑयल सीड्स का उत्पादन इतना कम कि 40 लाख टन विदेशों से आयात हो गया है। 10000, 12000 करोड़ रुपये फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है और सबसे चिंता का विषय है कि एडीबल ऑयल में फॉरेन डिपेंडेंस तीन प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है। सरकार के पास सुझाव यह है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए विशेष इंसेंटिव दें ताकि फूड ग्रेन में सरप्लस की समस्या हल हो और ऑयल सीड्स में बहुत कमी है, उसका संतुलन ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा सुझाव यह है कि डाइरेक्ट इंकम सपोर्ट फॉर्मर को दें। सुझाव यह है कि एम०एस०पी० तय करते हैं और 600 रुपया तय कर लिया, मार्केट रेट 500 रुपया है। इसका मतलब यह है कि सौ रुपये का किसान को घाटा होगा तो क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हम हर किसान को जिसका मार्केट सरप्लस है, आज हर किसान की मदद नहीं हो रही है, हर किसान को डिफरेंस ऑफ एम०एस०पी० एंड मार्केट प्राइस जो कि सौ रुपये है, हर किसान को पे करें जिससे उसको इंकम सपोर्ट हो जाये। दूसरे हम इसको इंश्योरेंस के साथ जोड़ें। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इंश्योरेंस केवल लोनी के लिए जरूरी है। पिछले साल हमने 85 लाख किसानों का इंश्योरेंस किया। यदि 85 लाख किसानों का इंश्योरेंस हो सकता है, तो क्यों नहीं सभी किसानों को इंश्योरेंस स्कीम में लाया जाए। इंश्योरेंस के बाद किसी आपदा के कारण ही किसान को इंश्योरेंस का फायदा होता है। यदि इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और जो किसान इंश्योर्ड हुए हैं, उत्पादन कम हो, तो उसका भी लाभ मिले और एम०एस०पी० मार्केट रेट से कम है, तो भी मिले – यानि दो प्रकार का लाभ इंश्योरेंस में मिले। महोदय, हमने गणना की है, दस करोड़ किसानों को एन्श्योर्ड कर लिया जाए और दो प्रकार का बीमा उनका कर लिया जाए। इस प्रकार गरीब किसानों का बीमा प्रीमियम 80 परसेंट हम दें और ऊपर के किसानों का प्रीमियम थोड़ा और दें, तो कुल खर्च हम पर 10 हजार करोड़ रुपए आता है। इस प्रकार 10-12 हजार करोड़ रुपए खर्च करके दस करोड़ किसानों की मदद कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यह एक विचार है और विचार विवेक के लिए यह विचार आपके समक्ष रखा है। पूरा निर्णय करते समय, हम सबसे सलाह करेंगे।

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सारे देश की चिन्ता प्रकट की है, लेकिन मैं खास तौर से

हरियाणा के किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के किसानों को इस बार उम्मीद है कि गेहूं की बम्पर फसल होगी। *(व्यवधान)* महोदय, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से कहा गया है कि वह 33 प्रतिशत खरीद करेगी और बाकी खरीद स्टेट एजेंसियां करेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्टेट एजेंसियों को आश्वस्त किया है कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा ? इसके साथ ही वहां के किसानों को उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार किसानों को अधिक समर्थन मूल्य देंगी।

श्री शांता कुमार : महोदय, एक गलतफहमी कई स्थानों पर फैली हुई है, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सरकार नई खाद्य नीति बना रही है, इसलिए प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, कम होगा, इस किस्म की बातें कही जा रही हैं। सरकार की ओर से मैं घोषणा करना चाहता हूं, जब तक नई खाद्य नीति नहीं बनती है, तब तक पुरानी नीति चलेगी, चलती रहेगी। प्रोक्योरमैंट हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। प्रोक्योरमेंट हरियाणा, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, लगभग मैक्सिमम होता है। हरियाणा में प्रोक्योरमैंट पिछले साल जिस आधार पर की गई है, उसी आधार पर भी इस बार प्रोक्योरमैंट की जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 282 — श्री ए० नरेन्द्र।

(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी देर से प्रश्न करने के लिए हाथ ऊपर किए हुए हूं, फिर भी मुझे मौका नहीं दिया गया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब अगले प्रश्न पर चले गए हैं। आप इस पर पूछिए।

[अनुवाद]

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लाभ-हानि

*282. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वित्तीय संस्थान-वार और राष्ट्रीयकृत बैंक-वार कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक संस्थान/राष्ट्रीयकृत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है;

(ग) प्रत्येक बैंक/संस्थान के शेयर धारण ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे संस्थानों/बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारी विकल्प योजना क्रियान्वित की है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन वित्तीय संस्थानों और बैंकों के कार्यकरण और लाभप्रदता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों और अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं के लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों और अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं की पूंजी पर्याप्तता अनुपात को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों और अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं के शेयरधारिता पैटर्न के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) आई०सी०आई०सी०आई० ही एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसने कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना कार्यान्वित की है। अन्य संस्थाओं में ऐसी कोई कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपना कार्य संचालन एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इनमें उनके शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के जरिए उनके परिचालन लागतों में कमी करना, आंचलिक कार्यालयों को समाप्त करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) के जरिए स्टाफ के आकार को युक्तिसंगत बनाना, कम लागत की जमाराशि को प्राप्त करना, कंप्यूटरीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के जरिए उत्पादकता बढ़ाना और गैर-निष्पादन आस्तियों में कमी करना शामिल है। सरकार ने पूरे देश में ऋण वसूली अधिकरण भी स्थापित किए हैं, ताकि बैंकों और अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों की तेजी से वसूली को सुकर बनाया जा सके।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ/हानि

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	वित्तीय संस्थाओं/बैंक का नाम	निवल लाभ		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
	वित्तीय संस्था			
1.	आई०डी०बी०आई०	1259	947	691
2.	आई०एफ०सी०आई०	24	59	(-)266
3.	आई०सी०आई०सी०आई०	1001	1206	537
4.	आई०आई०बी०आई०	88	38	110
5.	एस०आई०डी०बी०आई०	450	459	477

1	2	3	4	5
	बैंक			
6.	इलाहाबाद बैंक	135.00	69.33	39.91
7.	आन्ध्रा बैंक	90.04	120.59	121.19
8.	बैंक ऑफ बड़ौदा	421.44	502.77	274.66
9.	बैंक ऑफ इंडिया	201.14	172.82	251.98
10.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	51.89	90.14	45.19
11.	केनरा बैंक	255.06	236.05	285.10
12.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	146.25	150.69	46.46
13.	कारपोरेशन बैंक	192.03	232.44	261.84
14.	देना बैंक	110.09	62.87	-266.12
15.	इंडियन बैंक	-778.50	-426.97	-274.00
16.	इंडियन ओवरसीज बैंक	55.34	40.34	115.93
17.	औरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	230.12	278.62	202.89
18.	पंजाब एंड सिंध बैंक	60.45	61.44	13.26
19.	पंजाब नैशनल बैंक	372.12	408.14	463.64
20.	सिंडिकेट बैंक	142.58	215.65	234.94
21.	यूको बैंक	-67.77	36.64	32.99
22.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	160.22	101.24	155.46
23.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	14.70	31.36	19.14
24.	विजया बैंक	30.23	52.84	70.73

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं/राष्ट्रीयकृत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी०ए०आर०)

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	वित्तीय संस्था/बैंक का नाम	पूंजी पर्याप्तता अनुपात 1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
	वित्तीय संस्था			
1.	आई०डी०बी०आई०	12.7	14.5	15.8
2.	आई०एफ०सी०आई०	8.4	8.8	6.2
3.	आई०सी०आई०सी०आई०	12.5	17.2	14.6
4.	आई०आई०बी०आई०	11.7	9.7	13.9
5.	एस०आई०डी०बी०आई०	26.9	27.8	28.1
	बैंक			
1.	इलाहाबाद बैंक	10.38	11.51	10.50
2.	आन्ध्रा बैंक	11.02	13.36	13.40
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13.30	12.10	12.80
4.	बैंक ऑफ इंडिया	10.55	10.57	12.23
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9.76	11.66	10.64
6.	केनरा बैंक	10.96	9.64	9.84
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11.88	11.18	10.02
8.	कारपोरेशन बैंक	13.20	12.80	13.30
9.	देना बैंक	11.14	11.63	7.73
10.	इंडियन बैंक	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.15	9.15	10.24
12.	औरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	14.10	12.72	11.81
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	10.94	11.57	11.42
14.	पंजाब नैशनल बैंक	10.79	10.31	10.24
15.	सिंडिकेट बैंक	9.57	11.45	11.72
16.	यूको बैंक	9.63	9.15	9.05
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.09	11.42	10.86
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	9.60	9.60	10.40
19.	विजया बैंक	10.00	10.61	11.50

अनुबंध-III

राष्ट्रीयकृत बैंकों का शेयरधारिता पैटर्न

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	बैंक का नाम	भारत सरकार की धारिता %	अन्य %
1	2	3	4
	बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	100	—

1	2	3	4
2.	आन्ध्रा बैंक	66.66	33.34
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	66.22	33.78
4.	बैंक ऑफ इंडिया	76.53	23.47
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	100	—
6.	केनरा बैंक	100	—
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	100	—
8.	कारपोरेशन बैंक	68.33	31.67
9.	देना बैंक	70.99	29.01
10.	इंडियन बैंक	100	—
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75	25
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	66.5	33.5
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	100	—
14.	पंजाब नैशनल बैंक	100	—
15.	सिंडिकेट बैंक	73.52	26.48
16.	यूको बैंक	100	—
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	100	—
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100	—
19.	विजया बैंक	72.16	27.84

मार्च, 2001 के अंत की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं का शेयर धारिता पैटर्न

आई०डी०बी०आई० का शेयर धारिता पैटर्न

(करोड़ रु० में)

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की सं०	कुल का %
भारत सरकार	38,17,28,000	58.47
वित्तीय संस्थाएं	5,83,07,478	8.93
बीमा कंपनियां	3,30,53,357	5.06
बैंक	3,37,21,882	5.17
देशी कंपनियां	3,28,99,662	5.04
विदेशी संस्थागत निवेशक	31,80,699	0.49
अलग-अलग व्यक्ति	10,73,71,174	16.45
अन्य	25,68,148	0.39
कुल	65,28,30,400	100.00

आई०सी०आई०सी०आई० का शेयर धारिता पैटर्न

शेयर धारकों की श्रेणी	शेयरों की सं०	कुल का %
सरकारी वित्तीय संस्थाएं	24,47,80,376	31.17
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,41,87,005	1.81
एफ०आई०आई०	11,65,00,156	14.83
ए०डी०आर०	25,64,14,285	32.65
अप्रवासी	21,44,057	0.27
म्युचुअल फंड	93,58,480	1.19
निगमित निकाय	5,82,19,817	7.41
सरकारी कंपनियां	3,97,070	0.05
अन्य बैंक	18,73,049	0.24
निवासी भारतीय	8,14,70,153	10.37
कुल	78,53,44,448	100

आई०एफ०सी०आई० का शेयर धारिता पैटर्न

क्र० सं०	शेयर धारक	दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार इक्विटी धारिता का %
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	37.71
2.	राष्ट्रीय बैंक	7.14
3.	एल०आई०सी०, जी०आई०सी० आदि	17.48
4.	भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगी	2.10
5.	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	4.47
6.	सरकारी/गैर सरकारी बैंक	3.87
7.	अन्य निगमित निकाय	7.72
8.	जनता	25.51
	कुल	100.00

आई०डी०बी०आई० की शेयर धारिता पैटर्न

भारत सरकार की आई०डी०बी०आई० में 100% इक्विटी पूंजी धारित है।

एस०आई०डी०बी०आई० की शेयर धारिता पैटर्न

51.11% — बैंक/संस्थाएं (आई०डी०बी०आई० को छोड़कर)

48.89% — आई०डी०बी०आई०

श्री ए० नरेन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरेन्द्र कृपया अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री ए० नरेन्द्र : महोदय, वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान गैर निष्पादन आस्तियों में कटौती सहित अनेक कदम उठा रही हैं और सरकार ने भी बैंकों तथा अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण की तेजी से वसूली को सरल बनाने के लिए सम्पूर्ण देश में ऋण वसूली अधिकरण भी स्थापित किए थे।

अब, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। गैर निष्पादन आस्तियों का बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निष्पादन पर प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। यह लाभप्रदता कम होने के कारण वर्ष-दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं गैर निष्पादनकारी आस्तियों की वूसली के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कुछ जानना चाहता हूं ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की लाभप्रदता में सुधार हो सके।

माननीय मंत्री किए गए प्रयासों के परिणामों के बारे में भी बताएं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि वसूल की गई तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2002-03 के लिए उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

श्री यशवंत सिन्हा : जहां तक गैर निष्पादनकारी आस्तियों का सम्बन्ध है, यह सरकार के लिए और सम्पूर्ण सदन के लिए चिंता का विषय है। तथापि, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब गैर निष्पादनकारी आस्तियों की तुलना हम अग्रिमों की संख्या से करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि गैर निष्पादनकारी आस्तियों अधिक हो गई हैं लेकिन जब हम निबल कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में तुलना करते हैं तो उसमें 1993-94 के बाद से ही अर्थात जब से हमने गैर निष्पादनकारी आस्तियों की निगरानी की प्रणाली बनाई है, तब से इसमें निरंतर कमी आ रही है।

इसलिए, जबकि यह चिंता का विषय है, मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों द्वारा और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुल अग्रिमों के सम्बन्ध में गैर निष्पादनकारी आस्तियां में कमी आई है।

गैर निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ? हमने डी०आर०टी० को सुदृढ़ किया है। हमने और अधिक डी०आर०टी० तथा और अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किए हैं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि डी०आर०टी० की संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती संबंधी मामला जो उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा था इसका हाल ही में 14 मार्च को सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया था। इसलिए, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि डी०आर०टी० संकट से मुक्त हो गए हैं। मैं 2000 में इस सभा के समक्ष एक कानून लाया था। जिसे सभा ने अनुमोदित कर दिया था और अब, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक कमी है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर सभा में चर्चा की जाए। मैंनें इसका अपने बजट भाषण में पहले ही उल्लेख किया था कि तथा वह है प्रतिभूतियों का प्रवर्तन ताकि बैंकों को अपने धन की वसूली करने हेतु सुदृढ़ बनाया जा सके।

जहां तक गैर निष्पादनकारी आस्तियों का सम्बन्ध है मैं स्वयं अपने स्तर पर बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा कर रहा हूं। ऐसा करने के लिए मैं बैंकों के अध्यक्षों के साथ प्रति छह माह के बाद बैठक कर रहा हूं। हम बैंकों को क्या करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं ? हम बैंकों को डी०आर०टी० से सम्पर्क करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं जहां कहीं वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो वे ऐसे चुककर्त्ता कर्जदार को वसूली के लिए न्यायालय में ले जाएं। हम उन्हें विशेषकर छोटे कर्जदारों, को निपटाने हेतु प्रोत्साहन दे रहे हैं और सभा को याद होगा कि हमारी 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना थी जिसके हमें बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं और बड़ी संख्या में छोटे कर्जदारों के मामलों का निपटान किया गया। मुझे विश्वास है कि 25,000 रुपए तक के ऋण हेतु योजना जो हमने विशेषकर किसानों के लिए बनाई है, बड़ी संख्या में मामलों के निपटान में हमारी मदद करेगी।

बैंकों के अध्यक्षों को 5 करोड़ रुपए से ऊपर की सभी गैर निष्पादनकारी आस्तियों की स्वयं निगरानी करने के लिए कहा गया है।

यह एक प्रकार से गैर निष्पादनकारी आस्तियों पर ध्यान केन्द्रित करना है। जहां तक वसूलियों का सम्बंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि 2001 में इन विभिन्न तरीकों के माध्यम से हमने 13,650 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की है, उन्नयन, समझौते, नकद वसूली के जरिए तथा इन सभी तीनों क्षेत्रों में 6196 करोड़ रुपए की नकद वसूली सहित हमारा कार्य निष्पादन पहले के सभी वर्षों के कार्य-निष्पादन से बहुत अच्छा रहा है, इसलिए इस पर विशेष महत्व देना जारी रहेगा।

जहां तक लक्ष्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों पर निर्भर है लेकिन महत्व गैर निष्पादनकारी आस्तियों पर दिया जाता है।

श्री ए० नरेन्द्र : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का समायोजित परिचालन लाभ नकारात्मक था। वर्मा समिति ने इन बैंकों को कमजोर बैंकों के रूप में पहचान की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बैंकों को वास्तव में पटरी पर लाया जा सकता है, यदि नहीं तो इन बैंकों का भविष्य क्या होगा ? भारत सरकार द्वारा इन बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? मुझे इसका स्पष्ट जवाब दें।

श्री यशवंत सिन्हा : माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तीन बैंक हैं जिनकी सरकार द्वारा 1997-98 में अपनाए गए मानदंडों

के आधार पर कमजोर बैंकों के रूप में पहचान की गई है। हम तभी से इन तीनों बैंकों पर कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए दबाव डालते रहे हैं। जैसाकि मैंनें अपने बजट भाषण में भी कहा था, हमें खुशी है कि इन तीन बैंकों में से दो बैंक नामत: यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है। उनको पूंजी पर्याप्तता अनुपात में भी सुधार आया है। केवल इंडियन बैंक ही ऐसा है जिसने हालांकि अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है लेकिन फिर भी इसका पूंजी पर्याप्ता अनुपात लगातार नगण्य होता जा रहा है। इसलिए, इंडियन बैंक की मदद करने के उद्देश्य से, विशेषरूप से इस बजट में, हमने यह सुझाव दिया है कि हम इसकी मदद करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक की पूंजी में 1300 करोड़ का प्रावधान करेंगे। हमारा यह दृष्टिकोण है। हम बैंकों पर अपने कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए दबाव बनाए रखेंगें और मुझे इस सम्माननीय सभा के समक्ष यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दबाव ने काम करना शुरू कर दिया है और इन कमजोर बैंकों में से दो बैंक घाटे की स्थिति से उबर गए हैं।

श्री ए० नरेन्द्र : यूको बैंक की क्या स्थिति है?

श्री यशवंत सिन्हा : यूको बैंक भी घाटे से उबर गया है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को और लाभप्रद बनाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को स्पष्ट किया है। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भी सामाजिक वचनबद्धताएं और दायित्व हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस पहलू की भी जांच कर रहा है और क्या यह इन संस्थानों को अपनी सामाजिक वचनबद्धता और दायित्व पूरा करने के लिए निदेश देगा।

दूसरा, अधिकांश राज्यों में, ऋण जमा अनुपात में कमी आ रही है। मैं केरल राज्य से हूं जहां ऋण जमा अनुपात में काफी अधिक कमी आ रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अपने ऋण जमा अनुपात को युक्तिसंगत करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों को कोई निदेश दिए जाएंगे।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं इस सभा के समक्ष पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक बैंकों की लाभप्रदता का सम्बन्ध है, हम इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक सामाजिक दायित्व का सम्बन्ध है, उसकी भी लगातार समीक्षा की जा रही है। सामाजिक दायित्व क्या है जो हम बैंकों पर डालते हैं?

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना बैंकों के सामाजिक दायित्व को दर्शाता है और प्राथमिकता क्षेत्र, जैसाकि माननीय सदस्यों को जानकारी है, 40 प्रतिशत है। जहां तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने का सम्बन्ध है, सभी बैंकों का चालू अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है। यह प्रत्येक बैंक का अलग-अलग होता है। यह इन निजी और विदेशी बैंकों, जो भारत में खुल रहे हैं, पर भी लागू होता है।

महोदय, एक प्रश्न है जो नाबार्ड पर लागू होगा। हमारे देश में एक प्रणाली है जहां हम बैंकों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में कमी को पूरा करना शुरू करते हैं और उसे नाबार्ड की ग्रामीण मूलभूत ढांचा विकास निधि में रखते है। महोदय मैं कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय देना चाहता हूं क्योंकि जब 1995-96 में यह प्रणाली शुरू की गई थी तब डा० मनमोहन सिंह का यह अंतिम बजट था।

यह कोष अब बढ़कर 5500 करोड़ रुपये का हो गया है। आज यह कोष सामाजिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यदि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने में बैंक अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने में असफल रहे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हम इस धनराशि से उस बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। कृषि क्षेत्र में ऋण हेतु एक अलग उप-शीर्ष है जो कि 18 प्रतिशत है। वास्तव में आंकड़े यह दर्शायेंगे कि सभी बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 43 प्रतिशत ऋण दिए हैं।

महोदय, जहां तक ऋण-जमा अनुपात का संबंध है, यह गहन चिंता का विषय है क्योंकि मैं झारखंड जैसे राज्यों, जहां से मैं आता हूं, के बारे में जानता हूं वहां यह अनुपात केवल 20 प्रतिशत है। अत: हम बैंकों के साथ इस स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मेरे साथी और मैं राज्यों का दौरा करते हैं; हम एस०एल०बी०सी० के साथ बैठकें करते हैं और जहां कहीं भी ऋण-जमा अनुपात कम है हम वहां की राज्य सरकार के सम्पर्क में रहते हैं। हम राज्य सरकारों को एस०एल०बी०सी० में वरिष्ठ स्तर पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि ऋण-जमा अनुपात का ध्यान रखा जा सके। यह स्वभाविक रूप से बैंक के समक्ष ऋण प्राप्त करने हेतु लाई गई परियोजनाओं की संख्या पर भी निर्भर करता है और यह संख्या बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाने की क्षमता पर निर्भर करती है, छोटे ऋण नहीं, मैं बड़े ऋण उपलब्ध कराए जाने की क्षमता के बारे बात कर रहा हूं। यदि इस संबंध में संसद सदस्य अपने सुझाव देना चाहें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हमने यह व्यवस्था इन स्थानों पर लागू कर भी दी है वहां संसद सदस्य और अन्य चुने हुए प्रति-निधि बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने में स्थानीय स्तर पर सहभागी बने हैं।

डा० बिक्रम सरकार : महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए हैं। यदि आप भाग 'क', में दिए गए आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई० और आई०सी०आई०सी०आई० जैसी सभी संस्थाओं में गत तीन वर्षों से लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इस संदर्भ में क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूं। कि उत्तर के भाग 'ड', में बताए गए प्रयासों का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या डी०आर०टी० द्वारा अभी तक किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वसूले गए ऋण की धनराशि में कोई गुणात्मक अंतर आया है, यदि हां तो क्या इसे निश्चित रूप से बताया जा सकता है? यह धनराशि कुल बकाया ऋण का कितने प्रतिशत है? महोदय, यह मामला गैर-निष्पादनकारी — आस्तियों और चूककर्ताओं के लंबित मामलों की संख्या का नहीं है। मैं बड़े औद्योगिक घरानों पर ऋण की कुल बकाया राशि जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उनके नाम बताए जा सकते हैं और यदि यह संभव है तो क्या सरकार वर्तमान परिदृश्य में कोई विधेयक ला सकती है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, माननीय संसद सदस्य ने ठीक ही कहा है कि लाभ और हानि के संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन में 1998-99 से 2000-01 के अंत तक गिरावट दर्ज की है। यह देश की आर्थिक स्थिति का एक बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब है। हम जानते हैं कि देश एक कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। औद्योगिक मंदी का दौर है जिसके परिणामस्वरूप, विशेषकर वित्तीय संस्थान कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अब इसका प्रभाव उनकी लाभप्रदता पर भी पड़ा है।

मैं इस सदन में एक और बात कहना चाहूंगा कि, जहां तक विकास संस्थाओं का संबंध है, इस खेल के नियम बदल गए हैं। वह भी दौर या अब विकासकारी वित्तीय संस्थाओं की एक बड़ी स्पष्ट भूमिका होती थी। इसके समाप्त होने के पश्चात बैंकों और विकासकारी वित्तीय संस्थाओं ने वही कार्य करना शुरू कर दिया, इससे विकासकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए समस्या खड़ी हो गई क्योंकि उनके पास बैंकों की तरह जमा राशियां, एकत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। यह एक प्रमुख अंतर है और उसकी चिंता है। ऐसे समय में विकासकारी वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक रूप से बाजार से ऋण लेना पड़ेगा। उन्हें इस समय बैंकों से अधिक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रश्न है, इससे संबंधित सूचना मैंने पहले भी सदन में रखी थी और मैं दुबारा भी उसे इस सदन में रखना चाहूंगा। मेरे पास मेरे पास गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के ऋण की धनराशि से संबंधित आंकड़े हैं। महोदय, जहां तक गैर- निष्पादनकारी आस्तियों का प्रश्न है, इसमें केवल 25,000 रुपये तक की ऋण की धनराशि 8.4 प्रतिशत है। फिर 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक 10.56 प्रतिशत; एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक 8.46 प्रतिशत; 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 3.90 प्रतिशत; और 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक 13.19 प्रतिशत है। अत: गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का 44.24 प्रतिशत केवल एक करोड़ रुपये तक की श्रेणी में है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : टोटल एन०पी०ए० का कितना एग्रीकल्चर सैक्टर में और कितना इंडस्ट्रियल सैक्टर में है?

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वाली आस्तियों का प्रतिशत केवल 2.37 है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब, यदि आप प्राथमिकता क्षेत्र, गैर प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि आदि के संबंध में अलग-अलग सूचना चाहते हैं तो मेरे पास वे आंकड़े भी हैं। कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का 14.77 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में है; इन आस्तियों का 18.41 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र में है और प्राथमिकता क्षेत्र में अन्य उद्योगों में इन आस्तियों का प्रतिशत 12.24 है। अत: केवल वरीयता क्षेत्र में ही गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का 45.41 प्रतिशत है।

भारत-बर्मा सीमा पर सीमा व्यापार

***283. श्री पवन सिंह घाटोवार** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की भारत-बर्मा (म्यांमार) सीमा पर रहने वाले जनजातीय समुदायों के बीच अनौपचारिक सीमा व्यापार अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का म्यांमार होते हुए असम के लेडो और चीन के कुनमिंग को जोड़ने वाले स्टिलवेल रोड, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, को पुन: खोलकर और विकसित करके बहुपक्षीय सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा व्यापार की भलिभांति पहचान की गई है और सीमा पर मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली मदों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) हालांकि सरकार की सीमा व्यापार को बढ़ावा देने की पूरी-पूरी मंशा है तथापि स्टिलवेट रोड़ को फिर से चालू किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। कि सरकार ने मेरे प्रश्न को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निर्मित की गई स्टिलवैल सड़क भारत को चीन के क्यूमिंग और येनान शहरों से जोड़ती थी। स्वतन्त्रता के पश्चात आदिवासी लोग और भारत और म्यांमार के अन्य लोग इस सड़क का उपयोग करते थे। लेकिन 1962 के बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया। महोदय, एक अन्तरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त परामर्शदात्री फर्म, कूर्प्स एण्ड लेब्रान्ट, और विश्व बैंक की दक्षिण-पूर्व एशिया संबंधी क्षेत्रीय विकास रिपोर्टों में पूर्वोत्तर भारत की सीमापार व्यापार और वाणिज्य के लिए एक संभावित विकास केन्द्र के रूप में उल्लेख है। इन सभी रिपोर्टों में सुदूर पूर्व की अच्छी आर्थिक स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने हेतु स्टिलवैल सड़क को खोलने का जोरदार तरीके से समर्थन किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार स्टिलवैल सड़क को पुन: खोलने हेतु इससे जुड़े वाणिज्यिक और सांस्कृतिक पहलू पर विचार करेगी।

श्री राजीव प्रताप रुडी : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं। यह सत्य है कि दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान स्टिलवैल सड़क एक मुख्य व्यापारिक सड़क थी। जैसा कि आप भी मानेंगे कि इस सड़क विशेष को म्यांमार से समर्थन नहीं मिला है। वर्तमान में म्यांमार सरकार इस सड़क को खोलने के पक्ष में नहीं है क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि इससे पहले कि हम इस संबंध में आगे

बढ़े तामू-मोराह सीमा व्यापार स्थल को विकसित किया जाना चाहिए और उस स्थल में चीन का भी कुछ हिस्सा सम्मिलित है। अत: हमें निकट भविष्य में इस मार्ग के खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आती है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासियों और म्यांमार के बीच सदियों से व्यापार चल रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार लेडो-मागरिट क्षेत्र को पुन: खोलने और वहां सीमा पार से व्यापार हेतु अवसंरचना विकसित करने पर विचार करेगी जिससे कि दोनों ओर रहने वाले आदिवासी उस क्षेत्र में व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां चला सकें।

श्री राजीव प्रताप रुडी : यह एक बहुत रोचक स्थिति है कि उस सीमा क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच आज भी वस्तु-विनिमय चल रहा है और यह उस क्षेत्र की एक अजीब बात है। इसके लिए प्रावधान हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें स्वीकार कर इन वस्तुओं को अधिसूचित किया हुआ है जिनमें वस्तु-विनिमय हो सकता है। इसी के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त केन्द्रों को खोले जाने के भी प्रस्ताव हैं – कुछ नागालैंड में हैं जैसे लुंगवा-लोडो और पोंगरू-पोस्कू; कुछ अरुणाचल प्रदेश में हैं जैसे नामपोन्ग-खीमीयान्ग। जैसा कि मैंने पहले कहा कि म्यांमार सरकार अभी भी आगे बढ़ने से पहले तामू-मोराह और भारमाई के दो प्रमुख स्थलों को पहले शामिल करने और विकसित करने पर जोर दे रही है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : लेडो-मागरिट क्षेत्र को खोलने के बारे में क्या विचार है?

श्री राजीव प्रताप रुडी : इस समय हम उसे नहीं खोल सकते?

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आतंकवादियों द्वारा बैंकों के माध्यम से धनराशि योजना

***284. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी बैंकों के माध्यम से धनराशि भेजते थे;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या क्रियाविधि अपनाई जाती रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) अब तक ऐसा एक मामला सरकार के ध्यान में आया है।

(ग) निधियां भारत में एक ऐसे निवासी भारतीय के खाते में अन्तरित करने की व्यवस्था की जा रही थी, जो विदेशियों द्वारा नामित व्यक्तियों को अपना कमीशन काटने के बाद भारतीय रुपए में तुल्य रकम का भुगतान किया करता था।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को कतिपय आतंकवादी संगठनों के बैंक खातों पर रोक लगाने और कुछ अन्य संगठनों के लेनदेनों पर सतर्क नजर रखने का परामर्श दिया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य बैंकिंग परिचालनों के उल्लंघन वाले लेनदेनों पर भी सतर्क नजर रखनी होती है तथा 'अपने ग्राहक को जानिए' सिद्धान्त के संबंध में उचित तत्परता दिखानी होती है। अनियमितताओं, यदि कोई हों, को भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाना होता है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत, संगठन के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध रजिस्ट्रेशन न होने पर बैंकों को गैर-लाभप्रद संगठनों के जमा खाते खोलने तथा विदेशों से दान प्राप्त करने की मनाही है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से ऋण

***285. श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाबार्ड' ने 12 राज्यों में अवसंरचना सृजन के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०) VII के अधीन 713.94 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए धनराशि निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अधीन विभिन्न राज्यों के लिए पूर्व में मंजूर ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे ऋण के उचित उपयोग के लिए क्या क्रियाविधि अपनाई गई है और ऋण का पूरा-पूरा और उचित उपयोग न करने वाले राज्यों पर क्या दण्ड लगाया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 12 राज्यों में ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर०आई०डी०एफ०-VII) के अन्तर्गत 713.94 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अंतर्गत निधियों के आबंटन की गणना राज्य की ग्रामीण जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र तथा अवसंरचना विकास अनुक्रमणी के आधार पर की जाती है।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों को आर०आई०डी०एफ०-I से आर०आई०डी०एफ०-VII के अधीन विभिन्न श्रृंखलाओं के अन्तर्गत मंजूर ऋणों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऋण प्रतिपूर्ति के रूप में जारी किए जाते हैं जो राज्य सरकारों द्वारा पहले से निधियों का उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त ऋणों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों के साथ गहन निगरानी एवं समन्वय किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने राज्यों पर अभी तक कोई दण्ड नहीं लगाया है। अगर राज्य सरकार द्वारा परियोजना शुरू नहीं होती है अथवा वापस ले ली जाती है, तो ऋण को भविष्य के आहरण के साथ समायोजित किया जाता है अथवा ब्याज के साथ वापस मांग लिया जाता है।

विवरण-I

नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ० के अंतर्गत की गई मंजूरियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु०)

क्र०सं०	राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7363.86
2.	छत्तीसगढ़	2602.52
3.	हरियाणा	5458.46
4.	कर्नाटक	9505.35
5.	मध्य प्रदेश	1736.93
6.	महाराष्ट्र	14368.94
7.	उड़ीसा	1305.31
8.	राजस्थान	8938.10
9.	सिक्किम	198.00
10.	तमिलनाडु	7153.72
11.	उत्तर प्रदेश	4179.31
12.	पश्चिम बंगाल	8583.85
	कुल	71394.35

विवरण-II

नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ० के अंतर्गत की गई राज्य-वार मंजूरियां (14.3.2002 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

राज्य	I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	227.09	334.22	290.79	305.42	383.09	573.52	509.38	2623.51
अरूणाचल प्रदेश					25.10	88.50	32.80	146.40
असम		63.29	16.07	64.07	196.14	49.57		389.79
बिहार	22.17		57.96		9.51	43.71	85.07	218.42
छत्तीसगढ़	79.12	8.98	57.07	65.32	34.09	50.86	46.78	342.22
गोवा	6.85			8.93		19.09		34.87
गुजरात	150.90	133.79	160.60	136.36	254.06	554.75	40.90	1431.36
हरियाणा	26.70	61.06	74.98	56.25	99.07	67.43	152.79	538.28
हिमाचल प्रदेश	14.23	52.96	51.12	88.58	112.80	135.03	138.75	593.47
जम्मू एवं कश्मीर	6.14	8.06	35.95	105.87	110.88	161.52	37.79	466.21
झारखंड			4.35	118.50	91.42			214.27
कर्नाटक	172.63	195.21	170.84	173.87	173.84	303.13	315.71	1505.23
केरल	95.93	87.60	89.88	64.55	127.58	186.33	72.99	724.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	161.32	198.62	191.63	177.52	228.87	292.79	270.77	1521.52
महाराष्ट्र	186.81	231.66	254.31	301.98	350.28	439.17	421.08	2185.29
मणिपुर	1.75					8.33		10.08
मेघालय	3.39		7.06	9.33	35.10	30.49	13.86	99.23
मिजोरम	2.38				54.17	3.76	4.54	64.85
नागालैंड	1.38			0.72	16.52	61.49	0.95	81.06
उड़ीसा	169.50	128.64	162.91	162.56	134.62	107.43	142.50	1008.16
पंजाब	60.50	62.50	88.85	115.94	102.79	236.65	222.87	890.10
राजस्थान	123.51	151.50	162.88	72.29	153.08	253.75	285.24	1202.25
सिक्किम				21.29	8.72	4.55	5.48	40.04
तमिलनाडु		245.79	195.11	176.56	254.01	261.84	224.56	1357.87
त्रिपुरा				21.70	45.01	35.40		102.11
उत्तर प्रदेश	295.72	491.65	411.30	474.97	348.94	247.72	277.31	2547.61
उत्तरांचल			21.68	50.80	4.98			77.46
पश्चिम बंगाल	102.52	156.94	173.55	214.32	222.29	413.23	290.22	1573.07
कुल	1910.54	2612.47	2678.89	2988.35	3576.96	4630.04	3592.34	21989.59

सड़े-गले खाद्यान्न का विशाल भंडार

***286. श्री निखिल कुमार चौधरी :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों में सड़े-गले खाद्यान्न का विशाल भंडार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खाद्यान्न की राज्य-वार और खाद्यान्न-वार कुल मात्रा कितनी है और इसके क्या कारण है;

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान ऐसे खाद्यान्न का कितनी मात्रा में निपटान किया गया;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है और गोदामों में खाद्यान्न के ऐसे भंडारण को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम भी उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) पहली फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 2.05 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध थी। राज्यवार और जिंसवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम अधिकांशतः वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों में और वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्नों का भण्डारण करता है। आवधिक निरीक्षण करके स्टाक की गुणवत्ता की मानीटरिंग की जाती है। तथापि, अन्य कारणों के अलावा दीर्घकालिक भण्डारण और बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों के स्टाक को कुछ क्षति हो जाती है।

(ग) अगस्त, 2001 से जनवरी, 2002 तक की अवधि के दौरान 45,068 टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान किया गया है।

(घ) से (च) जब कभी यह पाया जाता है कि किसी अधिकारी(यों) की त्रुटि अथवा लापरवाही के कारण क्षति हुई है तब इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए लापरवाही आदि के कारण स्टाक को क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरी जोन में श्रेणी-I के दो अधिकारी और श्रेणी-2 और 3 के 80 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

खाद्यान्नों में क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) खाद्यान्नों का भंडारण अधिकांशत: मूषक और नमी रोधी गोदामों में किया जाता है।

(ii) विहित संलेख के अनुसार नियमित रूप से जुन्तबाधा नाशी उपचार किए जाते हैं।

(iii) गोदामों के उचित रखरखाव के लिए अर्हक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

(iv) मार्गस्थ क्षति को रोकने के लिए जहां तक संभव होता है खाद्यान्नों का संचलन ढके हुए वैगनों में किया जाता है। जब यह संचलन खुले वैगनों में किया जाता है तो इन्हें तारपोलिन आदि से ढका जाता है।

(v) कवर और प्लिंथ भंडारण परिसरों में स्टाक का भंडारण लकड़ी की क्रेटों पर किया जाता है और इसे कम घनत्व की काली पोलीथिन के कवरों से ढका जाता है तथा नाइलोन की रस्सियों से उचित रूप से बांधा जाता है ताकि तेज हवाओं के दौरान कवरों में हवा भर जाने से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा भी खाद्यान्नों की स्टाक की अचानक जांच की जाती है।

विवरण

आंकड़े टन में

क्षेत्र	जिन्स			कुल स्टाक
	गेहूं	चावल	धान	
1	2	3	4	5
बिहार	7,879	4,453	35	12,367
झारखण्ड	168	393	0	561
उड़ीसा	209	44	0	253
पश्चिम बंगाल	1,783	32,008	0	33,791
असम (अरूणाचल प्रदेश सहित)	50	690	0	740
उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती राज्य (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड शामिल है)	13	1,743	0	1,756
दिल्ली	27	6	0	33
हरियाणा	189	40	216	445
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	33	194	0	227
पंजाब	11,706	11,257	1,17,424	1,40,387
राजस्थान	757	1	0	758
उत्तर प्रदेश	1,588	4,462	11	6,061
उत्तरांचल	35	60	78	173
आंध्र प्रदेश	797	33	0	830
केरल	9	230	0	239
कर्नाटक	1,103	32	0	1,135
तमिलनाडु	124	27	0	151
गुजरात	3,347	81	0	3,428
महाराष्ट्र	1,708	119	0	1,827
मध्य प्रदेश	344	74	0	418
छत्तीसगढ़	40	54	0	94
जोड़	31,909	56,001	1,17,764	2,05,674

[हिन्दी]

शिक्षा सहयोग योजना

*287. **श्री पी०आर० खूंटे :**
श्री वाई०वी० राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम देश के सामाजिक क्षेत्र में ''शिक्षा सहयोग योजना'' नाम की एक नई योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य कौन-सी योजनाएं शुरू की जा रही हैं; और

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिनांक 31.12.2001 को शिक्षा सहयोग योजना पहले ही शुरू कर दी है।

(ख) इस योजना में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी को, तथा जिसके माता-पिता जनश्री बीमा योजना में शामिल हों, प्रति बालक प्रति तिमाही 300/-रु० की छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाती है। शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता

को कोई अतिरिक्त प्रीमियम अदा नहीं करना होता। यह लाभ अधिकतम केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और प्रति सदस्य दो बच्चों तक की सीमित है।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे फिलहाल कोई नई योजना शुरू करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। पहले ही जनश्री बीमा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना इत्यादि जैसी सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाएं जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) जीवन बीमा निगम ने प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान देने के अतिरिक्त, वे अधिक पॉलिसियों की बिक्री के जरिए ग्राहक-आधार को बढ़ाने के भी प्रयास कर रहे हैं। अभिकरण के कार्यबल को मजबूत बनाया गया है और विस्तृत कम्प्यूटरीकरण के जरिए सेवा की गुणवत्ता को सुधारा गया है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं — ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा कार्यालयों को मजबूत बनाना, बीमा ग्राम की अवधारणा शुरू करना, दावा-निपटान में तेजी लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना, शिकायतों के निवारण हेतु विस्तृत तंत्र स्थापित करना, कर्मियों की कार्य-दक्षता में वृद्धि करना इत्यादि। बहु-वितरण मार्गों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*288. **श्री थावरचन्द्र गेहलोत :**
श्री अनन्त नायक :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वित्तपोषित किए गए सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार सरकारी उपक्रम — वार बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋण चुकाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बन्द हो गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनमें से अब तक पुनरूद्धार किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा दूर करने के लिए कौन से दीर्घावधि उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों द्वारा किसी वर्ष में लिए गए ऋण से सम्बन्धित जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है। बहरहाल, घाटा उठाने वाले 111 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 का विवरण संख्या 7 ख) में से 97 उपक्रमों पर 31.3.2001 तक वित्तीय संस्थानों/बैंकों का ऋण बकाया था, जैसा कि दिनांक 7.3.2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 नामक एक प्रकाशित दस्तावेज के खण्ड-I के विवरण संख्या 18 क तथा 18 ख में उल्लिखित है।

(ग) सरकारी उद्यम आधुनिकीकरण हेतु पूंजीनिवेश कर, कार्यशाला पद्धतियों में सुधार कर, श्रमशक्ति को उपयुक्त सीमा में लाकर तथा एकमुश्त निपटारा के सम्बन्ध में बातचीत कर अपनी दक्षता में सुधार लाने तथा लागत में कमी करने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ ऐसे मामलों में ऋण चुकाए गए हैं जिनमें या तो बी०आई०एफ०आर० द्वारा अथवा सरकार की खुद की पहल पर पुनरूद्धार योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिष्ठान बन्द कर दिए गए हैं :-

1. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल)
2. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (टीएएफसीओ)
3. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि० (एमएनपीएम)
4. भारत प्रोसस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि० (बीपीएमईएल)
5. वेबर्ड (इंडिया) लि० (डब्ल्यूआईएल)
6. उद्योग पुनर्स्थापन निगम (आरआईसी)
7. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एनबीसीआईएल)
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० (एमएएमसी)
9. साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (सीसीआईएल)
10. इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (आईआरसीसी)
11. ईटी एण्ड टी

भारत लेदर कारपोरेशन (बीएलसी), भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि० (बीसीवीएल) तथा रेरॉल बर्न लि० (आरबीएल) को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है, क्योंकि सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

31.3.2001 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों की संख्या 111 थी और इनमें से 58 उपक्रम बीआईएफआर में पंजीकृत हैं। बीआईएफआर ने 8 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की पुनरूद्धार योजना

स्वीकृत कर दी है और 2 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को अब अरूग्ण घोषित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान सरकार ने 9 ऐसे सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन/पुनरूद्धार का भी अनुमोदन कर दिया है, जो बीआईएफआर में पंजीकृत नहीं है। इन उपक्रमों की सूची विवरण में दी गई है।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। घाटा समाप्त करने के लिए सरकार तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन द्वारा उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या को उपयुक्त सीमा में लाना, पूंजीगत निवेश के लिए ऋण का प्रावधान करना, क्रय अधिमानता नीति अथवा अन्य तरीके से आदेश प्राप्त करने में सहायता करना, बीआईएफआर द्वारा या स्वत: सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृत कराना, गैर-रणनीतिक सरकारी उपक्रमों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना शामिल है।

विवरण

I. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए जिन मामलों में पुनर्स्थापन स्वीकृत किया गया है :

1. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
2. बंगाल इम्युनिटी लि०
3. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०
4. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०
5. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
6. इंस्ट्रूमेंटेशन लि०
7. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०
8. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०

II. बीआईएफआर द्वारा घोषित रूग्ण नहीं रहे मामले

1. बीको लॉरी लि०
2. उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

III. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को न सौंपे गए जिन मामलों में प्रशासनिक मंत्रालयों/सरकार ने पुनर्स्थापन अनुमोदित कर दिया है।

1. एण्ड्रयु यूले कंपनी लि०
2. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
3. एचएमटी लि०
4. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि०
5. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
6. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
7. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०
8. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०
9. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को वित्तीय सहायता

***289. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थानों और विश्व बैंक तथा 'ओवरसीज इकोनामिक को-आपरेशन फंड' से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को ऐसी धनराशि के वितरण के लिए क्या प्रक्रिया और मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल-वार कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं। किसी भी बाह्य एजेंसी से ऐसी कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई। तथापि, अलग-अलग मिलों ने भारत में विभिन्न बैंकों से सीमित कार्यशील पूंजी प्राप्त की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

***290. श्री रामदास आठवले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के लिये विशेष कर पिछड़े, ग्रमीण और पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिये कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोनजाओं पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या उन योजनाओं से स्थिति पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कौन-सी एजेंसियां शामिल हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित दो परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) केरल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना के संबंध में 65.5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आई०डी०ए० ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ दिनांक 4.1.01 को हस्ताक्षर किए गए। दि० 31.1.02 तक 3.105 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया जा चुका है। जिससे 62.395 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अनाहरित रह गई है। यह परियोजना दिनांक 31.12.2006 को बन्द की जाएगी।

(ii) द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना के संबंध में 151.6 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आई०डी०ए० ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ दिनांक 8.3.2002 को हस्ताक्षर किए गए। छह वर्ष की अवधि वाली इस योजना को अभी प्रभावी घोषित किया जाना है।

(ग) और (घ) केरल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना लगभग एक वर्ष पुरानी है और द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना हेतु अभी हाल में हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे अभी प्रभावी घोषित किया जाना है। इसलिए इन परियोजनाओं द्वारा डाला गया प्रभाव अभी सामने नहीं आया है। तथापि, सितम्बर, 2001 में केरल का दौरा करने वाले विश्व बैंक के एक मिशन ने सामुदायिक भागीदारी को अत्यधिक सन्तोषजनक बताया और यह टिप्पणी की कि वहां सामुदायिक स्वामित्व अच्छा है। इन परियोनाओं के कार्यान्वयन में लगे अभिकरण निम्नानुसार हैं :—

(i) केरल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना :— केरल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता अभिकरण।

(ii) द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना:— कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता अभिकरण।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का उत्थान

***291. श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के कल्याण के लिए कौन सी उत्थान योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवारों की पहचान की गई है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बीच वितरण हेतु राज्यों के लिए कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया;

(घ) क्या कई राज्य सरकारों ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में अपात्र लोगों को शामिल कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के उत्थान के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित कर रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों पर केन्द्रित लक्षित सार्वनिक वितरण प्रणाली 1997 में लागू की गई थी। इस योजना के अधीन प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे का परिवार राजसहायता प्राप्त दरों पर प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न के लिए पात्र है, ये दरें फिलहाल आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत से थोड़ी सी कम हैं। 25.12.2000 को सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की थी, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों की सेवा के लिए तैयार की गई है। अब अंत्योदय अन्न योजना सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन प्रत्येक परिवार 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न के लिए पात्र है।

उपर्युक्त के अलावा राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों/नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वाले अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए भी गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) भारत के महापंजीयक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए जनगणना 2001 में किसी प्रश्न का मतार्वन नहीं किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या शुरू में 1995 के आबादी अनुमानों के लिए लागू गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की विधि अपनाकर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों पर आधारित थी। 1.12.2000 से इस आधार को अंतरित करके 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर कर दिया गया था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या और राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) 2001-02 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (अंत्योदय परिवारों सहित) को वितरित करने के लिए राज्यों को 109.52 लाख टन चावल और 88.74 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया है।

(घ) और (ङ) यद्यपि, कुछ राज्यों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटन करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए अनुमानों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अधिक संख्या में पहचान की है, तथापि, कुछ अन्य राज्यों ने कम संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की है। नागालैंड की राज्य सरकार तथा चण्डीगढ़ और दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की इतनी ही संख्या में पहचान की है जितना केन्द्र सरकार का अनुमान है। इस संबंध में अनुबंध में दिए गए विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि कई राज्यों ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से करवाई गई गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की है। उक्त जनगणना में पहचान किए गए गरीब परिवारों की प्रतिशतता गरीब परिवारों के अनुमानों में अधिक दिखाई गई प्रतीत होती है। क्योंकि यह सर्वेक्षण विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लाभभोगियों के रूप में चयन के लिए परिवारों की पहचान करने के विशिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया था। जाली राशनकार्डों और राशनकार्डों में जाली यूनिटों के मामले भी हैं।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सही पहचान किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। 1997 में जारी किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने संबंधी दिशानिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि समाज के वास्तव में गरीब और कमजोर वर्गों को ही शामिल किए जाने पर जोर दिया गया था। राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के काम में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, जो 31.8.2001 से लागू हुआ है, में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें ग्राम सभा की बैठक में गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की सूची को अंतिम रूप देंगी। इन सूचियों में से अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों का शामिल करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष इनकी समीक्षा की जानी भी अपेक्षित है। आदेश में राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि यह सुनिश्चित करें कि जाली राशन कार्ड और राशन कार्डों में जाली यूनिटों की छंटाई की जाए।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहचान के कार्यान्वयन की स्थिति

(14.3.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य	योजना आयोग के विशेषज्ञ ग्रुप के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की प्रतिशतता (1993-94)	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या	राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गरीबी रेखा से नीचे की परिवारों की संख्या (लाख)	निम्न तारीख को सूचित
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.68	40.63	113.60	नवम्बर, 2001
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.86	0.99	1.20	9.11.2001
3.	असम	40.86	18.36	18.85	6.8.2001
4.	बिहार	54.96	65.23	61.63	जनवरी, 2002
5.	गोवा	14.92	0.48	0.08	20.4.2001
6.	गुजरात	24.21	21.20	33.90	28.1.2002
7.	हरियाणा	25.05	7.89	6.80	31.12.2001
8.	हिमाचल प्रदेश	40.86	5.14	2.98	18.2.2002

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू व कश्मीर	40.86	7.36	5.82	15.11.2001
10.	कर्नाटक	33.16	31.29	62.80	26.12.2001
11.	केरल	25.43	15.54	20.58	31.3.2000
12.	मध्य प्रदेश	42.52	41.25	44.87	8.8.2001
13.	महाराष्ट्र	36.86	65.34	77.00	2.3.2000
14.	मणिपुर	40.86	1.66	1.29	फरवरी, 1999
15.	मेघालय	40.86	1.83	1.72	15.1.2001
16.	मिजोरम	40.86	0.68	0.91	8.8.2001
17.	नागालैण्ड	40.86	1.24	1.24	15.6.2001
18.	उड़ीसा	48.56	32.98	48.57	12.12.2001
19.	पंजाब	11.77	4.68	4.35	मार्च, 2002
20.	राजस्थान	27.41	24.31	23.74	3.8.2001
21.	सिक्किम	41.43	0.43	0.44	10.1.2002
22.	तमिलनाडु	35.03	48.63	65.51	31.8.2000
23.	त्रिपुरा	40.86	2.95	2.50	अगस्त, 2001
24.	उत्तर प्रदेश	40.85	106.79	91.23	30.6.2001
25.	पश्चिम बंगाल	35.66	51.79	47.87	31.7.97
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.47	0.28	0.17	23.5.97
27.	चंडीगढ़	11.35	0.23	0.23	12.2.2001
28.	दादर और नागर हवेली	50.84	0.18	0.16	सितम्बर 2000
29.	दमन और द्वीव	15.80	0.04	0.04	25.6.97
30.	दिल्ली	14.69	4.09	4.11	25.1.2001
31.	लक्षद्वीप	25.04	0.03	0.01 (1285)	24.10.2001
32.	पांडिचेरी	37.40	0.84	0.95	31.10.2001
33.	छत्तीसगढ़	42.52	18.75	17.48	8.8.2001
34.	झारखण्ड	54.96	23.94	22.21	8.8.2001
35.	उत्तरांचल	40.85	4.98	4.30	13.12.2001
	जोड़		652.04	789.59	

कॉफी की बिक्री के लिये संयुक्त रणनीति

***292. डा० अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया के तीन प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों अर्थात् भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक संयुक्त रणनीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संयुक्त रणनीति को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, नहीं। वियतनाम काफी एण्ड कोकोआ एसोसिएशन तथा एसोसिएशन आफ इंडोनेशियन काफी एक्सपोर्टर्स, दो गैर सरकारी संगठनों ने सामान्य हितों के बारे में एक समन्वय कार्यक्रम तैयार करने के लिए तीन एशियाई काफी उत्पादकों (भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया) की बैठक का सुझाव दिया है। चूंकि इन देशों की सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इस मामले में किसी कार्रवाई को आवश्यक नहीं समझा गया है।

रूग्ण चीनी मिलों का पुनरूद्धार

***293. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनरूद्धार के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी रूग्ण सहकारी मिलों का पुनरूद्धार किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी रूग्ण मिलों को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पास रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव अभी भी लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों को निपटाने में हुये विलंब के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) सात सहकारी चीनी मिलों को जीवनक्षम बनाने के लिए परियोजना रिपोर्टों के रूप में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें रूग्णता के कारण बताये गये हैं तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं से राहत मांगी गई है। तथापि, किसी वित्तीय संस्था द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) से (च) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध प्राप्त होने पर संभावित रूप से व्यवहार्य सहकारी चीनी इकाइयों को जीवनक्षम बनाने संबंधी पैकेज देने अथवा अव्यवहार्य इकाइयों का रूग्ण चीनी मिलों की निकटवर्ती इकाइयों के साथ विलय करने के बारे में विचार करने के लिए सरकार ने सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उक्त समिति ने अपनी सहायता के लिए एक उप-समिति गठित की है। उप-समिति ने उपर्युक्त सात सहकारी चीनी मिलों को जीवनक्षम बनाने संबंधी परियोजना रिपोर्टों की जांच की है। उप-समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि परियोजना लागत का 60% तक ऋण चीनी विकास निधि से 6% ब्याज पर मुहैया किया जाए तथा ऋण – स्थगन अवधि और ऋण को वापस करने की अवधि आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु दिए गए ऋण के लिए लागू ऋण-स्थगन अवधि तथा ऋण वापस करने की अवधि से अधिक होनी चाहिए। सरकार चीनी विकास निधि नियम, 1993 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है।

[अनुवाद]

सेवा-कर लगाने के लिए अनुमति

***294. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :**
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से सेवा-कर लगाने की अनुमति देने का आग्रह कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। घेरलू कर सुधारों के संबंध में 16 नवम्बर, 1999 को हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सभी राज्यों द्वारा सर्वसम्मति से पूरे देश में बिक्री कर की एकसमान न्यूनतम दरों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। उद्योग के लिए बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन स्कीमों को समाप्त करने, केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली में सुधार और 1 अप्रैल, 2002 से मूल्य वर्धित कर (वैट) शुरू करने का भी निर्णय लिया गया था। 22 जून, 2000 और 5 जुलाई, 2001 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया था कि वैट को शुरू करने में सुविधा देने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सेवाओं पर कर लगाने

की अनुमति देकर उनके कर आधार को व्यापक बनाने में समर्थ बनाए। इस सुझाव की जांच करने के उद्देश्य से और इस संबंध में गोविन्द राव समिति और पार्थसारथी शोम समिति की रिपोर्टों में सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर लगाने की सांविधिक/कानूनी व्यवहार्यता और प्रचालनात्मक रूपात्मकता का अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य वित्त सचिवों की समिति गठित की थी। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर चुकी है और सिफारिश की है कि सेवाओं पर कराधान की शक्तियों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की साझेदारी होनी चाहिए।

मुकदमेबाजी में फंसी आयकर की धनराशि

***295. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 2002 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' समाचार-पत्र में ''लिटिगेशन लॉक्ड अप आई०टी० वर्थ रूपीज 4000 करोड़'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय मुकदमेबाजी में फंसी विभिन्न सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और निजी कंपनियों के विरुद्ध कुल कितना कर बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने विधि मंत्रालय से कर मामलों को तेजी से निपटाने हेतु विशेष न्यायालय गठित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विधि मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा बकाया राशि को यथाशीघ्र वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस बकाया राशि में से कुल कितनी राशि वसूल कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.1.2002 की स्थिति के अनुसार इस समय मुकदमेबाजी में फंसी विभिन्न सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और निजी कंपनियों के विरुद्ध कुल बकाया कर की राशि (उपलब्ध अस्थाई आंकड़ों के अनुसार) 61393.32 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने बड़ी संख्या में मामलों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 1997 में आयकर अपीलीय अधिकरण की 15 अतिरिक्त पीठों का सृजन किया है।

(घ) उपर्युक्त भाग(ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

(ङ) बकाया करों की वसूली में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं :—

बकाया मांग की कमी और वसूली केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर विभाग के लिए निर्मित वार्षिक कार्ययोजना का हमेशा से एक प्रमुख क्षेत्र रहा है और इसकी उपलब्धियों का गंभीरता से अनुसरण किया जाता है।

चालू वर्ष के दौरान मामलों के शीघ्र निपटान और बकाया मांग की बेहतर वसूली के लिए आयुक्त (अपील) और कर-वसूली अधिकारियों के अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं।

ऐसे मामलों, जिनमें बकाया कर 10 लाख रुपए से अधिक होता है, की समीक्षा प्रत्येक तिमाही के अंत में की जाती है और वसूली में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवादों के निपटान, अभियोजित मामलों के शीघ्र निपटान एवं करों के संग्रहण के लिए समझौता आयोग के तंत्र का सृजन किया गया है।

(च) चालू वर्ष के दौरान 2158 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की गई है और 31.1.2002 तक 5427 करोड़ रुपए राशि की मांगों की कमी की गई हैं। 4000 करोड़ रुपए तक की वसूली की संभावना है।

रेशम बोर्ड द्वारा राज सहायता

***296. श्री एम०जी० रामुलू :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजसहायता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी राजसहायता जारी की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा किसानों के लिए राजसहायता राशि वितरित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा दोषी राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता जारी करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जारी की गई आर्थिक सहायता के राज्य वार ब्यौरे विवरण में निर्दिष्ट हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपनी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना के अंतर्गत उसे प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन करने के बाद राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता का अपना अंशदान जारी करता है। राज्य किसानों/लाभ भोगियों को आर्थिक सहायता के अपने अंशदान तथा आर्थिक सहायता जारी करने के लिए उत्तरदायी होती है। केन्द्रीय आर्थिक सहायता की परवर्ती किस्तें, जारी की गई आर्थिक सहायता के उपयोग को दर्शाने वाले राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी की जाती हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किसानों/लाभ भोगियों को जारी आर्थिक सहायता के ब्यौरे रखे जाते हैं। जो राज्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनकी परवर्ती किस्तों को रोक लिया जाता है। राज्यों को उनके अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार योजनाओं को जारी और क्रियान्वित करने के लिए मनाने के लिए भी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000, तथा 2000-01 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य-वार तथा वर्ष वार जारी की सब्सिडी का ब्यौरा

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	राज्य का नाम	के दौरान जारी सब्सिडी			कुल
			1998-99	1999-00	2000-01	
1	2	3	4	5	6	7
1.	गैर-शहतूती रेशमों के विकास पर यू०एन०डी०पी० सहायित उप-कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश	–	2.87	25.50	28.37
		झारखण्ड	–	15.70	46.82	62.52
		उड़ीसा	–	13.25	52.92	66.15
		पश्चिम बंगाल	–	1.07	43.79	44.86
		असम	–	33.29	122.04	155.33
		नागालैण्ड	–	3.38	6.67	10.05
		मेघालय	–	–	21.48	21.48
		छत्तीसगढ़	–	–	11.52	11.52
		महाराष्ट्र	–	0.26	–	0.26
		हिमाचल प्रदेश	–	–	0.05	0.05
2.	ड्रिप सिंचाई के माध्यम से संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन	कनार्टक	25.31	25.31	67.5	118.12
		तमिलनाडु	30.51	34.34	26.73	91.58
		आन्ध्र प्रदेश	22.50	–	22.50	45.00
		महाराष्ट्र	–	11.25	11.25	22.50
		केरल	–	–	1.56	1.58
3.	राज्यों द्वारा प्रदर्शन स्वरूप की अपनायी प्री-रिलिंग उत्पादकता की उन्नत उपायों के लिए सहायता	कर्नाटक	–	22.48	16.10	38.58
		तमिलनाडु	–	17.14	12.29	29.43
		जम्मू व कश्मीर	4.00	5.00	4.00	13.00
		आन्ध्र प्रदेश	6.05	–	31.97	38.02
		पश्चिम बंगाल	5.00	1.25	22.36	28.61

1	2	3	4	5	6	7
		महाराष्ट्र	—	5.12	—	5.12
		मध्य प्रदेश	—	15.19	4.88	20.07
		उड़ीसा	4.00	4.00	—	8.00
		बिहार	3.20	0.59	—	3.79
		उत्तर प्रदेश	9.00	—	—	9.00
		केरल	—	—	2.45	2.45
		हिमाचल प्रदेश	—	—	5.00	5.00
		सिक्किम	1.00	0.06	2.19	3.25
		अरूणाचल प्रदेश	—	—	6.75	6.75
		मिजोरम	5.00	—	—	5.00
4.	नए शहतूती नए रेशम उत्पादकों के लिए खेतों पर प्रशिक्षण व आरंभिक उपकरणों की आपूर्ति	कर्नाटक	—	—	35.00	35.00
		तमिलनाडु	8.40	14.00	14.00	36.40
		जम्मू व कश्मीर	15.00	15.00	—	30.00
		आन्ध्र प्रदेश	17.50	—	73.32	90.82
		पश्चिम बंगाल	4.01	9.05	13.57	26.63
		महाराष्ट्र	22.47	20.83	45.82	89.12
		मध्य प्रदेश	—	1.68	—	1.68
		उड़ीसा	17.50	9.83	0.58	27.91
		केरल	7.11	8.15	2.78	18.04
		हिमाचल प्रदेश	—	—	7.14	7.14
		सिक्किम	1.40	—	1.96	3.36
		असम	—	—	2.74	2.74
		मिजोरम	11.15	—	—	11.15
		त्रिपुरा	2.79	6.80	—	9.59
5.	बीज गुणन अहयसंरचना (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	झारखण्ड	—	0.45	0.30	0.75
		छत्तीसगढ़	—	5.40	4.80	10.20
		पश्चिम बंगाल	—	5.10	—	5.10
		आन्ध्र प्रदेश	—	—	5.10	5.10
		उत्तर प्रदेश	—	—	2.25	2.25
		महाराष्ट्र	—	1.50	4.95	6.45

1	2	3	4	5	6	7
6.	उष्णकटिबंधीय तसर के लिए उन्नत रीलिंग/कताई यंत्र की लोकप्रियता के लिए एजेंसियों (गैर सरकारी संगठनों/सहकारी) को सहायता	आन्ध्र प्रदेश	0.02	—	1.52	1.54
		बिहार	2.05	—	—	2.05
		मध्य प्रदेश	5.99	—	8.40	14.39
		महाराष्ट्र	0.24	—	1.31	1.55
		उड़ीसा	4.13	0.12	0.08	4.33
		उत्तर प्रदेश	0.41	0.46	0.3	1.17
		पश्चिम बंगाल	1.21	0.02	1.37	2.60
7.	सह-उत्पाद उपयोगी विकास परियोजनाएं	उड़ीसा	1.50	—	—	1.50
		त्रिपुरा	4.60	—	—	4.60
		कर्नाटक	—	1.50	—	1.50
			—	—	0.69	0.69
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	पश्चिम बंगाल		0.26	—	0.26
		उड़ीसा	—	—	0.05	0.05
		तमिलनाडु	—	—	0.16	0.16
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता					
	क. रीलिंग द्विफसलीय रेशम के लिए उत्प्रेरक	कर्नाटक	—	0.04	2.88	2.92
		जम्मू व कश्मीर	8.34	—	10.17	18.51
		मध्य प्रदेश	—	1.33	—	1.33
		उत्तर प्रदेश	5.08	0.18	5.35	10.61
		उड़ीसा	0.41	0.42	0.17	1.00
	ख. कार्यशील पूंजी ब्याज सब्सिडी $	कर्नाटक	12.00	18.58	27.40	57.98
		आन्ध्र प्रदेश	—	—	6.00	6.00
		तमिलनाडु	—	4.75	4.40	9.15
		जम्मू व कश्मीर	8.35	4.90	—	13.25
		उत्तर प्रदेश	—	—	1.00	1.00
		मध्य प्रदेश	—	—	3.00	3.00
10.	मूगा संस्कृति को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा आरंभिक उपकरण प्रदान करना	असम	—	0.48	9.30	9.78
		अरूणाचल प्रदेश	—	—	2.02	2.02
		मेघालय	—	0.30	0.85	1.15
		मिजोरम	—	—	1.05	1.05
		नागालैंड	—	0.13	2.63	2.76
		पश्चिम बंगाल	—	—	1.58	1.58

1	2	3	4	5	6	7
11.	उत्तम मूगा बीज के उत्पादन हेतु तथा निजी अनाज भंडारों को सहायता हेतु प्रायोजिक योजनाएं	असम	—	—	2.80	2.80
12.	मूगा के लिए उन्नत रीलिंग/स्पिनिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए अभिकरणों (एन०जी०ओ०/कॉप०) को सहायता	असम	2.32	0.21	7.33	9.86
		अरूणाचल प्रदेश	0.11	—	—	0.11
		मणिपुर	0.21	—	0.05	0.26
		मेघालय	0.47	0.31	0.24	1.02
		नागालैंड	0.27	—	—	0.27
		पश्चिम बंगाल	—	—	0.36	0.36
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीन के प्रयोग का संबर्द्धन कर उत्तम अपरिष्कृत रेशम उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना***	कर्नाटक	12.03	10.84	63.86	86.73
		तमिलनाडु	12.03	1.88	4.96	18.87
		जम्मू व कश्मीर	5.19	—	6.13	11.32
		आंध्र प्रदेश	5.19	1.65	20.53	27.37
		उत्तर प्रदेश	3.79	—	—	3.79
		मध्य प्रदेश	0.94	—	—	0.94
		उत्तरांचल	—	—	0.71	0.71
		असम	—	—	0.94	0.94
		पंजाब	—	—	0.94	0.94
14.	हथकरघा रेशम प्रसंस्करण के लिए साझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना	कर्नाटक	2.90	7.20	5.70	15.80
		तमिलनाडु	13.40	28.20	1.90	43.50
		आंध्र प्रदेश	9.50	29.20	2.30	41.00
		उत्तर प्रदेश	—	2.80	18.20	21.00
		मध्य प्रदेश	4.90	3.80	0.30	9.00
		छत्तीसगढ़	—	—	13.00	13.00
		उड़ीसा	4.90	10.00	1.10	16.00
		केरल	—	7.50	5.40	12.90
		असम	3.70	—	0.30	4.00
		त्रिपुरा	—	—	9.40	9.40
15.	आर्थिक ओवनों के माध्यम से संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	कर्नाटक	3.25	—	—	3.25
		आंध्र प्रदेश	—	0.60	—	0.60
		तमिलनाडु	—	0.16	0.16	0.32
		पश्चिम बंगाल	2.24	—	5.60	7.84
		केरल	—	—	0.02	0.02

1	2	3	4	5	6	7
16.	आरंभिक उपकरणों के प्रशिक्षण और आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पौधों में क्रमबद्ध पौधारोपण का प्रदर्शन	असम	0.01	3.19	8.18	11.38
		अरूणाचल प्रदेश	0.38	—	—	0.38
		मेघालय	—	0.33	2.32	2.65
		मिजोरम	1.29	0.51	4.15	5.95
		नागालैंड	1.46	0.16	1.08	2.70
17.	एरी के लिए उन्नत स्पिनिंग उपकरणों के लोकप्रियकरण हेतु अभिकरणों (एन०जी०ओ०/कॉप०) को सहायता	असम	0.78	0.83	13.21	14.82
		अरूणाचल प्रदेश	0.07	—	—	0.07
		मणिपुर	—	—	0.02	0.02
		मेघालय	0.10	0.14	0.29	0.53
		नागालैंड	0.20	—	—	0.20
18.	मूगा खाद्य पौधों की वृद्धि	असम	10.86	15.25	52.15	78.26
		अरूणाचल प्रदेश	1.63	1.14	2.48	5.25
		मणिपुर	—	1.20	—	1.20
		मेघालय	3.17	5.93	9.67	18.77
		मिजोरम	1.20	0.73	2.70	4.63
		नागालैंड	1.63	3.05	5.31	9.99
		पश्चिम बंगाल	—	1.42	3.10	1.42

*** सिर्फ के०रे०बो० का अंश। समान राशि राज्य सरकारों द्वारा भी दी गयी है।

$ बैंकों के पास आवधि जमा में राशि रखी गयी। सावधि जमा से अर्जित केवल ब्याज रीलरों को ब्याज सब्सिडी होगी।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

***297. श्री बीर सिंह महतो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त किया गया;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न देशों ओर एजेंसियों को ब्याज और मूलधन के रूप में कितनी राशि का वार्षिक भुगतान किया जा रहा है;

(ग) फरवरी, 2002 तक की स्थिति के अनुसार कुल कितना ऋण बकाया था; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न देशों और एजेंसियों से कितना ऋण लिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों का स्रोत-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ब्याज और मूल राशि के रूप में किए गए भुगतान के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) दिनांक 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण (सरकारी) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

दाता	राशि (करोड़ रु०)
1	2
आई०डी०ए०	92716.80
जापान	35389.69
आई०बी०आर०डी०	27080.03
एशियाई विकास बैंक	13525.81

1	2
जर्मनी	9571.37
यू०एस०ए०	5715.27
फ्रांस	3043.00
नीदरलैंड	1929.26
रूसी परिसंघ	1803.53
कनाडा	1395.36
आई०एफ०ए०डी०	1058.69
स्वीडन	615.03
इटली	520.81
डेनमार्क	360.75
ई०ई०सी०	179.00
बेल्जियम	152.93
स्पेन	146.40
आस्ट्रिया	124.18
ओपेक	80.08
स्विटजरलैंड	43.78
आस्ट्रेलिया	39.09
चेक और स्लोवाक गणराज्य	12.83

(घ) वर्ष 2002-03 के संबंध में विभिन्न अभिकरणों/देशों को प्रस्तावित ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऋणों का स्रोतवार ब्यौरा (सरकारी लेखा)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	देश/संस्था का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
	बहुपक्षीय			
1.	ए०डी०बी०	1326.12	1219.75	1330.30
2.	विश्व बैंक (आईबीआरडी)	1319.89	1935.42	2935.68
3.	विश्व बैंक (आईडीए)	3646.54	3577.28	4848.07
4.	आई०एफ०ए०डी०	51.84	46.33	40.08
5.	ओपेक	20.41	34.29	41.52
6.	आई०एम०एफ०	0.00	0.00	0.00
	द्विपक्षीय			
1.	जापान	2364.59	2826.90	2363.43
2.	जर्मनी	163.49	116.99	35.29
3.	नीदरलैंड	77.55	49.52	0.00
4.	फ्रांस	48.81	76.04	64.54
5.	रूसी परिसंघ	0.00	34.74	130.09
6.	सऊदी निधि	6.65	6.21	0.00
7.	कुवैत निधि	2.73	0.67	0.00
8.	आस्ट्रेलिया	0.84	0.00	0.00
	जोड़	9029.46	9924.14	11789.00

विवरण-II

ब्याज और मूल राशि के रूप में किए गए भुगतान का ब्यौरा (सरकारी लेखा)

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	दाता	1998-99		1999-2000		2000-01	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विश्व बैंक (आई०बी०आर०डी०)	3080.75	1753.68	3236.89	1660.93	3788.30	1460.29
2.	विश्व बैंक (आई०डी०ए०)	1213.44	566.40	1430.78	603.56	1679.54	628.46
3.	जापान	1016.86	799.32	1251.48	990.13	1457.00	1038.68

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जर्मनी	574.48	181.38	537.73	149.26	510.80	123.83
5.	यू०एस०ए०	565.34	187.49	591.14	179.51	635.07	174.79
6.	एशियाई विकास बैंक	341.44	549.55	419.27	637.85	534.89	726.98
7.	फ्रांस	230.44	145.37	217.34	127.60	206.82	110.75
8.	रूसी परिसंघ	225.06	47.08	256.97	41.01	261.36	38.59
9.	नीदरलैंड्स	211.56	67.45	201.19	60.54	194.07	54.16
10.	स्वीडन	162.75	1.90	156.66	1.60	159.42	1.38
11.	इटली	76.94	12.83	72.10	11.34	72.77	10.30
12.	कुवैत	66.72	15.22	62.80	12.93	63.73	10.89
13.	कनाडा	55.31	0.02	58.63	0.02	59.66	0.02
14.	ओपेक	54.53	1.72	53.70	1.71	47.04	1.96
15.	यूनाइटेड किंगडम	53.99	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
16.	स्विट्जरलैंड	31.34	11.02	27.32	8,17	23.67	5.98
17.	बेल्जियम	27.47	1.29	24.87	0.56	23.57	0.57
18.	डेनमार्क	27.10	0.00	28.03	0.00	25.65	0.00
19.	सऊदी निधि	21.86	2.66	7.12	2.14	13.12	2.05
20.	आई०एफ०ए०डी०	21.28	8.68	23.70	9.54	24.83	9.85
21.	स्पेन	17.02	4.80	17.38	3.56	18.26	3.39
22.	आस्ट्रिया	10.78	3.87	10.75	3.23	9.14	2.98
23.	चेक और स्लोवाक गणराज्य	4.28	0.37	4.28	0.59	4.28	0.48
24.	आस्ट्रेलिया	2.56	0.79	2.69	0.80	5.10	0.79
25.	ई०ई०सी० (एस०ए०सी०)	1.74	1.19	3.64	1.25	4.82	1.08
	जोड़	8095.04	4364.08	8713.41	4507.81	9822.91	4408.25

विवरण-III

वर्ष 2002-03 के संबंध में विभिन्न अभिकरणों/ देशों को प्रस्तावित ऋणों का ब्यौरा

परियोजना	दाता
1	2
1. आंध्र प्रदेश ए०पी०एल०-II	विश्व बैंक
2. उड़ीसा राजकोषीय सुधार	विश्व बैंक
3. राजस्थान आर्थिक पुनर्संरचना	विश्व बैंक
4. कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंध	विश्व बैंक
5. महाराष्ट्र जल सेवा सुधार	विश्व बैंक
6. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक
7. तमिलनाडु राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक
8. इलाहाबाद उप-मार्ग परियोजना	विश्व बैंक

1	2
9. मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	विश्व बैंक
10. प्रमुख क्षेत्रों में विकास हेतु ''सीपेट'' केन्द्रों का क्षमता निर्माण	ओपेक
11. विद्युत वित्त निगम	एडीबी
12. म०प्र० राज्य सड़क परियोजना	एडीबी
13. राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा-I	एडीबी
14. जन संसाधन प्रबंध कार्यक्रम (केरल)	एडीबी
15. ताजमहल पर्यावरणीय सुधार	एडीबी
16. समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	विश्व बैंक
17. राजस्थान राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	विश्व बैंक
18. भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा स्तर सुधार कार्यक्रम	विश्व बैंक
19. खाद्य एवं औषधि क्षमता निर्माण परियोजना	विश्व बैंक
20. आंध्र प्रदेश में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन	विश्व बैंक
21. छत्तीसगढ़ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	विश्व बैंक
22. उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता एवं आजीविका कार्यक्रम	आईएफएडी
23. मेघालय में वानिकी एवं काष्ठ भिन्न वन्य उत्पादों का विकास	आईएफएडी
24. गंदी बस्ती सुधार, नागपुर	जर्मनी
25. माध्यमिक स्तर अस्पताल, कर्नाटक (चरण-II)	जर्मनी
26. आदिवासी विकास कार्यक्रम, गुजरात	जर्मनी
27. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध, कर्नाटक	जर्मनी
28. जलसंभर स्व-सहायता कार्यक्रम का संवर्धन, महाराष्ट्र	जर्मनी
29. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-V	जर्मनी
30. मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में विद्युत क्षेत्र सुधार-II	जर्मनी
31. विजयवाड़ा टी०पी०एस० चरण-IV	जर्मनी
32. मध्य प्रदेश में-अवसंरचना क्रेडिट श्रृंखला (ए०डी०बी० के साथ सह-वित्त)	जर्मनी
33. जलसंभर विकास कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश	जर्मनी
34. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-V	जर्मनी
35. इम्फाल शहर में मल-व्यन अवसरंचना	फ्रांस
36. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण को प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति	फ्रांस
37. भारतीय खान ब्यूरो को प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति	फ्रांस
38. गुजरात स्वास्थ्य देख-रेख परियोजना (ओ०आर० ई०टी० कार्यक्रम के तहत)	नीदरलैंड
39. नेरियामंगलम पन बिजली परियोजना	स्विटजरलैंड
40. 14 यू०एल०बी० पश्चिम बंगाल में जलापूर्ति और अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन	इटली
41. फरीदाबाद में सिरैमिक हेतु डिजाइन, विकास और सुविधा केन्द्र	इटली

ये परियोजनाएं कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे जिनमें सहायता की राशि, कार्य क्षेत्र इत्यादि शामिल है, वार्ताओं के बाद तथा दाताओं की मंजूरी के बाद ज्ञात हो सकेंगे।

[अनुवाद]

बैंकों की ब्याज दरें

*298. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तरफ बैंक जमा में भारी वृद्धि होने और दूसरी तरफ ऋण लेने में आई गिरावट के कारण बैंकों के पास जमा पर ब्याज दर घटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने रिलीफ बाण्ड पर ब्याज दर घटाने जा रहा है;

(ग) क्या बैंकों की सावधि जमा पर ब्याज दर की तुलना में नियंत्रित ब्यांज दरें अभी भी ज्यादा रहने के कारण बैंकर दुविधा में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों को इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बैंकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) चल-निधि की सहज परिस्थितियों को देखते हुए, हाल की अवधि में वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार दोनों दरें कम हुई थी, जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार दरें

जमा दरें	मार्च 2000	मार्च 2001	फरवरी 2002
1 वर्ष तक	5.0-9.0	4.0-8.0	4.25-7.5
1-3 वर्ष	8.5-10.5	8.0-9.5	7.5-8.5
3 वर्ष से अधिक	9.75-11.0	9.5-10.5	8.0-8.75
मूल उधार दरें	12.0-13.5	10.0-13.0	10.0-12.5

(ख) वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में, 1 मार्च, 2002 से अधिकांश निर्धारित ब्याज दरों में 50 आधार बिन्दुओं की कमी की गई है, जो भारत सरकार के रिलीफ बाण्डों पर भी लागू है।

(ग) से (च) कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अब निर्धारित ब्याज दरें सावधि जमाराशियों की तरह बाजार के आधार पर निर्धारित दरों से अधिक अनुरूप हैं।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद

***299. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए बाजार से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रुपये की विनिमय दर पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए और इसके द्वारा रुपए की विनिमय-दर में तीव्र अस्थिरता से बचने के लिए विनिमय मुद्रा प्रारक्षण प्रबंधन नीति के रूप में समय-समय पर बाजार में विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री, दोनों करता है। भारत और विदेश में वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के द्वारा गहन अनुवीक्षण किया जाता है तथा विनिमय दर की अत्यधिक अस्थिरता को कम करने, अस्थिरताकारी सट्टे वाली गतिविधियों को उभरने से रोकने, व्यवस्थित बाजार दशायें विकसित करने और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सहायता करने के लिए जब भी जरूरी हो, समुचित उपाय किए जाते हैं।

विदेशी बीमा कंपनियां

***300. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी कंपनियों ने भारतीय बीमा क्षेत्र में अपना कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीमाकृत धनराशि के रूप में इन कंपनियों द्वारा कितना व्यापार किया गया; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारतीय बीमा क्षेत्र पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) कानून के अन्तर्गत, भारत में बीमा कारोबार शुरू करने के लिए केवल भारतीय बीमा कम्पनी को ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई०आर०डी०ए०) के पास पंजीकृत किया जा सकता है। किसी भारतीय बीमा कंपनी के पास 26% तक की विदेशी इक्विटी हो सकती है। आई०आर०डी०ए० ने अब तक 17 बीमा कंपनियों को पंजीकृत किया है जिसमें से 15 कंपनियों ने विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं।

(ग) आई०आर०डी०ए० ने सूचित किया है कि फरवरी, 2002 तक निजी क्षेत्र की नई बीमा कंपनियों ने 585.66 करोड़ रुपए के बीमा प्रीमियम की हामीदारी की है।

(घ) नई निजी बीमा कम्पनियों के आगमन से बीमा के संबंध में जागरूकता बढ़ी है और जीवन बीमा निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों ने अनेक उपाय किए हैं और चालू वर्ष में उनके कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है।

बी०एस०सी० (आनर्स) फिजियोथैरेपी पाठ्यक्रम की अवधि में वृद्धि

3029. श्री सुरेश चंदेल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन विकलांग संस्थान, नई दिल्ली में बी०एस०सी० (आनर्स) फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थैरपी पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाए जाने के मद्देनजर, उसका नाम बी०एस०सी० (आनर्स) से बदलकर बी०पी०टी० (बैचलर आफ फिजियोथैरपी) करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) छात्रों को अधिक शैक्षिक ज्ञान देने के लिए इस अवधि को बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में एक प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा

3030. श्री पी० मोहन :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी राज्य में स्थित इकाइयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का कुछ भाग उन राज्यों को देने का है क्योंकि राज्य सरकारों को उन निर्यातोन्मुख इकाइयों को आधारभूत सहायता के रूप में बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है और ये इकाईयां राज्य सरकारों से कर छूट प्रोत्साहन आदि के रूप में वित्तीय लाभ प्राप्त करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं। राज्यों में स्थित इकाइयों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार की समेकित निधि का अंग नहीं है और इसी कारण यह विभाज्य (शेयरेबल) नहीं है। तथापि वाणिज्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन, विपणन विकास और आधारभूत संरचना सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता प्रदान करती है।

स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों की बहाली

3031. डा० एस० वेणुगोपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंदौर को राष्ट्रीय अनु०जा०/अनु०जनजा० आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली से दिसम्बर 2001 से आज तक लिपिक श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली संबंधी आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'आयोग' की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि बैंक द्वारा आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि वर्ष 2001 से आज तक के दौरान बर्खास्त कर्मचारियों से संबंधित केवल एक मामला है जहां राष्ट्रीय अ०जा०/अ०ज०जा० आयोग ने सलाह दी थी कि 'मामले की पुनरीक्षा की जाए तथा उन्हें बहाल किया जाए।' आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने मामले की पुनरीक्षा की तथा यह पाया कि बहाल का कोई मामला नहीं था क्योंकि उपयुक्त प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् बैंक द्वारा दण्ड दिया गया था।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

3032. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय/मंत्रालय के अंतर्गत विभागों के सेवा अवधि के दौरान मृत अधिकारियों के वर्ष-वार/कार्यालय-वार नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) किन कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्रदान किए गए हैं;

(ग) किन कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अभी तक अनुकम्पा के आधार पर रोजगार नहीं प्रदान किया गया है; और

(घ) मृत अधिकारियों के इन पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर कब तक रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एच०एम०टी०, कालामासेरी का आधुनिकीकरण

3033. श्री जार्ज ईडन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल स्थित एच०एम०टी०, कालामासेरी के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ग) एम०एच०टी० की कालामासेरी इकाई के आधुनिकीकरण के लिए 2.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें से 0.50 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं। शेष राशि का जारी करना वृत्तिभोगी को पहले से जारी की गई राशि के उपयोग पर निर्भर करता है।

किराए पर अपव्यय

3034. श्री अरुण कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 के पृष्ठ 135 पर ''मिशन'' और उनके मंत्रालय द्वारा किराए के रूप में 88.22 लाख रुपये के अपव्यय के प्रति लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण का उल्लेख किया है जिसमें जिम्मेदारी निर्धारित करने

की बात कही गई है और इस मामले की सूचना उनके मंत्रालय को मई 2000 तक दी गई थी लेकिन फरवरी, 2001 तक कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने किराए पर 88.22 लाख रुपये के अपव्यय और लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर देने में देरी करने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट 2001 की सं० 2 में किराए पर अपव्यय के संबंध में एक लेखापरीक्षा पैरा प्रकाशित किया है। मंत्रालय में उक्त लेखा परीक्षा पैरा का मसौदा 7.6.2000 को प्राप्त हुआ था और इसका उत्तर बिना किसी विलम्ब के 19.7.2000 को भेज दिया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2001 की सं० 2 में शामिल विषय पर लेखा परीक्षा पैरा 27.8.2001 को मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। पैरा की जांच की गई थी और कृत कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) 28.11.2001 को प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, लंदन के पास भेज दी गई थी। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक लंदन, की टिप्पणियां 1.2.2002 को प्राप्त हुई हैं।

शिशु गृह योजना को अनुदान

3035. श्री किरीट सोमैया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु गृह योजना के अधीन 'वात्सल्य ट्रस्ट'' और ''श्रद्धानंद महिला आश्रम'' मुम्बई को लम्बे समय से अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उपर्युक्त संस्थान को अनुदान देने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए वात्सल्य ट्रस्ट, मुम्बई तथा श्रद्धानंद महिला आश्रम, मुम्बई को स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. **वात्सल्य ट्रस्ट, मुम्बई**

वर्ष 1999-2000 (सितम्बर, 2000 तक)	2000-2001 (मार्च, 2001 तक)	2001-2002 (मार्च, 2002 तक)
8,91,000 रु०	2,75,400 रु०	4,53,533 रु०

2. **श्रद्धानंद महिला आश्रम** : पिछले तीन सालों के लिए कोई अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया है क्योंकि 1996-97 से 1999-2000 तक राज्य सरकार की सिफारिश न मिलने के कारण इसे समाप्त हुई परियोजना माना जाता है। चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार की सिफारिश मार्च, 2002 में प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) दोनों ही संगठनों को निधियां निर्मुक्त करने के लिए मंत्रालय को माननीय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, सरकार द्वारा संगत सहायता अनुदान नियमों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

3036. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निविदा समितियों के गलत निर्णयों के मामलों में अधिकारों के बहुत अधिक दुरुपयोग की जानकारी है जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 1999 की रिपोर्ट संख्या 4 में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो पहले से ही पंजीकृत फर्म के बोली मूल्य को स्वीकार न करने और बैंक ड्राफ्ट के रूप में बयाना जमाराशि के भुगतान की तुलना में चैक द्वारा भुगतान करके आपूर्ति करने के क्या कारण हैं और क्या इसे स्वीकार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने निविदा पद्धति में कई अन्य अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है जिसके लिए सरकार द्वारा कानून के अनुसार विहित प्रक्रिया बनाया जाना आवश्यक है जिनका केन्द्रीय भंडार आदि जैसी एजेंसियों द्वारा भी ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय की बिना लिखित सूचना दिए एक सफल बोली दाता द्वारा की जा रही आपूर्ति को उसकी कुछ अन्य मदों की आपूर्ति निलम्बित किए जाने के आरोप के आधार पर रोका जा सकता है; और

(ङ) सरकार का इसके बाद सरकार और केन्द्रीय भंडार आदि द्वारा निविदा में अपनाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए किसी मनमानी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया विहित करने के संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[हिन्दी]

अधिकारियों का दौरा

3037. डा० बलिराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.4.2001 से 31.1.2002 की अवधि के दौरान उनके मंत्रालय के कितने अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया;

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया और उसके कारण क्या थे;

(ग) इन दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या ये दौरे सरकारी थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो ये विदेशी दौरे क्यों किए गए ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वक्फ बोर्ड

3038. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वक्फ बोर्ड के कर्मचारी घोषित किए गए इमाम, हाफिज और निजारथ पदों के लिए सेवा संहिता बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इमाम, हाफिज और निजारथ को वेतन और सुविधाएं प्रदान करने वाली उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत योजना को कार्यान्वित करने हेतु वक्फ बोर्डों पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, इमामों, मुअज्जिनों के पारिश्रमिक संबंधी एक योजना तैयार की गई जिसके अंतर्गत इमामों के श्रेणीकरण, पारिश्रमिक के प्रतिमान भुगतान के प्रतिमान/पैमाने के निर्धारण के संबंध में विचार किये जाने वाले घटक तथा योजना का प्रशासन शामिल है। योजना के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित वक्फ बोर्डों का है। तद्नुसार राज्य सरकारों से कार्रवाई करने के लिए लिखा पढ़ी की जा रही है।

[हिन्दी]

स्टील उद्योग को कर में छूट

3039. श्री सुकदेव पासवान :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री ब्रजमोहन राम :

क्या **वित्त मंत्री** स्टील उद्योग को कर में छूट के बारे में 10 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2936 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना अब एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सूचना के कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। सूचना पहले ही से एकत्र की जा चुकी है तथा मामले के ब्यौरे संबंधी एक कार्यान्वयन विवरण संसदीय कार्य मंत्रालय को उपलब्ध करवा दिया गया है, अतः 10-8-2001 को सदन में दिए गए आश्वासन की पूर्ति कर दी गई है। उपर्युक्त विवरण की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

वित्त मंत्रालय *राजस्व विभाग* *पूर्ति की तारीख*

प्र०सं० तारीख और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया
1	2	3	4
श्री रघुराज सिंह शाक्य, श्री अशोक अर्गल, श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला और श्री ब्रजमोहन राम द्वारा 10.8.2001 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 2936	**इस्पात उद्योग को कर छूट** जिसमें पूछा गया था कि : (क) क्या निर्यात हेतु इस्पात पाइपों का निर्माण करने वाले इस्पात उद्योगों को उक्त पाइपों के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात पर शत-प्रतिशत कर छूट मिल रही है; (ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे माल का आयात करने वाली कम्पनियां	(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख) पूरे देश भर में निर्यात के लिए 17 कंपनियां स्टील पाइप का निर्माण कर रही हैं जो कच्ची सामग्री के आयात पर शत-प्रतिशत छूट ले रही हैं। कम्पनियों के नाम अलग से अनुबंध में दिए गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान आयात की गई कच्ची सामग्री की कुल मात्रा 167222.188 मी० टन थी जिसमें एच०आर० स्टील शीट/कॉयल, स्टील प्लेट, स्टील पाइप, वेल्डिंग तार, जिंक, टूल,

1	2	3	4
	कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं और कच्चे माल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया एवं सरकार द्वारा ऐसे आयातों पर दी गई छूट का मूल्य क्या है;		ज्वाइंट और कोटिंग सामग्री शामिल थी और ऐसे आयातों पर सरकार द्वारा दी गई छूट का कुल मूल्य 14560.04 करोड़ रुपये था।
	(ग) वैसी कितनी कंपनियां हैं और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने कर छूट का लाभ तो उठाया लेकिन इन कंपनियों को जिन देशों द्वारा पहले भी आदेश दिया जाता रहा है, उन देशों द्वारा पाइन नमूनों का अस्वीकृत कर दिया गया;		(ग) ऐसे कोई मामले ध्यान में नहीं आए हैं।
	(घ) क्या सरकार अभी भी उन कंपनियों का कच्चे माल के आयात पर छूट दे रही है जिनके नमूने अस्वीकृत कर दिए गए हैं; और		(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
	(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?		

अनुबंध

कम्पनियों के नाम

1. ओ०सी०टी०एल० लि० ऑफ नालगोंड
2. इंडियन सीमेस ट्यूब्स लि०
3. महाराष्ट्र सीमलेस लि०
4. सा पाइप्स लि०
5. स्टील मेटल ट्यूब्स
6. एंडवांस ट्यूब्स एस०बी०डी०
7. इण्डस ट्यूब्स
8. मुक्त पाइप्स कम्पनी लि०
9. एस०टी०एल० एक्सपोर्ट्स
10. सिद्धार्थ ट्यूब्स लि०
11. टेक्नो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़
12. खन्ना पाइप्स
13. प्रकाश स्टीलऐज इंडस्ट्रीज़
14. तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स
15. जगुआर ओवरसीज़ लि०
16. राजेन्द्र मेकेनिकल इंडस्ट्रीज़
17. अरविंद पाइप्स एंड फिटिंग इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०

[अनुवाद]

एम०ए०एम०सी० के सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय राशि

3040. श्री सुनील खां : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी देय राशि का कब भुगतान कर दिए जाने की संभावना है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ग) सेवानिवृत्ति के बाद महगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी के कारण बड़े हुए अंतर, जिसका भुगतान दावों/वसूली के बाद किया जायेगा, को छोड़कर एम०ए०एम०सी० के सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को स्वीकार्य सभी देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए निधियां पहले ही जारी कर दी हैं।

कमजोर सहकारी बैंक

3041. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में 38 शहरी सहकारी बैंकों को 'कमजोर बैंक' के रूप में श्रेणीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो कमजोर बैंक के रूप में पहचान किए गए बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी अप्रयोज्य आस्तियां 15 प्रतिशत से ज्यादा हैं और उनकी निधियों का क्षरण 20 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 शहरी सहकारी बैंकों को अपने कार्यकरण में सुधार लाने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन बैंकों ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने आंध्र प्रदेश में 43 शहरी सहकारी बैंकों को कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसे बैंकों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अधीन आंध्र प्रदेश में 10 शहरी सहकारी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें निदेशों में निहित निर्देशों के सिवाय उन्हें कोई दायित्व अपने ऊपर लेने या ऋण/अग्रिम की मंजूरी देने/नवीकरण करने या भुगतान करने या किन्हीं देयताओं या बाध्यताओं को पूरा करने से मना किया गया है। अब तक इन निर्देशों का कोई उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में कमजोर के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों की सूची

(20 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार)

1. चारमिनार कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०
2. फर्स्ट सिटी कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
3. जवाहर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० आर०आर० जिला
4. मेगासिटी कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
5. द स्टार कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
6. द राजमपेट कोआपरेटिव टाउन बैंक लि० राजमपेट
7. इन्नसपेटा कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० राजहमुन्द्री
8. आरमूर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० आरमूर
9. त्रिनिटी कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० वनस्थलीपुरम
10. द वसुन्धरा कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
11. मनीकांटा कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
12. द जुबली हिल्स मर्कंटाइल कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
13. द मदर टेरेसा हैदराबाद कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
14. द रामाचन्दरपुरम कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० रामाचन्दरपुरम
15. द तदपत्री कोआपरेटिव टाउन बैंक लि०
16. गुटी कोआपरेटिव टाउन बैंक लि० हैदराबाद
17. द पीथापुरम कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
18. दुर्गा कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
19. द सलूर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० सलूर
20. द बेलमपल्ली कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० बेलमपल्ली
21. द तेनाली कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० तेनाली
22. द सेवा कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
23. द सिरसिला कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० सिरसिला
24. पालाकोल कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० पश्चिम गोदावरी जिला
25. द ऑगोल कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० ऑगोल
26. ज्योति कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
27. द कवूर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० कवूर
28. अपना कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० पुंजागुटा
29. नारसरापेट कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० गंटूर
30. द सिकन्दराबाद मर्कंटाइल कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० सिकन्दराबाद
31. श्री स्वामी ग्यानांदा योगेश्वरा महिला कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० पत्तूर
32. द नीलकंठ कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
33. सेवेन हिल्स कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
34. विजया कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
35. श्री गायत्री कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
36. श्रीनिवास पदमावती कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० सारूनगर
37. वैसवी कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०
38. यम्मीगनूर कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०
39. धाना कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० ऐलूरू
40. प्रजा कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० सिकन्दराबाद
41. श्री भारती कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद
42. समता महिला कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि०
43. श्रवया कोआपरेटिव अर्बन बैंक लि० हैदराबाद

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण

3042. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कल्याण योजना के लिए वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्नाटक सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया और निधियों के कम उपयोग के कारण क्या हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) आदिवासी उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना की कार्यनीति के अंतर्गत कर्नाटक सरकार क्रमशः अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिसका ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को अनुपूरित करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। वर्ष 2000-01 में कर्नाटक राज्य सरकार को 8,161.58 लाख रु० निर्मुक्त किये गये तथा वर्तमान वर्ष 2001-2002 के दौरान 10,284.47 लाख रु० निर्मुक्त किये गये हैं। निधि की निर्मुक्ति पर विचार करते समय पूर्व में निर्मुक्त निधियों के उपयोग को ध्यान में रखा जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी

3043. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, एल०आई०सी० एक्चुरियल एप्रेन्टिसेस और भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षु विकास अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित 15%, 7.5% और 27% के स्तर पर नहीं पहुंचा है;

(ख) सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, एल०आई०सी० एक्चुरियल एप्रेन्टिसेस और भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षु विकास अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;

(ग) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार डी०ओ०पी०टी० के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/2/96-स्था० (आरक्षण) के पैरा 5 में यथा सुनिश्चित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत हैं और इनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है; और

(घ) वर्ष 1997 से अब तक कुल कितनी नई रिक्तियां उत्पन्न हुई और उन रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछले वर्गों और सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणी I संवर्ग में भर्ती हेतु प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अखिल भारतीय आधार पर क्रमशः 15%, 7.5% और 27% है। तथापि, श्रेणी II, III तथा IV संवर्गों हेतु भर्ती के संबंध में यह प्रतिशत प्रति राज्य बदलता रहता है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में जनसंख्या के संघटन पर निर्भर करता है क्योंकि संवर्गों में कार्मिकों की भर्ती आंचलिक आधार पर होती है। सहायक प्रशासनिक अधिकारियों, बीमांकक शिक्षु और शिक्षु विकास अधिकारियों के संवर्गों में कुल कर्मचारियों की संख्या तथा अ०जा०/अ०जनजाति/ओ०बी०सी० का प्रतिनिधित्व दि० 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है :—

पद का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की संख्या**			
		अ०जा०	अ०जन जाति	ओबीसी	सामान्य
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	8533	1375 (16.11)	528 (6.19)	60 (0.70)	6570 (77)
बीमांकक शिक्षु*	47	—	—	17 (36.17)	30 (63.83)
शिक्षु विकास अधिकारी	19311	2711 (14.04)	856 (4.43)	803 (4.16)	14941 (77.37)

* वर्ष 1993 के बाद, भारतीय जीवन बीमा निगम ने केवल वर्ष 2000 में भर्ती प्रक्रिया निष्पादित की। कर्मचारियों की संख्या दि० 6.4.2000 की स्थिति के अनुसार है।

**कोष्ठकों में दिए आंकड़े विशेष वर्ग में कर्मचारियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान भरी गयी रिक्तियों तथा अ०जा०/अ०ज०जा०/ओ०बी०सी० और सामान्य संवर्गों से संबंद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	श्रेणी	कुल भरे गये रिक्तपद	अनु०जा०	अनु०ज०जा०	ओ०बी०सी०	सामान्य
1997-98	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	10	—	—	—	10
	विकास अधिकारी	736	107	75	139	415
	बीमांकक शिक्षु	—	—	—	—	—
1998-99	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	55	1	—	24	30
	विकास अधिकारी	134	3	1	4	126
	बीमांकक शिक्षु	—	—	—	—	—
1999-2000	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	1	—	1	11
	विकास अधिकारी	1260	190	107	260	703
	बीमांकक शिक्षु	—	—	—	—	—
2000-2001	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	8	—	—	1	7
	विकास अधिकारी	—	—	—	—	—
	बीमांकक शिक्षु	47	—	—	17	30

विकास परियोजनाएं

3044. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1998 के बाद से विकास परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विभिन्न प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के ब्यौरे

परियोजना का नाम	दाता	स्थिति
1	2	3
महाराष्ट्र :		
1) महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना (2041.50 करोड़ रुपए)	विश्व बैंक	1) दिनांक 7.2.2002 को प्रस्तावित हुआ
2) मध्य वैतरण परियोजना	विश्व बैंक	2) महाराष्ट्र सरकार अपने प्रस्ताव को पुन: तैयार कर रही है ताकि इसे विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
3) महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना (134 मि० अम०डा)	विश्व बैंक	3) दिनांक 14.1.1999 को विश्व बैंक के साथ इस परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं।

1	2	3
4) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II	विश्व बैंक	4) फरवरी-मार्च, 2002 में इस परियोजना का मूल्यांकन किया गया।
5) महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना चरण-III	आईएफएडी	5) योजना आयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वीकृति की प्रतीक्षा।
6) द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना	विश्व बैंक	6) यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी और यह बैंक के मूल्यांकनाधीन है।
7) जवाकवाड़ी सिंचाई (31.2 करोड़ रु०)	फ्रांस	7) यह परियोजना फ्रांस को प्रस्तुत की गई है।
8) फयूमगेट्स प्रणालियां	फ्रांस	8) यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
9) गरीबी उन्मूलन-मुम्बई (2.5 मि० अमरीकी डालर)	इटली	9) यह प्रस्ताव दाता देश को प्रस्तुत किया गया है।
10) शहरी जलापूर्ति, नासिक	जर्मनी	10) दाता देश द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है।
11) थाने में बिजली रेल परिवहन प्रणाली	जर्मनी	11) दाता देश द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है।
12) वृहृमुम्बई विद्युत पूर्ति और परिवहन उपक्रम (बेस्ट) का सुदृढ़ बनाना	जर्मनी	12) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
13) जनत्वरित परिवहन प्रणाली, पुणे	जर्मनी	13) महाराष्ट्र सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
14) जवाहर लाल नेहरू पतन न्यास के प्रमुख बंदरगाह तथा जे०एन० पतन चेनल को गहरा तथा चौड़ा करना	जापान	14) वर्ष 2002-03 ऋण पैकेज के लिए जे०बी०आई०सी० के अंतर्गत इस परियोजना प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राथमिकता दी गई है।
15) यशादा में शहरी अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	यूएसएआईडी	15) यह प्रस्ताव दाता देश को भेज दिया गया है।
16) महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में निम्न आवासों का पुन: सुधार	जापान	16-19) जापान द्वारा लगाई गई पाबन्दियों के कारण इन परियोजनाओं को हाथ में नहीं लिया गया।
17) ग्रामीण आवास, भवन-निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में प्रौद्योगिकी उपयोग संबंधी कार्यक्रम	जापान	तदैव
18) सिन्धु दुर्ग जिला के लिए पर्यटन विकास योजना	जापान	तदैव
19) सतारा तथा थाने जिलों का ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	जापान	तदैव
कर्नाटक :		
1) कर्नाटक जल संसाधन समेकन परियोजना (2103.16 करोड़ रु०)	विश्व बैंक	1) यह परियोजना विश्व बैंक के साथ बातचीत के प्रारंभिक चरणों में है।

1	2	3
2) कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबन्धन परियोजना	विश्व बैंक	2) दिनांक 5.10.2000 को यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई। जे०जी०ए० ने दिनांक 14.2.2001 को 400 मि० अमरीकी डालर के लिए हस्ताक्षर किए। मूल्यांकन पूरा हो गया, बातचीत 11 मार्च से 15 मार्च 2002 तक हुई।
3) कर्नाटक जलापूर्ति प्रबन्धन और नगर निगम सुदृढ़ीकरण परियोजना	विश्व बैंक	3) दिनांक 14.1.2000 को हस्ताक्षरित हुए पी०पी०एफ० करार (1.5 मि० अमरीकी डालर) के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
4) कर्नाटक समेकित स्वास्थ्य, पोषाहार और परिवार कल्याण सेवा परियोजना	विश्व बैंक	4) परियोजना तैयार करने हेतु अध्ययन किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा अनुदान के रूप में 6,80,000 अमरीकी डालर की राशि दी गई है।
5) कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना चरण I (150 मि० अमरीकी डालर)	विश्व बैंक	5) दिनांक 26.7.2001 को परियोजना पर हस्ताक्षर हुए तथा राशि का पूर्णत: उपयोग हो गया है।
6) कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना चरण-II (100 मि० अमरीकी डालर)	विश्व बैंक	6) 15.3.2002 को परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं।
7) कर्नाटक विस्तृत जलसंभर विकास परियोजना (820.75 करोड़ रुपए)	विश्व बैंक	7) 100.4 मिलि० अमरीकी डालर को ऋण राशि के लिए इस परियोजना पर हस्ताक्षर हुए और यह 10.9.2001 से प्रभावी घोषित की गई।
8) चेतना (समुदाय द्वारा शुरू की गई अधिकारिता, परिवर्तन और नई जागरूकता)	विश्व बैंक	8) इस प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
9) द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना	विश्व बैंक	9) 151.6 मिलि० अमरीकी डालर के आई०डी०ए० ऋण के लिए इस प्रस्ताव पर दिनांक 8.3.2002 को विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर हुए हैं।
10) महिला एवं युवा प्रशिक्षण और विस्तार (डब्ल्यू०वाई०टी०ई०पी०) चरण-III	डेनमार्क	10) 15.72 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान हेतु 26.6.2000 को इस परियोजना करार पर हस्ताक्षर हुए।
11) ग्रामीण पेय जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना, चरण-II	डेनमार्क	11) डेनमार्क सिद्धान्त रूप से 20.53 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता देने हेतु वित्त पोषित करने के लिए सहमत हुआ है।
12) स्पेशियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बंगलौर	फ्रांस	12) यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
13) अतिरिक्त जी०आई०एस० कार्य बंगलौर	फ्रांस	13) यह प्रस्ताव फ्रांस को प्रस्तुत किया जा रहा है।
14) भागीदारिता जलसंभर विकास चरण-II	स्विटजरलैंड	14) यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
15) प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना	जर्मनी	15) दाता देश द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई।

1	2	3
16) द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (चरण-II) गुलबर्ग जिला	जर्मनी	16) भविष्य में सहयोग के लिए इस प्रस्ताव को अलग रख दिया गया है।
17) कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि० से नवीकरण ऊर्जा क्षमता विस्तार	जर्मनी	17) गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि प्रस्तावित स्थान पर एक पवन विद्युत परियोजना पहले से ही शुरू की जा चुकी है और इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई।
18) कावेरी जलापूर्ति परियोजना चरण-II	जापान	18) वर्ष 2002-03 ऋण पैकेज के लिए जे०बी०आई०सी० के अंतर्गत इस परियोजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।
19) कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजना	ए०डी०बी०	19) ए०डी०बी० ने 175 मि० अमरीकी डालर की राशि इस परियोजना के लिए अनुमोदित की है।
20) कावेरी जलापूर्ति परियोजना चरण-IV	जापान	20) जापान द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण इस परियोजना को हाथ में नहीं लिया जा सका।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

3045. **श्री मोहन रावले** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु अब तक क्या प्रगति की गई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) कृषि निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा वस्तु बोर्डों, प्राधिकरणों इत्यादि जैसे अभिकरणों के जरिए वित्तीय एवं अन्य सहायता के रूप में अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों (समुद्री उत्पाद, चाय, कॉफी, कपास और अरण्डी के तेल सहित) का निर्यात निम्नानुसार रहा है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु०)
1998-1999	25387
1999-2000	24301
2000-2001	27422

फर्जी डालरों का धंधा करने वाले लोगों का गिरोह

3046. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्जी डालरों का काम धन्धा करने वाले लोगों का गिरोह देश में फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने हेतु कोई कार्रवाई की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जाली करेंसी नोट

3047. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत की सीमाओं के पार से, विशेषकर नेपाल से जाली नोटों के आसानी से आने के बढ़ते खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक के अकुशल करेंसी प्रबंधन का परिणाम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी प्रबंधन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998 से पुलिस द्वारा जब्त किए गए और बैंकों द्वारा बरामद किए गए नकली भारतीय करेंसी नोटों (एफ०आई०सी०एन०) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जब्त/बरामद किए गए नोट

वर्ष	संख्या	मूल्य (लाख रुपए में)
1998	46,402	64.97
1999	1,11,969	183.35
2000	2,83,790	594.47
2001 (जून तक)	12,10,003	320.82

तथापि प्रचलन में सही बैंक नोटों की तुलना में जब्ती/बरामदी की कुल संख्या का अनुपात नगण्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी के प्रबंधन और एफ०आई०सी०एन० के बीच कोई प्रत्यक्ष सहसंबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने जालसाजी के खतरे को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :—

(1) विशेष रूप से उच्च मूल्य वर्ग के नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को शामिल करना।

(2) मुद्रण और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए सुरक्षा पहचान विशेषताओं का प्रचार करना।

(3) जनता को साफ नोटों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन से गंदे नोटों को वापिस लेना।

(4) जाली नोटों की सरलता से पहचान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में अल्ट्रा वायलेट लैम्पों की स्थापना।

बैंक कर्मचारी संघ

3048. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के शीर्ष स्तर के एसोसिएशन/संघ क्या हैं और उनकी सदस्य संख्या कितनी है;

(ख) कितने प्रमुख संगठन (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार) ऐसे शीर्ष स्तर के प्रत्येक संघीय संगठनों से संबद्ध हैं;

(ग) बैंकिंग उद्योग में बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों की संघीय एसोसिएशनों/संघों को क्या लाभ अनुमत्य हैं;

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की संघीय एसोसिएशनों/संघों को क्या लाभ मिलते हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31 जनवरी, 2002 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एसोसिएशनों को यूनिट, राज्य और संघीय स्तर पर वही लाभ दिए गए हैं जो बैंकिंग उद्योग में उपलब्ध हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर०आर०बी०) के लिए छह शीर्ष स्तरीय संघ है। आंकड़े देने वाली प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ग) बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के मान्यता प्राप्त संघों के पदधारियों को अनुमत्य सुविधाओं, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न है, में अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन/बातचीत आदि में भाग लेने के लिए विशेष छुट्टी तथा कार्यालय के लिए स्थान सहित कार्यालय सुविधा शामिल है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मान्यता प्राप्त संघों के दो पदधारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय ने 31 जनवरी, 2001 (31 जनवरी, 2002 को नहीं) एक निर्णय दिया था जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के केवल वेतन संशोधन से संबंधित है।

बाजार में जाली वस्तुओं की उपलब्धता

3049. श्रीमती निवेदिता माने : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ०आर०जी०-एम०ए०आर०जी० (मार्ग) द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण के अनुसार जाली/मिलते-जुलते सामान बाजार में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) बाजार में जाली/मिलते जुलते सामान की उपलब्धता के बारे में ओ०आर०जी० एम०ए०आर०जी० (मार्ग) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। अपने उत्पादों की नकल करने वालों के खिलाफ व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई करके अपने व्यापार चिह्न की सुरक्षा करना मूलत: विनिर्माता की जिम्मेदारी है। प्रभावित उपभोक्ता भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रतितोष की मांग कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष करों से राजस्व अर्जन

3050. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों के राजस्व संग्रहण में लगे कुछ अधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच सांठगांठ के कारण प्रत्यक्ष करों का राजस्व संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व संग्रहण में लगे कुछ अधिकारी वित्तीय वर्ष 2000 2001 और 2001 2002 के दौरान इस संबंध में दोषी पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) प्रत्यक्ष कर राजस्व का संग्रहण लक्ष्य से कम रहा है किन्तु ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर राजस्व संग्रहण में लगे कुछ उद्योगपतियों और अधिकारियों के मध्य किसी सांठ-गांठ के कारण इस कमी को उचित ठहराया जा सके।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

[अनुवाद]

स्वापक आसूचना प्रकोष्ठ

3051. श्री राजो सिंह :
श्री अम्बरीश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औषध व्यसन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुसार केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में स्वापक औषधि आसूचना प्रकोष्ठों के सृजन हेतु आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने के अपेक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने राज्यों में ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना की है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन राज्यों को राज्य वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत में औषध दुरुपयोग नियंत्रण के बारे में मसौदा राष्ट्रीय मास्टर प्लान (1994 2000) को कार्यान्वित नहीं किया गया था। इस मसौदा प्लान में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को स्वापक औषधि आसूचना प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने की भी परिकल्पना नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) कुछेक राज्यों में समर्पित स्वापक औषधि प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से इस प्रकार के विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने की भावना का समर्थन करती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, गुवाहाटी

3052. श्री एम०के० सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में नौवें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार मेले का विषय और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस मेले में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं; और

(घ) इस व्यापार मेले के माध्यम से पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं और उनमें किन क्षेत्रीय हितों का निरुपण किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) मेले का मूल विषय ''एक्सपलोरिंग न्यू फ्रंटियर्स'' था। कृषि तथा कृषि आधारित उत्पादों, आटोमोबाइल उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, भवन निर्माण सामग्री, वस्त्र, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि को प्रदर्शित करने वाला यह एक बहु उत्पाद मेला था।

(ग) इस मेले में बंगलादेश और ईरान की कंपनियों ने भाग लिया था।

(घ) इस मेले की एक प्रमुख विशेषता पूर्वोत्तर के लघु उद्यमियों को क्षेत्र के बाहर के और विदेशों के उद्यमियों के साथ विचार विनिमय का अवसर प्रदान कर उनके लिए एक उचित मंच का सृजन करना था।

बैंकों में भ्रष्टाचार

3053. श्री जे०एस० बराड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि रिश्वत देने के बाद ही ऋण मंजूर किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 और 2001 के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और बैंक वार कितने मामलों की जांच की गई है और कितनी शिकायतें ठीक पाई गई हैं; और

(ग) ऐसे बैंकों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टी बोर्ड द्वारा प्रचार अभियान

3054. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी बोर्ड ने घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में चाय के स्वास्थ्यप्रद पहलुओं को दर्शाने के लिए कोई प्रचार अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय चाय की बिक्री पर ऐसे बिक्री अभियाम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या टी बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए ऐसे प्रचार अभियान को तेज किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 में इस संबंध में किन कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) चाय बोर्ड ने बागान संघों की परामर्शदात्री समिति के साथ संयुक्त रूप से एक आंतरिक संवर्धन अभियान चलाया है जिसमें चाय की खपत के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में बताया गया है। निर्यात बाजार में चाय बोर्ड द्वारा चाय के स्वास्थ्य पहलू से संबंधित कोई प्रचार अभियान नहीं चलाया गया है। तथापि, विदेश में चाय की खपत के बारे में स्वास्थ्य संबंधी संदेश विभिन्न चाय परिषदों द्वारा चलाए जाने वाले व्यापक संवर्धन अभियानों के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसका भारत भी एक सदस्य है।

(ख) से (ङ) चाय बोर्ड द्वारा किए गए उपाय तथा सी०सी०पी०ए० के संवर्धन अभियाम में शामिल हैं : चिकित्सा व्यावसायिकों के सम्मेलन/बैठकें आयोजित करना, प्रेस विज्ञापन, स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों को पत्र व्यवहार, आम जनता के लिए इश्तिहार आदि। टेलीविजन के माध्यम से एक अभियान को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

चाय के लिए आंतरिक संवर्धन कार्यक्रम एक जन जागरण कार्यक्रम है जिसमें चाय और मानव स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला जाता है और यह कोई बिक्री अभियाम नहीं है। चूंकि आंतरिक अभियान केवल जुलाई, 2001 में ही शुरू किया गया था, इसलिए इस अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है। इस आंतरिक अभियान का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से कोई संबंध नहीं है।

ऋण लेने वाली चूककर्ता कंपनियां

3055. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों से ऋण लेने वाली चूककर्ता कंपनियों के बारे में रिपोर्ट देते समय सरकारी निदेशकों, संस्थानिक निदेशकों के नाम शामिल करने के लिए निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में पूर्व के नियमों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी निदेशक चूक वाले ऋणों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी लेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो चूककर्ता कंपनियों को सूचीबद्ध करते समय उनके नामों को सार्वजनिक करने का क्या उद्देश्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय प्रकटन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर आधारित है।

(ग) और (घ) बैंकों से कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों के चूक के संबंध में संस्थानों/संगठनों के प्रतिनिधि होने के कारण नामित प्रवर्तक निदेशकों के समतुल्य नहीं है क्योंकि वे कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में शामिल नहीं है। सभी निदेशकों के नामों का प्रकटन पारदर्शिता एवं कंपनी प्रबंधन की आवश्यकता पर आधारित है।

मंद बुद्धि वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण

3056. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंद बुद्धि वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों में संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहाँ-कहाँ स्थित है;

(ग) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे और अधिक संस्थानों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम चलाता है। इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों मानसिक मंदता वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2000-2001 में ऐसे कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश में 49 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

लोहे की चादर के स्क्रैप का आयात

3057. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेबिलाइजरों, रेडियों, टेपरिकार्डरों आदि में प्रयुक्त आई एण्ड ई के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली लोहे की चादर के स्क्रैप का देश में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह स्क्रैप प्रशुल्क मुक्त होता है और यदि नहीं, तो इस पर कितना सीमा शुल्क लगाया जा सकता है;

(ग) किसी देश के कबाड़ को अपने देश में आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये खेपें शुल्क और अन्य करों से बचने हेतु आधार प्रदान करती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन वस्तुओं पर करों के अपवंचम को सख्ती से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) उन धात्विक स्क्रैप पुरानी और दोषपूर्ण मदों को छोड़कर, जो इस बारे में जारी अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी मद के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य से कम मूल्य की हैं और खतरनाक, टाक्सिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी, संदूषित अपशिष्ट/स्क्रैप जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री निहित है, को छोड़कर इन मदों के किसी भी रूप के आयात की अनुमति किसी लाइसेंस के बिना मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। चूंकि लोहा एवं इस्पात स्क्रैप की कतिपय श्रेणी का आयात मुक्त है इसलिए इस प्रकार से आयातित सामग्री के उपयोग को अभिज्ञात नहीं किया जा सकता है। गलाने के प्रयोजनार्थ किसी एकक में उपयोग किए जाने अथवा उसे आपूर्ति किए जाने के लिए लोहा एवं इस्पात (स्टेनलैस स्टील अथवा ताप प्रतिरोधी इस्पात को छोड़कर) की मैल्टिंग स्क्रैप पर आयात शुल्क 25% है। रिरोलेबल स्क्रैप पर आयात शुल्क 5% और गलाने के प्रयोजनार्थ स्टेनलैस स्टील की स्क्रैप पर आयात शुल्क 25% है।

देश में स्क्रैप के आयात की अनुमति पुर्नप्रसंस्करण और उपयोग के लिए दी जाती है। तथापि, खतरनाक स्क्रैप का आयात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी खतरनाक स्क्रैप अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। उपरोक्त नियमावली के अनुसार परिभाषित मानदण्ड को पूरा न करने वाली स्क्रैप की किसी खेप पर नियमों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम में यथा उपबंधित कार्रवाई की जा सकती है।

स्टेबिलाइजरों, रेडियों, टेप-रिकार्डरों इत्यादि में प्रयुक्त आई एण्ड ई के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली लोहे ही चादर के स्क्रैप के आयात पर शुल्क के अपवंचन का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध

3058. श्री जी० पुट्टा स्वामी गौड़ा :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की अनेक वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने उन कम्पनियों में जिनमें वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा सरकारी धनराशि लगाई गई है, शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3059. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कोई सुधार नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की स्थिति क्या है।

(घ) क्या वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के प्रमुखों ने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु अधिकतम सीमा में संशोधन करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार आई०सी०आई०सी०आई०, आई०आई०बी०आई० और सिडबी के संबंध में कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्तियों की प्रतिशतता में मामूली सुधार हुआ है। इसी अवधि के दौरान आई०डी०बी०आई० और आई०एफ०सी०आई० की अनुपयोज्य आस्तियों की प्रतिशतता में मामूली गिरावट आई है।

(ख) आई०डी०बी०आई० और आई०एफ०सी०आई० की निवल अनुपयोज्य आस्तियों में गिरावट वर्तमान उधारीकृत युग और सार्वभौमिक मंदी में उद्योग के कतिपय क्षेत्रों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की वजह है।

(ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार विकास वित्त संस्थाओं (डी०एफ०आई०) की कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्तियों की संस्था-वार प्रतिशतता निम्नानुसार थी :

संस्था	कुल आस्तियों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का %
आई०डी०बी०आई०	14.8
आई०सी०आई०सी०आई०	5.2
आई०एफ०सी०आई०	21.0
आई०आई०बी०आई०	16.1
सिडबी	1.2

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चयन समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग

3060. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसंबर, 1999 में हुए सम्मेलन में प्रशासन/प्रशासनिक ढांचे के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों, वैधानिक/स्वायत्तशासी संगठनों के निदेशक मंडल, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और भारत सरकार में संयुक्त सचिव और इससे उच्च स्तर के पदों हेतु प्रत्याशियों की खोज, लघु सूचीयन, संस्तुति, पैनल तैयार करने, चयन और भर्ती करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके गठन में समुचित संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान अनुदेशों व्यवस्था में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के तहत वर्ष-वार उपरोलिखित पदों पर कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए; और

(घ) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं और उनका प्रतिशत कितना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दिसंबर, 1999 में हुए सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि भर्ती करने वाली बोर्डों/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी नीति के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार की जाती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इस तरह की नियुक्तियां निष्पक्ष व निर्धारित चयन प्रक्रिया के उद्देश्य से की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार के विभाग तथा सांविधिक/स्वायत्त संस्थानों में संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्तियां केन्द्रीय स्टाफ योजना में इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र मंत्रालय में उक्त उल्लिखित पदों के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	वर्ष	किए गए नियुक्तियों की सं०
1.	1999	3
2.	2000	14
3.	2001	12

(घ) उपरोक्त पदों पर कोई भी नियुक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नहीं है।

भारतीय साधारण बीमा निगम में व्यय

3061. श्री भेरूलाल मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के दिल्ली के विभिन्न भागों में अपने अतिथि गृह हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिमाह, स्थान-वार और कम्पनी-वार कितने किराए का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या दिल्ली के सरकारी दौरे पर आने वाले बीमा कंपनियों के अध्यक्ष और महाप्रबंधकों द्वारा अतिथि गृहों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वे पंच सितारा होटलों/अन्य महंगे स्थानों पर ठहर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा होटल आवास पर किए जाने वाले निरर्थक व्यय पर नियंत्रण करने और अतिथि गृहों के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

कंपनी	स्वामित्वाधीन/ किराये पर	स्थान
साधारण बीमा निगम	कोई नहीं	लागू नहीं
नैशनल	स्वामित्वाधीन	254, एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली
न्यू इंडिया	स्वामित्वाधीन	13-बी, सामर अपार्टमेंट्स, तिलक मार्ग, नई दिल्ली
ओरियन्टल	स्वामित्वाधीन	बी-49, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली तथा एशियाड में
यूनाइटेड इंडिया	किराये पर	4ए, लाजपत नगर, नई दिल्ली

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कारपोरेशन अपने अतिथि-गृह के लिए किराए पर लिए गए आवास के लिए 60,000 रुपए प्रतिमाह किराया अदा कर रहा है।

(ग) और (घ) दिल्ली के सरकारी दौरे पर आने वाले अध्यक्षों तथा महाप्रबंधकों द्वारा अतिथि गृह का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे आवास की अनुपलब्धता की स्थिति में वे अपनी हकदारी के अनुसार होटलों में ठहरते हैं।

(ङ) सरकार बीमा कंपनियों के समय-समय पर अपने प्रबंधन व्ययों, जिनमें दौरों आदि पर व्यय शामिल है, पर नियंत्रण रखने पर जोर दे रही है। बीमा कंपनियों ने सूचित किया है कि अतिथि-गृहों का उचित उपयोग किया जा रहा है।

डल झील हेतु धनराशि

3062. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 2002 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' के दिल्ली संस्करण में ''फंड्स फॉर डल लेक वैनिश'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रसिद्ध डल झील की सफाई करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को दिए गए केन्द्रीय अनुदान के सूचित गबन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डल झील के नवीकरण के लिए योजना आयोग ने अब तक 102.43 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। योजना आयोग के अनुसार अभी तक इसके संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सतर्कता संगठनों द्वारा तफतीश के बाद अब तक 17 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहां तक भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि के अन्तरण का प्रश्न है, योजना आयोग के अनुदेशों के अनुसार राज्य से वसूली प्रभावी है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हित

3063. डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री राजैया मल्याला :
श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य को समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और अन्य हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देने का निदेश दिया गया है ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाया जा सके तथा समाज में मौजूद गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों और उनकी अतीत की आर्थिक अक्षमता को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ताकि उनकी आर्थिक अक्षमताओं को दूर किया जा सके और वे खाद्य और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार, वाणिज्य भंडारण, परिवहन और वितरण के कार्यकलापों में भाग लेकर अपने राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो सकें ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से लक्षित कोई स्कीम/कार्यक्रम नहीं है। तथापि, जिन छात्रावासों में दो तिहाई विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़े वर्गों के हैं उन छात्रावासों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की एक योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत वे प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर 1.11.2000 से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। इस स्कीम के अधीन 2.45 लाख टन खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति छात्रावासों के पक्ष में जिला कलैक्टरों/और अन्य नामित जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकार के प्रति की जाती है।

फाइबर ग्लास उत्पादन इकाइयां

3064. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी प्रकार की फाइबर ग्लास उत्पादन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना वास्तविक उत्पादन हुआ और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फाइबर ग्लास का क्षेत्र-वार वितरण क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) फाइबर ग्लास की कुल उत्पादन क्षमता से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। विनिर्माता एककों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, फाइबर ग्लास का वार्षिक उत्पादन (उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1997-98 से 1999-2000 के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार) निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन टन में
1997-98	5720.3
1998-99	2571.8
1999-2000	24372.7

विनिर्माता एककों द्वारा दी गयी सूचनानुसार (उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1997-98 से 1999-2000 के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार) फाइबर ग्लास का क्षेत्रवार उत्पादन निम्नानुसार है :—

उत्पादन टन में

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
हरियाणा	*	*	13.5
कर्नाटक	*	*	9.0
महाराष्ट्र	182.3	*	21676.4
राजस्थान	*	*	1.0
उत्तर प्रदेश	5538.0	2571.8	2672.8

*उस वर्ष में राज्य के वार्षिक सर्वेक्षण में फाइबर ग्लास के एकक शामिल नहीं किये गये थे।

[हिन्दी]

स्वरोजगार हेतु ऋण

3065. श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें अपना उद्योग स्थापित करने/स्वरोजगार का विकल्प चुनने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत, जो व्यवसाय, उद्योग और सेवा क्षेत्र में लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित सब्सिडी से जुड़ी योजना है, चुनिंदा हिताधिकारियों को उनके द्वारा चयनित उद्यमों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना में महिलाओं को वरीयता दी जाती है।

महिलाओं का वित्तपोषण करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनकी अपनी योजनाओं के अंतर्गत भी ऋण प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा ऋण का दुरुपयोग

3066. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें 1000 कंपनियों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का दुरूपयोग करने की बात कही गई है;

(ख) क्या सरकार ने उन कंपनियों की पहचान कर ली है जिन्होंने ऐसी अनियमितताएं की हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जिनसे ऋण लिया गया था;

(घ) कितनी राशि की अनियमितताएं की गई हैं/अन्यत्र उपयोग किया गया; और

(ङ) उक्त कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों के वित्त पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अध्ययन

3067. श्री समीक लाहिड़ी :
डा० रामचन्द्र डोम :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अध्ययन ''स्टेट फाइनांस एस्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2001-02'' में यह उल्लेख किया है कि राज्यों के व्यय में कमी लाना एक प्रमुख समस्या रही है क्योंकि व्यय का अधिक भाग वेतन, पेंशन भुगतान और ब्याज अदायगी पर होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वायत्त हैं, और राज्यों का वित्तीय प्रबंधन प्राथमिकत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अपनी वित्तीय हैसीयत में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारें समय-समय पर अपनी प्राथमिकतानुसार उपाय करती रहती हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में भारत सरकार ने 10.608 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि के साथ एक 'राजकोषीय सुधार सुविधा (वर्ष 2000-01 से 2005-06)' सृजित की है। इस सुविधा के तहत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ राज्यों को उनके माध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों को भी लक्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए राजकोषीय उपायों में कर और गैर कर प्राप्तियों में सुधार, व्यय का पुन: प्राथमिकीकरण, अलाभकारी सब्सिडीज़ को चिन्हित करके उनका परिसमापन शामिल हैं। अगर राज्यों के लिए सुझाए गए सुधारों का रूझान जारी रहा तो समग्रत: राज्य क्षेत्र के वर्ष 2005-06 तक राजस्व संतुलन में आ जाने की उम्मीद की जाती है।

[हिन्दी]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आरक्षण

3068. श्री हरीनाऊ शंकर महाले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी बैंकों, विशेषत: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आंतरिक पदोन्नति प्रणाली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को लिपिकीय श्रेणी से अधिकारी श्रेणी में और अधीनस्थ श्रेणी से लिपिकीय श्रेणी में पदोन्नति प्रदान करने में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आरक्षण नीति के तहत पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आरक्षण के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि अ०जा०/अ०ज०जा० को आरक्षण समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है। तद्नुसार, वर्ष 2000-2001 के दौरान बैंक के कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में तथा अधीनस्थ क्षेणी से लिपिकीय संवर्ग में उनके पदोन्नति के समय आरक्षण का लाभ इसकी आंतरिक पदोन्नति प्रणाली के अन्तर्गत दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी करेंसी नोटों का आना

3069. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअरमेल से पार्सलों के माध्यम से भेजी जा सकने वाली करेंसी का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्ष के दौरान अहमदाबाद के विदेशी पार्सल डाकघर से प्राप्त विदेशी करेंसी वाले ऐसे पार्सलों का ब्यौरा क्या है और ये पार्सल किन-किन देशों से प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी करेंसियों के आगमन संबंधी दिशानिर्देश सुनिश्चित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार देश में नकली विदेशी करेंसी के आगमन पर किस प्रकार रोक लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय और विदेशी मुद्रा का आयात और निर्यात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (छ) द्वारा शासित किया जाता है। 3 मई, 2000 की आर०बी०आई० अधिसूचना फेमा 6/आरबी 2000 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा का निर्यात नहीं कर सकता अथवा उसे भारत से बाहर नहीं भेज सकता अथवा उसका भारत में आयात नहीं कर सकता अथवा उसे भारत में नहीं ला सकता।

(ख) 1 जनवरी, 2000 से अहमदाबाद स्थित विदेशी पार्सल डाकघर में प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरे, जिनके लिए रिजर्व बैंक ने ''अनापत्ति'' प्रमाणपत्र जारी किया है, नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	प्राप्त मुद्रा का नाम	उसे देश का नाम जहां से पार्सल प्राप्त हुआ	मुद्रा की राशि
1.	जी०बी०पी०	यू०के०	300
2.	जी०बी०पी०	यू०के०	165
3.	जी०बी०पी०	यू०के०	2000
4.	यू०एस०डी०	यू०एस०डी०	161
5.	जी०बी०पी०	यू०के०	100
6.	जी०बी०पी०	यू०के०	50

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 2001 में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को सलाह दी है कि वे डाक से प्राप्त भारतीय और विदेशी मुद्रा के आयात को स्वीकृति दें बशर्ते कि मूल्य 5000/-रु० से अधिक न हो। इस सीमा से अधिक राशि होने पर लाभभोगियों को भारतीय रिजर्व बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित है। डाक से प्राप्त और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बीच में रोकी गई विदेशी मुद्रा की कम राशियां अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाती हैं। ये वे मामले होते हैं जहां प्रेषक अज्ञानतावश डाक के जरिए विदेशी मुद्रा भेजता है। आवेदकों को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और उसे 7 दिनों के भीतर प्राधिकृत डीलर के पास जमा कराने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

एम०एम०टी०सी० द्वारा संयंत्र को पट्टे पर देना

3070. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०एम०टी०सी० लिमिटेड अभ्रनगर झुमरीतलैया झारखंड में उपलब्ध माइका पेपर/माइका नाइट शीट्स/माइका पाउडर का उत्पादन हेतु अपने संयंत्र को पट्टे पर देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम०एम०टी०सी० के इस निर्णय से अभ्रक डिविजन से कामगारों की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) एम०एम०टी०सी० ने प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें इसने अभ्रकनगर झुमरीतलैया झारखंड में उपलब्ध माइका पेपर/माइकानाइट शीट्स/माइका पाउडर का उत्पादन करने वाले अपने संयंत्र को 5 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। बोली लगाने वालों को निविदा में दिए गए संयंत्र, मशीनरी तथा भवनों के लिए उनके द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक किराया उद्धृत करना था। निविदा की शर्तों के अनुसार वार्षिक किराया अग्रिम में देना होगा और बोली लगाने वालों से एक वर्ष के किराए के लिए निष्पादन गारंटी के रूप में बैंक गारंटी दिए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक बोली लगाने वाले को सभी शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने को कहा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना (जैसी मंत्रिमण्डल द्वारा उन संगठनों के बारे में अनुमोदित की गई थी जिन्होंने 1992 और 1997 में मजदूरी संशोधन को कार्यान्वित नहीं किया था तथा जिसकी सूचना सार्वजनिक उद्यम विभाग के जरिए उनके दिनांक 6.11.2001 के परिपत्र के द्वारा दी गई थी। 20.12.2001 से 31.01.2002 तक लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त, भावी पट्टेदार से अनुरोध किया जा रहा है कि संयंत्र तथा मशीनरी के पट्टे के साथ-साथ अभ्रक संयंत्र के अधिक से अधिक कामगारों को नियुक्त किया जाए।

एनरॉन का बंद होना

3071. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरॉन कार्पोरेशन के बंद हो जाने से, लेखापरीक्षकों के व्यवसाय में काफी परिवर्तन आने की आशंका पैदा हो गई है और उन पर अधिक जवाबदेही तय की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[हिन्दी]

उद्योगों को बंद करने की अनुमति

3072. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मालिकों को अपने उद्योग बंद करने के लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ग) ऐसी अनुमति दिए जाने के मामले में बेरोज़गार होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उद्योगों को बंद करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ठ) के साथ पठित धारा (ट) के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अनुमति लिया जाना अपेक्षित है, अर्थात् ऐसी किसी फैक्ट्री, किसी खान तथा किसी बागान के मामले में जोकि मौसमी स्वरूप का उपक्रम न हो अथवा जिसमें कार्य आवर्तक रूप से किया जाता हो और जिसमें कि पिछले 12 महीनों की अवधि के दौरान औसत रूप से 100 से कम कामगार नियोजित न किए गए हों। 20.03.2002 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के अधीन बाईस रुग्ण मिलों को बंद किए जाने संबंधी उनका प्रस्ताव लंबित हैं।

(ग) सरकारी उद्यम विभाग के पास मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभों को प्रदान करने के अलावा, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योक्तीकृत कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षण देने और उनकी पुनः तैनाती किए जाने की भी एक योजना विद्यमान है।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

3073. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी वाणिज्यिक ऋण के कड़े मानदण्डों और वित्त की ऊंची लागत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति का आधार, कुल विदेशी उधारों की विवेकपूर्ण सीमाएं बनाए रखते समय, भारतीय कारपोरेटों द्वारा उधारों में लचीलापन प्रदान करना है। विदेशी वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ, अपेक्षाकृत कम लागत पर नए ऋण जुटाकर बकाया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने, पूर्व-अदायगी सुविधा और ब्याज और/अथवा विनिमय दर जोखिम को कम करने के लिए देयता प्रबन्धन की व्यवस्था करते हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की विदेशी ऋण के विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, परिवर्तनशील, बाजार परिस्थितियों, क्षेत्रीय आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

तमिलनाडु के प्रस्ताव

3074. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से कांचीपुरम साड़ियों की क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार से वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों (पंजीकरण तथा संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कांचीपुरम साड़ियों को पंजीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय परम्परागत विरासत के संरक्षण हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार के हथकरघा एवं वस्त्र विभाग उक्त अधिनियम के अंतर्गत उत्पादों जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के पंजीकरण करने के लिए कदम उठाये गये हैं। यद्यपि, चूंकि अधिनियम के अंतर्गत नियम नहीं बनाये गये हैं चन्नैई में अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) द्वारा स्थापित की गई रजिस्ट्री में आवेदनों का पंजीकरण करना आरंभ नहीं किया गया है। यह बताया जाता है कि वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों (पंजीकरण तथा संरक्षण) नियमों तथा बौधिक सम्पति अपील बोर्ड की स्थापना को अंतिम रूप देने के संभावित कार्य करने का प्रचालन किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम का भंडारण

3075. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को राज्यवार भारतीय खाद्य निगम के भंडारण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों के आधार पर कितनी अनियमितताओं का पता चला है और अब तक पता लगाई गई अनियमितताएं किस प्रकार की हैं; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों के भण्डारण से संबंधित अनियमितताओं सहित विभिन्न कथित अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र०सं०	राज्य/कार्यालय का नाम	2000	2001
1	2	3	4
	उत्तरी जोन		
1.	आंचलिक कार्यालय (उत्तर)	197	221
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	21	6
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब	101	45
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा	35	7
5.	उत्तर प्रदेश	90	147
6.	राजस्थान	24	37
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—
	जोड़	468	463
	पश्चिमी जोन		
9.	आंचलिक कार्यालय (पश्चिम)	45	12
10.	क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र	52	8
11.	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश	19	67
12.	क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात	4	11
13.	संयुक्त प्रबंधक (पत्तन प्रचालन), कांडला	—	32
	जोड़	120	130
	पूर्वी जोन		
14.	आंचलिक कार्यालय (पूर्व)	7	3
15.	क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम बंगाल	2	—
16.	बिहार	5	—
17.	उड़ीसा	8	3
	जोड़	22	6
	उत्तर-पूर्वी जोन		
18.	आंचलिक कार्यालय (उत्तर-पूर्वी)	14	—
19.	क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर-पूर्वी	8	—
20.	असम	16	3
	जोड़	38	3
	दक्षिणी जोन		
21.	आंचलिक कार्यालय (दक्षिण)	10	126
22.	तमिलनाडु	10	2
23.	केरल	1	2
24.	कर्नाटक	—	3
25.	आंध्र प्रदेश	8	6
	जोड़	29	139
26.	मुख्यालय श्रेणी ए	6	5
	सकल जोड़	683	746

विवरण-II

क्र०सं०	अनियमितताओं का स्वरूप	2000	2001
1	2	3	4
1.	अवैध परितोषण स्वीकार करना/असंगत परिसम्पत्तियां	2	6
2.	खाद्यान्नों का दुर्विनियोजन	121	118
3.	लेखों का गबन दुर्विनियोजन	47	49

1	2	3	4
4.	कमियां/हानियां	39	93
5.	बेकार स्टाक में/गोदामों के निर्माण में दुर्विनियोजन	6	5
6.	घटिया स्टाकों की खरीद	333	678
7.	हैंडलिंग और ढुलाई ठेके देना	17	26
8.	प्रशासकीय खामियां/विविध	103	196
9.	मार्गस्थ/भंडारण हानियां	261	492
	जोड़	929	1,663

विवरण-III

क्र०सं०	लगाए गए दंड का स्वरूप	2000	2001
1.	बर्खास्तगी/पदच्युति/अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति	13	45
2.	पद में कमी	16	50
3.	समय वेतनमान में कमी	230	415
4.	वेतन वृद्धि को रोक लेना/वेतन से वसूली	575	647
5.	प्रोन्नति को रोक लेना	19	14
6.	निंदा	140	196
	जोड़	993	1,367

अ०जा०/अ०ज०जा० पर अत्याचार

3076. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
श्री एन०टी० षणमुगम :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार की राज्य-वार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को राज्य-वार मुआवजे की कितनी राशि दी गई हैं;

(घ) कितने व्यक्तियों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें कब तक मुआवजा दिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) जैसाकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचना दी गई है वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के निवारण के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। प्रशासनिक प्रवर्तन और न्यायिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, प्रभावित व्यक्तियों को राहत तथा उनके पुनर्वास सम्बन्धी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए यथा संभव दिशानिर्देशों के अनुसार राहत प्रदान करने के उपाय करते हैं। सहायता प्राप्त व्यक्तियों तथा भुगतान की गई राशि के ब्यौरे का रखरखाव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विवरण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	540	721	2,711
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	1,407	1,258	568
5.	छत्तीसगढ़	—	—	873
6.	गोवा	2	1	1
7.	गुजरात	2,138	1,846	1,699
8.	हरियाणा	32	28	54
9.	हिमाचल प्रदेश	15	13	10
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	—	—	26
12.	कर्नाटक	1,279	1,239	1,254

1	2	3	4	5
13.	केरल	716	उपलब्ध नहीं	529
14.	मध्य प्रदेश	4,138	3,990	4,122
15.	महाराष्ट्र	1,069	927	793
16.	मणिपुर	2	उपलब्ध नहीं	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	1,332	1,449	1,354
21.	पंजाब	17	19	34
22.	राजस्थान	6,858	6,838	6,679
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	897	1,011	996
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	—	—	112
27.	उत्तर प्रदेश	7,095	6,917	8,462
28.	पश्चिम बंगाल	15	9	14
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	1
30.	चंडीगढ़	0	0	1
31.	दादर और नगर हवेली	1	1	1
32.	दमन और दीव	0	1	1
33.	दिल्ली	7	14	15
34.	लक्षद्वीप	0	0	1
35.	पांडिचेरी	1	2	4
	कुल	27,561	26,285	30,315

भारत और कीनिया के बीच व्यापार

3077. श्री वाई०जी० महाजन :
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कीनिया को कौन-कौन सी मदों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान किस मद के निर्यात में अधिकतम वृद्धि दर्ज हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान केन्या को निर्यातित मदों को अनुबंध-I में देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यापार में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन वर्ष 2000-01 में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

(मूल्य करोड़ रुपए में)

	1998-99	1999-00	2000-01
निर्यात	610.81	505.45	636.16
आयात	152.33	91.08	85.50
व्यापार	763.14	596.5	721.66

(घ) जीन साजी और साज सामान में अधिकतम (900%) निर्यात वृद्धि प्रदर्शित हुई है अर्थात वर्ष 1998-99 में जो निर्यात 0.01 करोड़ रुपए का हुआ था वह वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 0.10 करोड़ रुपए का हो गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान केन्या को निर्यातित मदों की सूची

1. मशीनरी औजार
2. औषधि भेषज और परिष्कृत रसायन
3. धातु विनिर्मितया
4. परिवहन उपकरण
5. प्राथमिक और अर्द्ध परिष्कृत लौह और इस्पात
6. प्लास्टिक और लिनालियम उत्पाद
7. काटन यान फैब्रिक्स मडअप्स
8. मानव निर्मित यार्न फैब्रिक्स मडअप्स
9. फुटवियर छोड़कर रबड़ विनिर्मित उत्पाद
10. अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन
11. कांच/कांच की वस्तुएं/सरामिक्स/रिफैक्टरीज/सीमन
12. कागज/काष्ट उत्पाद
13. इलैक्ट्रानिक सामान
14. तेल खाद्य

15. पेन्टस/इनामल/वार्निश इत्यादि
16. डाइज/मध्यवर्तीय और कार तार रसायन
17. सहायक सामग्री सहित आरएमजी कॉटन
18. अलौह धातुएं
19. चाय
20. सौन्दर्य प्रसाधन/प्रसाधन इत्यादि
21. मशीन औजार
22. परिष्कृत खनिज
23. आरएमजी मानव निर्मित फाइबर
24. अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद
25. लौह एवं इस्पात वार/रॉड इत्यादि
26. अन्य अयस्क और खनिज
27. हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर)
28. मसाले
29. मानव निर्मित स्टपल फाइबर
30. विविध परिष्कृत मद
31. अवशिष्ट इंजीनियरिंग मद
32. गेहूं
33. चमड़े के फूटवियर
34. खेल सामान
35. कालीन (रेशम छोड़कर) हस्तनिर्मित
36. अन्य वस्त्र सामग्री के आरएमजी
37. लौह अयस्क
38. आरएमजी ऊन
39. जूट हसियन
40. तम्बाकू विनिर्मित
41. ग्वारगम खाद्य
42. शेलाक
43. दाल
44. प्राकृतिक शिल्क यानि फैब्रिक्स मडअप्स
45. चर्म वस्तुएं
46. समुद्री उत्पाद
47. रेशमी कालीन
48. ताजे फल
49. परिष्कृत फल एवं रस
50. कालीन (रेशम छोड़कर) मिल द्वारा निर्मित
51. आरएमजी शिल्क
52. चीनी
53. परियोजना सामान
54. वास्तविक रूप में कम्प्यूटर साफ्टवेयर
55. स्पिरिट और पेय
56. तिलबीज
57. अरंडी का तेल
58. फरा अलाइज
59. फल/सब्जियों के बीज
60. फुटवियर/कनवास रबड़ के इत्यादि
61. केयर और केयर विनिर्माण
62. रत्न एवं आभूषण
63. जोनसाज एवं साज सामान
64. जूट यार्न
65. अन्य जूट विनिर्माण
66. ताजी सब्जियां
67. उत्पाद से भिन्न एल्युम्यूनियम
68. पूष्पात्पाद
69. ऊनी यार्न फबिक्स मडअप्स इत्यादि
70. काजू
71. तम्बाकू अनिर्मित
72. कोयला
73. चावल बासमती से इतर
74. धम पारधाम
75. परिष्कृत सब्जियां
76. चावल-बासमती
77. प्रसंस्कृत चमड़ा
78. चम फुटवियर संघटक
79. डयरी उत्पाद
80. माइक
81. अपशिष्ट सहित कपास

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों की सूची से मोची समुदाय को हटाया जाना

3078. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के मोची समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाने के क्या कारण है; और

(घ) इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति के रूप में "मोची" समुदाय के क्षेत्र को केवल डंग्स जिले तथा वलसाद जिलों के उमरगांव तालुक तक सीमिति रखने संबंधी एक प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रियाओं तथा संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2001 में शामिल किए गए के अनुसार कार्रवाई की गई है। इस विधेयक को लोक सभा में 31.08.2001 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

क्षेत्रीय मानक संदर्भ प्रयोगशालाएं

3079. श्री दिन्शा पटेल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय मानक संदर्भ प्रयोगशालाएं (आर०आर०एस०एल०) स्थापित करने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना अवधि के दौरान कितनी आर०आर०एस०एल० खोली गईं और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या अहमदाबाद स्थित आर०आर०एस०एल० का आधुनिकीकरण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं की स्थापना की स्कीम नौवीं पंचवर्षीय योजना से पहले शुरू की गई थी। तथापि, दो क्षेत्रीय निदेश मानक प्रयोगशालाओं एक उत्तरी क्षेत्र के लिए फरीदाबाद में और दूसरी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में — की स्थापना का कार्य नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण कुल 54 लाख रुपए की लागत पर नौवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। इसमें 17 लाख रुपए की लागत पर प्रयोगशाला भवन का नवीनीकरण और 37 लाख रुपए की लागत पर प्रयोगशाला के लिए मानक उपकरण की खरीद शामिल है।

नए उपभोक्ता मंचों की स्थापना

3080. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नए जिलों में उपभोक्ता मंचों की स्थापना के लिए एकमुश्त अनुदान हेतु अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अनुदान देने के लिए सहमत हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 8.11.2000 को हुई बैठक में गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया था कि गुजरात के नए बनाए गए छः जिलों में उपभोक्ता मंचों की स्थापना के लिए 120 लाख रुपए की वित्तीय सहायता रिलीज की जाए। किन्तु उनके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ क्योंकि फिलहाल इस प्रयोजन के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों में कमी

3081. श्री हरीभाई चौधरी :
श्री एन० जर्नादन रेड्डी :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खाद्यान्नों के बफर स्टाक के दृष्टिगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

खाद्यान्नों का भंडार

3082. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के भंडार में बेतहाशा वृद्धि से उनके भंडारण की समस्या खड़ी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी परिवहन लागत ने खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता को पीछे छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों में बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक नीचे दिया गया है :—

(लाख टन में)

निम्न तारीख को	खाद्यान्नों का स्टाक	बफर मानदंड	अधिशेष स्टाक
1.1.1998	182.42	168.00	14.42
1.1.1999	243.79	168.00	75.79
1.1.2000	318.88	168.00	150.88
1.1.2001	457.40	168.00	289.40
1.1.2002	580.32	168.00	412.32

भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राजसहायता बिल में वृद्धि होने का एक कारण अधिक रखरखाव लागत है। पिछले पांच वर्षों में बफर राजसहायता की राशि और कोष्ठक में दी गई (कुल राजसहायता का प्रतिशत भी) तथा भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत वसूली योजना चलाने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को रिलीज की गई कुल राजसहायता निम्नानुसार है :—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बफर राजसहायता	कुल राजसहायता
1997-98	936.70 (12.49%)	7500.00
1998-99	1532.31 (17.84%)	8700.00
1999-2000	1753.71 (19.06%)	9200.00
2000-2001	4232.75 (35.24%)	12010.00
2001-2002	5881.90 (34.93%)	16837.00

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा शुरू किया गया अपवंचन विरोधी अभियान

3083. **श्री रघुनाथ झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने देश में अपवंचन विरोधी अभियान शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या उपलब्धि मिली थी;

(ग) अधिक से अधिक राजस्व की उगाही के लिए अपवंचन विरोधी अभियान को और सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे कितने कर अपवंचन हैं जिनके विरुद्ध गत वर्ष कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-02 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान अपवंचन-रोधी अभियानों का विवरण इस प्रकार है :—

माह	उत्पादन	पता लगाये गये शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या
मई, 2001	पान मसाला	22
जून, 2001	चबाने वाला तम्बाकू	50
सितम्बर, 2001	लौहा और इस्पात	212
सितम्बर, 2001	सूत यार्न	110
नवम्बर, 2001	पेपर और पेपर बोर्ड	36

(ग) शुल्क अपवंचन रोकने के लिए आसूचना एकत्र करने पर जोर देते हुए समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं।

(घ) वर्ष 2001-2002 (जनवरी, 2001 तक) में कर अपवंचकों के खिलाफ 5008 मामलों का पता लगाया गया था।

एन०बी०सी०एफ०डी०सी०

3084. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त निगम द्वारा वर्तमान में कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में निगम की विभिन्न योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में कितने योग्य लाभार्थियों को धन दिया गया ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन०बी०सी०एफ०डी०सी०) की स्थापना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने और व्यवहार्य स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने और उद्यमीय कौशलों के विकास में उन्हें सहायता देने के प्रमुख उद्देश्य से की है।

(ख) एन०बी०सी०एफ०डी०सी० अन्य पिछड़े वर्गों के संबंधित पात्र व्यक्तियों को छह योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता देता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में एन०बी०सी०एफ०डी०सी० द्वारा संवितरित राशि और सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित है :—

(रु० लाख में)

राज्य	1998-99		1999-2000		2000-01	
	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी
कर्नाटक	875.35	2450	513.99	1044	577.44	1100
महाराष्ट्र	0.00	00	0.00	00	645.57	1275

बैंकों में अम्बड्समेन

3085. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंकिंग अम्बड्समेन के कुल कितने पद हैं;

(ख) बैंकिंग अम्बड्समेन के कितने पद रिक्त हैं और ये कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें बैंकिंग अम्बड्समेन योजना को समाप्त कर शिकायतों की सुनवाई की जवाबदेही मुख्य महा-प्रबंधक स्तर के विभागीय प्रमुख को देने की बात कही गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में बैंकिंग ओमबड्समैन के 15 पद हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सूचना दिए जाने की तारीख तक बैंकिंग ओमबड्स मैन के छः पद उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से रिक्त पड़े हैं :—

1.	नई दिल्ली	1.08.2001
2.	भोपाल	1.12.2001
3.	जयपुर	1.02.2002
4.	बेंगलूर	2.02.2002
5.	कानपुर	1.03.2002
6.	हैदराबाद	1.03.2002

(ग) वर्तमान में ओमबड्स मैन योजना में पुनरीक्षण विचाराधीन है। नियुक्तियां उसके पश्चात् की जाएंगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारिता

3086. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सहकारिता देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में अपनी कारगर भूमिका निभा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता सहकारिता के विकास को प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितनी उपभोक्ता सहकारिता बनाई गई ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपभोक्ता सहाकरी समितियां देश में, जहां उपभोक्ता आन्दोलन अधिक मजबूत है, विशेषरूप से महाराष्ट्र में अपनी भूमिका पूरी सक्रियता के साथ निभा रही हैं। यह बात उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा की गई बिक्री में हुई वृद्धि से प्रतिविम्बत होती है जो वर्ष 2000-2001 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 5944.92 करोड़ रु० और ग्रामीण क्षेत्रों में 5023.20 करोड़ रुपए थी और इसकी तुलना में पूर्व वर्ष के दौरान क्रमशः 3282.78 करोड़ रु० और 4784.00 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में सहकारी समितियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए एक नीति अपनाई है। इस आर्थिक क्षेत्र का विकास स्वीकृत सहकारी मूल्यों और सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहे स्वायत्तशासी विकेन्द्रीकृत और स्वैच्छिक संगठनों के रूप में लोगों की सृजनात्मक ऊर्जा का उपयोग करके सामुदायिक कार्यों के जरिए किया जाएगा। महाराष्ट्र में 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता सहकारी समितियों का ढांचा इस प्रकार है :—

(i)	राज्य संघ	.
(ii)	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समितियां	145
(iii)	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां	3507

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क की उगाही पर व्यय

3087. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क से उगाहे जाने वाले राजस्व में कमी आ रही है जबकि इसकी उगाही पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क से कितने राजस्व की उगाही की गई और इस अवधि के दौरान इसकी उगाही करने वाली मशीनरी पर कितना व्यय किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व और उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व (लेखे)	उत्पाद शुल्क *की वसूली के लिए किया गया व्यय
1998-1999	53246	547
1999-2000	61902	585
2000-2001	68526	616

*आंकड़े पूर्णांकित हैं।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों की शेयरधारिता

3088. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों में अपनी शेयर-धारिता शत-प्रतिशत तक बढ़ाने की प्रवृत्ति साफ तौर पर झलकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पूर्व में की गई उस घोषणा/नीति के विपरीत नहीं है जिसमें कहा गया था कि पहले से विद्यमान और आने वाली नई विदेशी कंपनियों को भारतीय शेयरधारकों के साथ सीमित मात्रा में संबद्ध किया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इससे लाभ में चलने वाली उन अधिकांश कंपनियों में भारतीय शेयरधारिता में कमी आएगी और स्टॉक मार्केट पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। भारत में कार्य कर रही कंपनियों द्वारा विदेशी शेयर धारिता का स्तर-शत-प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की परम्परा है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में प्रगामी उदारीकरण हो रहा है तथा वर्तमान में अधिकांश कार्यकलापों के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, सिवाए कार्यकलापों की एक लघु सूची के जिसपर सामरिक तथा क्षेत्रात्मक विचारणाओं के आधार पर विदेशी स्वामित्व पर उच्चतम सीमा लागू होती है।

(ग) और (घ) भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसके पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। निवासी शेयरों के

अर्जन के लिए विदेशी निवेश सवंर्धन बोर्ड की अनुमति के लिए आवेदन अनिवार्यतः इस आशय के एक बोर्ड संकल्प द्वारा समर्थित होना होता है। अधिग्रहण के माध्यम से शेयरों के अर्जन के लिए सरकारी अनुमोदन सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य निर्धारण मानकों तथा आवश्यक भारतीय रिजर्व बैंक स्वीकृति के अधीन होता है। किसी सूचीबद्ध कंपनी में निवासि शेयरों के अर्जन के मामले में अर्जक को सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के अतिरिक्त सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 1997 का भी अनुपालन करना पड़ता है। वर्ष 2001 के दौरान कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतप्रर्वाहों में विद्यमान शेयरों के अर्जन के माध्यम से किए गए अंतप्रर्वाहों का हिस्सा 15.37 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

केन्द्रीय योजनाओं का विलय

3089. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को समाप्त कर 183 नई योजनाएं बनाने और कतिपय योजनाओं का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को समाप्त करने के प्रस्ताव और उनमें से कतिपय योजनाओं के विलय से 25,000 करोड़ रुपए की बचत की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) योजना आयोग ने मौजूदा सभी (केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित, दोनों ही) स्कीमों की समीक्षा शुरू की है तथा उन्हें शून्य आधारित बजटिंग (जे०बी०बी०) के अधीनित किया है तथा प्रात्यक्षिक रूप से अनिवार्य स्कीमों को ही दसवीं योजना में रखा गया है। इस प्रक्रिया से ज्यादा केन्द्रित और आदान प्रणाली को ज्यादा सुवाही बनाते हुए लाभों को लक्ष्यों तक पहुंचाते हुए स्कीमों को ज्यादा तर्कसंगत बनाया जा सकेगा। इस प्रकार उत्पन्न बचत को सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा प्रवितरित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नोएडा टकसाल की उत्पादन क्षमता

3090. श्री के० येरननायडू :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा में सरकारी टकसाल का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसकी उत्पादन क्षमता केवल 17 से 45 प्रतिशत के बीच है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिक्कों का आयात करने के बजाय टकसाल का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारत सरकार टकसाल (आई०जी०एम०), नोएडा प्रति वर्ष एकल पाली आधार पर 1000 मिलियन अदद सिक्कों (एम०पी०सी०) के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता रखता है। वर्ष 2000-01 के दौरान भारत सरकार टकसाल, नोएडा ने 1010 मिलियन अदद सिक्कों का उत्पादन किया, जो इसकी अधिष्ठापित क्षमता से भी अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने भारत सरकार टकसाल, नोएडा के लिए काम की दूसरी पाली के लिए स्वीकृति दे दी है ताकि टकसाल की वर्तमान क्षमता को प्रतिवर्ष 1000 मिलियन अदद सिक्कों के उत्पादन के 2000 मिलियन अदद सिक्कों तक बढ़ाकर इसकी उत्पादन क्षमता को दुगना किया जा सके।

कॉफी के मूल्य में गिरावट

3091. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कॉफी के मूल्यों में भारी गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कॉफी के मूल्यों में आई गिरावट पर अकुंश लगाकर कॉफी उत्पादकों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कॉफी उद्योग का उदारीकरण किए जाने से इसका व्यापार निजी हाथों में चला गया है और कॉफी की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा होता है। तथापि, कॉफी के उपजकर्त्ताओं के लाभार्थ भारत सरकार, कॉफी बोर्ड के जरिए अनेक योजना स्कीमें चला रही है जिनके तहत उपजकर्त्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, खासकर लघु उपजकर्ता क्षेत्र में कॉफी की उत्पादकता को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। बोर्ड ऐसी विशिष्टता युक्त कॉफी का उत्पादन करने हेतु बड़े उपजकर्त्ताओं को प्रोत्साहित भी कर रहा है जिससे विकसित देशों में आकर्षक आय प्राप्त होती है। इन सभी उपायों से आगे चलकर कीमत स्थिर होने और उपजकर्त्ताओं को लाभकारी आय सुनिश्चित होने की आशा है।

इसके अलावा, भारत सरकार के आदेश पर वाणिज्यिक बैंकों ने कॉफी उपजकर्त्ताओं के फसल ऋणों का कार्यक्रम पुन: तैयार किया है और वे उन्हें नए ऋण भी दे रहे हैं। बोर्ड एक ऐसी ब्याज राहत योजना भी चला रहा है जिसमें बैंकों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर लक्षित लघु कॉफी उत्पादकों को ब्याज में 5% की राहत प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने हैंडलिंग लागत जैसे कॉफी खरीद के स्थलों (बागानों अथवा प्रसंस्करण केन्द्रों) से पत्तनों तक ढुलाई, पैकिंग इत्यादि में कमी करने के लिए कॉफी के निर्यातकों को 500/-रुपए प्रति टन का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक योजना भी अनुमोदित की है।

कॉफी बोर्ड ने प्रमुख बाजारों में बाजार हिस्सा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने तथा अगले कुछ वर्षों में विश्व बाजारों में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाने की एक मध्यावधि निर्यात कार्य योजना भी शुरू की है।

एस०बी०आई० के म्यूचुअल फंड्स

3092. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड्स का नॉन-ट्रेडिंग कंपनियों में निवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे निवेशकों की एन०ए०वी० कम हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो म्यूचुअल फंड्स के कार्यकरण पर नजदीक से नजर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सेबी म्यूचुअल फंड ने सूचित किया है कि फंड मुख्यत: विनिर्माणकारी, साफ्टवेयर तथा वित्तीय क्षेत्रक कंपनियों में निवेश करता है जो "गैर-व्यवसायी" कंपनियां हैं।

(ग) निवल परिसंपत्ति मूल्य में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि; शेयर बाजार सूचकांकों के स्तर; व्यष्टि कंपनियों के निष्पादन इत्यादि पर निर्भर करेंगे।

(घ) म्यूचुअल फंड सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किए जाते हैं। सेबी म्यूचुअल फंडों के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण करता है।

सेबी विनियमों के अनुसार म्यूचुअल फंडों द्वारा एन०ए०वी० के रूप में अपने निष्पादन का प्रकटन असीमित अवधि तथा सीमित अवधि वाली योजनाओं के संबंध में क्रमश: दैनिक तथा साप्ताहिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है। उनके द्वारा अपने निवेश निष्पादन का प्रकटन पेशकशी दस्तावेजों, अर्ध-वार्षिक परिणामों तथा वार्षिक रिपोर्टों में भी किया जाना अपेक्षित है जो निवेशकों को उपलब्ध हैं।

कॉफी उत्पादकों को ब्याज पर राजसहायता

3093. **श्री आर०एल० जालप्पा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कॉफी का औसत उत्पादन कितना है और इसमें कर्नाटक का कितना योगदान है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के मूल्य में आई गिरावट के कारण कर्नाटक के कॉफी उत्पादकों को प्रति एकड़ 12000 से 15000 रुपए का नुकसान उठना पड़ रहा है;

(ग) क्या कर्नाटक के लघु और सीमांत कॉफी उत्पादकों ने ब्याज पर राजसहायता देने, बकाए ऋण को माफ करने और अगले दो वर्षों के लिए ब्याज सहित ऋण देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) देश में प्रति वर्ष 3 लाख टन से अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है जिसमें से लगभग 70% हिस्सा कर्नाटक राज्य का होता है।

(ख) विश्व बाजार में कॉफी की चल रही कम कीमत के कारण देश में कॉफी के उपजकर्त्ता वह कीमत प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिसे वे 2-3 वर्ष पहले प्राप्त कर रहे थे और वे उत्पादन लागत को प्राप्त करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तथापि कॉफी की घरेलू कीमतें अभी भी अंतराष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं। प्रति एकड़ नुकसान का सही-सही आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कृषि उत्पादकता, क्षेत्र विशिष्ट कृषि लागत, अंतर फसल के जरिए बढ़ी हुई आय इत्यादि जैसे कारकों के आधार पर उपजकर्त्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार के आदेश पर वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों ने कॉफी के लघु उपजकर्ताओं के फसल ऋण संबंधी कार्यक्रम को पहले ही पुनर्निर्धारित कर दिया है और ये उन्हें नए ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कॉफी बोर्ड द्वारा ब्याज राहत योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है जिसमें कॉफी के लक्षित लघु उपजकर्ताओं द्वारा बैंकों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर उन्हें 5% की ब्याज राहत देने की व्यवस्था है।

हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन

3094. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ते प्रतिस्पर्धी वातावरण में बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन पर ध्यान देने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में उसकी परम्परागत पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास और कार्यकुशलता के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) विद्यमान प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए हथकरघा बुनकरों को अपनी उपस्थिति बनाऐ रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं।

(ख) और (ग) हथकरघा उत्पादों के पारम्परिक डिजाइनों के सरंक्षण का मूल उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की गई है। हथकरघा क्षेत्र को इस योग्य बनाने हेतु वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में कार्यरत 24 बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू०एस०सी०) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा पारम्परिक बुनाई की क्षमता उन्नयन हेतु बुनकरों को बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने की सेवाऐं दी जा रही है। मूल्यवृद्धिकृत उत्पादों को बनाने हेतु बुनकरों की क्षमता के उन्नयन को बढ़ाने हेतु बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण प्रोग्राम भी आयोजित किये जाते हैं। निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा अनुसंधान तथा नवीनीकरण के लिए स्कीमें हैं। जिसमें पारम्परिक डिजाइनों के सरंक्षण तथा पुनरोद्धार को जारी रखने का मूल उद्देश्य समकालिन बाजार के हथकरघा उत्पादों को बढ़ाया जा सके।

(घ) सरकार द्वारा 1.4.2000 से एक समग्र स्कीम अर्थात दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी०डी०एच०पी०वाई०) आरंभ की गई है। स्कीम के अंतर्गत मूलभूत संरचना के ढांचे के विकास के लिए सहायता क्षमता उन्नयन उत्पाद विकास, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपस्करों की आपूर्ति तथा विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

सड़क परिवहन प्रभार

3095. श्री रामसिंह राठवा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मूल्य समकरण फंड योजना के अंतर्गत लेवी चीनी को हटाने के संदर्भ में वास्तविक सड़क परिवहन प्रभार की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने वास्तविक सड़क ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने के बारे में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया था। राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार ने 4.11.1996 को मार्जिन के दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है और इन दिशानिर्देशों के अनुसार 1.4.1996 से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष हुए खर्च के विधिवत अनुमोदित लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति प्रत्येक राज्य हेतु एक समान दर पर की जा रही है।

रॉलर फ्लोर मिल के लिए गेहूं के निर्गम मूल्य की घोषणा

3096. श्री दिलीप संघाणी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों में रॉलर फ्लोर मिलों को वर्ष 2001-2002 में आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं के निर्गम मूल्य की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह घोषणा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित केवल उत्तर जोन के लिए है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात की रॉलर फ्लोर मिलों के लिए निर्गम मूल्य की घोषणा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिमी जोन विशेषकर गुजरात के लिए यह निर्गम मूल्य कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन निर्धारित मूल्य रोलर फ्लोर मिलों सहित सभी उपभोक्ताओं, राज्य सरकारों, चक्कियों, सहकारी समितियों के लिए लागू हैं जो न्यूनतम 10 टन की मात्रा की शर्त के अध्यधीन गेहूं खरीद सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित उत्तरी जोन के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन निर्धारित गेहूं के निर्गम मूल्यों के ब्यौरा निम्नानुसार हैं :—

दर रुपये प्रति क्विंटल

अवधि	उत्तरी जोन	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
अप्रैल 2001 से मई, 20001	650 रुपये	650 रुपये
जून, 2001	700 रुपये	700 रुपये
जुलाई, 2001 से अक्तूबर, 2001	650 रुपये	695 रुपये
नवंबर, 2001 से जनवरी, 2002	650 रुपये	650 रुपये
फरवरी, 2000 से मार्च, 2002	राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न, अनुबंध के अनुसार	

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के उच्च स्तरीय समिति, जिसे फरवरी और मार्च, 2002 माह के लिए गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं, ने राज्यों की अधिग्रहण लागत और औसत भाड़े को हिसाब में लेने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ये मूल्य निर्धारित किए हैं। राज्यवार दरें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

दर प्रति क्विंटल (रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चमकहीन गेहूं 2001-02	ठोस गेहूं
1	2	3	4
	उत्तर जोन		
1.	दिल्ली	615	655
2.	चंडीगढ़	615	655
3.	पंजाब	615	655
4.	हरियाणा	615	655
5.	उत्तर प्रदेश	625	665
6.	उत्तरांचल	625	665
7.	राजस्थान	625	665
8.	हिमाचल प्रदेश	620	660
9.	जम्मू और कश्मीर	630	670
	दक्षिण जोन		
10.	तमिलनाडु	685	725
11.	पांडिचेरी	685	725
12.	केरल	685	725
13.	आंध्र प्रदेश	680	720
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	690	730
15.	लक्षद्वीप	690	730
16.	कर्नाटक	680	720
	पूर्वी जोन		
17.	बिहार	640	680
18.	पश्चिम बंगाल	660	700
19.	सिक्किम	665	705
20.	उड़ीसा	665	705
21.	झारखण्ड	650	690
	उत्तर-पूर्वी जोन		
22.	असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य	675	715
	पश्चिमी जोन		
23.	महाराष्ट्र	655	695
24.	गोवा	660	700
25.	मध्य प्रदेश	630	670
26.	छत्तीसगढ़	650	690
27.	गुजरात	650	690
28.	दमन और द्वीव	650	690
29.	दादर और नागर हवेली	650	690

यूरो-बैंक के नोटों का चलाया जाना

3097. श्री के०पी० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोप की यात्रा करने के लिए यात्रा करने वाले लोगों द्वारा यूरो बैंक के नोटों और सिक्कों को चलाए जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) यूरो नोट और सिक्कों के आरम्भ होने के परिणामस्वरूप भारतीयों की यूरोप यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :– (I) भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफ०ई०डी०ए०आई०) ने सभी बैंकों को यूरो नोट और सिक्कों के आरम्भ होने के संबंध में अपने स्टाफ को जानकारी देने और अपने ग्राहकों को सूचित करने की सलाह दी है। (II) 1 जनवरी, 2002 से प्रभावी यूरो नोट और सिक्कों को आरम्भ करने के संबंध में 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। (III) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और पूर्ण कालिक मुद्रा सराफों को विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य करने के लिए अपनी सभी प्राधिकृत शाखाओं पर यूरो ट्रैवलर्स चैक और करेंसी नोटों के लिए विनिमय दरें प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने की भी सलाह दी है। (IV) बाजार क्रियाकलापों के अंग के रूप में प्राधिकृत डीलरों को/से (अमरीकी डालर के अतिरिक्त) यूरो खरीदने/बेचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाने हेतु 27 फरवरी, 2002 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

[हिन्दी]

खनिजों का निर्यात

3098. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विश्व के अन्य देशों को विशेषकर झारखंड राज्य से कितने खनिजों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) इन खनिजों के निर्यात में सरकारी और निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी कम्पनियां शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खनिजों को निर्यात करने का परभार निजी खान मालिकों/कम्पनियों से अपने हाथ में लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) महोदय, देश से इस समय निर्यात किए जा रहे प्रमुख खनिजों तथा अयस्कों में हैं : लौह-अयस्क, क्रोम अयस्क, मैंगनीज अयस्क, कोयला, अभ्रक तथा प्रमुख प्रसंस्कृत खनिज जिनमें ग्रेनाइट, संगमरमर आदि, शामिल हैं और जिनका निर्यात सरकारी क्षेत्र में एम०एम०टी०सी० लि०, एन०एम०डी०सी० लि० मैंगनीज और अयस्क लि० (एम०ओ०आई०एल०), कोल इंडिया लि० तथा अन्य राज्य सरकार के उद्यमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में मै० रूंग्टा माईन्स लि०, मै० ऐस्सल माईनिंग लि०, मै० के०पी० इंटरप्रासिज, मै० एम०एस०पी०एल० लि०, मै० करीगानूर माइनिंग एंड मिनरल्स लि०, मै० हाथुर ट्रेडर्स, मै० भारत माइनिंग एंड मिनरल्स लि० तथा ऑल इंडिया ग्रेनाइट एंड स्टोनस एसोसिएशन तथा कंफेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट यूनिट के अंतर्गत अन्य निर्यातकों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या

3099. डा० साहिब सिंह वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 2001 के दौरान देश में अशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी थी और पांच और दस वर्षों के बाद यह जनसंख्या कितनी होने की संभावना है;

(ख) क्या अशक्त व्यक्तियों के मामले में कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के उत्थान के लिए शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) अशक्त व्यक्तियों के लिए कितनी परियोजनाएं बनाई गई और विकसित की गई तथा आगामी पांच वर्षों में बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा कराए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1991 में लगभग 1.9% आबादी के किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अथवा संवेदिक विकलांगता से पीड़ित होने का अनुमान लगागा गया। 0-14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों पर किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 3% आबादी विलम्बित मानसिक विकास से पीड़ित है। जनगणना 2001 के दौरान संग्रहित विकलांगता की घटना से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 5 अथवा 10 वर्षों के बाद विकलांग व्यक्तियों की आबादी का इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में रोकथाम और पुनर्वास, प्रशिक्षण, शिक्षा, वित्तीय सहायता तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा सुविधाओं के लिए मुख्य आयुक्त के पर्सोना में एक अलग तंत्र शामिल हैं।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनेक कार्यक्रमों का पहले से ही समर्थन कर रही है।

डी०ई०पी०बी० योजना का दुरूपयोग

3100. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 2002 के 'द स्टेट्समैन' में ''डी०आर०आई० अनअर्थ्स ए फिशी स्कैम'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और घोटाला किस प्रकार हुआ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निर्यातक डी०ई०पी०बी० योजना का बहुत दुरूपयोग कर रहे हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि डी०ई०पी०बी० योजना के दुरूपयोग में लिप्त निर्यातकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, हां, राजस्व आसूचना निदेशालय मछली एवं मछली उत्पादों के ऐसे निर्यातों की जांच कर रहा है जहां निर्यातकों ने रसायनों/परिरक्षकों के उपयोग तथा प्राप्ति के स्रोत के संबंध में गलत घोषणा करके निर्यातों के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत की दर पर ऊंचा शुल्क छूट पास बुक लाभ उठाया था। जब कभी भी शुल्क छूट पास बुक स्कीम के अशुद्ध प्रयोग/दुरुपयोग संबंधी कोई भी मामला जानकारी में आता है, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कडी चौकसी बरतने एवं सतर्क रहने के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। राजस्व आसूचना महानिदेशालय समय-समय पर तौर-तरीकों संबंधी परिपत्र जारी करता रहता है ताकि बेईमान निर्यातकों द्वारा शुल्क छूट पास बुक के अनाभिष्ट लाभों को उठाने संबंधी प्रयासों को निष्फल बनाया जा सके।

फिल्म उद्योग का वित्त पोषण करने के लिए ऋण संबंधी मानदंड

3101. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फिल्म उद्योग का वित्त पोषण करने के लिए ऋण संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या इस विषय के संबंध में दिशा-निर्देश बने हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन्हें कब जारी किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फिल्म के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की उल्लेखनीय बातें विवरण-I में दी गई हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग को वित्त पोषित करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इस संबंध में संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाली रणनीति का सुझाव देने हेतु वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त संस्थागत समिति का भी गठन किया है। संयुक्त संस्थागत समिति ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने हेतु जो योजना/मार्गनिर्देश तैयार किए हैं, उनकी मुख्य मुख्य बातें विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों की उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित है

1. बैंक उन फिल्म निर्माताओं को वित्त प्रदान करेंगे, जिनका संबंधित क्षेत्र में पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड अच्छा होगा। बैंक इन कंपनियों को एन०डी०एफ०सी० के साथ भागीदारी करके फिल्मों के निर्माण के लिए भी वित्त प्रदान करेगा।
2. निगमित और साथ ही गैर-निगमित कंपनियों दोनों कंपनियों के लिए सहायता उपलब्ध होगी।
3. सामान्यत: निर्माताओं को परियोजना लागत का 25% लाना होता है और सामान्य प्रथा के अनुसार बजट का 35% से 40% तक आमतौर पर वितरकों से लिया जाता है। अत: बैंक की सहायता शेष 35% से 40% तक सीमित होगी। तथापि, पात्र मामलों में यह 50% तक हो सकता है।
4. फिल्म की कुल लागत 10 करोड़ रु० से ज्यादा नहीं होगी।
5. ऋण की अवधि बैंक-मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित होगी।
6. बैंक फिल्मों के निगेटिव पर अधिकार, म्यूजिक आडियों/वीडियो राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, चैनल राइट्स, एक्सपोर्ट राइट्स, आदि चल आस्तियों, अन्य सम्पार्श्विकों, यदि कोई हों, पर दृष्टि-बंधन-प्रभार आदि के रूप में प्रतिभूति प्राप्त करेगा।
7. बैंकों को स्वीकार्य मौजूदा बीमा-उत्पाद फिल्म निर्माताओं से प्राप्त किए जाने चाहिए।
8. बैंकों को उपयुक्त लेखा/निगरानी फार्मेट तैयार करने चाहिए। बैंक निगरानी के लिए विशिष्ट एजेन्सियां नियुक्त करने पर भी विचार कर सकती हैं।

विवरण-II

वित्तीय संस्थाओं के लिए संयुक्त संस्थागत समिति द्वारा अपनाई गई योजना की उल्लेखनीय बातें

I. सहायता के लिए पात्र बनने के लिए उधारकर्ता निगमित कंपनी होनी चाहिए।

II. प्रवर्तक का अंशदान प्राकल्पित बजट के 30% से कम नहीं होना चाहिए।

III. सहायता की मात्रा प्राकल्पित बजट के 50% से अधिक नहीं होगी।

IV. ऋण की अवधि सामान्यत: दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

V. ऋणदाताओं के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे अलग-अलग मामलों के आधार पर किस तरह लाभ बांटते हैं।

VI. फिल्म का व्यापक रूप से बीमा कराया जाना आवश्यक होगा।

VII. वापसी अदायगी दो वर्ष के अन्दर ही करनी होगी।

VIII. शूटिंग पूर्व चरण के दौरान खर्चे प्रवर्तक के अंशदान से पूरे किए जाएंगे और संस्थाओं की सहायता का वितरण शूटिंग एवं शूटिंग पश्चात् के चरणों के दौरान होगा।

IX. ऋणदाताओं को फिल्म की यथासमय शूटिंग/तैयार करने की निगरानी करने और खर्च की समरूपता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष एजेन्सी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

गरीबों तक न पहुंचने वाली राजसहायता

3102. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2002 के "द इंडियन एकसप्रेस" में "हू इज़ कोरनरिंग गवर्नमेंट्स गुडीज ? यू देट् इज़ हू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने गरीबी उपशमन योजनाओं के लाभ तथा राजसहायता उन गरीबों और किसानों तक पहुंचने जिनके लिए ये योजनाएं और राजसहायता आरम्भ की गयी हैं; सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राजसहायताओं के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ताओं को एल०पी०जी०, मिट्टी तेल और उर्वरकों की आपूर्ति में सब्सिडी शामिल है क्योंकि इन उत्पादों की उत्पादन और आपूर्ति लागत उस से अधिक है जितनी उपभोक्ता अदा करते हैं। राज्य करों में भिन्नता के अलावा सभी उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० समान मूल्य पर उपलब्ध है। पी०पी०एफ०/ई०पी०एफ० की वर्तमान ब्याज दर, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर वर्तमान आय की तुलना में अधिक है अतः इसमें सब्सिडी शामिल है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों की ओर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य है। यह स्थिति खाद्यान्नों की आपूर्ति के मामले में सर्वोत्तम है जहां गरीबी की रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) के अनुमानित 65.2 मिलियन परिवारों को उच्च सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न प्राप्त कराया जा रहा है — जो इस समय गेहूं के लिए 4.15 रुपए प्रति कि०ग्रा० और चावल के लिए 5.65 रुपए प्रति कि०ग्रा० है। बी०पी०एल० परिवारों को पुनः और अधिक लाभ के लिए अलग रखा गया है जब उनके मासिक प्राधिकृत खाद्यान्न कोटे को अप्रैल, 2000 में 10 कि०ग्रा० से बढ़ाकर 20 कि०ग्रा० और जुलाई, 2001 में पुनः 25 कि०ग्रा० कर दिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के तहत, बी०पी०एल० जनसंख्या में अनुमानित एक करोड़ सर्वाधिक गरीब परिवारों को अभी भी 2 रुपए प्रति कि०ग्रा० की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति कि०ग्रा० की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) खाद्य और उर्वरक पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जा रहे सब्सिडी व्यय की राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	2000-2001	2001-2002 (सं०अ०)
खाद्यान्न	12,060	17,612
उर्वरक	13,811	11,944
अन्य सब्सिडी	3,971	967
कुल सब्सिडी	29,842	30,523

भारतीय चावल का पेटेन्ट

3103. श्री सुरेश कुरूप : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने हमारे पेटेन्ट कानूनों में खामियों का लाभ उठाते हुए भारत में उत्पन्न चावल की किस्मों का पेटेन्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पेटेन्ट विधेयक में एक खंड यह जोड़ने पर विचार करेगी कि जर्म प्लैज्मा आधारित भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों में उत्पन्न किसी चावल का पेटेन्ट नहीं किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोदामों का निर्माण

3104. श्री कोलूर बसवनागौड :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने कर्नाटक और उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और बनाए गए नए गोदामों में से प्रत्येक की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक और उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के अन्य गोदामों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान कर्नाटक और उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित गोदामों के स्थानवार और क्षमतावार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान कर्नाटक और उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम का और गोदामों के निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(आंकड़े टन में)

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता	फरवरी, 2002 तक पूरी की गई क्षमता	निर्माण किया जाने वाला शेष
राज्य : कर्नाटक				
1.	उडुपी	10,000	10,000	—
2.	कुशालनगर	2,500	2,500	—
3.	टुम्कुर	20,000	5,000	15,000
4.	बीजापुर	10,000	10,000	—
5.	बेलगांव	20,000	20,000	—
6.	रायचूर	15,000	15,000	—
7.	हसन	10,000	10,000	—
	जोड़	87,500	72,500	15,000
राज्य : उड़ीसा				
1.	झारसुगुडा	15,000	15,000	—
2.	पारलाक्रेमुण्डी	10,000	10,000	—
	जोड़	25,000	25,000	—

विवरण-II

(आंकड़े टन में)

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता	टिप्पणी
1	2	3	4
राज्य : कर्नाटक			
1.	टुम्कुर	15,000	नौंवी पंचवर्षीय योजना के शेष कार्य
2.	मैसूर	2,970	परिवर्तनीय प्लिथों को नियमित गोदामों में बदलना
3.	मद्दुर	5,000	
4.	कोप्पल	10,000	मौजूदा डिपो/मौजूदा भूमि की क्षमता में वृद्धि करना
5.	उडुपी	8,340	
6.	शिमोगा	15,000	
7.	बीजापुर	10,000	
8.	रायचुर	50,000	
राज्य : उड़ीसा			
1.	अंगुल	5,000	मौजूदा डिपो/मौजूदा भूमि की क्षमता में वृद्धि करना
2.	ढेनकनाल	2,500	
3.	क्योंझर	2,500	
4.	नवरंगपुर	2,500	
5.	पुलभनी	2,500	

बासमती चावल का निर्यात

3105. श्री अम्बरीश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बासमती चावल का यूरोपीय देशों को निर्यात करने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल की अनुमानित मात्रा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार ने यूरोपीय देशों को बासमती चावल के निर्यात हेतु कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

(ग) बासमती चावल के निर्यात की संभावित मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि बासमती चावल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्य, उपभोक्ता तरजीही और व्यापार की गई किस्मों पर निर्भर करेगा।

केरल में एशियाई विकास बैंक के वित्तीय सुधार

3106. श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने "केरल में वित्तीय सुधारों की सहायता" के लिए एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता परियोजना के लिए केरल के सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान लाभों में कटौती/परिवर्तन करने का कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान की गयी कटौतियों/परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी कटौतियों/परिवर्तनों को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान एशियाई विकास बैंक और केरल सरकार के बीच स्मृति-पत्रों का आदान प्रदान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी सहायता प्रदान की गयी और ऋण की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) कैलण्डर वर्ष 2002 के संबंध में राजकोषीय सुधारों के लिए कार्यक्रम ऋण कार्यान्वयनाधीन है। ऋण के ब्यौरे, जिनमें इसका कार्य क्षेत्र, ऋण राशि शामिल है, पर वर्ष के दौरान बैंक के मूल्यांकन-पूर्व तथा मूल्यांकन मिशन और राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। ऋण के ब्यौरों की जानकारी वार्ताओं के बाद तथा एशियाई विकास बैंक के बोर्ड द्वारा ऋण को अनुमोदित किए जाने के बाद प्राप्त हो सकेगी।

ज्वैलरी पार्कों की स्थापना

3107. **श्री एन०टी० षणमुगम :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कुछ राज्यों में ज्वैलरी-पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उनके राज्यों में ज्वैलरी पार्क स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने मे विलंब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

3108. **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और रोजगार सृजन के माध्यम से उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं व कार्यक्रमों का तात्पर्य हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों, ऊन उत्पादकों व रेशम कृषक के रोजगार सृजन व आय में बढ़ोत्तरी सहित विकास से है जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हैं जो महिलाओं, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं में दक्षता उन्नयन, विपणन, प्रदर्शनी व प्रचार, विपणन विकास सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्रों/शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना; डिजायन उन्नयन; कार्यशैड की स्थापना तथा कार्यशैड व आवास योजना में प्रशिक्षण शामिल हैं, साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना भी शामिल है जो देश में कुल कामगार जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत है। हाल ही में एक नयी योजना, जो कि अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है, आरंभ की गयी है जिसका उद्देश्य देश के उन हस्तशिल्प समूहों का, लाभार्थियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण कर निरंतर विकास करना है जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग बहुलता में हैं।

इसी प्रकार से हथकरघा क्षेत्र में, निर्यात योग्य उत्पादों का विकास व उनके विपणन. कार्यशैड व आवास; सामूहिक बीमा; ऋण निधि योजना; स्वास्थ्य पैकेज योजना; प्रचार व प्रदर्शनियां तथा अनुसंधान व विकास परियोजनाओं जैसी योजनाएं हैं जिसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को कवर किया गया है। वर्ष 2000-2001 में आरंभ हुई दीन दयाल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केन्द्र राज्य सरकार अनुदान का अनुपात 75:25 का है (अन्य मामलों के 50:50 की तुलना में), यदि कार्यान्वयन अभिकरण में 100 प्रतिशत लाभार्थी सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं अथवा अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं।

देश में ऊन व ऊनी व ऊनी वस्त्र विकास कार्यक्रम, प्रमुख रूप से 'एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना' तथा 'दि अंगोरा ऊन विकास परियोजना' है जिसका संचालन केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, उनमें भी भेड़ पालक व कृषक जनसंख्या, जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा देश के दूरवर्ती शुष्क प्रदेशों, अर्द्ध शुष्क प्रदेशों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों सहित समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को कवर किया जाता है।

तदनुसार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित उत्प्रेरक विकास योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय प्रतिशत मात्रा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला वर्ग को कवर किया जा रहा है जिसका संचालन केन्द्रीय रेशम

बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा जिनमें छोटे व हाशिये पर रह रहे उन किसानों तथा घरेलू व लघुत्तम उद्यमियों को लाभ दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐरी, मूगा व तसर रेशम के विकास तथा इन रेशम किस्मों के रीलिंग व स्पिनिंग के प्रौद्योगिकीय सुधार के लिए योजनाओं को विशेष रूप से जनजातीय जनसंख्या के लिए निर्दिष्ट किया गया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

3109. **श्री रामशकल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय कोष से उत्तर प्रदेश में कितने स्वयंसेवी संगठन सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ऐसे संगठन के लिए कितना अनुदान जारी किया गया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष 2001-02 (दिनांक 18.3.03 तक) के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों की संख्या विवरण में है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान (18.3.2002 तक) उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों की संख्या तथा उन्हें निर्मुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे

योजना — वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

क्रम सं०	संगठन का नाम	पता	परियोजना	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आदर्श जनता शिक्षा समिति	गांव और डाकघर — पिंडी, कर्चना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम	2.76
2.	आर्य कन्या विद्यालय समिति	धाता रोड, सिराथु, कौसाम्बी, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम	4.14
3.	दलित मानव उत्थान समिति	गांव — बराहवेली खालसा, डाकघर — अलीपुरजिला, कौसाम्बी, इलाहाबाद	1 वृद्धाश्रम	4.13
4.	गायत्री देवी शिक्षा समिति	गांव — राम का पुरा, डाकखाना — पिंडी, तहसील-कर्चना, इलाहाबाद	1 वृद्धाश्रम	2.76
5.	ग्राम विकास शिक्षा समिति	192, ऊंचामंडी, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.98
6.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान	82 बी/4, रसूलाबाद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2 दिवा देखभाल केन्द्र	3.9
7.	ग्राम विकास सेवा संस्थान	28-बी/4ए/1, अल्लापुर, इलाहाबाद-6, उत्तर प्रदेश फोन नं० 500005	1 दिवा देखभाल केन्द्र	1.95
8.	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी	53, बहादुरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम	1.38
9.	जन सेवा संस्थान	गांव और डाकखाना — कौछियारा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.98
10.	लोक सेवा मंडल	82, बलरामपुर हाऊस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.98
11.	महिला विकास एवं बाल विकास शिक्षा समिति	उत्तर टोला, बैंकी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	2.92
12.	निबर्ल समाज कल्याण संस्थान	202ए/39, जवाहर नगर (हाथी पार्क के पास), लखनऊ-18	1 वृद्धाश्रम	5.44
13.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	गांव और डाकखाना — घारकुइयन, हैदरगढ़, बाराबंकी	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.49

1	2	3	4	5
14.	आदर्श कल्याण सेवा समिति	54/2, जोशियापुरा, बहराइच, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	2.93
15.	गुरूकुल विद्यापीठ पुष्पावती	पूथ, डाकखाना — बहादुरगढ़, जिला — गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम	4.34
16.	श्री कंचनलाल सगुण सेवा संस्थान	1325 वाई ब्लॉक, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम	2.76
17.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान	आजाद विला डालीगंज, लखनऊ-20	2 दिवा देखभाल केन्द्र	1.96
18.	समाज सेवा संस्थान	414/238, सराय माली खांन, चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	1.95
19.	शाहिल मेमोरियल सोसाइटी	ई-1698, रजनीपुरम, लखनऊ	3 वृद्धाश्रम और 1 दिवा देखभाल केन्द्र	8.29 व 1.95
20.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान	जे-2/3, पांडेय का तालाब, आइसबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	2.92
21.	वोमेन वेल्फेयर और कल्चरल इन्स्टीट्यूट	मसालाची टोला, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	3.9
22.	सार्वजनिक शिक्षा समिति		1 वृद्धाश्रम	2.54
23.	आल इंडिया वोमेन कांफोरेन्स, नई दिल्ली	6 भगवान दास रोड, नई दिल्ली-1	1 वृद्धाश्रम	1.18
24.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षण समिति	देवकली, अपोजिट ओल्ड प्लानिंग आफिस, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम और 1 दिवा देखभाल केन्द्र	3.50 व 1.95
25.	गंगा प्रसाद सामरक महिला कल्याण संस्थान	बस स्टेशन रोड, सुभाष नगर, कुण्डा प्रतापगढ़	1 वृद्धाश्रम और 1 दिवा देखभाल केन्द्र	4.13 व 2.94
26.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम विकास समिति	गांव और डाकखाना-पोटवई, जिला — रामपुर, उत्तर प्रदेश, फोन नं० 676721	1 वृद्धाश्रम और 1 दिवा देखभाल केन्द्र	4.15 व 1.95
27.	जन विकास संस्थान	इटोजा (पश्चिम)स, पूरबगांव-गौरीगंज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	1.95
28.	माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सारसर संस्थान	गांव और डाकखाना — सरेसार, ब्लॉक — जगदीशपुर, जिला — सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.97
29.	ग्राम जन कल्याण संस्थान	ख्यात नगर, सबरी नटवान रोड, मिर्जापुर-231001	1 वृद्धाश्रम	1.09
30.	न्यू पबलिक स्कूल समिति	504/21-डी, कृष्ण भवन, टैगोर मार्ग, डालीगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश	1 वृद्धाश्रम और 2 दिवा देखभाल केन्द्र	2.76 व 3.90
31.	ग्रामोत्थान सेवा समिति,	बी-12 ट्रांसपोर्ट नगर, इलाहाबाद	1 दिवा देखभाल केन्द्र	0.98
	(क)	कुल वृद्धाश्रम	18 वृद्धाश्रम	55.34
	(ख)	कुल दिवा देखभाल केन्द्र	23 दिवा देखभाल केन्द्र	42.45
	(ग)	कुल (क + ख)	41 वृद्धाश्रम तथा दिवा देखभाल केन्द्र	97.79

संक्षेपन : ओ०ए०एच० — वृद्धाश्रम

डी०सी०सी० — दिवा देखभाल केन्द्र

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

3110. श्री विष्णुदेव साय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उपबंध लागू हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किये गये और प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन मामलों में कितने व्यक्ति दोषी नहीं पाये गये; और

(घ) किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दोष लोगों को फंसाने से रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

(ख) और (ग) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत आरोपपत्र दाखिल, दोषसिद्ध तथा दोषमुक्त मामलों की संख्या संबंधी ब्यौरे क्रमशः विवरण-I, II, III और IV में संलग्न है।

(घ) अधिनियम के प्रावधान संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करते हैं कि प्रावधानों का दुरूपयोग न हो।

विवरण-I

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	540	721	2,711
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	1,407	1,258	568
5.	छत्तीसगढ़	—	—	873
6.	गोवा	2	1	1
7.	गुजरात	2,138	1,846	1,699
8.	हरियाणा	32	28	54
9.	हिमाचल प्रदेश	15	13	10
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	—	—	26
12.	कर्नाटक	1,279	1,239	1,254
13.	केरल	716	उपलब्ध नहीं	529
14.	मध्य प्रदेश	4,138	3990	4,122
15.	महाराष्ट्र	1,069	927	793
16.	मणिपुर	2	उपलब्ध नहीं	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	1,332	1,449	1,354
21.	पंजाब	17	19	34
22.	राजस्थान	6,858	6,838	6,679
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	897	1,011	996
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	—	—	112
27.	उत्तर प्रदेश	7,095	6,917	8,462
28.	पश्चिम बंगाल	15	9	14
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	1
30.	चंडीगढ़	0	0	1
31.	दादर और नगर हवेली	1	1	1
32.	दमन और दीव	0	1	1
33.	दिल्ली	7	14	15
34.	लक्षद्वीप	0	0	1
35.	पांडिचेरी	1	2	4
	कुल	27,561	26,285	30,315

विवरण-II

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत न्यायालयों में आरोपपत्र दाखिल मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	195	518	1,429
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	1,065	880	288
5.	छत्तीसगढ़	—	—	761
6.	गोवा	1	1	1
7.	गुजरात	1,998	1,643	1,261
8.	हरियाणा	22	17	27
9.	हिमाचल प्रदेश	3	5	11
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	—	—	1
12.	कर्नाटक	554	1,020	884
13.	केरल	482	उपलब्ध नहीं	322
14.	मध्य प्रदेश	3,669	3,642	3,516
15.	महाराष्ट्र	929	927	700
16.	मणिपुर	0	उपलब्ध नहीं	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	506	911	1,118
21.	पंजाब	6	13	14
22.	राजस्थान	2,915	3,921	3,057
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	521	700	505
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	—	—	90
27.	उत्तर प्रदेश	5,443	5,464	5,609
28.	पश्चिम बंगाल	19	17	0
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	1	1	1
32.	दमन और दीव	0	1	0
33.	दिल्ली	6	5	10
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	1	2
	कुल	18,335	19,587	19,608

विवरण-III

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दोषसिद्धि में समाप्त मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	5	30
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	7	7	7
5.	छत्तीसगढ़	—	—	67
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	9	201	0
8.	हरियाणा	1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	—	—	उपलब्ध नहीं
12.	कर्नाटक	0	6	6
13.	केरल	12	उपलब्ध नहीं	5
14.	मध्य प्रदेश	851	617	239
15.	महाराष्ट्र	23	15	22

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	0	उपलब्ध नहीं	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	4	6	9
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	240	236	293
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	19	37	27
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	—	—	7
27.	उत्तर प्रदेश	509	353	526
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	1,677	1,545	1,214

विवरण-IV

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दोषमुक्ति में समाप्त मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	2016	947
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	2	0
4.	बिहार	370	477	935
5.	छत्तीसगढ़	—	—	37
6.	गोवा	1	0	1
7.	गुजरात	1,074	166	0
8.	हरियाणा	12	14	12
9.	हिमाचल प्रदेश	23	3	9
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	—	—	उपलब्ध नहीं
12.	कर्नाटक	601	477	504
13.	केरल	216	उपलब्ध नहीं	158
14.	मध्य प्रदेश	2,889	2,571	1,043
15.	महाराष्ट्र	416	240	827
16.	मणिपुर	0	उपलब्ध नहीं	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	37	192	242
21.	पंजाब	0	1	1
22.	राजस्थान	1,600	2,359	2,109
23.	सिक्किम	1	0	1
24.	तमिलनाडु	173	517	165
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	—	—	392
27.	उत्तर प्रदेश	21,920	2,280	2,599
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	1
33.	दिल्ली	0	3	12
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	29,334	11,319	9,006

[अनुवाद]

पंजाब पर ऋण

3111. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार पंजाब राज्य द्वारा केन्द्र सरकार को कितना ऋण और ब्याज राशि दी जानी थी; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पंजाब राज्य से ऋण और ब्याज के रूप में केन्द्र सरकार की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 31.3.2001 को यथाविद्यमान स्थितिनुसार वित्त मंत्रालय के प्रति पंजाब सरकार के बकाया ऋणों की राशि 12,463.84 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.3.2001 को यथाविद्यमान स्थितिनुसार बकाया ब्याज की राशि शून्य है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय के प्रति पंजाब सरकार द्वारा देय तथा अदा किए गए तथा बकाया ऋण और ब्याज राशि का विवरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मूल	ब्याज
1998-99	1244.62	1500.46
1999-00	1094.75	1687.89
2000-01	594.88	1176.10

पुनर्लाभ परियोजना

3112. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में गुजरात की संशोधित पुनर्लाभ परियोजना लंबित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहायता के लिए इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त भाग "क" में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में गिरावट

3113. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से सितम्बर, 2001 की अवधि के दौरान भारत के वस्त्र आयात ने एक आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है जबकि वस्त्र निर्यात में बहुत गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) अप्रैल-सितंबर, 2001 की अवधि के दौरान वस्त्रों के निर्यात और आयात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	अप्रैल-सितंबर 2000	अप्रैल-सितंबर, 2001	2001-2002 की तुलना में 2001-2002 में प्रतिशत कमी/वृद्धि
वस्त्र निर्यात	6237.1	5346.5	-14.3%
वस्त्र आयात	666.7	813.6	22.0%

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस०, कोलकाता।

वस्त्र के निर्यात में गिरावट आने के मुख्य कारण हैं — अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारी सहभागियों की अर्थव्यवस्था में सामान्य कमी आना। चीन, बांग्ला देश जैसे देशों से प्रतियोगिता का बढ़ना तथा वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की कमी के कारण उच्च उत्पादन लागत, कम उत्पादकता।

यद्यपि वस्त्रों के आयात ने वृद्धि दर्शाई है, आयात की गई कुल मात्रा उल्लेखनीय नहीं है। यह हमारी घरेलू खपत के 1% से भी कम है।

उदारीकरण के वातावरण में आयात, समय-समय पर लागू निर्यात-आयात नीति के अध्यधीन बाजार प्रतिबंधों द्वारा संचालित होते हैं। उदारीकृत व्यापार नीति के परिणामस्वरूप वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी जिससे निर्यात के व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही घरेलू बाजार आयात के प्रतिघात से समक्ष आएगा। उद्योग को उभरती विश्व व्यापी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए अपनी कार्यक्षमता और उत्पादकता को बढ़ाना होगा।

(ग) परिवर्तनशील विश्व व्यापी परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं :—

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधान के बुनन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही इसने वर्ष 2002-2003 के बजट में निटिड क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत सहायता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया गया है।

(3) टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

(5) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(6) वर्ष 2002-2003 के बजट में घोषित राजकोषीय नीति परक उपायों से मशीनों की लागत कम करना।

(7) निचले स्तर तक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए०टी०डी०सी०), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम चला रहे हैं।

अनाथालय

3114. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने अनाथालय कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार इन अनाथालयों द्वारा अपनाये जाने वाले गोद लेने संबंधी मानदंडों की औपचारिकताओं पर कड़ी निगरानी रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) अंतर देशीय दत्तकग्रहण के लिए इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 73 भारतीय स्थापन एजेंसियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण पर है।

(ख) और (ग) जी, हां। सभी राज्य सरकारों से दत्तकग्रहण सलाहकार समितियों का गठन करने तथा राज्यों में दत्तकग्रहण कार्यकलापों को मानिटर करने को कहा गया है।

विवरण

दिनांक 31.12.2001 तक की स्थिति के अनुसार एजेंसियों की राज्यवार सूची

आन्ध्र प्रदेश	2
दिल्ली	8
गोवा	2
गुजरात	4
हरियाणा	1
कर्नाटक	9
केरल	-
महाराष्ट्र	23
उड़ीसा	2
पांडिचेरी	2
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	4
कुल	73

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

3115. **श्री अमर राय प्रधान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय/उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों के सेवा अवधि के दौरान मृत अधिकारियों के वर्ष-वार/कार्यालय-वार नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) किन कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्रदान किए गए हैं;

(ग) किन कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अभी तक अनुकम्पा के आधार पर रोजगार नहीं प्रदान किया गया है; और

(घ) मृत अधिकारियों के इन पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर कब तक रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) वर्ष 1999, 2000 और 2001 में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के वर्ष-वार/कार्यालय-वार नाम और पदनाम; जिन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दी गयी है और जिन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकी तथा इसके कारणों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	नाम और पदनाम	कार्यालय	वर्ष	क्या आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी प्रदान की गयी	आश्रित को नौकरी न दिए जाने की अभ्युक्ति/कारण
1	2	3	4	5	6
1.	आशीष कुमार गोयल, कनिष्ठ लिपिक	भा०अ०सं०प्र० एवं अनु० सं०, उदयपुर (एस० एंड आर० प्रभाग)	1999	हां	
2.	सतपाल सिंह यादव, तकनीकी अधिकारी	भा०अ०सं०प्र० एवं अनु० सं०, उदयपुर (एस० एंड आर० प्रभाग)	1999	हां	
3.	बिसरा कुजुर, कनिष्ठ लेखाकार सह-स्टोर कीपर	अन्य सुरक्षा अभियान, पटना (एस० एंड आर० प्रभाग)	1999	नहीं	योजना आयोग और व्यय सुधार आयोग ने एस० एंड आर० प्रभाग को बंद करने की सिफारिश की है और इसलिए कोई (अनुकम्पा आधार अथवा अन्य) नियुक्ति नहीं की जा सकी।
4.	बाबू सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	शर्करा निदेशालय	1999	नहीं	5% अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कोटा के अंतर्गत कोई स्थान रिक्त नहीं।
5.	जी०पी० चड्ढा, सहायक	उपभोक्ता मामले विभाग	1999	हां	
6.	प्रदीप कुमार, स्टाफ कार ड्राइवर	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	1999	हां	
7.	रामाश्रय प्रसाद सिंह, प्रयोगशाला सहायक	आई०आई०एल०एम०, रांची	1999	—	मामला प्रक्रियाधीन
8.	एम०एस० सहरावत, चपरासी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2000	नहीं	5% अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कोटा के अंतर्गत कोई स्थान रिक्त नहीं।
9.	आर०पी०एस० तोमर, सहायक निदेशक	भा०अ०सं०प्र० एवं अनु० सं०, उदयपुर (एस० एंड आर० प्रभाग)	2000	नहीं	योजना आयोग और व्यय सुधार आयोग ने एस० एंड आर० प्रभाग को बंद करने की सिफारिश की है और इसलिए कोई (अनुकम्पा आधार अथवा अन्य) नियुक्ति नहीं की जा सकी।

1	2	3	4	5	6
10.	फकीर चंद, प्रयोगशाला सहायक	भा०अ०सं०प्र० एवं अनु० सं०, उदयपुर (एस० एंड आर० प्रभाग)	2000		
11.	पी०के० जेना, चौकीदार	अन्न सुरक्षा अभियान, कोलकाता (एस० एंड आर० प्रभाग)	2000		
12.	जी०आर० गायकधाड़, तकनीकी प्रचालक	अन्न सुरक्षा अभियान, पुणे (एस० एंड आर० प्रभाग)	2000		
13.	बी० राधाकृष्णन, तकनीकी अधिकारी	अन्न सुरक्षा अभियान, पुणे (एस० एंड आर० प्रभाग)	2000		
14.	कृष्ण कांत, उच्च श्रेणी लिपिक	वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय	2000	नहीं	5% अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कोटा के अंतर्गत कोई स्थान रिक्त नहीं।
15.	आर०आर० मौंढीकर, प्रयोगशाला सहायक	राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर	2000	हां	
16.	एस०आर० सिंह, सुरक्षा निरीक्षक	राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर	2000	हां	
17.	राम लाल श्रीवास्तव, पुस्तकालय परिचर	राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर	2000	हां	
18.	मोहम्मद हनीफ खान, पैकर	उपभोक्ता मामले विभाग	2000	हां	
19.	राम निवास, उच्च श्रेणी लिपिक	उपभोक्ता मामले विभाग	2000	हां	
20.	ए०के० मंडल, अवर सचिव	उपभोक्ता मामले विभाग	2000	नहीं	आश्रित की नौकरी हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
21.	मुन्ना लाल, चपरासी	उपभोक्ता मामले विभाग	2000	हां	
22.	एस०एस० टिक्कू, कनिष्ठ अनुसंधान सहायक	एफ०एम०सी०, मुम्बई	2000	—	आश्रित पहले से ही एफ०एम०सी०, मुम्बई में कार्यरत हैं।
23.	वी०एल० मोजे, चपरासी	एफ०एम०सी०, मुम्बई	2000	हां	
24.	जिले सिंह, दफ्तरी	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2001	नहीं	5% अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कोटा के अंतर्गत कोई स्थान रिक्त नहीं।
25.	निर्मल कुमार, जीप ड्राइवर	अन्न सुरक्षा अभियान, पटना (एस० एंड आर० प्रभाग)	2001	नहीं	योजना आयोग और व्यय सुधार आयोग ने एस० एंड आर० प्रभाग को बंद करने की सिफारिश की है और इसलिए कोई (अनुकम्पा आधार अथवा अन्य) नियुक्ति नहीं की जा सकी।

1	2	3	4	5	6
26.	हरपाल सिंह, सहायक निदेशक	अन्न सुरक्षा अभियान, नई दिल्ली (एस० एंड आर० प्रभाग)	2001		
27.	भास्कर राव, ड्राइवर	अन्न सुरक्षा अभियान, नई दिल्ली (एस० एंड आर० प्रभाग)	2001		
28.	शिव चरण, उच्च श्रेणी लिपिक	शर्करा निदेशालय	2001	नहीं	5% अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कोटा के अंतर्गत स्थान रिक्त नहीं
29.	श्रीमती ओमवती, सहायक	वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय	2001	नहीं	आश्रित की नौकरी हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।
30.	देवी दीन, सफाईवाला	राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर	2001	हां	
31.	शांति प्रसाद, चपरासी	उपभोक्ता मामले विभाग	2001	—	अनुकम्पा आधार पर नौकरी हेतु परिवार का कोई सदस्य पात्र नहीं है।
32.	मोहम्मद युसुफ अल्लारखा, ड्राइवर	आर०आर०एस०एल०, अहमदाबाद	2001	—	मामला प्रक्रियाधीन

भा०अ०सं०प्र० एवं अनु०सं० — भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान

आर०आर०एस०एल० — क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला

सी०आर०बी० म्यूचुअल फंड घोटाला

3116. **श्रीमती कांति सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **वित्त मंत्री** सी०आर०बी० म्यूचुअल फंड घोटाला के बारे में 7.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2916 और 24.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) संबंधित अभिकरणों से सूचना प्रतीक्षित है और इसी वजह से विलंब हुआ। इन अभिकरणों को अपेक्षित सूचना के त्वरित प्रेषण के लिए स्मरण दिलाया गया है।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के लिए तृतीय पक्ष के प्रशासक

3117. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आर०डी०ए० ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के लिए तृतीय पक्ष के प्रशासक के लिए कठोर मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में व्यवसाय आरंभ करने के लिए मानदंडों की घोषणा करने के पश्चात आई०आर०डी०ए० द्वारा कितने आवेदन प्राप्त किये गये और कितने आवेदनों को स्वीकृत प्रदान की गयी;

(घ) क्या आई०आर०डी०ए० का विचार निकट भविष्य में मानदंडों में ढील देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई०आर०डी०ए०) ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के लिए तृतीय पक्षीय प्रशासकों (टी०पी०ए०) के संबंध में मानदंड निर्धारित किए हैं जो दिनांक 17 सितम्बर, 2001 को अधिसूचित किए गए आई० आर० डी०ए० (तीसरा पक्षीय प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 में निर्दिष्ट किए गए हैं। इन विनियमों में, अन्य बातों के अलावा लाइसेंसिंग, लाइसेंस के नवीकरण और रद्द किए जाने, आचार-संहिता और शेयर पूंजी इत्यादि से संबंधित शर्तें निर्धारित की गई हैं।

(ग) प्राधिकरण को अब तक स्वास्थ्य बीमा में तीसरा पक्षीय प्रशासक के रूप में पंजीकरण हेतु 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 14 आवेदनों के संबंध में "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन दिया है।

(घ) और (ङ) प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निकट भविष्य में टी०पी०ए० संबंधी मानदंडों में ढील देने की उनकी कोई योजना नहीं है।

(च) ये मानदण्ड टी०पी०ए० द्वारा बीमा कंपनियों के साथ निष्पादित की जाने वाली शर्तों के अनुसार उनके दायित्वों का निर्वहन करने में टी०पी०ए० की शोध-क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

दूध पाउडर का आयात

3118. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध पाउडर का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किये गये आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आयातों के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुग्ध पाउडर के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

मात्रा : टन
मूल्य : करोड़ रुपए

1998-99		1999-2000		2000-2001	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1860	12.24	17302	103.45	733	5.88

(ग) भारत द्वारा वर्ष 1991 से आयातों पर लगे प्रतिबंधों की क्रमिक समाप्ति हेतु एक सुसंगत नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कुछेक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों पर लगे आयात प्रतिबंधों को भी समाप्त किया गया है। तथापि, सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचे। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने दुग्ध पाउडर पर शुल्क की मौजूदा 0% निर्धारित दर को बढ़ाकर 60% करने के लिए सफलतापूर्वक पुनर्वार्ता की है जिसमें गैट के अनुच्छेद xxviii के तहत इन उत्पादों की 10,000 मी०टन की मात्रा की अनुमति 15% की रियायती शुल्क दर प्रदान करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

अस्पतालों का निर्माण

3119. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औलटपुर (उड़ीसा) में एन०आई०आर०टी०ए०आर० के कार्यालय और अस्पताल के भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने का अनुमान है;

(ग) क्या एन०आई०आर०टी०ए०आर० अस्पताल, औलटपुर में शल्य-चिकित्सा किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचारण तथा निर्णयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किये जाने का अनुमान है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) औलटपुर (उड़ीसा) में "निरतार" स्थित 100 बिस्तर वाले अस्पताल के भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। भवन के आरेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसके पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से आगे कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

(ग) और (घ) चलन संबंधी विकलांगता के लिए सुधारात्मक शल्य चिकित्सा पहले ही "निरतार" में की जा रही है।

सूती वस्त्र मिलों को 'नाबार्ड' से ऋण

3120. **श्री ए० कृष्णास्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (नाबार्ड) ने वस्त्र मिलों को रियायती ऋण उपलब्ध कराना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस ऋण सुविधा को पुनः आरंभ करने के लिए भारतीय सूती मिल परिसंघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) चमड़ा मिलों को ऋण प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान नहीं करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ऋण-सुविधाओं को फिर से शुरू किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमांत व्यापार के लिए मानदंड

3121. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी बाजार के सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार सीमांत व्यापार संबंधी मानदंडों को उदार बनाने

और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) को मजबूत करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक – सेबी तकनीकी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11 मई, 2001 के पूर्व परिपत्र में पूंजी बाजार में बैंकों के लिए निर्दिष्ट एक्स्पोजर की 5% की समग्र उच्चतम सीमा के अन्तर्गत शेयर दलालों को मार्जिन कारोबार के लिए प्रायोगिक आधार पर वित्तपोषण करने की अनुमति बैंकों को देने का निर्णय किया गया था। तद्नुसार बैंक को यह सुझाव दिया गया कि वे कतिपय दिशानिर्देशों के अधीन एन०एस०ई० निफ्टी तथा बी०एस०ई० सेंसेक्स में शामिल सक्रिय कारोबार वाली स्क्रिपों में मार्जिन कारोबार के लिए दलालों को वित्त प्रदान कर सकते हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे उधार पर न्यूनतम मार्जिन, मार्जिन तथा निधि के अंत-प्रयोग का अनुवीक्षण, कुछ शेयर दलालों के पास ऐसे बैंक ऋण के संक्रेंदण के विरुद्ध सुरक्षोपाय, तुलनपत्र में इस संबंध में किए गए कुल निधिपोषण का प्रकटीकरण शामिल है। इन दिशानिर्देशों की नवम्बर, 2001 में पुन: समीक्षा की गई तथा योजना को जारी रखने का निर्णय किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति जून, 2002 में दिशानिर्देशों की पुन: समीक्षा करेगी।

चीनी का उत्पादन तथा आपूर्ति

3122. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए चीनी का उत्पादन तथा आपूर्ति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के चीनी कारखाने सरकारी क्षेत्र की मिलों तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी कम्पनियों की तुलना में अधिक बेहतर ढंग से कार्य निष्पादन कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का चीनी के उत्पादन तथा बिक्री में देश के सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की सहायता करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तीसरी दुनिया के विकासशील देशों ने भारत से चीनी की आपूर्ति के मद्देनजर केन्द्र सरकार से दरयाफ्त किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक ऐसे देशों को निर्यातित चीनी का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) वर्तमान चीनी मौसम के दौरान 7.2.2002 को स्थिति के अनुसार चीनी के उत्पादन तथा प्रेषणों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार चीनी फैक्ट्रियों के कार्य-निष्पादन के आंकड़े नहीं रखती है और इसलिए निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों के कार्य-निष्पादन के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) चीनी उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार ने चीनी को चरणबद्ध तरीके से विनियत्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बिना किसी मात्रात्मक सीमा के चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का भी निर्णय किया है। आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन, विस्तार तथा गन्ना विकास संबंधी कार्यों के लिए चीनी फैक्ट्रियों को चीनी विकास निधि से सुगम शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। जहां तक चीनी की बिक्री का संबंध है, इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। चीनी फैक्ट्रियां अपनी चीनी की बिक्री अथवा विपणन के लिए अपनी व्यवस्था करने या अपनी प्रणाली तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) और (च) चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) ने तहत अनुमत है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (अक्तूबर, 2001 तक) के दौरान निर्यात की गई चीनी का ब्यौरा विवरण-II तथा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण- I

वर्तमान चीनी मौसम 2001-2002 के दौरान (7.2.2002 को स्थिति के अनुसार चीनी के राज्यवार उत्पादन और प्रेषणों को दर्शाने वाला विवरण

अनंतिम

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	उत्पादन	प्रेषण
1	2	3
पंजाब	3.37	1.51
हरियाणा	2.90	1.70
राजस्थान	0.02	0.02
उत्तरांचल	2.38	1.25
उत्तर प्रदेश	25.93	13.10
मध्य प्रदेश	0.64	0.30
गुजरात	6.68	3.17
महाराष्ट्र	38.57	19.57
बिहार	1.65	0.91
असम	0.00	0.00
उड़ीसा	0.13	0.13
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00

1	2	3
नागालैंड	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	6.01	3.35
कर्नाटक	9.27	4.71
तमिलनाडु	5.49	5.67
पांडिचेरी	0.04	0.07
केरल	0.04	0.02
गोवा	0.07	0.03
अखिल भारत	103.19	55.51

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान चीनी के देशवार निर्यात और उसका मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	मात्रा मी० टन में (अ)	मूल्य करोड़ रुपये में (अ)
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	2530	3.08
2.	आस्ट्रेलिया	128	0.19
3.	बंगलादेश	42139	49.90
4.	बेल्जियम	121	0.18
5.	भूटान	110	0.16
6.	कनाडा	535	1.12
7.	इथियोपिया	201	0.30
8.	जर्मन गणराज्य	1003	0.93
9.	ग्रीक	1321	2.25
10.	इंडोनेशिया	9450	10.91
11.	इरान	567	0.73
12.	इटली	126	0.30
13.	मलेशिया	8397	8.38
14.	मालदीव	534	0.70
15.	नेपाल	3847	5.57
16.	नीदरलैंड	1620	1.97
17.	पाकिस्तान	196266	258.56
18.	फिलीपिन्स	12000	13.97
19.	पुर्तगाल	444	0.63
20.	सऊदी अरब	172	0.32
21.	सिंगापुर	630	2.88
22.	श्रीलंका	26350	33.93
23.	संयुक्त अरब एमिरात	12570	15.81
24.	यू०के०	449	0.84
25.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1302	3.10
26.	यमन गणराज्य	7418	9.42
27.	अन्य देश	954	1.61
	जोड़	331184	427.74

(अ) : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत — वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी० सी०आई० एंड एस०) कोलकाता

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान (अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 तक) चीनी के देशवार निर्यात और उसका मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	मात्रा मी० टन में (अ)	मूल्य करोड़ रुपये में (अ)
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	7947	9.13
2.	आस्ट्रेलिया	152	0.25
3.	बंगलादेश	158180	179.70
4.	भूटान	901	1.00
5.	कनाडा	828	1.19
6.	चीन तैइपी	2720	3.19
7.	चीन गणराज्य	38951	43.16
8.	जिबुती	3201	3.64
9.	इजिप्ट ए०आर०पी०	520	0.59

1	2	3	4
10.	जर्मन गणराज्य	554	0.73
11.	हांगकांग	483	0.56
12.	इंडोनेशिया	239401	281.95
13.	इरान	6991	8.01
14.	इराक	13000	14.87
15.	केन्या	540	0.62
16.	कुवैत	263	0.50
17.	मकाव	240	0.27
18.	मलेशिया	78108	94.52
19.	मालदीव	3621	4.33
20.	नेपाल	3037	3.44
21.	पाकिस्तान	162852	195.94
22.	पुर्तगाल	10540	16.04
23.	कतर	119	0.20
24.	रूस	480	0.60
25.	सऊदी अरब	2431	3.02
26.	सिंगापुर	28210	34.60
27.	सोमालिया	10209	14.54
28.	दक्षिण अफ्रीका	330	0.39
29.	श्रीलंका	140027	168.61
30.	सुडान	74184	88.82
31.	तंजानिया गणराज्य	538	0.62
32.	तुर्कमेनिस्तान	240	0.29
33.	संयुक्त अबर एमिरात	21574	25.45
34.	यू०के०	1623	1.88
35.	सयुंक्त राज्य अमेरिका	778	1.19
36.	वियतनाम सोश०रिप०	12727	14.79
37.	यमन गणराज्य	15301	16.76
38.	अन्य देश	392	0.75
	जोड़	1042193	1236.14

(अ) : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत – वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी० सी०आई० एंड एस०) कोलकाता

जन शिकायतों का त्वरित निदान

3123. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आयकर विभाग ने जन-शिकायतों का त्वरित निदान करने के अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या समस्त करदाताओं के हितार्थ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पूरे देश में ऐसे अनुदेशों को जारी करने का विचार रखता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां, दिल्ली में आयकर विभाग ने ऐसी याचिकाओं की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर शिकायत याचिकाओं का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त शिकायतों के निपटान की निगरानी करते हैं और अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करते हैं यदि वे जानबूझ कर मामलों को अटकाने का प्रयास करते हैं।

(घ) और (ङ) सम्पूर्ण देश में लागू केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए नागरिक मांगपत्र में इस विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निहित हैं। इन दिशा निर्देशों में शिकायतों का 30 दिन के भीतर निपटान किए जाने का प्रावधान है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्तों पर दबाव डालता है और इस क्षेत्र में उनके निष्पादन को मॉनिटर करता है।

कच्चे पाम तेल का आयात

3124. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया से कच्चा पाम तेल आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इण्डोनेशिया से आयातित कच्चे पाम तेल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू तेल उद्योग के संरक्षार्थ आवश्यक न्यूनतम मात्रा में ही खाद्य तेल का आयात करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इंडोनेशिया से आयातित क्रूड पाम तेल के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	मात्रा टन में
1998-1999	350
1999-2000	64093
2000-2001	644509
2001-2002 (सितम्बर, 01 तक)	401172

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस०, कोलकाता

(ग) तिलहनों और अंततः खाद्य तेलों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय/प्रयास निम्नानुसार हैं :–

(प) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 395 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए 25 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(i) बेहतर उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए मई, 1986 में तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था।

(ii) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयास तेज करना।

(iii) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी अपारम्परिक तिलहनों की खेती के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्ष और वन मूल के बीजों, चावल की भूसी का उपयोग करना।

(v) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना।

(vi) पाम तेल विकास के लिए सहायता।

(vii) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(viii) वनस्पति के उत्पादन में मासिक आधार पर उत्पादन के कम से कम 25% में स्वदेशी तेलों के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा वनस्पति के उत्पादन में एक्सपैलर सरसों के तेल को 30% तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य देकर प्रोत्साहन देना है।

(ix) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में तालमेल बैठने और यथासंभव सीमा तक खाद्य तेल के अत्यधिक आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेल संबंधी शुल्क ढांचे को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

संचालन-मूल्य

3125. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं० एफ 354/81/2000 टी०आर०यू० के अनुसार संचालन-मूल्य पर निर्गमित भेषजिक नुस्खों के संदर्भ में, वर्ष 2000-2002 के दौरान केन्द्र सरकार को कितनी राजस्व राशि की हानि हुई;

(ख) क्या सरकार को भारतीय औषधि विनिर्माता संघ (आई०डी०एम०ए०) की ओर से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि भैषजिक नुस्खों पर उत्पादन शुल्क का आकलन उनके संचालन-मूल्य को आधार लेकर व्यय किये जाने की जगह, अनुसीमा सहित उनके अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भैषजिक नुस्खों पर उत्पाद-शुल्क, उनके संचालन मूल्य की जगह उनके अधिकतम खुदरा मूल्य पर लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान फार्मास्यूटिकल उत्पादों से प्राप्त उत्पाद शुल्क की राशि वर्ष 2000-2001 और वर्ष 1999-2000 के दौरान की गई वसूली से अधिक होने की संभावना है। अतः कोई राजस्व हानि नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चीनी का निर्यात

3126. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देशवार कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर चीनी का निर्यात किया गया; और

(ख) चीनी उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन की दृष्टि से केन्द्र सरकार क्या योजनाएं/कार्यक्रम तैयार कर रही है और इस प्रयोजनार्थ 2002-2003 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एंड एस०), कोलकाता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (अक्तूबर 2001 तक) के दौरान चीनी का निर्यात निम्नवत रहा है :–

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	मात्रा टन में	मूल्य करोड़ रुपये में
1.	2000-2001	3,31,184 (अ)	427.74 (अ)
2.	2001-2002 (अक्तूबर, 2001 तक)	10,42,193 (अ)	1236.14 (अ)

(अ) = अनंतिम

निर्यात की गई चीनी की मात्रा तथा इसके मूल्य का देशवार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) सरकार ने 01 मई, 2002 से लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी के अनुपात को 15 : 85 से बदलकर 10 : 90 कर दिया है।

(ii) सरकार 1.1.2000 से खुली बिक्री की चीनी की त्रैमासिक निर्मुक्तियां कर रही है तथा चीनी मिलों को एक तिमाही विशेष के भीतर उनमें त्रैमासिक कोटे के अतिरिक्त उसकी 10% मात्रा बेचने तथा अतिरिक्त कोटे की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल किसानों के गन्ने के मूल्य की देय धनराशि की अदायगी के लिए करने की अनुमति दी गई है।

(iii) अभी तक केवल मिल व्हाइअ शुगर का निर्यात किया जा रहा था। यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान निर्यात-आयात नीति के तहत चीनी मिलें/निर्यातक मिल व्हाइट शुगर के अलावा कच्ची चीनी का निर्यात भी कर सकते हैं।

(iv) 1.4.2001 से चीनी का निर्यात बिना किसी मात्रात्मक सीमा के किये जाने की अनुमति है।

(v) सरकार चीनी मिलों को संयंत्र व मशीनरी के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण तथा गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान चीनी के देशवार निर्यात और उसका मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	मात्रा मी० टन में (अ)	मूल्य करोड़ रुपये में (अ)
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	2530	3.08
2.	आस्ट्रेलिया	128	0.19
3.	बंगलादेश	42139	49.90
4.	बेल्जियम	121	0.18
5.	भूटान	110	0.16
6.	कनाडा	535	1.12
7.	इथियोपिया	201	0.30
8.	जर्मन गणराज्य	1003	0.93
9.	ग्रीक	1321	2.25
10.	इंडोनेशिया	9450	10.91
11.	इरान	567	0.73
12.	इटली	126	0.30
13.	मलेशिया	8397	8.38
14.	मालदीव	534	0.70
15.	नेपाल	3847	5.57
16.	नीदरलैंड	1620	1.97
17.	पाकिस्तान	196266	258.56
18.	फिलीपिन्स	12000	13.97
19.	पुर्तगाल	444	0.63
20.	सऊदी अरब	172	0.32
21.	सिंगापुर	630	2.88
22.	श्रीलंका	26350	33.93
23.	संयुक्त अरब एमिरात	12570	15.81
24.	यू०के०	449	0.84
25.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1302	3.10
26.	यमन गणराज्य	7418	9.42
27.	अन्य देश	954	1.61
	जोड़	331184	427.74

(अ) : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत — वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी० सी०आई० एंड एस०) कोलकाता

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान (अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 तक) चीनी के देशवार निर्यात और उसका मूल्य बताने वाला विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	मात्रा मी० टन में (अ)	मूल्य करोड़ रुपये में (अ)
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	7947	9.13
2.	आस्ट्रेलिया	152	0.25
3.	बंगलादेश	158180	179.70
4.	भूटान	901	1.00
5.	कनाडा	828	1.19
6.	चीन तेइपी	2720	3.19
7.	चीन गणराज्य	38951	43.16
8.	जिबुती	3201	3.64
9.	इजिप्ट ए०आर०पी०	520	0.59
10.	जर्मन गणराज्य	554	0.73
11.	हांगकांग	483	0.56
12.	इंडोनेशिया	239401	281.95
13.	इरान	6991	8.01
14.	इराक	13000	14.87
15.	केन्या	540	0.62
16.	कुवैत	263	0.50
17.	मकाव	240	0.27
18.	मलेशिया	78108	94.52
19.	मालदीव	3621	4.33
20.	नेपाल	3037	3.44
21.	पाकिस्तान	162852	195.94
22.	पुर्तगाल	10540	16.04
23.	कतर	119	0.20
24.	रूस	480	0.60
25.	सऊदी अरब	2431	3.02
26.	सिंगापुर	28210	34.60
27.	सोमालिया	10209	14.54
28.	दक्षिण अफ्रीका	330	0.39
29.	श्रीलंका	140027	168.61
30.	सुडान	74184	88.82
31.	तंजानिया गणराज्य	538	0.62
32.	तुर्कमेनिस्तान	240	0.29
33.	संयुक्त अबर एमिरात	21574	25.45
34.	यू०के०	1623	1.88
35.	सयुंक्त राज्य अमेरिका	778	1.19
36.	वियतनाम सोश०रिप०	12727	14.79
37.	यमन गणराज्य	15301	16.76
38.	अन्य देश	392	0.75
	जोड़	1042193	1236.14

(अ) : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत — वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी० सी०आई० एंड एस०) कोलकाता

वरिष्ठ नागरिकों के आयकर-रिटर्न

3127. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को ऐसे स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के आयकर के स्रोत पर ही कटौती कर ली जाए;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ नागरिकों के बैंक-खाते होते हुए भी, सरकार द्वारा उन पर अनिवार्य रूप से रिटर्न भरने की बाध्यता लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों की वृद्ध आयु के मद्देनजर सरकार यह अनुदेश देना चाहेगी कि करदाता कोटि में न आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आयकर कानूनों के अन्तर्गत "वेतन" शीर्ष जिसमें पेंशन भी शामिल है, के अंतर्गत कर प्रभार्य आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति भुगतान के समय कर-कानूनों/नियमों के अनुसार यथा-ग्राह्य ऐसी छूटों और रियायतों को देने के पश्चात वित्त वर्ष जिसमें भुगतान किया जाता है, में लागू दरों के आधार पर

संगणित आयकर की औसत दर पर संदेय धनराशि पर स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा। इसके अलावा, आयकर कानूनों के अनुसार प्रत्येक नागरिक जिसकी करयोग्य आय है अथवा छः आर्थिक मानदण्डों में से एक के अन्तर्गत आता है (इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या उसकी आय कराधेय है अथवा नहीं), को आयकर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती है। स्रोत पर कर की कटौती मात्र एक कर वसूली की प्रक्रिया है और कर विवरणियों को दायर करने का एक विकल्प नहीं है।

(ग) और (घ) वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आय कर योग्य नहीं होती है और छः में से एक आर्थिक मानदण्डों के अंतर्गत नहीं आते हैं, को आयकर विवरणियां दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है।

भण्डारण गृहों को स्थापित किया जाना

3128. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी०डब्ल्यू०सी०) का विदेशों में भी भण्डारण-गृह स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी०डब्ल्यू०सी० किन-किन देशों में भण्डारण-गृह स्थापित करने का विचार रखता है; और

(ग) इन भण्डारण-गृहों द्वारा क्या-क्या कार्य किए जाएंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डारण निगम को विदेशों में भांडागार स्थापित करने की अनुमति देने हेतु हाल ही में भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन किया गया है। केन्द्रीय भण्डारण निगम प्रबंधन ने अभी तक विदेशों में भांडागारों के स्थल और उनके प्रचालनों के बारे में निर्णय नहीं लिया है।

आई०एफ०सी०आई० द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का उल्लंघन

3129. **श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने व्यक्ति विशेष तथा कम्पनी-समूह के सार्वजनिक प्रदर्शन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के घोर उल्लंघन के सम्बन्ध में आई०एफ०सी०आई० से स्पष्टीकरण मांगा है – जैसा कि 19 दिसम्बर, 2001 के 'इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में "आई०एफ०सी०आई० चार्ज्ड विद वायलेटिंग आर०बी०आई० ज इक्सपोज़र नामर्स – एफ०आई० सेज़ दैट करेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बिच कुड नीड थ्री फोर डेज़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई०एफ० सी०आई० ने कुछ मामलों में एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण किया था, सरकार ने आई०एफ०सी०आई० से इस अतिक्रमण के कारणों एवं परिस्थितियों के बारे में पूछ-ताछ की थी। आई०एफ०सी०आई० ने सूचित किया है कि संस्वीकृति के समय कुछ मामलों में एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया गया था किन्तु अतिक्रमण निवल मूल्य/पूंजीगत निधि में कमी तथा अधिमान शेयर को छोड़कर निधियों के अभिकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गनिर्देशों में संशोधन जैसे उत्तरवर्ती घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप हुआ था। निर्माण अवधि के दौरान केवल ब्याज को पूरा करने के लिए मानदंडों के उल्लंघन किए बिना क्रियान्वयन के तहत परियोजना सहित कतिपय मामलों में उधारकर्त्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहायता दी गई थी तथा कुछ अपवादिक मामलों में मुख्य रूप से इस परियोजना के पूरे होने को सुनिश्चित करने के लिए जो क्रियान्वयन के प्रगत स्तर तक पहुंच गया था, के लिए नए ऋण संवितरण पर विचार किया गया था।

मशीनी पुर्जों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन

3130. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम) ने हाल ही में किए एक अध्ययन में इस बात को सामने रखा है कि यदि घरेलू क्षेत्र के मशीनी पुर्जा-विनिर्माताओं के लिए नीति-निर्माताओं द्वारा यथेष्ट प्रोत्साहनकारी-उपाय नहीं किये जाते तो चीन और ताइवान के विनिर्माण-क्षेत्र की ओर से उनके हितों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है;

(ख) क्या इस अध्ययन ने सरकार को इस दिशा में प्रेरित किया है कि वह कम्प्यूटर अंकिक-नियंत्रण मशीन के पुर्जों, प्लास्टिक प्रसंस्करणकारी मशीनों, मुद्रण मशीनों, धात्वीय निर्माण-उपकरणों तथा सिलाई मशीनों इत्यादि के विनिर्माताओं को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार करे ताकि वे इस क्षेत्र में प्रमुखता से उभर रहे अन्य देशों के विनिर्माताओं के साथ भलीभांति प्रतिस्पर्धा कर सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने "एक्जिम" की अध्ययन – रिपोर्ट का परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से क्या कदम उठाये गये हैं जिससे वह गुणवत्तायुक्त मशीनी पुर्जों का विनिर्माण कर अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में उत्तर सके?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम) ने हाल ही में किये सेक्टोरल अध्ययन में बताया है कि यद्यपि, भारतीय बिल्ट स्टैंड एन०सी०/सी०एन०सी० मशीन टूलों को चीन और ताइवान के निर्माताओं से तत्काल कोई भय नहीं है, लेकिन, फिरभी, इन निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा अंततः भारतीय निर्माताओं के सामने चुनौती दे सकती है।

(ख) से (घ) सरकार विश्वस्तरीय अर्थ व्यवस्था द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है तथा जैसाकि वित्त मंत्री ने अपने हाल के अर्थात् 2002-03 के बजट भाषण में दोहराया है कि विश्व स्तर पर मशीन टूल क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने सहित घरेलू उद्योग को स्थापित करने के लिए टैरिफ/टैक्स रेजीम को शामिल करते हुए वृहत् आर्थिक सुधार हेतु एक दीर्घावधिक रोड मैप बनाया गया है।

रिक्त पद

3131. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 तथा 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, उनके मंत्रालय/विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-वार कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हैं तथा ये किस-किस तिथि से रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[हिन्दी]

पदों को आरक्षण मुक्त करना

3132. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36012/88-स्था० (एस०सी०टी०) जिसमें 1 अप्रैल, 1989 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को आरक्षण मुक्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया था-के बावजूद उक्त वर्गों के लिए आरक्षित अनेक पदों को आरक्षण मुक्त करके उन्हें अन्य वर्गों के प्रत्याशियों की निर्मुक्ति द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, संवैधानिक संस्थानों तथा अन्य सभी कार्यालयों में ऐसे कितने मामले है जिनमें 1989 से लेकर अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को आरक्षण मुक्त करके उन पर अन्य वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में पदों को आरक्षण मुक्त करते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोई पद अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को प्याज के निर्यात की अनुमति

3133. श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार सहित राज्य सरकारों की ओर से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि उन राज्यों से प्याज का निर्यात करने के लिए राज्य अभिकरणों को अनुमति प्रदान की जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के प्याज-उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने उक्त अनुरोध पर सकारात्मक दृष्टि से विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां, तथापि बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) सरकार प्याज के निर्यात के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न सरणीयन अभिकरण नियुक्त करती है। इन अभिकरणों की नियुक्ति उनके आवदेनों के आधार पर की जाती है जिसमें संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसा सहित अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

गोदामों का निर्माण

3134. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2000-2001 में गोदामों के निर्माण हेतु आबंटित संपूर्ण धनराशि को जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध का विवरण क्या हैं;

(ग) क्या इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस अनुरोध पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा गठित स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''गोदामों का निर्माण'' के अधीन देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान 18000 टन कुल क्षमता के 36 गोदामों का निर्माण करने के लिए 360.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। चूंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका।

किसानों को ऋण

3135. श्री जे०एस० बराड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को व्यापारिक तथा औद्योगिक ऋण प्रदाय के मामले में कृषि भूमि तथा ग्रामीणों के भूखंडों को समप्राश्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार न करने के अनुदेश जारी किये गये हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में स्थित संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने पर कोई पाबंदी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पाबंदी लगाने के क्या कारण हैं और इसका क्या प्रयोजन है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश की आबादी में किसानों और कृषिकार्य-उपजीवियों की संख्या ही सर्वाधिक है और यदि हां, तो उनके प्रति पक्षपात बरतने के क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय सहायता तथा ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों तथा कृषिकार्य-उपजीवी व्यक्तियों के पास क्या निदान अथवा सुविधा उपलब्ध है ताकि वे भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके व स्व-रोजगार इत्यादि का लाभ उठा सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आटा मिलों को गेहूं की बिक्री

3136. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात हेतु आटा मिलों को 20 लाख टन गेहूं बेचने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार आटा मिलों को इसमें से कितना गेहूं बेचा गया है;

(ग) क्या आटा मिलों को बेचने के लिए लक्षित गेहूं की इस मात्रा का बहुत छोटा हिस्सा ही अब तक जारी किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा रखी गई बहुत अधिक लागत ने इस बिक्री में एक अवरोध का कार्य किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथा इस योजना के तहत गेहूं का मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 14 दिसम्बर, 2001 को प्राधिकृत किया है कि वह वर्ष 2001-02 के दौरान गेहूं उत्पादों के निर्यात के प्रयोजनार्थ रोलर फ्लोर मिलों आदि को केन्द्रीय पूल से 20 लाख टन गेहूं की पेशकश करे।

(ख) और (ग) गेहूं उत्पादों के निर्यात के प्रयोजनार्थ अब तक रोलर फ्लोर मिलों आदि को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 11,500 टन गेहूं की मात्रा रिलीज की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-बैंकिंग कंपनियों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3137. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिये गये ऋण को जो गैर-निष्पादनकारी आस्तियों बन चुकी हैं, को परिभाषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 6 महीनों से अधिक बकाया सभी ऋण गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बन जाते हैं;

(ग) क्या इस नियम का वर्तमान में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों वाले सभी ऋण की प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में विनियामक तंत्र को मजबूत बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि कोई भी मियादी ऋण जो छः माह से अधिक पुराना हो गया हो, अनुपयोज्य आस्ति बन जाता है। ऐसे मांग/शीघ्रावधि मांग ऋण, जो मांग/शीघ्र मांग की तारीख से छः माह से अधिक समय तक अदत्त पड़े हों, अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, शुद्ध अनुपयोज्य आस्तियां (सकल अनुपयोज्य आस्तियों से किए गये प्रावधान घटाकर) कुल आस्तियों का 4.11 प्रतिशत थीं।

(ङ) व्यापक विनियामक ढांचा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य सुदृढ़ एवं स्वस्थ तरीके से चलें, विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, शुद्ध लाभ का न्यूनतम 20% आरक्षित निधि में अंतरण और भारतीय रिजर्व बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्त्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न चूकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत जारी निर्देशों के उल्लघन के लिए विभिन्न कार्रवाइयां करता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की रैंटिंग

3138. **श्री जी० पुट्टास्वामी गोडा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों की क्रेडिट रेटिंग को हाल में अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा कम करके आंका गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बड़ी मात्रा में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों की रेटिंग को कम करके आंकने का मुख्य कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मद्य निषेध के कारण घाटा

3139. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मद्य निषेध लागू किए जाने के कारण हुए घाटे के लिए मुआवजे की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा वास्तव में की गई मांग और दावा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मद्य निषेध नीति के कारण कर राजस्व में कमी के बदले में सहायता के लिए गुजरात सरकार क्रमिक वित्त आयोगों से अभ्यावेदन करती रही है। ग्यारहवें वित्त आयोग (ई०एफ०सी०) से इसके अभ्यावेदन में यह कहा गया था कि पूरे देश में गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जो वित्तीय निहितार्थों से निरपेक्ष पूर्ण मद्य निषेध लागू करना जारी रखे हुए है। राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 1997-98 के लिए गुजरात का कुल राजस्व घाटा 854 करोड़ रुपए आकलित किया गया था। गुजरात सरकार ने ई०एफ०सी० को यह अभ्यावेदन दिया था कि मद्य निषेध लागू करने के राज्य सरकार के प्रयासों को मान्यता दिया जाना आवश्यक है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्य की जरूरतों और संसाधनों के समग्र आकलन और क्षैतिज और उर्ध्वाधर साम्यता (इक्विटी) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य को (गुजरात समेत) उनके द्वारा मद्य निषेध नीति लागू करने के कारण हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए किसी विशिष्ट राहत की कोई सिफारिश नहीं की है। राज्यों को केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों के अंतरण और सहायता अनुदान की प्रमात्रा के संबंध में भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

पॉलिटिकल रिस्क फंड

3140. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए 'पॉलिटिकल रिस्क फंड' बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी निवेशकों के विश्वास को पुन: हासिल करने और घरेलू निवेशकों में व्याप्त ढीलेपन को दूर करने के लिए क्या नये कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों तथा नीतियों की घोषणा की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार के लिए राज्यों को धनराशि

3141. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों में रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु राज्यों को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने राज्यों ने अब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं और उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार हेतु इस धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राज्य स्तरीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन/पुनर्संरचना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अपने संबद्ध राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों की सफाई/बन्दी/समापन कार्य शुरू करने के लिए राज्यों को कोई विनिर्दिष्ट निधि चिन्हित नहीं की गई है। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को मध्यम आवधिक वित्तीय सुधार कार्यक्रमों (एम०टी०एफ०आर०पी०) को अपनाने पर प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों की वित्तीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) नाम से एक योजना तैयार की गई है। सरकारी क्षेत्र की पुनर्संरचना एम०टी०एफ०आर०पी० का एक सुधारक घटक है। एकल मानीटरेबल राजकोषीय संकेतक के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन निधि में से निधियां जारी की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आकार घटाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/पृथक्करण भुगतान, आदि अन्य बातों के साथ-साथ संरचनात्मक समायोजन भार के चलते आवश्यक होता है तो राज्य को बाजार से ऋण जुटाने की अनुमति दी जा सकती है।

वर्ष 2001-02 के दौरान, "नागालैंड चीनी मिल कम्पनी" को बंद करने और उसके कर्मचारियों के वी०आर०एस० पैकेज को वित्तपोषित करने हेतु नागालैंड सरकार को बाजार से 26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई थी।

अनाथ बच्चों को शिक्षा

3142. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कोई योजना प्रायोजित की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस उद्देश्य के लिये प्रत्येक राज्य को दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न योनजाएं कार्यान्वित कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनाथों सहित बेसहारा बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है।

(ख) "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिकि संगठनों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता					
		1998-99		1999-2000		2000-01	
		गैर सर०सं० की संख्या	राशि	गैर सर०सं० की संख्या	राशि	गैर सर०सं० की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10	50.81	18	103.75	7	29.62
2.	असम	1	5.58	2	5.71	2	15.87
3.	बिहार	2	1.99	1	1.83	2	3.89
4.	गुजरात	10	55.74	14	91.41	11	76.06
5.	गोवा	0	00	0	00	1	3.30
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1	2.16	1	7.75	1	5.37

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कर्नाटक	1	7.19	4	12.37	3	27.85
8.	केरल	2	6.56	2	14.00	4	8.29
9.	मध्य प्रदेश	2	6.70	3	7.77	2	4.13
10.	महाराष्ट्र	10	47.36	20	53.17	16	106.62
11.	मणिपुर	1	3.53	1	8.06	1	11.60
12.	मिजोरम	0	00	1	1.79	1	1.06
13.	उड़ीसा	2	5.10	1	7.93	5	14.30
14.	पंजाब	1	7.05	2	8.55	1	6.38
15.	राजस्थान	2	14.78	6	25.67	6	17.68
16.	तमिलनाडु	9	66.55	12	83.46	11	66.80
17.	त्रिपुरा	0	00	1	0.50	0	0
18.	उत्तर प्रदेश	8	35.62	9	74.28	10	74.40
19.	पश्चिम बंगाल	24	147.95	26	195.62	24	167.52
20.	चंडीगढ़	1	1.85	1	8.59	1	9.00
21.	दिल्ली	9	48.66	9	71.66	8	76.26
	कुल	96	515.18	134	783.87	117	726.00

[हिन्दी]

सीमेंट उत्पादन में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

3143. श्री रामपाल सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को ऐसी प्रौद्योगिकी दी है जिससे सीमेंट उत्पादन में ऊर्जा की बचत होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) जी हां, भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, जापान की एक सहायक कंपनी, न्यू एनर्जी एंड इण्डस्ट्रीयल टेकनोलॉजी डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (एन०ई०डी०ओ०) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अन्तर्गत सीमेंट संयंत्र में व्यर्थ जा रही ताप ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जापान से प्रौद्योगिकी का आयात किया जायेगा। आयातित प्रौद्योगिकी से सीमेंट संयंत्र में व्यर्थ जा रही 40% ताप ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने तथा उसका प्रभावी रूप से उपयोग करने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषणों का मुद्रण

3144. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार का डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर 36 खंड मुद्रित और प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डा० अम्बेडकर के जीवन पर कितने खंड अब तक मुद्रित किये गये हैं;

(ग) डा० अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा गुजरात सरकार को अब तक कितनी धनराशि जारी की जानी बाकी है; और

(घ) केन्द्र सरकार/डा० अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा बाकी धनराशि/अनुदान के कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) डा० अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने डा० बाबा साहेब अम्बेडकर लेखों और भाषणों के संग्रह का अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद तथा प्रकाशन के लिए गुजरात सरकार से अनुरोध किया है। इसमें से 17 खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं तथा अभी तक इस प्रयोजन के लिए 43.52 लाख रु० निर्मुक्ति किए गए हैं। अतिरिक्त राशि की निर्मुक्ति पहले ही निर्मुक्त राशि के उपयोग पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रमिकों को काम पर लगाना

3145. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रमिकों को काम पर लगाये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1976 में जारी की गई केन्द्रीय अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो अधिसूचना किस तिथि को रद्द की गई और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश रद्द कर दिये जाने के बाद सरकार द्वारा क्या नई नीति बनाई गयी है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) केन्द्रीय सरकार ने अपनी अधिसूचना एस०ओ० संख्या 779(ई), दिनांक 9.12.1976 के द्वारा झाड़ू लगाने, सफाई करने, धूल झाड़ने तथा प्रमुख स्थानों पर स्थित संस्थानों के स्वामित्व/अधिवास वाले भवनों की पहरेदारी के काम में संविदा श्रमिकों को रोजगार देने पर पाबन्दी लगा दी थी, सिर्फ बाहरी भागों की सफाई तथा बहुमंजिले भवनों से सम्बन्धित अन्य अनुरक्षण प्रचालन कार्यों, जिनके लिए विशेष अनुभव की जरूरत होती है, को इस निषेध से मुक्त रखा गया था।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के एक संविधान पीठ ने सेल बनाम नेशनल यूनियन ऑफ वाटरफ्रॉन्ट वर्कर्स तथा अन्य के मामले में दिनांक 30.8.2001 के अपने निर्णय में उक्त अधिसूचना को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह प्रथम दृष्टया रम संविदा (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के आधारभूत सिद्धान्त के विपरीत है।

(घ) यदि कोई विक्षुब्ध पक्ष सरकार से किसी संस्थान — विशेष के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का अनुरोध करता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

3146. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गेहूं के अतिरिक्त भंडार के बावजूद आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भेषज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3147. डा० अशोक पटेल :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सरकार ने भेषज क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय किस तिथि से लागू होगा; और

(घ) सरकार को इस क्षेत्र में अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) वर्तमान एफ०डी०आई० नीति के अनुसार औषध तथा भेषज क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि उक्त कार्यकलाप अनिवार्य लाइसेंसिंग अथवा रिकंबिनेंट डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी और विशिष्ट सेल/टिश्यू लक्षित फार्मुलेशन्स के प्रयोग को आकृष्ट नहीं करती हो। अनिवार्य लाइसेंसिंग अथवा रिकंबिनेंट डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी और विशिष्ट सेल/टिश्यू लक्षित फार्मुलेशन्स के प्रयोग वाले औषध तथा भेषज में भी पूर्व सरकारी अनुमोदन की शर्त पर 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

(ग) उपर्युक्त छूट 11 फरवरी, 2000 से लागू हुई है।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे, अर्थात् विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश, इक्विटी की प्रतिशतता, विनिर्माण/क्रियाकलाप की मदें तथा परियोजना का स्थापना स्थल, मासिक आधार पर एस०आई०ए० न्यूजलेटर में प्रकाशित किये जाते हैं जिन्हें संसद पुस्तकालय को भी परिचालित किया जाता है।

[अनुवाद]

हल्दिया पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड के लिये संकट से उबारने वाला पैकेज

3148. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई० और भारतीय स्टेट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों ने रुग्ण हाल्दिया पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड को संकट से उबारने वाले पैकेज का सुझाव देने हेतु समिति के गठन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को प्रर्वतकों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ऋण पोर्टफोलियो को नियंत्रित करके ब्याज को कम किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा कब तक विस्तृत योजना बनाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी योजनायें

3149. डा० बलिराम :
श्री रामशकल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता से सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितने कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का पूरी तरह उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितनी धनराशि का उपयोग नहीं हुआ और तत्संबंधी योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कल्याणकारी योजनाओं से कितनी वृद्ध महिलायें लाभान्वित हुई, तत्संबंधी योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी दो योजनाओं अर्थात् "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" तथा "वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों की सहायता" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं ओर पुरुषों सहित लाभान्वित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1125, 1500 तथा 1375 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान क्रमशः 58500, 58450 और 58450 है।

इसके अतिरिक्त, 1999-2000 के दौरान दिल्ली में एक हेल्प-लाइन के माध्यम से तथा अखिल भारतीय आधार पर आधार के माध्यम से लाभान्वितों की संख्या क्रमशः लगभग 37064 तथा 177497 है।

महिलाओं के लिए अलग से आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात 98-99, 99-2000 और 2000-01 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

योजना-1 वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश		राशि रु० लाख में			
क्रम सं०	संगठनों का नाम	परियोजना	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6
1.	आदर्श जनता शिक्षा समिति	1 ओएएच	0	4.61	2.76

1	2	3	4	5	6
2.	आर्य कन्या विद्यालय समिति	1 ओएएच	4.8	4.8	0
3.	दलित मानव उत्थान समिति	1 ओएएच	2.06	2.38	0
4.	गायत्री देवी शिक्षा समिति	1 ओएएच	4.13	2.41	2.76
5.	ग्राम विकास शिक्षा समिति	1 डीसीसी	0	2.54	1.96
6.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान	2 डीसीसी	2.11	4.95	1.94
7.	ग्राम विकास सेवा संस्थान	1 डीसीसी	0	1.76	0
8.	इन्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी	1 ओएएच	2.13	2.45	2.76
9.	जन सेवा संस्थान	1 डीसीसी	0	2.33	1.96
10.	लोक सेव मंडल	1 डीसीसी	0	2.54	1.96
11.	महिला विकास एवं बाल विकास समिति	1 डीसीसी	0	2.8	0
12.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान	1 ओएएच	0	0.88	0
13.	आदर्श कल्याण सेवा समिति	1 डीसीसी	1.57	2.74	0.98
14.	गुरूकुल विद्यापीठ पुष्पावती	1 ओएएच	0	2.3	0
15.	श्री कंचनलाल सगुण सेवा संस्थान	1 ओएएच	4.15	4.564	2.72
16.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान	2 डीसीसी	3.43	4.293	3.91
17.	समाज सेवा संस्थान	1 डीसीसी	1.16	1.96	0.98
18.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी	3 ओएएच और 1 डीसीसी	8.06	11.33	10.24
19.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान	1 डीसीसी	2.31	1.96	0.98
20.	वोमेन वेल्फेयर एण्ड कल्चरल इन्स्टीट्यूट	1 डीसीसी	1.35	0	1.35
21.	सार्वजनिक शिक्षा समिति	1 ओएएच	0	0.88	0
22.	आल इंडिया वोमेन कांफरेंस, नई दिल्ली	1 ओएएच	0	4.215	2.43
23.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	1 ओएएच और 1 डीसीसी	3.5	4.72	2.36
24.	गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान	1 ओएएच और 1 डीसीसी	0	1.6	0
25.	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम विकास समिति	1 ओएएच और 1 डीसीसी	0	2.33	3.33
26.	जन विकास संस्थान	1 डीसीसी	3.13	1.63	2.94
27.	माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सरसार संस्थान	1 डीसीसी	0.68		0
28.	न्यू पबलिक स्कूल समिति	1 ओएएच और 2 डीसीसी	0	10.29	8.06
		कुल	44.57	89.262	56.38

ओएएच – वृद्धाश्रम

डीसीसी – दिवा देखभाल केन्द्र

योजना-2. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता

उत्तर प्रदेश		राशि रु० लाख में			
क्रम सं०	संगठनों के नाम	परियोजना	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	कृषक विकास समिति, मोहाम्मदाबाद, जिला गाजीपुर	वृद्धाश्रम का निर्माण			
2.	माट्यार्स मेमोरियल ट्रस्ट, जिला बलिया	वृद्धाश्रम का निर्माण			
3.	वृद्ध सेवा संस्थान, जिला पिलीभीत	वृद्धाश्रम का निर्माण			
		कुल	24.49	27	0

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता

योजना-1 वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम

दिल्ली		राशि रु० लाख में			
क्रम सं०	संगठनों का नाम	परियोजना	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	एजवेल फाउण्डेशन, एम-4, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-24	1 हेल्प लाईन तथा आधार	0	9.59	28.55
2.	आशिर्वाद सीनियर सिटिजन्स काउन्सिल, 15 सूर्या निकेतन, दिल्ली-92	डीसीसी-1	1.57	1.56	1.96
3.	एसोसिऐशन ऑफ नेशनल ब्रदरहूड फॉर सोसल वर्क 21-22, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	एमएमयू-1	1.39	2.716	1.38
4.	हेल्पेज इण्डिया, सी-14, कुतुब इन्सटीट्युशनल एरिया, नई दिल्ली-16	एमएमयू-2	1.32	2.45	1.67
5.	हिन्द कुष्ट निवारण संघ 33-34 नार्थ एन्ड कम्प्लेक्स, आर०के० आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	एमएमयू-1	0.41	0	1.71
6.	सोसाईटी फॉर फ्रेन्डशिप एजुकेशन एंड डैवलपमैन्ट	डीसीसी-1	0.31	0	0
		कुल	5	16.316	35.27

योजना-2 वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों की सहायता

दिल्ली		राशि रु० लाख में			
क्रम सं०	संगठनों का नाम	परियोजना	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	आशीर्वाद सीनियर सिटिजन्स काउन्सिल 15, सूर्या निकेतन, आई०पी० एक्सटेन्शन-2, दिल्ली-92	वृद्धाश्रम का निर्माण	0	10	0

[अनुवाद]

गेहूं का सर्वेक्षण

3150. **श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान को भेजे जाने वाले गेहूं की विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए सहमत हो गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गेहूं संक्रामित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) अफगानी नागरिकों की स्थिति को सुधारने की हमारी वचनबद्धता के भाग के रूप में सरकार आंतरिक और बाह्य रूप से विस्थापित अफगानियों और अन्य जरूरतमंदों के लिए एक मिलियन टन गेहूं का प्रावधान करने सहित मानवीय सहायता की पेशकश करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के संपर्क में है और यथासंभव शीघ्र अफगानियों को गेहूं की मानवीय सहायता भेजने के लिए तौर-तरीके निकाल रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने संकेत दिया है कि वह वही गेहूं स्वीकार करेगा जो उसकी विनिर्दिष्टियों को पूरा करता हो।

चीनी का उत्पादन

3151. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार तीन मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उच्च स्तर उत्पादन के कारण चीनी मिलों के पास भंडार जमा हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो दिसम्बर, 2001 के अनुसार चीनी मिलों के पास राज्य-वार कितना भंडार जमा था;

(ङ) क्या ऐसे भारी भंडार के कारण चीनी मिलें काफी समस्याओं का सामना कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा चीनी मिलों की समस्याओं को हल करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नवत हैं :—

चीनी मौसम	चीनी का उत्पादन (लाख टन में)
1998-1999	154.52
1999-2000	181.93
2000-2001 (अनंतिम)	184.21

(ग) और (घ) पिछले तीन लगातार चीनी मौसमों के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण चीनी फैक्ट्रियों के पास रखे स्टाक में वृद्धि हुई है। 31 दिसम्बर, 2001 को स्थिति के अनुसार चीनी मिलों के पास रखे चीनी कि स्टाक का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) चीनी मिलों के पास रखे अधिक स्टाक की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से छूट दी गई है।

(ii) निर्यात के लिए रिलीज गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका समायोजन चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री की चीनी के स्टाक में 12 माह की अवधि के बाद किया जाता है। यह अवधि अब बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है।

(iii) वाणिज्यिक निर्यात के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट का लाभ, यदि चीनी फैक्ट्रियां उस चीनी मौसम विशेष के उत्पादन में से, जिसके लिए चीनी रिलीज की गई है, अपनी लेवी देयता को पूरा कर देने के कारण नहीं ले पाती हैं तो संबंधित चीनी फैक्ट्रियां अगले चीनी मौसम के अपने उत्पादन से इसका लाभ उठा सकती हैं।

(iv) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 5% की दर पर डी०ई०पी०बी० की अनुमति दी गई है।

(v) अभी तक केवल मिल व्हाइअ शुगर का निर्यात किया जा रहा था। यह स्पष्ट किया गया है कि मिल व्हाइट शुगर के अतिरिक्त चीनी मिलें/निर्यातक वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अधीन कच्ची चीनी का भी निर्यात कर सकते हैं।

(vi) सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए विधान बनाने का निर्णय किया है ताकि यह अन्य बातों के साथ-साथ चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी के निर्यात के लिए शिपमेंट पर चीनी फैक्ट्रियों को आन्तरिक ढुलाई तथा माल-भाड़े के खर्च की अदायगी के लिए कर सकें।

(vii) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्यात की गई चीनी की मात्रा के विनिर्माण में उपयोग किए गन्ने पर क्रय कर में छूट दें।

(viii) सरकार चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए खुले बाजार में चीनी की निर्मुक्तियां विवेकपूर्ण ढंग से कर रही है।

(ix) इसके अतिरिक्त, गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए तथा भंडारण की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त/ अग्रिम खुली बिक्री की चीनी के कोटे के लिए चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें एक तिमाही विशेष में उनके सामान्य कोटे के अतिरिक्त उनके त्रैमासिक कोटे की 10% तक और मात्रा बेचने की अनुमति दी है।

विवरण

2001-2002 मौसम में 31 दिसम्बर 2001 को समाप्त सप्ताह के लिए चीनी का राज्यवार इतिशेष स्टाक

(अनंतिम)
(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य	2001-2002
1.	पंजाब	433814
2.	हरियाणा	292791
3.	राजस्थान	8055
4.	उत्तरांचल	297164
5.	उत्तर प्रदेश	2325624
6.	मध्य प्रदेश	45252
7.	गुजरात	760615
8.	महाराष्ट्र	4589642
9.	बिहार	153769
10.	असम	1576
11.	आंध्र प्रदेश	680522
12.	कर्नाटक	967906
13.	तमिलनाडु	615833
14.	केरल	6862
15.	उड़ीसा	3857
16.	पश्चिम बंगाल	625
17.	पांडिचेरी	18839
18.	गोवा	8899
	अखिल भारत	11211645

स्वापक औषधियों का व्यापार

3152. **श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यूरोपीय संघ ने सुझाव दिया है कि भारत को देश में स्वापक औषधियों के व्यापार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

3153. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इटली ने काष्ठ उद्योग में कार्यरत भारतीय शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बंगलौर में एक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र का उद्देश्य भारतीय फर्नीचर एवं काष्ठ उद्योग के तकनींकी स्तर में सुधार लाना होगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम समझौता हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना से संबंधित कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्यान्वियन एजेंसी अर्थात पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने पर उपर्युक्त परियोजना शुरू कर दी जाएगी।

वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत निदेशक

3154. **श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कंपनियों की वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत निदेशकों की भूमिका से संबंधित विभिन्न समितियों की सिफारिशों और टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत निदेशक वित्तीय संस्थाओं के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को लार्सन एंड टूब्रो और ए०सी०सी० के मामलों में उनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कंपनियों के क्रियाकलापों की निगरानी में नामिति निदेशकों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं ने अपने नामिति निदेशकों को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

स्थायी संसदीय वित्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि समर्थित कंपनियों के बोर्ड में वित्तीय संस्थाओं के नामिति निदेशकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। स्थायी वित्त समिति ने भी यह सिफारिश की है कि कंपनी के क्रियाकलापों की निगरानी हेतु नामिति निदेशकों को दिए गए वित्तीय संस्थाओं के दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मोटे तौर पर नामिति निदेशक कंपनी बोर्डों के क्रियाकलापों में अंशदान देकर उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं।

(घ) और (ङ) एल० एंड टी० तथा ए०सी०सी० मामलों के संबंध में कुछेक संदर्भ प्राप्त हुए थे। इस मामले को वित्तीय संस्थाओं के साथ उठाया गया था।

[हिन्दी]

छिप्पीटोला स्थित एस०बी०आई० शाखा

3155. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 2002 के 'दैनिक जागरण' में "स्टेट बैंक, छिप्पीटोला में अचानक ताले लटके" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या बैंक को बंद करने का निर्णय उसे बंद करने से पहले नहीं लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो समय से ग्राहकों को सूचित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी घटनाएं अन्य बैंकों में भी घटित हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ग्राहकों को ऐसी घटनाओं से उत्पन्न मुश्किलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं अथवा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार छिप्पीटोला शाखा, आगरा बन्द नहीं हुई थी तथा यह 8.2.2002 को खुली रही थी परन्तु यह राज्य सरकार द्वारा राज्य चुनाव ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए आधे से अधिक कर्मचारियों के अभिनियोजन के कारण केवल छुटपुट सेवाएं दे सकी थी। उस दिन 20 ट्रमिनल्स तथा 6 नकदी काऊंटरों पर कार्य हुआ था और 1952 लेनदेन हुए थे।

(घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि स्टाफ के ऐसे अभिनियोजन के कारण आगरा में चार अन्य शाखाओं पर छुटपुट सेवाएं दी जा सकी थीं जिसमें राजा की मंडी आगरा सिटी, शू मार्केट तथा सदर बाजार, आगरा शामिल है।

(च) भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जहां बड़ी संख्या में बैंक के कार्मिकों की मांग की जाती है, बैंक इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अपनी मांग को कम से कम रखने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध कर सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक जनोपयोगी सेवाएं हैं तथा ऐसी बड़ी संख्या में मांग बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिकूल असर करेगी जिससे बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने वाली जनता को असुविधा होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सी०एम०डी०) की नियुक्ति

3156. श्री वाई०वी० राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो नियमित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सी० एम०डी०) की नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हे कि नियमित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सी०एम०डी०) की नियुक्ति नहीं किये जाने से इस अवधि के दौरान बैंकों के मुनाफों में भारी गिरावट आएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) इस समय विजया बैंक और सिंडिकेट बैंक में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद रिक्त हैं। सरकार को यह जानकारी है कि बैंक को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने योग्य बनाने के लिए नियमित अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है। नियमित अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और नियुक्तियां शीघ्र ही कर ली जाएंगी।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम की प्रतिपूर्ति

3157. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अंतर-मंत्रालयीय समूह ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जोखिम का प्रतिपूर्ति लाभ देने हेतु पृथक संगठन गठित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त संगठन के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) सरकार द्वारा गठित एक अन्त: मंत्रालयीन समूह ने देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन०ए०आई०एस०) कार्यान्वित करने के लिए एक अलग संगठन स्थापित करने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) इस समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, इस प्रयोजनार्थ एक अलग संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। लेकिन, इस बीच सरकारी क्षेत्र की मौजूदा साधारण बीमा कंपनियों द्वारा बढ़ावा दिए जाने हेतु कृषि बीमा के लिए एक नया निगम स्थापित किए जाने के संबंध में वर्ष 2002-03 के बजट-भाषण में एक घोषणा की गई। इस निगम की स्थापना के लिए उपाय शुरू किए गए हैं लेकिन कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

(घ) एन०ए०आई०एस० के अंतर्गत, अधिसूचित क्षेत्रों में अभिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं। यह योजना कर्जदार किसानों के लिए अनिवार्य है जबकि उन किसानों के लिए स्वैच्छिक है, जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है।

गेहूं का निर्यात

3158. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत वर्ष के दौरान गेहूं का निर्यात किया था और चालू वर्ष में भी अभी तक 15 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(घ) क्या सरकार देश के गोदामों में अतिरिक्त मात्रा में पड़े गेहूं के भंडार को देखते हुए गेहूं का निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उपाय शुरू किए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या कनाडा और अमरीका ने भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर आपत्ति उठाई है क्योंकि गेहूं का निर्यात इसके उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर किया जा रहा है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) 2000-01 और 2001-02 के दौरान (28.2.2002 तक) केन्द्रीय पूल से पेशकश किए गए स्टाक में से क्रमश: 16.24 लाख टन (लगभग) और 31.76 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों द्वारा निर्यात से लगभग 461.51 मिलियन अमरीकी डालर अर्जित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय पूल में गेहूं के अधिशेष स्टाक की दृष्टि में, अन्य कल्याण/आय सृजन योजनाओं के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर निर्यात करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियो/प्राइवेट पार्टियों को गेहूं की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

(च) और (छ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) केन्द्रीय पूल से निर्यात के प्रयोजनार्थ गेहूं की पेशकश की गई है;

(ii) निर्यातकों को अपनी इच्छा के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टाक उठाने की अनुमति दी गई है;

(iii) खाद्यान्नों के नियमित निर्यात से संबंधित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए शक्तिप्राप्त निर्यात संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है; और

(iv) स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात हेतु पेशकश किए गए मूल्य निर्धारित करने तथा उसके साथ स्टाक का उठान करने के लिए एक अतिरिक्त माह का समय देने और संबंधित तिमाही शुरू होने से पूर्व इन मूल्यों की घोषणा 45 दिन अग्रिम में करने का निर्णय किया है।

(ज) और (झ) केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात के संबंध में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ द्विपक्षीय प्रश्न उठाए हैं, जिनका सरकार द्वारा उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया है।

आटा-चक्की मिलों को आपूर्ति किए गए गेहूं का निर्गम मूल्य

3159. श्री दिलीप संघाणी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जोन में आटा-चक्की मिलों को आपूर्ति किए गए गेहूं का निर्गम मूल्य उत्तरी जोन के निर्गम मूल्य से बहुत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिक निर्गम मूल्य के कारण गेहूं निर्मित उत्पादों के मूल्यों में भी भारी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से आटा-चक्की के लिए गेहूं के निर्गम मूल्य को घटाने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अनुरोध को मान लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) जी, हां। खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन विभिन्न अंचलों के लिए निर्धारित दरें नीचे दी गई हैं :—

अंचल	दर प्रति क्विंटल
उत्तर	650/- रुपये*
दक्षिण	720/- रुपये
पश्चिम	695/- रुपये
पूर्व/उत्तर पूर्व	705/- रुपये

* ये दरें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए लागू हैं।

* इन्हें 5.12.2001 से बिहार और झारखंड के लिए भी लागू कर दिया गया था।

ये दरें प्रत्येक अंचल में गेहूं की आर्थिक लागत के आधार पर निर्धारित की गई थी जिसमें रखरखाव लागत कर घटक और ढुलाई प्रभार आदि जैसे संगत घटक हिसाब में लिए जाते हैं।

(घ) से (च) नवम्बर, 2001 में गुजरात रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से उत्तरी अंचल की दर पर खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) का गेहूं रिलीज करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसी बीच उच्च स्तरीय समिति ने राज्यवार दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया और फरवरी और मार्च, 2002 के महीनों के लिए राज्यों के लिए अधिग्रहण लागत और औसत भाड़े को हिसाब में लेने के बाद राज्यवार खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू0) की दरें निर्धारित की गई हैं। राज्यवार दरें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

रुपये प्रति क्विंटल (रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का राज्य	चमकहीन गेहूं 2001-02	ठोस गेहूं
1	2	3	4
	उत्तरी जोन		
1.	दिल्ली	615	665
2.	चंडीगढ़	615	665
3.	पंजाब	615	665
4.	हरियाणा	615	665
5.	उत्तर प्रदेश	625	665
6.	उत्तरांचल	625	665
7.	राजस्थान	625	665
8.	हिमाचल प्रदेश	620	660
9.	जम्मू और कश्मीर	630	670
	दक्षिणी जोन		
10.	तमिलनाडु	685	725
11.	पांडिचेरी	685	725
12.	केरल	685	725
13.	आंध्र प्रदेश	680	720
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	690	730
15.	लक्षद्वीप	690	730
16.	कर्नाटक	680	720
	पूर्वी जोन		
17.	बिहार	640	680
18.	पश्चिम बंगाल	660	700
19.	सिक्किम	665	705
20.	उड़ीसा	665	705
21.	झारखण्ड	650	690

1	2	3	4
	उत्तर-पूर्वी जोन		
22.	असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य	675	715
	पश्चिमी जोन		
23.	महाराष्ट्र	655	695
24.	गोवा	660	700
25.	मध्य प्रदेश	630	670
26.	छत्तीसगढ़	650	690
27.	गुजरात	650	690
28.	दमन और द्वीव	650	690
29.	दादर और नगर हवेली	650	690

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियमन

3160. श्री के०पी० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और रज्यूड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनियों (आर०एन०बी०एफ०सी०) के पुनर्गठन और विनियमन हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन०बी०एफ०सी०) तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आर०एन०बी०सी०) का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय-III ख और अध्याय-V के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों के अनुक्रम में इसके द्वारा विनियमन तथा पर्यवेक्षण किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को निदेश जारी किया है। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एन०बी०एफ०सी० तथा आर०एन०बी०सी० से संबंधित विनियमों को समग्र युक्तियुक्तकरण के एक भाग के रूप में 1 जनवरी, 2002 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, निवल लाभ के कम से कम 20% का आरक्षित निधियों में अंतरण तथा एन०बी०एफ०सी० को निदेश जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करना शामिल है। विभिन्न चूकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए भ्रष्ट एन०बी०एफ०सी० के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करता है।

सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में ''वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000'' पेश किया है। इस बिल को माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने स्थायी वित्त समिति को भेज दिया है।

विश्व बैंक ऋण

3161. श्री अनंत नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने विश्व बैंक से ऋण लिया है;

(ख) क्या ऐसे कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने विश्व बैंक को अपनी किश्तों का भुगतान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की कुल धनराशि कितनी है और इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अभी कुल कितने ऋण की वसूली की जानी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक के ऋण का पुनः भुगतान करने हेतु इन संस्थाओं को ऋण प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन संस्थाओं से प्राप्त हुए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के छः बैंकों यथा इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं सिंडिकेट बैंक तथा दो वित्तीय कंपनियों यथा आई०डी०बी०आई० एवं आई०सी०आई०सी०आई० ने विश्व बैंक से ऋण लिया था। ये सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऋण किश्तों का भुगतान करते रहे हैं।

(घ) और (ङ) भुगतान देय होने पर इन बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा बची हुई किश्तों का भी भुगतान कर दिया जाएगा। वापसी अदायगी के लिए सरकार को उन्हें निधि प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

'फेरा' के लंबित मामले

3162. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 31 मई, 2002 तक 'फेरा' उल्लंघन के सभी लंबित मामलों के निपटान हेतु निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 के दौरान ऐसे कितने मामलों का निपटान किया गया और इन मामलों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान अभी तक इन मामलों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान (28-02-2002 तक) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेरा उल्लंघन के 7791 मामले निपटाए गए। इन मामलों में संलिप्त राशि की मात्रा की गणना न्याय निर्णयन कार्यवाहियां पूरी होने के पश्चात् ही की जा सकती है।

(ग) इन मामलों में वसूलियां न्याय निर्णयन कार्यवाहियां पूरी होने के बाद ही की जा सकती है।

[अनुवाद]

प्रिंटिंग प्रेसों का धोखाधड़ी पूर्ण आयात

3163. **श्री अधीर चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी०आर०आई०) ने विगत दिनों में प्रिंटिंग प्रेसों का धोखाधड़ी) पूर्ण आयात करने में लिप्त नई आयातकों के इस गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो गिरोह की कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) क्या विदेश व्यापार महानिदेशक ऐसी धोखाधड़ी पूर्ण आयातों को रोकने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले दो वर्षों में कई आयातकों द्वारा प्रिंटिंग प्रेसों के धोखाधड़ी पूर्ण आयात में शामिल किसी ऐसे गिरोह का पर्दाफाश नहीं किया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (फरवरी, 2002 तक) के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय ने प्रिंटिंग प्रेसों के गैरकानूनी आयात के 46 मामलों का पता लगाया है जिनमें आयात-निर्यात नीति का उल्लंघन, अर्थात् वास्तविक प्रयोक्ता शर्त का उल्लंघन करना एवं निर्धारित समय पूरा होने से पहले मशीनरी का पथान्तरण करना और मशीनरी के मूल्य/उपयोग की अवधि की गलत घोषणा करना शामिल है जिसके कारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों के तहत माल को जब्त किया जा सकता है और आयातक पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रिंटिंग प्रेसों सहित पुराने पूंजीगत माल के धोखाधड़ी पूर्व आयातों की जांच के लिए आयात-निर्यात नीति के तहत सुरक्षोपाय किए गए हैं।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को देश में प्रिंटिंग प्रेसों सहित माल के धोखाधड़ी पूर्ण आयातों की रोकथाम करने के लिए सचेत और चौकस कर दिया गया है।

स्रोत पर कर की कटौती (टी०डी०एस०) का प्रावधान

3164. **श्री पी०आर० किन्डिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से स्रोत पर कर की कटौती(टी०डी०एस०) से संबंधित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्रोत पर कर की कटौती (टी०डी०एस०) के जमा और संग्रहण को और सरल बनाने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कर कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर विभिन्न वर्गों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। कर प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है और आयकर कानूनों में संशोधन जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, प्रतिवर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से किए जाते हैं।

बैंक ऋणों को बट्टे खाते डालना

3165. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की समस्या की पुनरीक्षा करने हेतु 12 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इनमें किन-किन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई;

(ग) वर्ष 2000-01 और 2001-2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्पोरेटों के बट्टे खाते डाले गए ऋणों और अन्य देयताओं संबंधी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋणों को बट्टे खाते डालने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 12 नवम्बर, 2001 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के

मुख्य कार्यपालकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक हुई थी। इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ जानबूझकर चूक करने वालों के साथ सख्ती बरतने, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा चूककर्ताओं के बारे में सूचना का आदान प्रदान करने, जिनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं उनके नामों को प्रकाशित करने, ऋण वसूली अधिकरणों (डी०आर०टी०) को अधिक प्रभावशाली बनाने, अधिक मूल्य वाली एन०पी०ए० की वसूली के लिए अनुवर्तन, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना, 25,000/- रु० तक के ऋण के एन०पी०ए० के लिए एकबारगी निपटान योजना तथा एन०पी०ए० की वसूली के लिए लोक अदालत के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता सहित अनुपयोज्य आस्ति (एन०पी०ए०) मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि वर्ष 2000-01 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कंपनी ऋण के 1718.20 करोड़ रु० को बट्टे खाते डाल दिया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही वर्ष 2001-02 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होंगे।

(घ) बैंक अपने ऋण को वसूली के सभी संभव प्रयास असफल हो जाने तथा उनकी वसूली के लिए आगे कोई और सम्भावना नहीं रहने की स्थिति में ही बट्टे खाते डालता है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अधीन पूर्व दूत की गिरफ्तारी

3166. श्री अंबरीश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी देश के पूर्व राजदूत और उसकी पत्नी को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अधीन गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिरासत में लिए गए पूर्व राजदूत के पास कुल कितनी विदेशी मुद्रा पाई गई है;

(ग) दो महीनों (60 दिन) की निर्धारित अवधि के अंदर सरकार द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि पूर्व राजदूत प्राचीन भारतीय वस्तुओं का व्यापार भी कर रहा था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा प्राचीन वस्तुओं को बरामद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) नजरबन्द पूर्व-राजदूत और उनकी पत्नी के पास से बरामद कुल विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	मुद्रा	कुल मूल्य
1.	अमरीकी डॉलर	8,13,620
2.	संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम	95,000
3.	सऊदी रियाल	5,95,750
4.	कतार रियाल	5,500
5.	डच मार्क	8,000
6.	यू०के० के पाउण्ड	50
7.	कनाडा के डॉलर,	130

(ग) इस मामले में 60 दिनों के भीतर शिकायत दायर नहीं कराई जा सकी क्योंकि इस मामले में जांच-पड़ताल का काम उस समय तक पूरा नहीं हुआ था। फिर भी दिनांक 13.3.2002 को ए०सी०एम०एम०, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली, के सक्षम न्यायालय में शिकायत दायर करा दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों के निर्यात पर नियंत्रण को खत्म करना

3167. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिससे देश से गेहूं, गेहूं उत्पादों, मोटे अनाजों, मक्खन और गैर-बासमती चावल सहित कई कृषि उत्पादों से सभी प्रकार का नियंत्रण समाप्त हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 में इन मदों के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए-विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल राजसहायता प्रदान करने हेतु भी सूत्र तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) किसानों द्वारा इसका कितना स्वागत किया गया है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के निदेशों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। विदेश के व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 5.3.2002 की अधिसूचना सं० 49 (आर०ई०-2001) 1997-98 के द्वारा गेहूं, गेहूं उत्पादों, मोटे अनाज और मक्खन के निर्यातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों, गैर-बासमती चावल के निर्यातों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता और दालों के निर्यातों पर पैकेजिंग प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) यह अनुमान लगाना संभव नहीं होगा कि इन मदों का निर्यात वर्ष 2002-03 में किस सीमा तक बढ़ेगा क्योंकि निर्यात अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(घ) से (छ) एफ०सी०आई० के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के बड़े स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विपणन और परिवहन पर होने वाली कुछेक डब्ल्यू०टी०ओ० अनुमत लागतों की प्रतिपूर्ति करके गेहूं, गेहूं उत्पादों और चावल के निर्यातों को सुकर बनाने का निर्णय लिया गया है।

निःशक्तता अधिनियम (डिसैबिलिटी एक्ट)

3168. श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नि:शक्तता अधिनियम (डिसैबिलिटी एक्ट), 1995 पारित किये जाने के छ: वर्षों के बाद भी ग्यारह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी राज्य समन्वयन समिति (एस०सी०सी०) अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति को गठित किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश राज्यों में सिर्फ अंशकालिक राज्य आयुक्त नियुक्त किया है जबकि कुछ राज्यों में पद को नहीं भरा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) निशुल्क व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार केवल राज्यों में राज्य समन्वय समिति का गठन किया जाना अपेक्षित होता है। अभी तक 25 राज्यों ने ऐसी समितियों का गठन किया हैं।

(ख) से (घ) हालांकि सभी राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों के नियुक्ति करली है, नौ राज्यों ने ऐसी नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के रूप में भी ऐसी नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लिखा पढ़ी कर रहा है।

आय कर विभाग में पदों का सृजन

3169. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आय कर निर्धारितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि की दौरान आयकर आयुक्तों, अतिरिक्त आयकर आयुक्तों, संयुक्त आयकर आयुक्तों और आयकर अधिकारियों के पद से ऊपर के सृजित अथवा प्रोन्नयन किए गए पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इन पदों के सृजन/प्रोन्नयन किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कर संग्रहण और प्रशासनिक संबंधी व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पदों का भारी संख्या में सृजन/प्रोन्नयन उक्त अवधि के दौरान कर संग्रहण को न्यायोचित ठहराता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगणी एन० रामचन्द्रन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर निर्धारितियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	कर निर्धारितियों संख्या (लाखों में)
1998-1999	182.26
1999-2000	211.81
2000-2001	248.00

(ख) प्रौद्योगिकी को लागू कर के, क्रियात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से कारोबारी प्रक्रिया को पुन: सूत्रबद्ध कर के विभाग के परिणामों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान आयकर अधिकारियों के पदक्रम से ऊपर के सृजित किए गए अथवा ग्रेड बढ़ाएँ गए पदों की संख्या नीचे दी गयी है :—

आयकर आयुक्त	296
अपर आयकर आयुक्त	130
संयुक्त आयकर आयुक्त	194
आयकर उपायुक्त	207
सहायक आयकर आयुक्त	88

(ग) प्रत्यक्ष करों की वसूली एवं वसूली लागत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	प्रत्यक्ष कर वसूली	वसूली लागत (करोड़ रुपये में
1998-1999	46,600.07	813.36
1999-2000	56,914.21	864.84
2000-2001	68,305.39	869.67

(घ) और (ङ) इन पदों के सृजन/प्रोन्नयन के परिणामतया बेहतर पर्यवेक्षण किया जा सकेगा तथा कम्प्यूटरीकृत माहौल में कर अदा करने वालों को उम्दा सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

[हिन्दी]

वृद्धि-दर

3170. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में वार्षिक वृद्धि दर गत कुछ वर्षों में भिन्न-भिन्न रह रही है;

(ख) यदि हां, तो नब्बे के दशक के दौरान प्रत्येक राज्य की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों की पहचान की है जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य से कम रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और उनके खराब निष्पादन के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) नब्बे के दशक के दौरान स्थिर कीमतों (1993-94) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) की वृद्धि दरों के रूप में मापित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-वार वृद्धि दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। वृद्धि संबंधी लक्ष्य वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

स्थिर कीमतों (1993-94) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) की वार्षिक वृद्धि दर /
(वृद्धि प्रतिशत में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अ०)	1998-99 (त्व० अ०)	1999-2000 (अ० अनु०)	2000-01 (अ० (अनु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.4	5.7	-1.4	10.8	5.6	5.9	6.3	-1.4	10.3	4.7	5.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.7	13.5	2.8	13.7	1.3	14.2	-5.0	3.4	0.3	11.8	उ०न०
3.	असम	4.1	4.6	1.4	4.1	2.8	2.9	2.9	1.0	-0.2	6.9	4.2
4.	बिहार	9.5	-4.0	-4.3	3.2	7.9	-5.9	11.0	4.7	6.7	3.5	उ०न०
5.	गोवा	14.9	-1.0	13.0	4.3	4.9	7.6	15.3	3.0	उ०न०	उ०न०	उ०न०
6.	गुजरात	2.0	-6.5	28.4	-1.8	18.0	5.5	14.2	1.5	6.2	-0.6	2.2
7.	हरियाणा	9.4	2.5	0.2	4.9	7.1	2.5	11.6	1.4	5.6	7.0	6.0
8.	हिमाचल प्रदेश	3.8	0.4	5.6	4.3	9.6	6.2	6.9	6.4	7.2	6.1	उ०न०
9.	जम्मू और कश्मीर	6.0	3.1	4.7	5.4	4.7	5.1	4.9	5.7	4.5	6.3	उ०न०
10.	कर्नाटक	1.3	12.0	2.7	7.3	5.6	6.3	9.0	4.9	12.2	7.6	उ०न०
11.	केरल	6.7	2.4	6.8	9.4	8.3	4.5	-3.7	2.9	6.7	7.0	7.1
12.	मध्य प्रदेश	13.5	-5.5	7.2	10.0	2.0	6.1	6.2	2.8	7.1	4.1	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	महाराष्ट्र	4.6	0.3	14.3	10.9	2.6	11.5	5.5	4.0	2.4	9.1	उ०न०
14.	मणिपुर	5.6	8.1	4.9	2.7	-2.0	3.9	14.0	9.0	5.6	5.7	5.5
15.	मेघालय	11.3	5.3	-4.5	6.7	3.8	9.7	3.8	5.9	8.6	4.3	5.9
16.	मिजोरम	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
17.	नागालैंड	5.8	4.3	22.4	1.8	7.6	6.9	6.6	7.8	-4.0	उ०न०	उ०न०
18.	उड़ीसा	-15.0	11.7	-0.9	6.7	4.7	5.2	-4.5	13.2	1.7	4.3	उ०न०
19.	पंजाब	1.1	5.0	4.7	5.0	2.7	3.9	7.3	2.9	4.2	6.9	उ०न०
20.	राजस्थान	15.7	-6.0	13.7	-6.4	17.3	3.6	10.8	11.3	3.1	-2.8	0.1
21.	सिक्किम	9.7	6.8	1.3	5.7	-1.3	10.5	10.9	14.0	7.5	7.3	उ०न०
22.	तमिलनाडु	7.3	3.0	5.3	8.6	12.7	3.7	5.0	8.0	6.2	7.5	-4.5
23.	त्रिपुरा	8.1	3.0	3.9	10.7	-0.4	8.4	10.6	10.3	9.9	5.1	5.2
24.	उत्तर प्रदेश	5.9	1.3	1.7	2.9	5.8	4.2	10.3	0.1	6.9	5.7	उ०न०
25.	पश्चिम बंगाल	5.5	7.7	3.2	7.3	6.8	7.4	7.0	8.3	7.0	7.4	7.6
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.0	-5.8	25.9	10.8	10.2	-0.7	7.0	7.7	-6.9	उ०न०	उ०न०
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	4.0	15.5	13.5	6.6	15.8	10.1	उ०न०
28.	दिल्ली	4.8	14.8	3.9	-8.4	12.1	2.4	13.0	15.0	7.8	8.9	8.2
29.	पांडिचेरी	6.4	-4.9	-10.0	13.2	1.4	7.8	30.0	28.9	12.7	5.5	7.1
अखिल भारतीय स०घ०उ०*		5.6	1.3	5.1	5.9	7.3	7.3	7.8	4.8	6.5	6.1	4.0

अ०-अनन्तिम अनुमान, त्व०अ०-त्वरित, अ०अ०-अग्रिम अनुमान, उ०न०-उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : क्रम संख्या 1 से 29 के लिए वृद्धि दरें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार जी०एस०डी०पी० पर आधारित हैं; *स्थिर कीमतों पर (1993-94) उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी०एस०ओ०) के अनुसार है।

[अनुवाद]

निर्यातकों को गेहूं की आपूर्ति

3171. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गेहूं की खरीद, भंडारण एवं वहन पर आने वाली कुल लागत की आधी कीमत पर निर्यातकों को गेहूं की आपूर्ति कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में रखे गेहूं और चावल के अत्यधिक स्टाक का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी गई है कि वह आर्थिक लागत में से 2 वर्षों की रखरखाव लागत घटाकर प्राप्त होने वाले मूल्य पर निर्यात के लिए गेहूं की पेशकश करे लेकिन यह मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

"एपको" का पुनरुद्धार

3172. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से "एपको" पुनरोद्धार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 4050.00 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत का एपको पुनरोद्धार तथा पुन: संरचना के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

लाख रुपये में

क्र०सं०	घटक	वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-03		कुल	
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
1.	हिस्सा पूंजी के रूप में मार्जिन मनी सहायता	1000	1000	1000	1000	2000	2000
2.	निफट को अनुदान के रूप में परामर्श प्रभार	15	15	10	10	25	25
	कुल	1015	1015	1010	1010	2025	2025

(ग) चूंकि 4000.00 लाख रुपये परिव्यय के प्रस्ताव का अनुमोदन छान-बीन समिति द्वारा कर दिया गया है जिसका समान रूप से हिस्सा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा। 50.00 लाख रुपये का परामर्श प्रभार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

बिहार में गोदामों का निर्माण

3173. **श्री अरुण कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार में भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त गोदामों के निर्माण करने अथवा विद्यमान गोदामों को इस्पात साइलों में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) फिलहाल दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान बिहार में भारतीय खाद्य निगम का अतिरिक्त गोदामों का निर्माण करने का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही मौजूदा गोदामों को स्टील साइलोज में बदलने का कोई प्रस्ताव है।

तथापि, बनाओ और चलाओ योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने बिहार में दरभंगा और बोकारो में प्रत्येक में 5000 टन के गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी प्रतिभागिता के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

बीड़ी उद्योग से उत्पाद शुल्क का संग्रहण

3174. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी, सिगार, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उद्योगों से उत्पाद शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क की दर कितनी है और इसके निर्धारण एवं संग्रहण की क्या प्रक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त वर्णित उद्योगों में से प्रत्येक से अलग-अलग उत्पाद शुल्क के रूप में राज्यवार कितना राजस्व एकत्रित किया गया;

(घ) क्या इन उद्योगों से उत्पाद शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और हेरफेर व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले की जांच करने एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पाद शुल्क की दर विवरण-I में दी गई है।

विनिर्माता द्वारा सिगरेटों को छोड़कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का स्वत: निर्धारण किया जाता है। विनिर्माता द्वारा किसी बैंक में अथवा सैनवेट क्रैडिट एकाउंट को डेबिट करके शुल्क अदा किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राजस्व के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, जब कभी भी उत्पाद शुल्क के निर्धारण और उसकी वसूली में भ्रष्टाचार और हेरा-फेरी के मामलों की सूचना मिलती है, तो दोषी व्यक्तियों को सज़ा देने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

बीड़ी, सिगार, सिगरटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों की शुल्क दर

मद	प्रति 1000 इकाइयों पर मात्रानुसार शुल्क दरें रुपयों में			
	मूल उत्पाद शुल्क	विशेष उत्पाद शुल्क	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (जीएसआई)	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क
बिना फिल्टर वाली सिगरेट				
(i) 60 मिली मीटर से कम लम्बाई की	78	—	37	20
(ii) 60 मिली मीटर से अधिक किन्तु 70 मिली मीटर से कम	265	—	—	—
फिल्टर वाली सिगरेट				
(iii) 70 मिली मीटर से कम लम्बाई की	395	—	185	90
(iv) 70 मिली मीटर से अधिक लम्बी किन्तु 75 मिली मीटर से कम	645	—	300	145
(v) 75 मिली मीटर से अधिक किन्तु 85 मिली मीटर से कम	860	—	400	190
बीड़ी	4.60	—	1.40	1.00
शुल्क दर (यथा मूल्य)				
सिगार	16%	—	—	—
अन्य तम्बाकू उत्पाद	16%	16%	18%	10%

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क के रूप में अलग से प्राप्त राज्यवार राजस्व

	यस्तुएं (शुल्क लाख रुपयों में)											
	बीड़ी			सिगार			सिगरेट			अन्य तम्बाकू उत्पाद		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002 जनवरी 2002 तक	1999-2000	2000-2001	2001-2002 जनवरी 2002 तक	1999-2000	2000-2001	2001-2002 जनवरी 2002 तक	1999-2000	2000-2001	2001-2002 जनवरी 2002 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	42.23	45.03	42.45	0	0	0	109.43	124.47	116.73	24.72	28.04	24.61
केरल	913.10	912.14	730.00	0	0	0	0	0	0	02	0	0
कर्नाटक	3532.81	3717.93	3380.09	0	0	0	156251.52	160233.88	133554.81	2457.51	2506.78	7970.84
आंध्र प्रदेश	5699.66	6019.30	5688.23	0	0	0	55264.03	47360.62	41931.75	3358.01	3545.69	3432.00
उड़ीसा	450.43	498.44	487.36	0	0	0	0	0	0	261.4	270.0	227.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महाराष्ट्र		1807.94	1954.1	1725.88	0	0	0	44904.04	32010.32	24073.00	9359.51	10561.5	13375.53
गुजरात		23.88	26.81	23.76	0	0	0	5971	3958	7958	4929.36	6163.84	9543.9
राजस्थान		234.71	231.11	220.81	0	0	0	0	0	0	1143.81	1325.81	1261.13
मध्य प्रदेश		3235.74	3499.37	3975.68	0	0	0	11837.00	9087.27	3377.98	643.59	746.65	370.21
छत्तीसगढ़		0	122.78	256.44	0	0	0	0	4108.87	4897.79	0	138.02	323.74
उत्तर प्रदेश		11549.68	1647.58	1449.71	0	0	0	1093.8	1203.88	1210.2	15590.59	16211.33	14462.42
उत्तरांचल		1	1.5	1.61	0	0	0	0	0	0	0.59	2.56	3.09
हिमाचल प्रदेश		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9868.00	7081.00	6342.00
पंजाब		0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.13	343.55	363.73
हरियाणा		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1343.35	1312.93	1270.34
पश्चिम बंगाल		5592.82	6241.56	5405.80	0	0	0	42496.5	45644.8	37237.6	1369.7	1335.8	1155.1
बिहार		1397.75	1438.97	1212.54	0	0	0	46344.48	45594.51	43479.15	2713.03	3579.86	5366.98
झारखण्ड		509.25	504.97	433.59	0	0	0	0	0	0	97.21	101.52	98.76
सिक्किम		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम		14.08	13.60	17.68	0	0	0	3369	39341	70	0	5475	9321
त्रिपुरा		4.98	5.80	4.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6060.27	6023.06	6348.73
दादर नागर हेवली		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.31	42.61	85.39
अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़		35009.06	26879.99	27056.95	0	0	0	367639.8	388666.62	299908.01	59604.11	66794.55	83348.22

इस्पात का आयात/निर्यात

3175. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ कोई द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय व्यापार समझौता किया है जिसका इस्पात के आयात एवं निर्यात पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के इस्पात का आयात और निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) सरकार का ऐसा कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौता नहीं है जो विशिष्ट रूप से इस्पात से संबंधित हो। तथापि ऐसे अनेक द्विपक्षीय करार हैं, जैसे भारत-नेपाल व्यापार संधि, भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार आदि, जिनमें इस्पात सहित विभिन्न उत्पादों के आयात और निर्यात पर रियायतें दी गई हैं। साथ ही ऐसे अनेक बहुपक्षीय व्यापार करार भी हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन करार जिसके अंतर्गत डब्ल्यू०टी०ओ० के सदस्य देशों के साथ विभिन्न उत्पादों के साथ इस्पात उत्पादों का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है।

(ग) :

वर्ष	मद	मात्रा 000 टन में		मूल्य (करोड़ रुपये में)	
		आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
1999-2000	प्राथमिक एवं अर्द्ध परिष्कृत लोहा एवं इस्पात	70	2224	298.07	3163.86
	लोहा एवं इस्पात गोलाकार (श्लाखाएं/छड़ें आदि)	1970	139	3825.72	445.75
2000-2001	प्राथमिक एवं अर्द्ध परिष्कृत लोहा एवं इस्पात	131	2337	326.96	3973.95
	लोहा एवं इस्पात गोलाकार (श्लाखाएं/छड़ें आदि)	1468	179	3206.13	698.86

(स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कोलकाता)

बड़े पत्तनों में निवेश

3176. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान 12 बड़े पत्तनों में निवेश के संशोधित एवं बजटीय अनुमानों के आंकड़ों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस गलती के लिए किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व और जवाबदेही निर्धारित की गई है और कोई कार्रवाई आरम्भ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

योजना धन का विपथन

3177. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना धन के गैर-योजना उद्देश्यों में उपयोग किए जाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त विपथन की पुनरावृत्ति न होने देना सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : *(क) से (ङ) जी, हां। अधिकांश राज्य अपने बजट में प्रचुर राजस्व* घाटों का सामना कर रहे हैं, कई मामलों में आकस्मिक गैर-योजनागत आवश्यकताओं से निपटने के लिए निधियों को अंतरित किया गया है। योजनागत व्यय में राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई कमी की भरपाई, राज्य सरकारों को आबंटित केन्द्रीय सहायता में अनुपातिक कटौती करके की गई है। राज्यों के लिए ऐसे अंतरणों से बचाव का प्रभावी उपचार केवल यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व घाटा पूर्णत: समाप्त हो। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परवर्तीक्रम में वित्त मंत्रालय ने "राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा" नामक एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2004-05 तक अपने राजस्व घाटे में कमी लाने वाले राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

3178. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल में उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता/ऋण के कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त सहायता/ऋण से राज्य के कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित होने वाले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तस्करी के सामान की जब्ती

3179. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2001 से जनवरी, 2002 तक की अवधि के दौरान दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, कोलकाता एवं हैदराबाद के विमानपत्तनों पर कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुएं, स्वापक, स्वर्ण, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं आदि जब्त की गईं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है/गिरफ्तार किया गया है और उनमें से कितने व्यक्तियों पर अभियोजन लगाया गया है; और

(ग) जब्त की गई वस्तुओं के निपटान से कितनी धनराशि की उगाही की गई और इनके निष्पादन का तरीका क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जनवरी, 2001 से जनवरी, 2002 तक की अवधि के दौरान दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद विमानपत्तनों पर 84.80 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की तस्करी वस्तुएं, स्वापक औषधियां, सोना, इलैक्ट्रानिक्स वस्तुएं आदि जब्त की गई हैं।

(ख) 176 व्यक्तियों को पकड़ा/गिरफ्तार किया गया था और इनमें से 3 पर अब दोष सिद्ध हो गया है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान विमानपत्तनों पर पकड़े गए माल का निपटान करके 41.60 करोड़ रु० प्राप्त हुए हैं। इस माल का निपटान उन संगत सरकारी अनुदेशों के अनुसार किया गया जो इस प्रकार के माल पर लागू होते थे।

वस्त्र कामगार पुनर्वास योजना

3180. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वास योजना के सीमा क्षेत्र में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितने कामगारों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) वस्त्र उद्योग की अन्य लंबित मांगों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी०डब्ल्यू०आर०एस०) के अंतर्गत पात्र वेतन की उच्चतम सीमा को 2500 रु० प्रति माह से बढ़ाकर 3500 रु० प्रति माह करने का निर्णय लिया है। बढ़ी हुई उच्चतम सीमा उन सभी पात्र वस्त्र एककों पर लागू होगी, जो 5 फरवरी, 2002 को अथवा उसके बाद बंद हुए हैं।

(ग) वस्त्र उद्योग की अन्य लंबित मांगों को हल करने के लिए उठाए गए नए कदमों में शामिल हैं :—

(1) **राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2002** — सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2002 की घोषणा की है ताकि वस्त्र उद्योग को क्लोदिंग के निर्माण और निर्यात में प्रमुख भूमिका को प्राप्त करने और उन्हें निरंतर बनाए रखा जा सके।

(2) **कपास प्रौद्योगिकी मिशन** — सरकार ने उचित कीमतों पर गुणवत्ता की कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है जिसके 4 लघु मिशन हैं जिनसे ऐसी प्रत्याशा है कि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा विपणन और अपरिष्कृत कपास प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार से सर्वांगीण सुधार होगा।

(3) **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना** — सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 1999 से पांच वर्षों के लिए वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) शुरू की है। इस योजना में वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति से पूंजी की लागत को कम करने की व्यवस्था है। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि लघु वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए तत्काल प्रभाव से 12% अग्रिम ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी अथवा 5% की ब्याज की प्रतिपूर्ति करने का विकल्प दिया जाए।

(4) सरकार ने लघु क्षेत्र के सिले सिलाए परिधान क्षेत्र के वूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। वर्ष 2002-2003 के बजट में निटिड क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की गई है।

(5) टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है।

(6) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए०टी०डी०सी०) वस्त्र उद्योग की कुशल मानव-शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(7) बड़ी मात्रा में रिआयती सीमाशुल्क दरों के अंतर्गत परिधान मशीनों के आयात की अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

बिहार को पंचायती राज के लिए धन

3181. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए पंचायतों का विकास करने हेतु बिहार की राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) अब तक तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य को किश्त की बकाया धनराशि किस तिथि तक जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) दसवें वित्त आयोग (टी०एफ०सी०) ने वर्ष 1996-97 से वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आईज़) के लिए बिहार को कुल 507.19 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य सरकार के 126.80 करोड़ रुपए की तदर्थ पी०आर०आई० अनुदान राशि का अन्तरण किया जा चुका है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टी०एफ०सी० द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान, अपरिहार्य चुनावों के साथ स्थानीय निकायें को राज्यों द्वारा अन्तरित किए जाने वाले कार्यों और उत्तरदायित्वों की वृहत्तर संवैधानिक स्कीम का एक हिस्सा था ताकि वे स्थानीय स्व-शासन की एक प्रभावी इकाई के तौर पर कार्य कर सकें। अतएव अनुदान केवल उन्हीं चुने हुए स्थानीय निकायों के संबंध में जारी किए जाने थे जहां संविधान के तहत ऐसे चुनाव अपरिहार्य हों। चूंकि बिहार में पी०आर०आईज़ के चुनाव टी०एफ०सी० की नियत अवधि 1995-2000 में नहीं हो सके, अतएव टी०एफ०सी० की बकाया अनुदान राशि राज्य सरकार को जारी नहीं की जा सकी। किसी भी वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों की हकदारी उसकी अनुशंसा अवधि खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाती है।

[अनुवाद]

चाय के लिए भूमि की उत्पादकता

3182. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टी बोर्ड भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इंडियन टी एसोसिएशन के साथ कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रम बचत प्रक्रियाओं पर भी संयुक्त रूप से विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व भर के चाय बागानों में दी जा रही मजदूरी का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो भूमि की उत्पादकता एवं श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर के चाय बागानों में ऐसी योजनाओं के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) जी, हां। झाड़ियां पुरानी होने से देश में भूमि की उत्पादकता कम हो रही है और उत्पादकता सीमितकारी इस कारक से निपटने के लिए चाय बोर्ड चाय के पुराने अलाभकारी खण्डों को उखाड़कर, उन पर पुनर्रोपण करके, नवीकरन, छंटाई करके, खाली स्थानों को भरकर खेतों की चकबंदी करके भूमि की उत्पादकता में सुधार हेतु चाय उद्योग के सहयोग से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, चाय एक श्रम गहन फसल है और श्रमिकों की उत्पादन क्षमता प्रत्यक्ष रूप से भूमि की उत्पादकता से जुड़ी होती है।

चाय बोर्ड ने देश में भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और गुणवत्ता उन्नयन के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की हैं। श्रमिकों की उत्पादन क्षमता से संबंधित एक अध्ययन भी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन०पी०सी०) के जरिए किया गया है। श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड ने चाय संघों और एन०पी०सी० के सहयोग से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये क्षेत्र 10 वीं योजना अवधि के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में भी अभिज्ञात किए गए हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3183. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मांग ऋण देने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति निर्धारित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त मांग ऋणों के लिए दी जाने वाली समय-सीमा के संबंध में भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उक्त शर्तों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उक्त मांग-ऋणों को देने संबंधी शिथिल शर्तों के कारण अलाभप्रद हो गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 मार्च, 2002 को निर्देश दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन०बी०एफ०सी०) को वह निर्दिष्ट तारीख निर्धारित करनी चाहिए, जिसके अन्दर गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनी द्वारा ऋण की वापसी अदायगी की मांग की जाएगी/आह्वान किया जाएगा। ऐसी नीति उनके निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित होनी चाहिए। इसके अलावा, नीति में ऋण के निष्पादन की समीक्षा के लिए अधिक से अधिक छः महीने की निर्दिष्ट तारीख की शर्त होनी चाहिए।

चूंकि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ब्याज दर और चुकौती के संबंध में मुक्त अवधि के साथ या किसी शर्त के बिना मांग/शीघ्रावधि मांग ऋण मंजूर कर रही थीं, इसलिए आय की पहचान, आस्ति के वर्गीकरण और ऐसे ऋणों के संबंध में प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने में रिजर्व बैंक द्वारा कठिनाई महसूस की जा रही थी। इस कठिनाई को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी ऋणों का उचित रूप से वर्गीकरण किया जाए और अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय विवरणों में वास्तविक रूप में दर्शाई जाए, रिजर्व बैंक ने इस संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कंप्यूटर विनिर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

3184. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंप्यूटर का विनिर्माण करने वाली कंपनियां क्या विक्रयोत्तर सेवा उपलब्ध करा रही हैं और उक्त के विक्रय खर्चे इत्यादि का हिस्सा होने के कारण इसे आकलन मूल्य में सम्मिलित करना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंपनियां विक्रयोत्तर सेवा की लागत को उत्पाद के आकलन मूल्य में सम्मिलित नहीं कर रही है और इस प्रकार प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या अपवंचित की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क धनराशि का पता लगाने एवं उक्त की कम्प्यूटर विनिर्माता से उगाही हेतु कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रावधान सभी उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों पर भी लागू किया जा रहा है जहां विक्रयोत्तर सेवा उपलब्ध कराई जाती है और तद्नुसार उत्पाद शुल्क की उगाही की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मदरसों को हवाला के माध्यम से धन

3185. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ मदरसे हवाला के माध्यम से काफी धन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) हवाला के माध्यम से धन राशि प्राप्त करने वाले मदरसों का कोई भी मामला प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में नहीं आया है।

फेरा का उल्लंघन

3186. श्री एम०वी०एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय के फेरा का उल्लंघन करने के मामले में इंडियन टोबैको कंपनी एवं शॉवालेस के विरुद्ध अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोनों कंपनियों से धन की वसूली करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) आई०टी०सी० के विरुद्ध जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। शॉ वालेस के मामले में थोड़ी जांच-पड़ताल बाकी है।

(ख) आई०टी०सी० और शॉ वालेस को जारी कारण बताओ नोटिस न्यायनिर्णयाधीन है।

(ग) ऐसी कार्रवाई, न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति

3187. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को किस दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनाराण जटिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति की दरों और मानदण्डों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें

समूह	मासिक अनुरक्षण भत्ते की दर (रु०)	
	छात्रावास	दिवा छात्र
(क) (व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम)	425	190
(ख) (डिप्लोमा स्तर इंजीनियरिंग), चिकित्सा एवं विज्ञान पाठ्यक्रम)	290	190
(ग) (प्रमाणपत्र स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रम)	290	190
(घ) (स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रम)	230	120
(ङ) (मध्यवर्ती स्तर के पाठ्यक्रम)	150	90

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित नियम

ये छात्रवृत्तियां निम्नलिखित के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सभी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए दी जाती हैं :

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र

छात्रवृत्ति 01.04.2000 से निम्नलिखित साधन परीक्षणों के अनुसार दी जाएगी :

(क) उन छात्रों के मामले में, जिनके माता-पिता/अभिवावकों की सभी स्रोतों से आय 45,760/-रु० प्रति वर्ष है।	पूरा अनुरक्षण भत्ता और पूरा शुल्क
(ख) उन छात्रों के मामले में, जिनमें माता पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 45,760/-रु० प्रति वर्ष से अधिक परन्तु 60,965/-रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और जो	
(I) समूह 'क' में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं	पूरा अनुरक्षण भत्ता और पूरा शुल्क
(II) समूह 'ख' 'ग' 'घ' एवं 'ङ' में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं	आधा अनुरक्षण भत्ता और पूरा शुल्क

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र

वे छात्र, जिनके माता-पिता/अभिवावकों की वार्षिक आय 44,500/- रु० से अधिक नहीं है, सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूरे अनुरक्षण भत्ते एवं पूरे शुल्क के लिए पात्र हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें

(क) छात्रावासी :

छात्रावासियों के रूप में छात्रों को कक्षा III से X में कवर किया जाएगा। छात्रवृत्ति की दरें निम्नलिखित हैं :–

कक्षा III से VIII	10 माह के लिए 200/- रु० प्रति माह
कक्षा IX से X	10 माह के लिए 250/-रु० प्रति माह

(ख) दिवा छात्र :

दिवा छात्रों के रूप में छात्रों को कक्षा I से कक्षा X तक कवर किया जाएगा। छात्रवृत्तियों की दरें निम्नलिखित है :–

कक्षा I से V	10 माह के लिए 25/- रु० प्रति माह
कक्षा VI से VIII	10 माह के लिए 40/- रु० प्रति माह
कक्षा IX से X	10 माह के लिए 50/- रु० प्रति माह

(ग) तदर्थ अनुदान

सभी छात्रों अर्थात छात्रावासियों और दिवा छात्रों को 500/- प्रति छात्र प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित नियम

उन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है जिनके माता-पिता/अभिवावकों की सभी स्रोत्रों से आय 44,500/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति के संबंध में श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा 22.3.2002 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 3187 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2755.46	4373.86	5236.55
2.	असम	285.98	2334.25	1390.72
3.	बिहार	1078.25	1675.37	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	25.00
6.	गुजरात	50.254	शून्य	149.39
7.	हरियाणा	57.57	शून्य	126.35
8.	हिमाचल प्रदेश	19.832	18.00	39.5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	44.85	12.00	8.00
10.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	1453.18	1950.02
12.	केरल	शून्य	739.86	385.42
13.	मध्य प्रदेश	213.00	193.849	382.469
14.	महाराष्ट्र	471.24	शून्य	976.86
15.	मणिपुर	507.80	721.78	816.63
16.	मेघालय	749.06	608.52	670.26
17.	उड़ीसा	57.35	665.4	310.81
18.	पंजाब	551.2841	शून्य	शून्य
19.	राजस्थान	450.53	526.6	411.36
20.	सिक्किम	0.3729	शून्य	शून्य
21.	तमिलनाडु	958.86	516.86	1955.66
22.	त्रिपुरा	117.88	345.01	288.06
23.	उत्तर प्रदेश	621.65	1261.84	1392.42
24.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	411.00	1162.48
26.	दमन एवं द्वीव	1.151641	1.271	1.68
27.	दादर एवं नगर हवेली	1.83	शून्य	शून्य
28.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
29.	पांडिचेरी	13.95706	15	30
30.	मिजोरम	521.00	334.75	281.65
31.	नागालैंड	1084.26	673.11	1231.94
32.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	130.00	शून्य

[हिन्दी]

वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995

3188. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 का क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या कितनी है जिनमें इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों का गठन किया गया है;

(ग) क्या वक्फ बोर्ड वक्फ परिसंपत्तियों से संबंधित लंबित पड़े दीवानी मामलों को न्यायिक प्राधिकरणों में स्थानांतरित करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) वे राज्य कौन से हैं जहां वक्फ की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया है;

(च) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी अभिकरणों के स्वामित्व से वक्फ परिसम्पत्तियों को निष्क्रमणित कराने अथवा बाजार दर पर किराए के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) वक्फ अधिनियम, 1995 को 22.11.1995 को अधिसूचित किया गया है।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार 13 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य वक्फ बोर्डों का गठन किया गया है।

(ग) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेबी की आय

3189. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेबी के आय के उन अन्य स्रोतों का ब्यौरा क्या है जहां से इसे पंजीकरण शुल्क के अलावा आय होती है;

(ख) गत कुछ वर्षों से सेबी की आय में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सेबी ने आगामी वर्षों में राजस्व सृजन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) मध्यवर्तियों से शुल्क के अतिरिक्त सेबी निवेशों और जमाराशियों पर आस्तियों, ब्याज के उद्ग्रहण के रूप में आय का सृजन करता है।

(ख) जब कि सकल स्तर पर सेबी की आय में कोई गिरावट नहीं आई है वर्ष 2000-2001 के दौरान विगत वर्ष 1999-2000 की तुलना में कुछ मध्यवर्तियों यथा मर्चेंट बैंककार, हामीदार, म्यूचुअल फंड इत्यादि से प्राप्त शुल्कों की आय में गिरावट आई है। ऐसा मुख्यत: प्राथमिक बाजार में जानकारी में आए मंदित क्रियाकलापों के कारण हुआ है।

(ग) निक्षेपागार भागीदारों स्टॉक उधारदाता, व्युत्पाद सदस्यता के लिए पंजीकरण लेने वाले दलाल जैसे मध्यवर्तियों से शुल्क सेबी के राजस्वों को बढ़ाते हैं। प्राथमिक बाजार में मध्यवर्तियों यथा मर्चेंट बैंककारों, हामीदारों, पोर्टफोलियां प्रबंधकों, पंजीयक तथा अंतरण एजेंटों, न्यासियों तथा निर्गम के बैंककारों के मामले में एक समय में तीन वर्षों के लिए पंजीकरण शुल्क का संग्रहण किया जाता है। विगत में यह शुल्क वार्षिक रूप से संदेय था तथा अनेक मध्यवर्तियों ने शुल्क के भुगतान में चूक की जिसके परिणामस्वरूप राशियां बकाया हो गईं।

बैंक कर्मचारियों द्वारा निधियों का गबन

3190. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी, 2002 को यह निर्णय दिया था कि बैंक कर्मचारियों द्वारा छोटी से छोटी राशि के गबन से भी उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है क्योंकि बैंकों को जनता की बचत के अभिरक्षक के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय के अनुसरण में सरकार ने उन बैंक कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की है जो कि गबन में संलिप्त थे और उन्हें बिना किसी विलम्ब के सेवा से बर्खास्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गबन के आरोपी ऐसे कितने बैंक कर्मचारी है; और

(ङ) बैंक कर्मचारियों द्वारा जनता की बचत के गबन को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यूको बैंक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटान करते समय 17/18 फरवरी, 2002 को एक निर्णय दिया है जिसमें न्यायालय ने यूको बैंक के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी के विरुद्ध 864/-रु० की राशि, जो उसे विभिन्न ग्राहकों द्वारा उनके संबंधित खातों में जमा करने के लिए दी गई थी, को जमा न करने के घोर कदाचार के लिए लगाए गए सेवा से हटाने के दण्ड को बनाए रखा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय का कर्मचारी को बहाल करने का निर्णय अनुचित सहानुभूति का एक मामला है तथा न्यायोचित नहीं है। बैंक अपने संबंधित आचार/अनुशासनिक विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसरण में अपने कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ियों/अन्य चूकों में उनकी लिप्तता के लिए कार्रवाई करते हैं। सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 2194 दोषी कर्मचारी गबन समेत धोखा-धड़ियों, कार्य एवं लोप आदि के लिए विभागीय कार्यवाहियों का सामना कर रहे थे। उनके मामलों पर निर्णय करते समय उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों को नि:संदेह ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) बैंक के अपने स्टाफ द्वारा की गई धोखाधड़ियों सहित अन्य धोखाधड़ियों के निवारण के लिए प्रणालियां पहले से ही उपयुक्त हैं। इस संबंध में किए गए उपायों में से कुछ उपाय ये हैं : (i) बैंक ने नियुक्ति के लिए चुने गए सभी व्यक्तियों के पूर्ववृत्त का कठोरता

से सत्यापन; (ii) अनुदेश पुस्तिका के माध्यम से विभिन्न कार्य करने वाले कर्मचारियों को अनुदेश; (iii) आवधिक अन्तराल पर स्टाफ का चक्रानुक्रम; (iv) धोखाधड़ियों/अनाचारों में लिप्तता के लिए अनुकरणीय/निवारक सजा; (v) बैंक कर्मचारियों के खातों के संबंध में एहतियात आदि।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग का विकास

3191. **डा० बलिराम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग और कालीन बुनाई केन्द्रों के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में हथकरघा उद्योग और कालीन बुनाई केन्द्रों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) देश में कारपेट बुनाई केन्द्रों के विकास के लिए सीमित संभावनाएं तथा हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाऐं हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर आधारित राशियां अवमुक्त की जाती है तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों सहित देश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

कारपेट बुनाई उद्योग के लिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तथा मऊ जिलों सहित देश में राज्य निगमों, शीर्ष समितियों तथा गैर सरकारी संगठनों को कारपेट बुनाई की आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदान सहायता दी जा रही है।

पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तथा मऊ जिलों सहित विभिन्न राज्यों को उक्त स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का विवरण नीचे दर्शया गया है :—

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	वर्ष	हथकरघा स्कीमों के अंतर्गत अवमुक्त की गई निधियां	कारपेट बुनाई के लिए अवमुक्त की गई निधियां
1.	1999-2000	8966.30	101.06
2.	2000-2001	0017.20	98.47

[अनुवाद]

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता

3192. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से उपभोक्ता संरक्षण/जागरूकता संबंधी गतिविधियों को चलाने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के लिए समान वित्तीय सहायता राशि निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसी सहायता प्राप्त करने वाले कौन-कौन से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इन्हें कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(च) क्या उक्त सहायता राशि के उपयोग पर कोई निगरानी रखी जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के पक्ष में स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव के स्वरूप पर निर्भर करती है। केवल जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्कीम के तहत केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्तुत जिला परिषद/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को 5.00 लाख रुपए की नियत राशि मुहैया की जाती है।

(घ) और (ङ) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(च) से (ज) उपभोक्ता कल्याण कोष से स्वीकृत वित्तीय सहायता कतिपय शर्तों और निर्बंधनों द्वारा शासित होती है जिनके अनुसार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को स्वीकृत राशि केवल उसी प्रयोजन के लिए खर्च करनी होती है जिसके लिए वह मंजूर की गई हो। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को उसके द्वारा हाथ में ली गई परियोजना के कार्यान्वयन तथा अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के संबंध में रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षित परियोजना का लेखा विवरण प्रस्तुत करना होता है।

विवरण

कर्नाटक

क्र०सं०	गारंटी संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	वर्ष
1.	येलहांका विश्व भारती वैलफेयर सोसायटी एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट येलहांका, बैंगलौर	41,400/-	2000-01
2.	आदर्श यूथ एसोसिएशन टुंमुकर जिला, कर्नाटक	36,000/-	2000-01
3.	प्रभांती रूरल एण्ड ऐजूकेशनल डवैलपमेंट सोसायटी बेल्लारी	31,500/-	2000-01
4.	वी०आई०डी०वाई०ए० (विलेज इंटेग्रेटिड डवैलपमेंट थ्रू यूथ एसोसिएश, गुलबर्गा)	40,5000/-	2000-01
5.	कंज्यूमर राइट एण्ड एजूकेशन एसोसिएशन अवेयरनेस ट्रस्ट (सी०आर०ई०टी०), 239, 5वां "सी" मैन रेन्को लेआउट, विजय नगर, बंगलोर-560040	2,35,000/-	2000-01
6.	हजरत अलीपुर मोरल एण्ड स्प्रीच्युल एसोसिएशन (आर), अरमानगालू हिरयूर तालुक जिला चित्रदुर्ग-577558	31,500/-	2000-01
7.	सेवा भारती ट्रस्ट, फस्ट क्रोस, ब्रामारामाह एक्सटेंशन, चमरगानगर-571313	36,000/-	2000-01
8.	बालकेंद्र वेदिका (आर) कंज्यूमर फोरम (आर) सागर	22,500/-	2000-01
9.	श्री अक्षयम्केथनी स्वमागहाली मान्ड्या (तालुक एण्ड जिला)	22,500/-	2000-01
10.	डा० बी०आर० अम्बेडकर एजूकेशनल सोसायटी, वीबुथीपुरा, कीलाकोटे विलेजे के सामने, कोलार तालुक, कोलार	45,000/-	2000-02
11.	सोशल, कल्चरल, एजूकेशन, इकॉनामिक एण्ड मेडिकल सोसायटी, हिरयाली चालाकेरै तालुक चित्रदुर्गा जिला	54,000/-	2000-02
	महाराष्ट्र		
1.	अहमदनगर इला मध्यवर्ती ग्राहक सेवा महासंघ, अहमदनगर	2,50,000/-	2001-02
2.	सामाजिक बहुद्देशीय संस्था, नागपुर	72,000/-	2001-02

उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का स्पष्टीकरण

3193. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में कई और उपभोक्ता वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कई ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत शामिल किया गया है बाजारों में बिना किसी आई०एस०आई० मार्क के खुले रूप में उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो वस्तुएं अनिवार्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत हैं वे बाजार में बिना आई०एस०आई० मार्क के उपलब्ध न हों क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या राज्य सरकारें उपभोक्ता वस्तुओं के बी०आई०एस० प्रमाणन से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू नहीं कर रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अपने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) पैकेज में

रखे प्राकृतिक खनिज जल, पैकेज में रखे पेय जल और क्लीनिकल थर्मामीटर्स के प्रमाण को हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन स्कीम के तहत अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो बाजार में ऐसे उत्पादों की उपलब्धता के बारे में विभिन्न स्रोतों के जरिए सूचना प्राप्त करता है जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न नहीं लगा होता है यद्यपि वे अनिवार्य प्रमाणपत्र के तहत आते हैं। ऐसे मामलों में भारतीय मानक ब्यूरो आवश्यक कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के संबंधित कार्यान्वयन प्राधिकारी को सूचना देता है। जिन मामलों में उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो का नकली मानक चिह्न लगा हुआ पाया जाता है, उनके खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(च) और (छ) भारतीय मानक ब्यूरो राज्य स्तरीय समन्वय समिति के जरिए विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन के प्रति राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारी से नियमित रूप से अवगत कराता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाधाएं

3194. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी और घरेलू व्यवसाय में विवाचन के उपचारात्मक मंच के अभाव के कारण बाधाएं आ रही हैं;

(ख) क्या 'फिक्की' द्वारा हाल ही में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाधाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'फिक्की' ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में अन्य सुझावों के साथ-साथ यह प्रस्ताव भी दिया है कि केंद्र और राज्यों के बीच कार्यान्वयन विधिक और समस्या के समाधान संबंधी मुद्दे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बाधक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा 'फिक्की' की सिफारिशों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। फिक्की द्वारा अध्ययन, सरकार द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन में आने वाली व्यवस्थापन संबंधी बाधाओं का पता लगाने के लिए आरंभ किये गये अध्ययनों का भाग है।

(घ) फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यद्यपि केन्द्र स्तरीय एफ०आई०पी०बी० की स्वीकृतियों को सफलतापूर्वक सरल और कारगार बना दिया गया है, फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों कानूनी मुद्दों और समस्या के समाधान संबंधी मुद्दों पर प्रायः विवाद होता है।

(ङ) विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफ०आई०आई०ए०) नियमित अंतरालों पर बैठकों का आयोजन करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों का क्रियान्वयन करने में सुविधा प्रदान करता है। इन बैठकों में विदेशी निवेशकों को अपनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने में आ रही विशिष्ट कठिनाइयां संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों के परामर्श से समाधान करने के लिए उठायी जाती हैं।

केलों का निर्यात

3195. श्री वाई०वी० राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलों के संबंध में अत्यधिक निर्यात की संभावना है जिसका पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केलों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी संभावना क्या है; और

(ग) इसकी पूर्ण संभावना प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) अब तक केले की निर्यात संभाव्यता का आंकलन नहीं किया गया है। तथापि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है।

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान केले के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (लाख रुपये)
2000-2001	8629	1800.30
अप्रैल 01 — सितम्बर 01	3671	722.99

(स्रोत डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कोलकाता)

(ग) सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए केले सहित अन्य फलों के निर्यातों को प्रोत्साहित कर रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एकीकृत कारगो हैंडलिंग और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना इत्यादि।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

3196. श्री अनन्त नायक :
योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री सुरेश चंदेल :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रत्नों; आभूषणों और हीरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात की गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या जनवरी-दिसम्बर, 2001 के दौरान रत्नों और आभूषणों के निर्यात में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को बदलने का है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या योजना तैयार की गई है; और

(छ) आगामी वर्षों में इन वस्तुओं का निर्यात किन-किन देशों में बढ़ने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (छ) सरकार ने रत्न एवं आभूषण को निर्यात के लिए एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है और रत्न एवं आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी०जे०ई०पी०सी०) ने कई पहल की हैं। कुछेक महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं :—

- मध्यावधि निर्यात कार्यनीति का तैयार किया जाना;
- हीरा का खनन करने वाले देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधी खरीद की संभावनाओं का पता लगाना;
- आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान के तत्वावधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण केन्द्र को आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के तहत निधियां प्रदान करना;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जर्नलों में निरन्तर प्रचार/प्रसार अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अधिकाधिक फुटकर विक्रेताओं के साथ सीधे संपर्क इत्यादि के जरिए विदेश में भारतीय रत्न एवं आभूषण की छवि में सुधार लाना;
- विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के जरिए तथा डिजाइनों के नवीनतम रूझान हेतु मौके पर अध्ययन करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भारतीय डिजायनरों की नियुक्ति के द्वारा बाजार अध्ययन करके नए बाजारों का पता लगाना एवं उनकी पहचान करना;
- लैटिन अमरीकी देशों में नए बाजारों का विश्लेषण करना तथा भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक कार्य-नीति तैयार करने के लिए सूचना प्रस्तुत करना;
- प्रचार अभियानों के जरिए भारत में स्वर्ण आभूषणों की हॉल मार्किंग को बढ़ावा देना ताकि भारत में निर्मित आभूषणों के लिए गुणवत्ता की एक छवि सृजित की जा सके;
- निर्यातकों तथा जी०जे०ई०पी०सी० से प्राप्त फीडबैक एवं अनुरोधों के आधार पर निर्यात को सुकर बनाने के उद्देश्य से एग्ज़िम नीति में उचित रूप से संशोधन करना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछेक प्रमुख देशों को किए गए इन मदों के निर्यात का कुल मूल्य निम्नानुसार है :—

देश	1998-1999		1999-2000		2000-2001	
	कुल रत्न एवं आभूषण		कुल रत्न एवं आभूषण		कुल रत्न एवं आभूषण	
	करोड़ रुपये में	यू०एस० मिलियन डालर में	करोड़ रुपये में	यू०एस० मिलियन डालर में	करोड़ रुपये में	यू०एस० मिलियन डालर में
1	2	3	4	5	6	7
यू०एस०ए०	10242.08	2442.31	13666.57	3165.05	13272.00	2931.02
हांगकांग	5460.43	1302.30	8143.97	1885.24	7890.29	1740.23
बेल्जियम	3703.20	884.87	4086.93	946.47	4173.60	919.43
जापान	1557.62	371.41	2072.63	480.35	1827.41	403.03
इजरायल	1019.81	243.21	1595.35	369.45	1220.21	269.73
थाइलैंड	492.88	117.45	793.31	183.61	913.63	201.01
स्विटजरलैंड	472.13	112.84	575.49	133.42	605.88	133.62

1	2	3	4	5	6	7
यू०ए०ई०	889.54	212.44	1328.83	308.01	2240.14	491.31
सिंगापुर	257.44	61.38	562.94	130.47	645.46	142.20
जर्मनी	310.39	73.96	358.57	83.08	323.68	71.64

(स्रोत: जी०जे०ई०पी०सी०)

जनवरी से दिसम्बर 2001 की अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषण के 7202.26 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात से जनवरी से दिसम्बर, 2000 के दौरान किए गए 8457.11 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 14.83 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित हुई।

निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :—

(क) अमरीका तथा जापान इत्यादि जैसे विकसित देशों के बाजारों में आर्थिक मंदी।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में गिरावट जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ण आभूषण के निर्यात मूल्य में संगत गिरावट आई।

(ग) सहस्राब्दि वर्ष के सुखाभास के कारण वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रमुख बाजारों में आवक में अत्यधिक वृद्धि और कुछ सामान का अभी भी व्यापार की प्रक्रिया में अटका होना।

(घ) दिनांक 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकम्प से भी हीरा उद्योग, खासकर अहमदाबाद तथा सूरत के हीरा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

रत्न एवं आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऊपर उल्लिखित पहले गिरते हुए रूझान को प्रतिवर्तित करने के लिए की गयी है दिसम्बर, 2000 की तुलना में दिसम्बर, 2001 के दौरान निर्यातों में डालर के रूप में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एम०एम०टी०सी० और इन्डोनेशियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स के बीच समझौता ज्ञापन

3197. **श्री पी०आर० किन्डिया :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 2000 के दौरान एम०एम०टी०सी० और इन्डोनेशियन चैम्बर ऑफ कामर्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को आसान शर्तों पर पाम ऑयल देने के लिए इन्डोनेशिया ने भारत से चावल खरीदने और आयात करने में अपनी रूचि प्रदर्शित की है;

(घ) क्या पाम ऑयल के विश्व के प्रमुख निर्यातक इन्डोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल पर शुल्क को सोया आयल के समान लाने के लिए समान धरातल तैयार करने हेतु भारत का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं;

(ङ) क्या इन्डोनेशिया ने व्यापार के चालू स्तर को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, भेषज और कृषि उत्पादों में घनिष्ठतापूर्वक सहयोग करने में रूचि प्रदर्शित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की दोनों पक्षों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए और सीधे अथवा संबंधित देशों में निर्दिष्ट कंपनियों के जरिए दोनों ओर से व्यापार करके और उसे बढ़ाकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए फरवरी, 2000 के दौरान एम०एम०टी०सी० और इण्डोनेशियाई वाणिज्य मंडल (के०ए०डी०आई०एन०) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से विचार-विमर्श कर एवं सहमत होकर किसी उचित तंत्र के जरिए अमरीकी डालर में भुगतान करने की भी व्यवस्था है। भारत से निर्यात हेतु अभिज्ञात की गयी प्रमुख मदें हैं — कृषि उत्पाद, रेलवे परियोजना, इंजीनियरिंग मदें, इत्यादि और आयात की मदें हैं — अपरिष्कृत पाम ऑयल, परिष्कृत ब्लीच्ड एवं डिओड राइज्ड पामोलीन, कोयला, इमारती लकड़ी इत्यादि।

(ग) एम०एम०टी०सी० द्वारा इण्डोनेशिया को चावल का निर्यात किए जाने के बारे में बातचीत जारी है हालांकि इण्डोनेशियाई प्राधिकारियों ने भारत से चावल की खरीद किए जाने के बारे में कोई सकारात्मक रूचि नहीं दिखाई है।

(घ) इण्डोनेशिया और मलेशिया ने भारत सरकार से अपरिष्कृत पाम आयल पर आयात शुल्क कम करने का अनुरोध किया था। तद्नुसार, सरकार ने अब नवम्बर, 2001 में अपरिष्कृत पाम ऑयल पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत तक घटा दिया है।

(ङ) और (च) इण्डोनेशिया के व्यापार एवं उद्योग मंत्री ने हाल ही में फरवरी, 2002 में भारत का दौरा किया था और उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भेंट की थी जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए रेलवे, कृषि उत्पाद, पुष्पोत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि एवं नुस्खों जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच और अधिक

सहयोग की जरूरत पर बल दिया था। इसके प्रत्युत्तर में, सरकार ने इण्डोनेशिया को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दीर्घावधि आधार पर गुणवत्ता युक्त गेहूं की आपूर्ति करने की पेशकश की है।

अमरीकी नियामकों द्वारा दंड लगाया जाना

3198. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू०एस० फेडरल रिजर्व और अन्य अमरीकी नियामकों ने बैंक सीकरेसी एक्ट का उल्लंघन करने और बुक और रिकार्डों के पूर्ण रखरखाव न रख पाने के लिए 7.5 मिलियन डालर (36 करोड़ रुपये) का दंड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चूकों के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विनियामक अधिकारियों ने 31 मार्च, 2001 को भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०) की न्यूयार्क की समूह शाखा की जांच की थी। विनियामकों ने निगरानी व्यवस्था, "अपने ग्राहकों को जाने और विधिवत रूप से परिश्रमशीलता का वर्धन करें" प्रक्रिया, खासकर विप्रेषण, निधियों के स्थानांतरण एवं अन्त: कार्यालय खातों के क्षेत्र में पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं तथा साधनों में कुछ कमियों को उजागर किया था। तत्पश्चात, यू०एस० विनियामकों ने यू०एस० बैंकिंग कानून के अनुसार एस०बी०आई० का समाप्ति एवं बंदी आदेश जारी किया तथा उस पर 7.5 मिलियन यू०एस० डालर का सिविल आर्थिक जुर्माना लगाया। भारत सरकार इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक के साथ परामर्श कर रही है तथा कूटनीतिक माध्यमों द्वारा इस मामले को यू०एस० अधिकारियों के साथ भी उठाया जा रहा है।

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता

3199. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2002 में नेपाल में दक्षेस देशों के बीच शुल्क को हटाने और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुक्त व्यापार संधि हेतु दक्षस शिखर वार्ता हुई;

(ख) क्या इस संबंध में संधि को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संधि को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) काठमांडू, नेपाल में 4 से 6 जनवरी, 2002 तक आयोजित 11वीं सार्क शिखर वार्ता में राष्ट्राध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रिपरिषद् का संधि संबंधी ढांचे के मसौदे के पाठ का अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था ताकि 2002 के अंत तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया था कि साफ्टा के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सदस्य देश मुक्त व्यापार में आने वाली टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं और ढांचागत अड़चनों को समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

प्याज का निर्यात

3200. श्री अम्बरीश :
श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001-2002 और 2002-03 के दौरान देश के विभिन्न भागों से प्याज के निर्यात के लिए स्वीकृति/अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्याज के निर्यात का कार्य राज्यवार किन-किन सरकारी अभिकरणों और अन्य अभिकरणों को सौंपा गया है; और

(ग) प्याज के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान आज की तारीख के अनुसार सरकार ने निर्यात हेतु प्याज की 5 लाख मी० टन की मात्रा को जारी करने की अनुमति दी है। वर्ष 2002-2003 के दौरान निर्यात के लिए प्याज की जारी की जाने वाली मात्रा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्याज का निर्यात सरणीयन एजेंसियों के जरिए किया जाता है, अर्थात (1) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया लि० (नैफेड), नई दिल्ली (2) महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (एम०एस०ए०एम०बी०), पुणे, महाराष्ट्र (3) गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि० (जी०ए०आई०सी०), गुजरात (4) दि स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन, लि०, (एस०टी०सी०एल०), बंगलौर, कर्नाटक (5) ए०पी० स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (6) दि कर्नाटक स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि० (के०एस०सी०एम०एफ०), बंगलौर, कर्नाटक (7) दि नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया लि०, (एन०सी०सी०एफ०), नई दिल्ली और (8) दि नार्थ कर्नाटक आनियन ग्रोवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, हुबली, कर्नाटक।

उपरोक्त के अलावा, कृष्णापुरम प्याज का निर्यात ए०पी० स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लि० (ए०पी० – मार्कफेड) द्वारा किया जाता है जबकि बंगलौर रोज प्याज का निर्यात कर्नाटक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (के०ए०पी०ई०सी०) और के०एस०सी०एम०एफ० द्वारा किया जाता है।

(ग) वर्ष 2000-01 में प्याज के निर्यात से 276.41 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया। अप्रैल — नवम्बर, 2001 की अवधि में प्याज के निर्यात का मूल्य 221.4 करोड़ रुपए रहा है।

अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति

3201. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नवनिर्मित काबुल सरकार द्वारा की गई गेहूं की आपूर्ति की मांग को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा पारगमन सुविधा की अनुमति न देने के बाद किसी देश ने ऐसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों ने ऐसी सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) भारत द्वारा अब तक काबुल को कुल कितनी मात्रा के गेहूं की आपूर्ति की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) अफगानी नागरिकों की स्थिति को सुधारने की हमारी वचनबद्धता के भाग के रूप में सरकार आंतरिक और बाह्य रूप से विस्थापित अफगानियों और अन्य जरूरतमंदों के लिए एक मिलियन टन गेहूं का प्रावधान करने सहित मानवीय सहायता की पेशकश करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम सहित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के संपर्क में है और यथासंभव शीघ्र अफगानियों को गेहूं की मानवीय सहायता भेजने के लिए तौर-तरीके निकाल रही है। अफगानिस्तान के लिए भारतीय संयुक्त राष्ट्र सहायता के भाग के रूप में सरकार ने मार्गस्थ सुविधा के लिए पाकिस्तान से संपर्क नहीं किया है। ऐसी रिपोर्टें मिली थीं कि पाकिस्तान कथित जन्तुबाधा और बीमारी का दावा करके इस मानवीय सहायता के लिए मार्गस्थ सुविधा प्रदान करने का इच्छुक नहीं है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे दावे गलत हैं और स्वार्थी हैं। सरकार यथा संभव शीघ्र अफगानियों को गेहूं भेजने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है।

[हिन्दी]

निर्यात नियमों में छूट

3202. श्री रामपाल सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न निर्यात नियमों में छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) खाद्यान्न निर्यात नियमों में छूट देने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

3203. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम अवधि की निर्यात नीति (2002-07) में कहा गया है कि "वस्त्र उद्योग में चीन और अन्य दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों द्वारा अत्यधिक निष्पादन के कारण ऐसे सख्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है जिससे न केवल हम विश्व बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सकें बल्कि इसमें सुधार भी कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपायों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत प्रमुख निर्यात मद, वस्त्र में यूरोपीय संघ के अलावा सभी बाजारों में पिछड़ रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान के सभी तीन प्रमुख बाजारों में अधिकतर वस्त्र संबंधी वस्तुओं में चीन का हिस्सा सबसे बड़ा था;

(घ) क्या वस्त्र निर्यातों में वर्ष 1996-97 से दर्ज की गई 6.08 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में 7.2 प्रतिशत की सी०ए०जी०आर० प्राप्त किए जाने का अनुमान है जो वर्तमान 12.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 18.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई पहल करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह प्रेक्षण/निष्कर्ष, वाणिज्य विभाग के नीतिगत दस्तावेज "मध्यावधि निर्यात नीति (2002-2007)" में भी निहित है।

(ङ) और (च) वस्त्र क्षेत्र में परिवर्तनशील विश्व व्यापी परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात लक्ष्य को

प्राप्त करने के लिए सरकार समय-समय पर उपाय कर रही है। इस संबंध में की गई कुछ पहलें हैं :–

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधान के वूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही इसने वर्ष 2002-2003 के बजट में निटिड क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की है।

2. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत सहायता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया गया है।

3. टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है।

4. पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

5. वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

6. वर्ष 2002-2003 के बजट में घोषित राजकोषीय नीति परक उपायों से मशीनों की लागत कम करना।

7. निचले स्तर तक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

8. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए०टी०डी०सी०), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

राज्य वित्त निगमों का पुनर्गठन

3204. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य वित्त निगमों के पुनर्गठन और पुनर्पूंजीकरण करने से संबंधित "गुप्ता समिति की रिपोर्ट" प्राप्त और स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने दिनांक 30 जनवरी, 2001 की अपनी रिपोर्ट में राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन, वित्तीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन की सिफारिश की है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ 3,600 करोड़ रु० की राशि के पुनर्पूंजीकरण की सिफारिश की है जो केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राज्य सरकारों, जिन्हें राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन में सुधार के लिए जोड़ा जाना चाहिए, द्वारा बांटा जा सकता है। विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

कृत्रिम हीरा और कृत्रिम पत्थर उद्योग

3205. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में विशेषकर दक्षिण भारत में कृत्रिम हीरा और कृत्रिम पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी नई परियोजना और रियायत का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कृत्रिम हीरा और कृत्रिम पत्थर उद्योग के विकास के लिए और निधियों को आवंटित किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में तत्संबंधी वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृत्रिम हीरों और कृत्रिम पत्थरों का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक होने के बावजूद विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा बहुत कम है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत से कृत्रिम हीरों और कृत्रिम पत्थरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से इनका कितनी मात्रा में निर्यात हुआ और उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हांलाकि कृत्रिम हीरों ओर सिंथेटिक पत्थरों के उत्पादन के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यह समझा जाता है कि ताईवान और कोरिया क्यूबिक जिरकोनिया (कृत्रिम हीरे) के प्रमुख उत्पादक हैं और स्विट्जरलैंड तथा चीन अन्य सिंथेटिक पत्थरों के प्रमुख उत्पादक हैं। उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान चौथा अथवा पांचवा माना जाता है। जी०जे०ई०पी०सी० से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2000-2001 में सिंथेटिक पत्थरों का हमारा निर्यात लगभग 1.63 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का रहा है जो जी०जे०ई०पी०सी० द्वारा ऐसे पत्थरों की आंकी गई लगभग 400 मिलियन अमरीकी डालर की वैश्विक मांग की तुलना में कम है।

(च) सिंथेटिक पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से 1.4.2001 से एक निर्यातोनुकूल एग्जिम नीति की घोषणा की गई है। वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य नीति भी जनवरी, 2002 में घोषित की गई है। आभूषणों के साथ नगीनों को आगे समेकित करने की जरूरत का पता लगाया गया है। तराशी और पॉलिश के क्षेत्रों में आधुनिकी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उद्योग की जरूरत, प्रमाणन की जरूरत इत्यादि को भी अभिज्ञात किया गया है। इसके अलावा, जी०जे०ई०पी०सी० द्वारा देश में तथा देश के बाहर प्रदर्शनियां आयोजित करने, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का भेजने, विज्ञापन/प्रचार अभियान इत्यादि जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए जाते हैं। जी०जे०ई०पी०सी० द्वारा जयपुर, दिल्ली, मुंबई में आभूषण उत्पाद विकास केन्द्रों जैसे प्रशिक्षण संस्थान भी चलाए जाते हैं। सिंथेटिक पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सिंथेटिक नगीनों की बिक्री पर बिक्री कर और चुंगी जैसे अन्य करों की लेवी से मुक्त रखने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है जैसा कि तमिलनाडु महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में किया गया है।

(छ) जी०जे०ई०पी०सी० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत से सिंथेटिक पत्थर के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
1998-99	2.41
1999-2000	2.62
2000-2001	1.63

भूख से मर रहे गरीबों की दुर्दशा

3206. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान 5 मार्च, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एंश्योर जाब्स, फूड फार रूरल पूअर, एस०सी० डायरेक्ट्स स्टेट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य बताए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह समाचार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर प्यूपिल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 के संदर्भ में है। इस याचिका में 4.3.2002 को आगे सुनवाई हुई है। इस तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रति संलग्न विवरण-I है। अंतरिम आदेश में उल्लिखित आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, समाचार में मुख्यत: भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक और सभी को खाद्यान्न प्रदान करने के सरकार के दायित्व का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में गरीबों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताने वाला विवरण भी संलग्न विवरण-II है। ग्रामीण गरीबों के लिए मंजूरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करना शामिल हैं।

विवरण-I

दायर प्यूपिल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में भारत माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 4.3.2002 का अंतरिम आदेश

"राज्य सरकारों को नोटिस जारी करें। यह नोटिस संबंधित राज्य के स्थायी वकील के माध्यम से दिया जाए जो 19 मार्च, 2002 तक रिटर्नेबल हो। आवेदन का उत्तर, विशेष रूप से इस प्रस्ताव के संबंध में कि राज्य सरकारों को महाराष्ट्र रोजगार गारंटी स्कीम की तर्ज पर स्कीम तैयार करनी चाहिए, आज से 10 दिन के अंदर दायर किया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश की प्रति

सहित आवेदन की प्रतियां आवेदक द्वारा विभिन्न राज्यों के वकीलों को यदि पहले नहीं दी गई है तो आज दे दी जानी चाहिए।''

विवरण-II

सरकार ने आबादी के निर्धन वर्ग को खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1.4.2000

(i) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता को अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था।

2.11.2001

(ii) यह निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की योजनाओं सहित सभी कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएं।

(iii) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भिक्षु गृहों, अनाथालयों/नारी निकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वालों अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर आबंटन हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करवाये जाएं।

(iv) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुशंसित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हो) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाएं।

1.12.2000

(v) गरीबी रेखा से नीचे के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 1.12.2000 से फिर बढ़ाया गया है जिसके लिए 1.3.2000 को महापंजीयक के आबादी अनुमानों को आधार बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 5.96 करोड़ से बढ़कर 6.52 करोड़ परिवार हो गई हैं।

25.12.2000

(vi) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना अब सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल की दर पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाते हैं।

1.1.2001

(vii) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2001 में 8 सूखा प्रभावित राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किए जाते हैं। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार बाढ़ और अन्य राष्ट्रीय आपदाओं को कवर करने के लिए कर दिया गया था। जनवरी, 2001 से 7.3.2002 तक 11 राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन 39.33 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन कर दिया गया है।

29.1.2000

(viii) भारत सरकार ने 29 जनवरी, 2001 को गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में वितरण करने हेतु एक लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया था।

1.5.2001

(ix) भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 माह की अवधि के लिए 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से सूखा प्रभावित परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) में वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर सूखा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया जाए। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों को अतिरिक्त 19.53 लाख टन खाद्यान्नों का पहले ही आबंटन किया जा चुका है। बिहार सरकार को बाढ़ राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 1.80 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

12.7.2000

(x) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पात्रता को 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था।

(xi) गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को निम्नानुसार कम कर दिया गया था जो 31.3.2002 तक वैध होंगे :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	610
चावल	830

15.8.2001

(xii) प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की गई घोषणा की थी। यह योजना 25 सितम्बर, 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक वर्ष 50 लाख टन खाद्यान्नों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। 28.2.2002 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन 30.82 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

खाद्यान्नों के कुल उठान में वृद्धि

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 के प्रथम 10 महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से 230.25 लाख टन गेहूं और चावल का उठान हुआ था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2000-01 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 136.83 लाख टन का उठान हुआ था। इस प्रकार 68.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान में 10.98 लाख टन की कुल वृद्धि हुई है। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) में 32.82 लाख टन की वृद्धि हुई है जबकि कल्याण योजनाओं के अधीन 22.09 लाख टन की वृद्धि हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि गरीबी रेखा से नीचे के उठान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जैसाकि निम्नलिखित से विदित होता है :—

(आंकड़े लाख टन में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02 (31.1.2002 तक)
गरीबी रेखा से नीच	61.70	69.94	95.35	91.64

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

3207. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गईं; और

(घ) इन योजनाओं से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (घ) सरकार ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए, 1.4.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) शुरू की है। यह योजना नौडिया एजेंसियों नामत: आई०डी०बी०आई०, सिडबी और आई०एफ०सी०आई० तथा उनकी सहयोजित एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही है। सरकार द्वारा वित्त पोषण, योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रभारित 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है।

टी०यू०एफ० योजना के अंतर्गत 1.4.1999 से 31.1.2002 तक कुल 1465 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनकी परियोजना की कुल लागत 13747 करोड़ रु० थी। इनमें से 5057 करोड़ रु० की ऋण की कुल राशि वाले 1232 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 968 आवेदन पत्रों पर 3282 करोड़ रु० वितरित किए गए हैं।

31.1.2002 तक की स्थिति के अनुसार नौडिय एजेंसियों और उनकी सहयोजित एजेंसियों द्वारा टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत ऋण का राज्य वार संवितरण निम्नानुसार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संवितरित ऋण की राशि (करोड़ रु० में)
आन्ध्र प्रदेश	149.55
चंडीगढ़	1.85
दादर नागर हवेली	200.32
दमन और दीव	6.53
दिल्ली	12.49
गुजरात	390.50
हरियाणा	67.44
हिमाचल प्रदेश	163.80
कर्नाटक	133.62
केरल	16.98
महाराष्ट्र	324.42
मध्य प्रदेश	121.09
पंजाब	548.78
राजस्थान	267.95
तमिलनाडु	728.99
उत्तर प्रदेश	131.41
पश्चिम बंगाल	17.13

अ०पि०व० के लिए पदों का आरक्षण

3208. श्री राजो सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे में से अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लिए पदों का निर्धारित प्रतिशत आवंटित करके रोजगार के अवसरों में आरक्षण हेतु मंजूरी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर वसूली के लिए समयबद्ध कार्य योजना

3209. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री 3 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2074 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितना आयकर वसूल किया गया और कितना आयकर अभी वसूल किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 3 अगस्त, 2001 को अतारांकित प्रश्न सं० 2074 का भाग-वार उत्तर निम्नानुसार है :—

(क) कर वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें ब्याज लगाना तथा शास्ति लगाने सहित सांविधिक उपबन्धों का उपयोग शामिल है। बकाया मांग की वसूली के लिए समझाने-बुझाने की भी कार्रवाई की जाती है, यदि ऐसा करने से कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो वसूली करने के लिए अन्य तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें विभाग द्वारा निर्धारिती को देय ऐसी किसी राशि में से उक्त राशि को काटना, ऐसे निर्धारिती से संबंधित किसी माल की कुर्की एवं बिक्री करना, उस जिला समाहर्ता के माध्यम से जिसमें निर्धारिती रहता हो यह मानकर प्रमाणन कार्रवाई करना जैसे कि उक्त बकाया राशि भू-राजस्व हो, और निर्धारिती की चल अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री करना शामिल है। जिन मामलों में वसूली के प्रति अपीलीय निकायों द्वारा स्थगन आदेश पारित किए गए हैं उन मामलों में शीघ्र सुनवाई अथवा अग्रता के आधार पर निर्णय लिए जाने के लिए याचिकाएं दायर करने हेतु विशेष उपाय किए जाते हैं।

(ख) विभाग द्वारा 105 मामलों में निम्न न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित किए गए स्थगन आदेशों के प्रति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सीगैट में अपीलें दायर की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विभाग विवेकपूर्ण नीति के रूप में सभी ऐसे स्थगन आदेशों को निरस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय से अपील नहीं करता है ताकि मुकदमेंबाजी और साथ ही विवादों को निपटाने में लगने वाले समय को भी कम किया जा सके। तथापि ऐसे मामले जहां राजस्व वसूली बहुत अधिक है और/अथवा कोई कानूनी मुद्दा जुड़ा है, विभाग उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए सरकारी वकील की सलाह लेता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निगमित कर सहित आयकर की संग्रहित की गई राशि निम्नानुसार है :—

(रुपए करोड़ों में)

1998-99	44769
1999-2000	56347
2000-2001	67460

दिनांक 31.3.2001 को कुल बकाया कर मांग 56430 करोड़ रुपए है।

सूचना सुविधा केन्द्र

3210. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों और आयातकों की सहायता करने के लिए संपूर्ण देश में बहुत से सूचना सुविधा केन्द्र खोले थे;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय कितने सूचना सुविधा केन्द्र कार्य कर रहे हैं और ये किन स्थानों पर हैं;

(ग) 2002-2003 में नए स्थानों पर ऐसे कितने सूचना सुविधा केन्द्र खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे सूचना सुविधा केन्द्र सभी निर्यात संबंधी मामलों और निर्यात-आयात नीति के संबंध में सूचना देंगे; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सूचना और सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) डी०जी०एफ०टी० के सभी 31 क्षेत्रीय कार्यालय निर्यात सुविधा केन्द्रों और निर्यातक शिकायत निवारण केन्द्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। किसी नये सुविधा केन्द्र को खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। ये सभी 31 कार्यालय एक्जिम नीति तथा संबंधित मुद्दों के बारे में सूचना भी मुहैया करते हैं। निर्यात/आयात नीति पुस्तिका तथा क्रियाविधि पुस्तिका में यथा उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे हमारी वेब साईट एच टी टी पी// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू० एन आई सी० इन/एक्जिमपोल, जिसे समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है, पर उपलब्ध हैं और इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सुपर बाजारों का निजीकरण

3211. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली और देश के अन्य भागों में स्थापित किए गए सुपर बाजारों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयातों में धोखाधड़ी

3212. श्री रामदास आठवले :
श्रीमती कांति सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आयातों में धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी गतिविधियों में लिप्त बैंकों का ब्यौरा क्या है और इसमें बैंक-वार कुल कितनी राशि शामिल थी;

(ग) ऐसी धोखाधड़ी में शामिल वरिष्ठ बैंक अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अन्तर्ग्रस्त राशियों सहित सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम निम्नानुसार हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को पिछले तीन वर्ष के दौरान आयात लेन देनों (जिसमें 1 करोड़ रु० से अधिक अन्तर्ग्रस्त हो) से संबंधित धोखाधड़ियों की सूचना दी है :—

1.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	40.06 करोड़ रु०
2.	केनरा बैंक	68.11 करोड़ रु०
3.	विजया बैंक	9.54 करोड़ रु०
4.	बैंक आफ इंडिया	22.50 करोड़ रु०
5.	देना बैंक	27.19 करोड़ रु०
6.	भारतीय स्टेट बैंक	70.29 करोड़ रु०

(ग) और (घ) उपर्युक्त मामलों में 48 कर्मचारियों की पहचान उनकी चूक के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए की गई है। अब तक ऐसे 25 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और सजा दी जा चुकी है। 5 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई रोक दी गई थी क्योंकि कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

गुड़ का निर्यात

3213. डा० बलिराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में गुड़ का निर्यात किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गुड़ के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव भविष्य में भी गुड़ के निर्यात को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने के गुड़ की मात्रा एवं मूल्य के रूप में किया गया निर्यात निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1998-1999	7323	9.76
1999-2000	6168	8.22
2000-2001	124054	159.26

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस०

(ग) से (ङ) गुड़ के निर्यात को एपीडा की निर्यात संवर्धन योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें वित्तीय सहायता, महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, सूचना का प्रचार एवं प्रसार शामिल है।

[अनुवाद]

भारत में अमरीकी निवेश

3214. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "यूएस फंड प्रोहिबिट इंवेस्टमेंट इन इंडिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस में इस मामले संबंधी बताए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अमरीका के सबसे बड़े पेंशन फंड समूह ने भारत में विदेशी निवेशकों को सलाह दी है कि देश में निवेश करते हुए सामाजिक तथा मानवाधिकार कारकों को भी ध्यान में रखे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सरकार का ध्यान "यूएस फंड्स प्रोहिबिट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया" समाचार मद की ओर आकृष्ट किया गया है। जबकि समाचार मद में व्यक्त विचार एक एकल निवेश निधि की अवधारणा का द्योतक हो सकता है, विदेशी संस्थागत निवेशक मार्ग के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश के लिए भारत की आकर्षणीयता इस तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा यथासूचित निवल संचयी निवेश वर्ष 1993 में 827.20 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 31.1.2002 की स्थिति के अनुसार 14.691 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

चीनी और चीनी उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन

3215. श्री सुरेश रामराव जाधव क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी और चीनी उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) की प्रमाण अंकन योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी की गुणवत्ता की बेहतर विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए चीनी उत्पादों के लिए बी०आई०एस० प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य बनाने की पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो को 'चीनी और चीनी के उत्पादों' को उनकी प्रमाणन चिह्न स्कीम के अधीन कवर के लिए अनापत्ति प्रदान कर दी है। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन चिह्न स्कीम आवश्यक रूप में स्वैच्छिक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसे अपनी प्रमाण स्कीम के अधीन भा०मा० 1151:1969 के अनुसार उत्पादित रिफाइन्ड चीनी को कवर करने के लिए प्राप्त हुए एक आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए पग उठाए हैं।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 6.2.2002 के प्रेस रिलीज के माध्यम से उल्लेख किया है कि चूंकि भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन चिहन स्कीम आवश्यक रूप से स्वैच्छिक है इसलिए चीनी और चीनी उत्पादों के निर्माता अपने उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की गुणवत्ता की बेहतर साख स्थापित करने में सहायता मिलने के अलावा चीनी और चीनी उत्पादों के निर्माताओं के बीच उच्च गुणवत्ता जागरूकता लाने में सहायता मिलेगी।

मूल्य संवर्धित कर

3216. श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग महासंघ (सी०आई०आई०) ने वर्तमान बिक्री कर में प्रोत्साहन अंतरराज्यीय व्यापार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को लागू करने, समायोजन, दस्तावेजों और प्रक्रिया, आयात पर कर संबंधी जटिलताओं के निपटान हेतु पहचान की है और इनको मूल्य संवर्धित कर में शामिल करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त सुझाव वित्त मंत्री और मूल्य संवर्धित कर संबंधित राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की सी०आई०आई० के सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में बिक्री कर सुधारों पर राज्य वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति को कुछेक सुझाव दिए गए हैं। राज्यों ने 1 अप्रैल, 2003 के मौजूदा बिक्री कर प्रणाली के स्थान पर मूल्य वर्धित कर प्रणाली (वैट) को लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में उद्योग और व्यापार के विभिन्न संगठनों के सुझाव ऊपर उल्लिखित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय लेने की प्रक्रिया के समान मूल्य वर्धित कर प्रणाली को लागू किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण मामला है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता

3217. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रामशकल :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम के ढके हुए तथा बिना ढके हुए गोदामों का ब्यौरा क्या है और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) आज तक प्रत्येक गोदाम में खुले में रखे गए खाद्यान्न की मात्रा का राज्य-वार और वस्तु-वार ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टाक कितना है; और

(ग) इन खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) देश में फिलहाल 1.3.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के ढके हुए तथा बिना ढके गोदाम और उनकी भंडारण क्षमता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) चावल का भंडारण हमेशा ढके हुए गोदामों में किया जाता है जबकि गेहूं का भंडारण सामान्यत: कवर और प्लिथ (कैप)/खुले प्लिंथों में किया जाता है। खुले में भंडारित खाद्यान्नों (1.3.2002 की स्थिति के अनुसार) के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिशेष स्टाक (1.3.20025 की स्थिति के अनुसार) चावल के रूप में 175.68 लाख टन और गेहूं के रूप में 200.64 लाख टन था।

(ग) इन खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :-

1. खाद्यान्नों का भंडारण मूषक और नमी रोधी गोदामों में किया जाता है।
2. नियमित रूप से जन्तुबाधा नाशी उपचार किए जाते हैं।
3. गोदामों के उचित रखरखाव के लिए अर्हक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।
4. मार्गस्थ क्षति को रोकने के लिए जहां तक संभव होता है खाद्यान्नों का संचलन ढके हुए वैगनों में किया जाता है। जब यह संचलन खुले वैगनों में किया जाता है तो इन्हें तारपोलिन आदि से ढका जाता है।
5. इनका रोगनिरोधी और रोगहर उपचार भी किया जाता है।

कवर और प्लिथ भंडारण में स्टाक का भंडारण लकड़ी की क्रेटों पर किया जाता है और इसे कम घनत्व की काली पोलीथिन के कवरों से ढका जाता है जो जलरोधी होती हैं। इन्हें नाइलोन की रस्सियों से बांधा जाता है ताकि तेज हवाओं के दौरान कवरों में हवा भर जाने से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गोदामों की संख्या		क्षमता (लाख टन में)	
		ढकी हुई	कैप	ढकी हुई	कैप
1	2	3	4	5	6
पूर्व जोन					
1.	बिहार	40	3	5.00	0.28
2.	झारखंड	14	—	1.09	—
3.	उड़ीसा	57	—	5.47	—
4.	पश्चिम बंगाल	51	—	10.63	—
5.	सिक्किम	2	—		—
पूर्व जोन का जोड़		164	3	22.19	0.28
उत्तरी-पूर्वी जोन					
6.	असम	42	—	3.13	—
7.	अरुणाचल प्रदेश	4	—		—
8.	मेघालय	5	—	0.19	—
9.	मणिपुर	4	—	0.19	—

1	2	3	4	5	6
10.	मिजोरम	4	—	0.18	—
11.	नागालैंड	6	—	0.31	—
12.	त्रिपुरा	7	—	0.32	—
	उत्तरी-पूर्वी जोन का जोड़	72	—	4.32	—
	उत्तरी जोन				
13.	दिल्ली	8	4	3.41	0.34
14.	हरियाणा	159	37	22.33	4.03
15.	हिमाचल प्रदेश	15	—	0.24	—
16.	जम्मू व कश्मीर	20	—	1.18	—
17.	पंजाब/चंडीगढ़	437	216	90.25	43.14
18.	राजस्थान	68	34	10.11	8.63
19.	उत्तर प्रदेश	182	61	30.30	9.76
20.	उत्तरांचल	29	7	2.23	0.23
	उत्तरी जोन का जोड़	918	359	160.05	66.13
	दक्षिणी जोन				
21.	आंध्र प्रदेश	199	12	23.97	3.95
22.	केरल	25	6	5.62	0.21
23.	कर्नाटक	65	15	6.23	2.29
24.	तमिलनाडु	37	7	9.97	1.73
25.	पांडिचेरी	3	3		
	दक्षिणी जोन का जोड़	329	43	45.79	8.18
	पश्चिम जोन				
26.	गुजरात	36	16	8.40	2.16
27.	महाराष्ट्र	70	16	17.64	3.19
28.	गोवा	1	—		—
29.	मध्य प्रदेश	67	17	7.07	2.73
30.	छत्तीसगढ़	56	7	8.09	0.27
	पश्चिमी जोन का जोड़	230	56	41.20	8.35
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	1713	461	273.55	82.94

विवरण-II

(आंकड़े लाख टन में)
1.3.2002 की स्थिति के अनुसार

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कवर और प्लिथ (कैप) में भंडारित खाद्यान्नों का स्टाक
1	2	3
	पूर्वी जोन	
1.	बिहार	0.13
2.	झारखंड	-
3.	उड़ीसा	-
4.	पश्चिम बंगाल	-
5.	सिक्किम	-
	उत्तरी-पूर्वी जोन	
6.	असम	-
7.	अरुणाचल प्रदेश	-
8.	मेघालय	-
9.	मणिपुर	-
10.	मिजोरम	-
11.	नागालैंड	-
12.	त्रिपुरा	-
	उत्तरी जोन	
13.	दिल्ली	0.31
14.	हरियाणा	1.43
15.	हिमाचल प्रदेश	-
16.	जम्मू. व कश्मीर	-
17.	पंजाब	21.97
18.	चंडीगढ़	-
19.	राजस्थान	7.59
20.	उत्तर प्रदेश	6.43
21.	उत्तरांचल	0.17

1	2	3
दक्षिणी जोन		
22.	आंध्र प्रदेश	3.30
23.	केरल	0.23
24.	कर्नाटक	1.85
25.	तमिलनाडु	1.62
26.	पांडिचेरी	--
पश्चिमी जोन		
27.	गुजरात	1.57
28.	महाराष्ट्र	2.00
29.	गोवा	-
30.	मध्य प्रदेश	1.81
31.	छत्तीसगढ़	0.16
सकल जोड़ (अखिल भारत)		50.57

नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण

3218. श्री अनन्त नायक :
श्री सुनील खां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्वीकृत और वितरित किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य-वार कितना ऋण खर्च/उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान नाबार्ड के माध्यम से कौन सी केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख कृषि परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया और प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी निधियां स्वीकृत की गई और कितनी निधियां खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक शीर्ष संस्था है, जो राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों को उनके उधारकर्ताओं के लिए उन्हें ऋण हेतु पुनर्वित्त प्रदान करती है तथा राज्य सरकारों को ग्रामीण आधार मूत ढांचे के लिए ऋण सहकारी की शेयर पूंजी में अंशदान हेतु ऋण प्रदान करती है। गत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान नाबार्ड द्वारा सभी अभिकरणों एवं राज्य सरकारों को दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत नाबार्ड वर्ष 1999-2000 से शीत गृह एवं बागवानी उत्पादन के रख-रखाव के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना को लागू कर रहा है। आज की तारीख तक 51373.42 लाख रु० की वित्तीय लागत तथा 28285.02 लाख रु० के बैंक ऋण के साथ 28.65 लाख टन क्षमता सहित 380 योजनाएं बनायी गयीं। इसके मुकाबले, नाबार्ड ने राष्ट्रीय बागवानी बैंक (एन०एच०बी०) द्वारा नाबार्ड को उपलब्ध कराई गई 6665.30 लाख रु० की सब्सिडी सहित 12780.7 लाख रु० की राशि का संवितरण किया है। नाबार्ड वर्ष 2001-02 के चालू वर्ष के दौरान बिहार राज्य में योजना आयोग, भारत सरकार से 25.5 करोड़ रु० की सब्सिडी के साथ ''मिलियन शैलो टयूब वेल प्रोग्राम'' को भी लागू कर रहा है। इस योजना की प्रगति (12.3.2002 की स्थिति के अनुसार) नीचे दी गई है :-

(लाख रु० में)

क्रम सं०	विवरण	बैंक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार
1.	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	7303
2.	संस्वीकृत बैंक ऋण	1068.200
3.	संवितरित बैंक ऋण	355.601

विवरण-I

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रु० लाख)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मंजूर की गई	आहरित	मंजूर की गई	आहरित	मंजूर की गई	आहरित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	209	265	287	276	329	324
2.	आन्ध्र प्रदेश	247962	230546	231538	215112	263741	235768

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरूणाचल प्रदेश	460	460	1064	1117	3502	3502
4.	असम	14098	14113	14546	14568	12976	13049
5.	बिहार	28493	26065	28225	26767	27151	26436
6.	चंडीगढ़	3	3	10	10	6555	6555
7.	दादरा एवं नागर हवेली	3	3	24	24	67	67
8.	गोवा	1402	1402	1910	1910	2005	2005
9.	गुजरात	75917	49835	80033	63084	106273	79129
10.	हरियाणा	112584	99949	118369	118290	149328	140728
11.	हिमाचल प्रदेश	10978	10797	13602	13571	20035	19863
12.	जम्मू एवं कश्मीर	3449	3478	8889	8749	10739	10822
13.	कर्नाटक	121106	117734	125594	123913	144063	135441
14.	केरल	55242	42887	64751	52052	71960	51870
15.	लक्ष्यद्वीप	20	20	21	21	9	9
16.	मध्य प्रदेश	110093	83265	120958	96519	124863	110715
17.	महाराष्ट्र	78933	61279	109681	86838	139197	125885
18.	मणिपुर	325	939	203	817	187	187
19.	मेघालय	1313	1168	2133	2074	2615	2655
20.	मिजोरम	351	351	1386	1386	1814	1814
21.	नागालैंड	319	319	1032	1032	1342	1294
22.	रा० रा० क्षेत्र दिल्ली	105	105	100	100	669	669
23.	उड़ीसा	56721	53877	85492	77624	80754	79831
24.	पांडिचेरी	247	247	844	809	912	878
25.	पंजाब	94387	92184	101244	98650	106839	99737
26.	राजस्थान	90958	80426	98413	91321	113963	106933
27.	सिक्किम	-167	167	1500	1400	977	1077
28.	तमिलनाडु	129394	104969	145149	120659	160830	135526
29.	त्रिपुरा	2013	2299	2710	2946	3561	3567
30.	उत्तर प्रदेश	163374	142126	180482	164877	191879	184373
31.	पश्चिम बंगाल	45349	39519	55282	48065	67554	65432
	कुल	1446035	1260797	1595472	1434581	1816689	1646141

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3219. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका लाभ गरीबों को मिले, कई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

(i) इस विश्वास के आधार पर कि सच्ची लोकतांत्रिक संस्थाएं अवश्य ही राज्य नौकरशाही की अपेक्षा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की बेहतर सुरक्षा कर सकती हैं, सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया है कि सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विशेष रूप से उचित दर दुकानों स्तर पर इसके पर्यवेक्षण और मानीटरिंग करने के काम में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक रूप से शामिल किया जाए।

(ii) 1 अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन दुगना करके 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम कर दिया गया था जिसे जुलाई, 2001 से और बढ़ा कर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(iii) विशेप रूप से ग्रामीण, दूर-दराज, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए "गोदामों का निर्माण" और "वैनों की खरीद" की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के वितरण के लिए पहाड़ी ढुलाई राजसहायता की स्कीम, के अधीन भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं से नामित प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों को ले जाने के लिए वास्तविक आधार पर सड़क मार्ग द्वारा ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है। पहाड़ी ढुलाई राजसहायता की स्कीम मुख्यत: पहाड़ी राज्यों (उत्तर पूर्वी राज्यों और द्वीप समूहों सहित) के लिए लागू है।

(v) अंत्योदय अन्न योजना संपूर्ण देश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन प्रत्येक परिवार को प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर दिए जाते हैं।

(vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लक्षित लाभभोगियों के लिए राजसहायता प्राप्त जिंसों की आपूर्तियां बनाए रखने, उपलब्ध सुनिश्चित कराने और वितरण करने के लिए 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया है।

केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं

3220. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों का प्रवाह बढ़ाने के लिए और केन्द्र सरकार प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए केन्द्र सरकार प्रशासनिक सुधार पैकेज के भाग के रूप में शीर्ष मंत्रालयों को और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से इस समय चल रही अधिकांश परियोजनाओं की आर्थिक लागत और लगने वाले समय को कम करने में किस सीमा तक मदद मिलेगी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में विलम्ब और अधिक लागत के लिए मंत्रालयों तथा विभागों की कोई जवाबदेही निर्धारित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) योजनागत निवेश प्रस्तावों को अपने स्तर पर अनुमोदित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की वित्तीय शक्तियों की ऊपरी सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके आगे 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को केवल वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। अभिवर्धित प्रत्यायोजन 18.2.2002 से प्रभावी है। मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय शक्तियों के उच्चतर प्रत्यायोजन से योजनागत निवेश/व्यय के सशक्तीकरण/सरलीकरण और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की आशा है।

हरेक मंत्रालय/विभाग में लागत और समय के ओवर-रन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले पर विचार करने के लिए स्थायी समिति गठित करने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। स्थायी समिति की सिफारिशों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उन पर की गई

कार्रवाई को निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त करते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी द्वारा कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

3221. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री सेबी द्वारा कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में 17 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3822 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 17 अगस्त, 2001 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3822 से संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि इसने स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के सार्वजनिक निर्गम में अनियमितताओं मूल्य हेराफेरी आदि के आरोपों की पूछताछ/जांच की। इसके अतिरिक्त, सेबी की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ कंपनियां सूचीबद्धता करार की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रही हैं तथा कुछ कंपनियां सार्वजनिक निर्गम करने के पश्चात अपने पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध भी नहीं है। गायब होने वाली कंपनी के रूप में किसी कंपनी की पहचान से संबंधित प्रक्रिया की शुरूआत दो चरणों में की गई थी। प्रथम चरण में 1997-98 के दौरान सेबी ने स्वयं की पहल पर गायब होने वाली कंपनियों की पहचान करने के उद्देश्य से कंपनी के सूचीबद्धता अनुपालन तथा भौतिक अस्तित्व की पुष्टि के लिए कदम उठाए। दूसरे चरण में 12/3/1999 को सेबी तथा कंपनी कार्य विभाग को शामिल कर एक केंद्रीय समन्वय एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया, गायब होने वाली कंपिनयों की पहचान करने के लिए सेबी, कंपनी पंजीयक (आर०ओ०सी०), स्टॉक एक्सचेंजों को शामिल कर 7 कृतिक बलों का गठन भी किया गया।

विगत तीन वर्षों, अर्थात, अप्रैल, 1998 से मार्च, 2001 की अवधि के दौरान सूचीबद्ध कंपनियों के 179 मामलों में सार्वजनिक निर्गम में कथित अनियमितताओं/मूल्य हेराफेरी की जांच आरंभ की गई तथा 163 मामलों को पूरा किया गया।

सेबी की जांच के अनुसरण में विगत तीन वर्षों के दौरान जिन सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके ब्यौरे निम्नांकित हैं :

(i) निम्नांकित सात मामलों में निर्गमकर्ताओं को सार्वजनिक निर्गम के अन्तर्गत जुटाई गई धनराशि वापस करने अथवा आवंटिति/शेयरधारकों को अपने शेयर निर्गम मूल्य पर प्रवर्तकों को बेचने का विकल्प देने के निदेश जारी किए गए :-

जी०एस० आर्गेनिक्स लिमिटेड, योगीवेयर फैब्रिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान फिन्स्टॉक लिमिटेड, बेटेला ग्लोबल सिक्यूरिटीज लिमिटेड, मैसर्स आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनाइटेड जेनरल फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा वर्टेक्स मशीनरी लिमिटेड।

(ii) निम्नांकित मामलों में सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अंतर्गत कंपनियों के विरुद्ध अलग-अलग अवधि के लिए पूंजी बाजार में उनके प्रवेश तथा/अथवा प्रतिभूति कारोबार करने से विवर्जित करने के निदेश जारी किए गए थे :-

मैसर्स प्रेस्टो फाइनेंस लिमिटेड, गुजरात राईल लिमिटेड, मिथिला स्टील लिमिटेड, राधिका स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, योगी फार्मेसी लिमिटेड, मैसर्स सॉगर फाइनेंस एंड ट्रेडिंग लिमिटेड तथा तिरूपति फिनलीज लिमिटेड।

(iii) न्यायालय में 53 कंपनियों/इनके निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किए गए हैं, जिनमें से 52 मामले अभी भी विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

जहां तक गायब होने वाली कंपनियों का संबंध है, 30/6/2001 की स्थिति के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट लेने तथा कंपनियों के पंजीकृत कार्यलय पते पर सत्यापन के पश्चात् 177 कंपनियों की पहचान गायब होने वाली कंपनियों के रूप में की गई है। इन 177 कंपनियों में से 91 कंपनियों ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर दिए हैं तथा विभिन्न सूचीबद्धता अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई आरंभ की गई है, 86 कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों से जुड़ने से विवर्जित कर दिया गया है। 91 कंपनियों में से 1 कंपनी का नाम गायब होने वाली कंपनियों की सूची से हटा दिया गया है क्योंकि कंपनी ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों का अनुपालन आरंभ कर दिया है। 5 कंपनियों परिसमापनाधीन है। कंपनी कार्य विभाग द्वारा सेबी को दी गई सूचना के अनुसार कंपनी कार्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नांकित है :-

अभियोजित कंपनियां	66
परिसससमापनाधीन	26
राज्य सरकार द्वारा जब्त की गई	2
कार्रवाई की जा रही है	16
रिपोर्ट प्रतीक्षित	4

(ग) जैसा कि उत्तर भाग (ख) में कहा गया है, सेबी तथा कंपनी कार्य विभाग ने चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

स्वर्ण धागे का विनिर्माण

3222. श्री अम्बरीश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने स्वर्ण धागे, जो कि रेशम उद्योग का अभिन्न अंग है और रेशम के निर्यात संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है के विनिर्माण हेतु देश में कोई प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ग) संघ सरकार ने सोने के तार (ज़री) का निर्माण करने के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र स्थापित नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान और उसके कुछ उपएककों को ज़री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ज़री का परीक्षण करने की सुविधा से सुसज्जित किया गया है।

विकास परियोजना के लिए विदेशी वित्तीय संस्थानों से सहायता

3223. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों से बात की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन विदेशी वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चालू परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से अपने विकास कार्यों हेतु अधिक वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के नाम निम्नानुसार हैं :

(1) कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण परियोजना

(2) तमिलनाडु राज्य राजमार्ग परियोजना

(3) तमिलनाडु महिला विकास परियोजना (चरण-II)

(4) तमिलनाडु जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता: परियोजना।

विवरण-I

क्रम सं०	परियोजना प्रस्ताव का नाम	दाता
1	2	3
1.	कोलकाता जलापूर्ति और मलव्ययन/निकास	विश्व बैंक
2.	दिल्ली जलापूर्ति और स्वच्छता	"
3.	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंधन एवं नगरपालिका सुदृढ़ीकरण	"
4.	मध्य वैतरणा-IV मुम्बई जलापूर्ति	"
5.	आ० प्रदेश लघु सिंचाई	"
6.	बांध सुरक्षा	"
7.	असम सिंचाई	"
8.	त्रिपुरा सिंचाई योजनाएं एवं बाढ़ प्रबंध कार्य	"
9.	असम की बारिसुती सिंचाई योजना	"
10.	गोआ डब्ल्यू०आर०सी०पी०	"
11.	गुजरात डब्ल्यू०आर०सी०पी०	"
12.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू०आर०सी०पी०	"
13.	सौराष्ट्र तटीय क्षेत्र के लिए लवणता रोकथाम परियोजना	"
14.	राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना	"
15.	कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण	"
16.	कर्नाटक डब्ल्यू०आर०सी०पी०	"
17.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन	"
18.	महाराष्ट्र जल सेवा सुधार	"
19.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत ए०पी०एल०-II	"
20.	उड़ीसा राजकोषीय सुधार	"
21.	राजस्थान आर्थिक पुनर्संरचना	"
22.	गुजरात आर्थिक क्षेत्र पुनर्संरचना	"
23.	हरियाणा विद्युत ए०पी०एल०-II	"
24.	केरल राज्य परिवहन	"
25.	मिजोरम राज्य सड़क	"

1	2	3
26.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क	विश्व बैंक
27.	तमिलनाडु राज्य सड़क	"
28.	इलाहाबाद उपमार्ग	"
29.	हैदराबाद सी०डी०एस० उपक्रम — सिटीज अलायंस प्रोग्रोम	"
30.	आंध्र प्रदेश शहरी गरीबी उन्मूलन	"
31.	गुजरात शहरी सुधार	"
32.	हैदराबाद हेतु शहरी गरीबी उन्मूलन — इतालवी सहयोग हेतु सहायता	"
33.	मुम्बई शहरी परिवहन	"
34.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना-II	"
35.	गुजरात में समेकित ग्रामण विकास सहायता कार्यक्रम	"
36.	तमिलनाडु महिला विकास परियोजना-II	"
37.	त्रिपुरा कृषि विकास	"
38.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उन्मूलन	"
39.	छत्तीसगढ़ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	"
40.	गुजरात में भूकम्प हेतु आजीविका सुरक्षा परियोजना	आई०एफ० ए०डी०
41.	राष्ट्रीय लघु वित्त सहायता कार्यक्रम	"
42.	उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता एवं आजीविका कार्यक्रम	"
43.	मेघालय में वानिकी एवं काष्ठ भिन्न वन्य उत्पाद का विकास	"
44.	अरुणाचल प्रदेश वानिकी	विश्व बैंक
45.	असम वानिकी चरण-I	"
46.	असम वानिकी चरण-II	"
47.	पश्चिम बंगाल वानिकी चरण-II	"
48.	मध्य प्रदेश वानिकी चरण-II	"
49.	महाराष्ट्र वानिकी	"
50.	आंध्र वानिकी चरण-II	"
51.	गुजरात वानिकी	"
52.	मणिपुर वानिकी	विश्व बैंक
53.	झारखण्ड वानिकी	"
54.	त्रिपुरा वानिकी	"
55.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमिलनाडु, जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	"
56.	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	"
57.	भारत में पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना (संकल्पना पत्र)	ई०सी०
58.	सरदार सरोवर नहर आधारित पेयजल-आपूर्ति	नीदरलैंड्स
59.	कोची; कांडला और विशाखापत्तनम में तीन पत्तन सहायता कार्यक्रम	नीदरलैंड्स
60.	सुंदरवन जलमार्ग में, भूमिगत जल परिवहन ढांचागत का विकास	"
61.	दामोदर घाटी निगम शहर में भूमिगत जल परिवहन ढांचागत का विकास	"
62.	समुद्री विज्ञान संबंधी जहाज की प्राप्ति हेतु भारत भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यकता	"
63.	आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में जलसंभर विकास कार्यक्रम	"
64.	कालपेसर परियोजना में चरण-I हेतु प्रस्ताव	"
65.	ओरेट/एम०आई०एल० आई०ई०बी० कार्यक्रम के अंतर्गत कलकत्ता विद्युत पूर्ति कंपनी लिमिटेड	"
66.	ओरदा में विरासत संरक्षण	"
67.	भूमिगत जल परिवहन	"
68.	गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों आदि का पुनर्निर्माण	स्पेन
69.	अहमदाबाद तथा बम्बई गलियारा के बीच उच्च स्पीड रेल संपर्क का निर्माण	स्पेन
70.	संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम उड़ीसा, चरण-II	डेनमार्क
71.	कृषि में लगी हुई मध्य प्रदेश की महिलाएं, चरण-II	"
72.	ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता, चरण-II, कर्नाटक	"
73.	इम्फाल शहर में ठोस अपशिष्ट का पुन: प्रयोग	फ्रांस

1	2	3
74.	आधुनिक तकनीकों तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से नहर नियंत्रण का सुधार	फ्रांस
75.	चंडीगढ़ शहर के लिए हानि में कमी तथा प्रणाली सुधार	"
76.	शिक्षा संचार हेतु संघ	"
77.	समुद्री विज्ञान संबंधी जहाज की खरीद	"
78.	जम्मू और कश्मीर में ट्राउट मछली पालन	"
79.	पंजाब में केंट्र मछली पालन हेतु प्रायोगिक परियोजना	"
80.	आंध्र प्रदेश में भारतीय समुद्र मछली के अर्ध औद्योगिक कलचर हेतु अंडज उत्पत्ति शाला तथा फार्म की परियोजना	"
81.	जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र	"
82.	तमिलनाडु तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र	"
83.	पश्चिम बंगाल में जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	इटली
84.	फरीदाबाद में मूर्तिका के लिए डिजाइन, विकास तथा सुविधा केन्द्र	"
85.	मिजोरम, महाराष्ट्र तथा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	"
86.	पर्यावरण हेतु डिजाइन में प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना	जर्मनी
87.	कृषि उपकरण विकास कार्यक्रम	"
88.	इलैक्ट्रोनिक उत्पाद हेतु औद्योगिक डिजाइन केन्द्र	"
89.	अनुरक्षणता, डिजाइन तथा उपकरण अनुरक्षण सहायता आधारभूत ढांचा	"
90.	विद्युत क्षेत्र सुधार चरण-II (मध्य प्रदेश में परियोजना विस्तार)	"
91.	पर्यावरण संरक्षण परियोजना, कर्नाटक	"
92.	कृषि	"
93.	पोलियो उन्मूलन (2002-2005)	"
94.	छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक स्वास्थ्य में सुधार	"
95.	अरूणाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार	"

1	2	3
96.	बिज कृषक विकास योजना परियोजना	जर्मनी
97.	कर्नाटक में व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीमें	"
98.	महाराष्ट्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीमें	"
99.	राजमार्ग इंजीनियरों के राष्ट्रीय संस्थान का सुदृढ़ीकरण	"
100.	सड़क सुरक्षा उपाय	"
101.	दि सोल मोल्ड परियोजना	"
102.	भारतीय रेलवे के अनुरक्षण डिपो की उत्पादकता में सुधार चरण-IV	"
103.	आई०आर०इ०डी०ए० – लिंड ट्रांश परियोजना	"
104.	आई०आर०ई०ई०पी० – चरण-II (विस्तार)	"
105.	तथ्य खोज मिशन (राज्य बिजली बोर्डों के विद्युत संयंत्रों में तापीय दक्षता)	"
106.	आई०जी०ई०ई०पी०– चरण-III (अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान)	"
107.	आई०जी०ई०ई०पी० – चरण-III (गैर-विनियामक कार्यकलाप)	जर्मनी
108.	सिक्किम में ट्राउट मछली पालन	नार्वे
109.	विद्युत वित्त सहयोग	ए०डी०बी०
110.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	"
111.	राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा-I	"
112.	सरकारी संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (केरल)	"
113.	ताजमहल पर्यावरणात्मक सुधार	"
114.	बदायूं जिला अस्पताल	ओपेक फंड
115.	प्रमुख क्षेत्रों में विकास हेतु सी०आई०पी०ई०टी० केन्द्रों का क्षमता निर्माण	"
116.	असम में डेयरी उद्योग का विकास	"
117.	सरदार सरोवर नहर आधारित पेयजल पूर्ति परियोजना (चरण-II)	"
118.	मिजोरम राज्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन	कुवैत
119.	लारजी पन बिजली परियोजना	"

विवरण-II

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार — ऋण/अनुदान की राशि, मिलियन में

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान की राशि मुद्रा	राशि	वितरण की अंतिम तारीख	उपयोग
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी संघ (151 मिलियन दिनांक 19.12.96) दिनांक 05.06.1997	एफआरएफ	19.95	31/12/02	18.97
	जापान				
2.	आईडीपी-094 श्रीसेलम लैफ्ट बैंक पीएसपी-II दिनांक 28.02.95	जेपीवाई	22471.41	12/04/01	22471.41
3.	आईडीपी-09.5 श्रीसेलम लैफ्ट बैंक टीपीएस-II दिनांक 28.02.95	जेपीवाई	9546.00	31/03/02	7253.25
4.	कोठगुडेम 'ए' टीपीएस दिनांक 28.2.1995	जेपीवाई	5092.00	12/04/02	4686.02
5.	कुरनूल-कुडपाट्ट नहर आधुनिकीकरण दिनांक 25.1.1996	जेपीवाई	16049.00	26/03/03	4522.31
6.	सिमाहद्री तथा विजाग पारेषण प्रणाली दिनांक 12.12.1997	जेपीवाई	10629.00	19/02/03	8418.81
7.	श्रीसेलम लैफ्ट बैंक पावर दिनांक 25.2.1997	जेपीवाई	14499.00	16/02/03	11742.09
	आईबीआरडी				
8.	आंध्र प्रदेश हाजार्ड मिटिगेशन दिनांक 3.6.1997	यूएसडी	40.00	31/07/02	0.00
9.	आंध्र प्रदेश सिंचाई दिनांक 3.6.1997	यूएसडी	175.00	31/01/03	0.00
10.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग दिनांक 30.7.1997	यूएसडी	350.00	31/01/03	162.98
11.	एपी आर्थिक पुन: संरचना दिनांक 4.2.1999	यूएसडी	301.30	31/03/04	150.27
12.	एपी विद्युत पुन: संरचना दिनांक 5.3.1999	यूएसडी	210.00	31/08/03	114.23
	आईएफएडी				
13.	एपी भागीदारी अधिकारी थिकाना दिनांक 13.5.1994	एसडीआर	18.95	31/03/02	11.54
	आईडीए				
14.	एपी स्वास्थ्य प्रणाली दिनांक 22.12.1994	एसडीआर	90.70	31/03/02	75.20
15.	एपी हाजार्ड मिटिगेशन एंड ईसीआर दिनांक 3.6.1997	एसडीआर	64.93	31/07/02	64.83
16.	तृतीय एपी सिंचाई दिनांक 3.6.1997	एसडीआर	108.10	31/01/03	92.14
17.	एपी आर्थिक पुन: सरचना दिनांक 4.2.1999	एसडीआर	179.40	31/03/04	71.11
18.	एपी जिला गरीबी पहल (इनिशिएटिव्स) दिनांक 12.5.2000	एसडीआर	82.90	31/12/05	3.60

1	2	3	4	5	6
	अनुदान				
	यूनाइटेड किंगडम				
1.	एपी ऊर्जा दक्षता दिनांक 15.11.1993	जीबीपी	42.70	31/12/02	15.35
2.	एपी जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 29.8.1996	जीबीपी	42.50	31/03/03	17.90
3.	एपी शहरी निर्धन सेवा सुधार दिनांक 3.6.99	जीबीपी	94.41	31/05/06	1.46
4.	एपी ग्रामीण जीविका दिनांक 23.7.1999	जीबीपी	40.18	31/07/06	0.00
5.	एपी शहरी निर्धन सेवाएं दिनांक 3.6.99	जीबीपी	66.09	31/05/06	0.00
6.	शासन सुधार कार्यक्रम दिनांक 17.8.2001	जीबीपी	5.87	30/09/04	0.21
	नीदरलैंड				
7.	कृषि क्षेत्र में महिलाओं का प्रशिक्षण दिनांक 24.8.1993	एनएलजी	2.96	31/08/99	2.66
8.	हैदराबाद हरित क्षेत्र दिनांक 28.3.1994	एनएलजी	5.49	30/09/00	5.17
9.	एपी कूप परियोजना दिनांक 14.11.1994	एनएलजी	26.85	31/03/02	12.28
10.	ग्रांट इंडिया 2000 03 ग्रीन हैदराबाद दिनांक 12.4.2001	एनएलजी	6.48	30/06/02	3.67
	आईएफएडी				
11.	एपी आदिवासी विकास दिनांक 15.5.1991	यूएसडी	7.20	31/03/99	1.51
	आईबीआरडी				
12.	एकीकृत कृषि मांग पक्ष प्रबंधन दिनांक 23.6.1999	यूएसडी	4.30	31/12/00	0.00
	यूएनडीपी				
13.	दीर्घकालीन शुल्क क्षेत्र कृषि दिनांक 1.11.1999	यूएसडी	3.10	30/11/02	0.55
	असम				
1.	असम ग्रामीण संरचना दिनांक 6.6.1995	एसडीआर	81.00	31/12/03	44.75
	बिहार				
	ऋण				
1.	बिहार पठार विकास दिनांक 17.12.1992	एसडीआर	67.90	30/06/00	67.90
	अनुदान				
1.	ग्रामीण उद्योग ऊर्जा सेवाएं, अंगारा दिनांक 13.10.1999	यूएसडी	0.60	30/09/02	0.03
	केंद्रीय				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-VII दिनांक 29.10.2001	डीईएम	40.00	30/12/02	0.00
2.	113219 एनएलसी-III दिनांक 27.1.1997	डीईएम	12.00	31/12/97	11.91
3.	1303 (107) दिनांक 27.01.1987	डीईएम	19.28	31/12/97	19.28

1	2	3	4	5	6
4.	1303 (बी-103) दिनांक 27.01.1987	डीईएम	3.45	31/12/97	3.45
5.	रेलवे कोइल स्पिनिंग फैक्ट्री दिनांक 17.4.1989	डीईएम	11.25	31/12/00	11.25
6.	सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण-कानपुर-दिल्ली दिनांक 1.8.97	डीईएम	185.00	30/12/01	0.00
	फ्रांस				
7.	एफएफ 1130 मिलियन प्रोटोकॉल दिनांक 24.6.88 बैंक पोर्शन	एफआरएफ	450.85	31/03/98	441.29
8.	जीएसआई-क्षेत्रीय भू-रसायन स्टाक (223.3 एम दिनांक 1.12.94) दिनांक 28.3.1995	एफआरएफ	11.00	31/03/01	10.59
9.	दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल निकासी उपक्रम 30.4.96	एफआरएफ	46.59	31/03/01	41.75
10.	जीयू में फ्यूज गेटों की स्थापना (376 एम 30.1.96) 14.5.97	एफआरएफ	18.33	31/12/03	18.33
11.	उड़ीसा में पीजीएम का अन्वेषण (376 एम 30.1.96) 26.5.97	एफआरएफ	4.20	31/12/03	3.89
12.	जीएसआई में भू-विज्ञान डाटा केन्द्र की स्थापना (37 एम दिनांक 9.6.97)	एफआरएफ	41.63	31/12/03	41.63
13.	खनन तथा बंजर पुनरूस्थान संबंधी पर्यावरणीय प्रबंधन (376 एम दिनांक 10.6.1997)	एफआरएफ	16.00	31/12/02	15.65
14.	गुणवत्ता जल वितरण हेतु माइक्रो-यूनिट (376 एम 13.8.97)	एफआरएफ	7.30	31/12/03	7.30
15.	खनन हेतु लागत माडलों का विकास (125 एम 19.6.98)	एफआरएफ	1.53	30/06/01	1.53
16.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (125 एम 22.6.98)	एफआरएफ	23.90	30/06/01	23.90
17.	जीएसआई कलकत्ता को ड्रिलिंग उपकरणों की आपूर्ति (125 एम 1.2.99)	एफआरएफ	15.94	30/06/01	15.94
	जापान				
18.	आईडीपी 042 असम गैस टर्बाइन दिनांक 18.3.87	जेपीवाई	30000.00	08/09/00	29607.20
19.	आईडीपी 066 विद्युत प्रणाली और लघु पन दिनांक 23.1.1991	जेपीवाई	24379.00	05/02/02	13086.60
20.	आईडीपी 078 एनटीपीसी दिनांक 9.1.1992	जेपीवाई	40191.41	31/03/00	40191.41
21.	अजन्ता एल्लोरा संरक्षण दिनांक 9.1.1992	जेपीवाई	3745.00	30/03/02	2773.67
22.	यमुना कारवाई योजना दिनांक 21.12.92	जेपीवाई	17773.00	19/04/02	8727.27
23.	फरीदाबाद जीबीपीएस एंड एटीएसपी दिनांक 24.1.94	जेपीवाई	19936.79	11/03/01	19936.79
24.	यमुना पुल, नैनी दिनांक 24.1.94	जेपीवाई	10037.00	11/03/05	2190.15
25.	एनएच 5 सुधार दिनांक 24.1.94	जेपीवाई	11360.00	11/03/03	3863.58
26.	आईडीपी 0986 असम गैस टीपीएस तथा पारेषण दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	10551.72	12/04/01	10551.72
27.	आईडीपी 100 राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार-II दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	5836.00	12/04/02	861.46
28.	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 सुधार दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	4827.00	12/04/02	1945.34
29.	आईडीपी 121 दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली दिनांक 25.2.97	जेपीवाई	14760.00	21/10/07	12079.35
30.	आईडीपी 139 दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली-II दिनांक 30.3.01	जेपीवाई	6732.00	30/03/08	4719.81

1	2	3	4	5	6
	साऊदी अरब				
31.	कोरापूट राइगढ़ रेलवे दिनांक 11.8.1983	एसएआर	103.20	31/12/00	73.38
	एशियाई विकास बैंक				
32.	रेलवे माल ढुलाई क्षमता दिनांक 16.12.1987	यूएसडी	181.40	31/03/04	177.84
33.	द्वितीय रेलवे दिनांक 6.4.1992	यूएसडी	104.83	08/12/99	104.83
34.	कोयला पत्तन दिनांक 12.2.1993	यूएसडी	241.90	31/12/01	233.43
35.	राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 22.3.1995	यूएसडी	245.00	31/12/02	216.02
36.	एमपी विद्युत क्षेत्र विकास दिनांक 10.12.2001	यूएसडी	150.00	30/06/03	0.00
	आईबीआरडी				
37.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 18.6.1992	यूएसडी	153.00	30/12/02	133.69
38.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी दिनांक 22.6.98	यूएसडी	96.80	31/12/03	0.00
39.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 11.8.2000	यूएसडी	516.00	31/12/05	56.21
40.	जीटी रोड सुधार दिनांक 27.7.2001	यूएसडी	589.00	31/12/06	0.00
41.	द्वितीय बंबई शहरी परिवहन संरचना दिनांक 15.11.94	यूएसडी	3.00	31/07/02	2.42
	रूसी संघ				
42.	कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर दिनांक 21.6.1998	यूएसडी	2600.00	24/03/08	42.23
	आईएफएडी				
43.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकार दिनांक 27.3.97	एसडीआर	13.30	30/06/02	1.14
44.	एनई क्षेत्रीय समुदाय संसाधन प्रबंधन दिनांक 20.5.97	एसडीआर	16.55	31/12/04	1.09
	आईडीए				
45.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 18.6.1992	एसडीआर	116.20	30/06/01	114.06
46.	परिवार कल्याण (गंदी बस्ती) दिनांक 4.2.1994	एसडीआर	57.70	30/06/02	43.33
47.	नवीकरणीय संसाधन विकास दिनांक 5.3.1993	एसडीआर	81.60	31/12/01	63.57
48.	द्वितीय एकीकृत बाल विकास दिनांक 23.3.1993	एसडीआर	141.60	30/09/02	125.03
49.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिनांक 4.2.1994	एसडीआर	53.59	31/03/00	53.59
50.	मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण दिनांक 19.5.1994	एसडीआर	77.97	30/06/02	57.11
51.	परिवार कल्याण दिनांक 24.6.1994	एसडीआर	62.70	31/12/01	49.97
52.	उद्योग प्रदूषण निवारण दिनांक 21.11.1994	एसडीआर	16.48	31/03/02	4.70
53.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना दिनांक 22.12.1994	एसडीआर	180.00	31/03/02	129.63
54.	निजी संरचना (आईउल और एफएस) दिनांक 10.7.96	एसडीआर	3.40	30/09/01	0.57
55.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक प्रशासन दिनांक 6.6.96	एसडीआर	31.26	30/06/02	19.29
56.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 15.7.96	एसडीआर	291.70	30/06/03	216.24

1	2	3	4	5	6
57.	आर्थिक-विकास दिनांक 30.9.1996	एसडीआर	19.50	30/06/02	8.18
58.	क्षयरोग नियंत्रण दिनांक 14.3.1997	एसडीआर	98.40	31/12/02	22.61
59.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकार दिनांक 14.9.1998	एसडीआर	13.50	31/12/01	1.21
60.	मलेरिया नियंत्रण दिनांक 30.7.1997	एसडीआर	119.20	31/03/03	30.05
61.	कोयला क्षेत्र पुनर्वास दिनांक 19.3.1998	एसडीआर	1.05	30/06/03	1.05
62.	तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 23.2.1998	एसडीआर	111.80	30/09/03	25.06
63.	राष्ट्रीय कृषि तकनीकी दिनांक 23.2.1998	एसडीआर	73.80	31/12/03	32.61
64.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण दिनांक 14.9.1999	एसडीआर	140.82	31/07/04	40.42
65.	उत्तर प्रदेश तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 23.2.2000	एसडीआर	132.30	26/03/05	44.07
66.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण दिनांक 19.5.2000	एसडीआर	106.50	30/06/04	41.17
67.	द्वितीय नवीकरण ऊर्जा योजना दिनांक 11.8.2000	एसडीआर	37.20	31/03/06	3.81
68.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिनांक 19.7.2001	एसडीआर	23.30	31/12/04	3.14
69.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य दिनांक 30.7.1997	एसडीआर	179.50	31/03/03	86.52
70.	महिला एवं बाल विकास दिनांक 6.7.1999	एसडीआर	222.50	30/09/04	31.75
71.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 6.7.1999	एसडीआर	63.00	31/12/04	10.31
	जर्मनी				
72.	रूरकेला इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण दिनांक 20.10.1992	डीईएम	158.13	31/03/01	150.10
73.	पीएफसी ऊर्जा निवेश कार्यक्रम दिनांक 19.6.1995	डीईएम	23.25	31/03/01	11.85
74.	एल 9565680 एनएलसी रिजू मिन० इक्यूप्मेंट माइन दिनांक 26.4.96	डीईएम	65.00	30/12/98	45.77
75.	एएल 9566985 एनएलसी एक्सपान लिग्नाइट माइन एंड पावर दिनांक 13.3.97	डीईएम	375.20	31/12/02	337.35
76.	एएल 9665944 आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए हुडको आवास दिनांक 31.10.97	डीईएम	20.00	30/12/00	0.00
77.	भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी दिनांक 15.7.1999	डीईएम	70.00	31/03/04	34.66
78.	भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी-II दिनांक 15.7.1999	डीईएम	50.00	31/03/04	12.17
	फ्रांस				
79.	आरएसपी (सेल) (सीएन) हेतु रीहिटिंग फर्णर्स (66 एम दिनांक 25.3.1993) दिनांक 25.5.1993	एफआरएफ	35.64	30/04/02	34.33
80.	आरएसपी (सेल)(एसजी) हेतु रीहिटिंग फर्नेस (66 एम दिनांक 25.6.93) दिनांक 25.5.1993	एफआरएफ	32.68	30/09/02	29.87
	जापान				
81.	आईडीपी 106 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम दिनांक 28.2.1995.	जेपीवाई	3000.00	02/10/00	3000.00

1	2	3	4	5	6
82.	आईडीपी 107 धौलीगंगा पन विद्युत संयंत्र दिनांक 25.1.1996	जेपीवाई	5665.00	23/05/00	4334.44
83.	आईडीपी-1169 पीजीसीएल उत्तरी भारत पारेषण दिनांक 25.2.1997	जेपीवाई	8497.00	03/06/06	570.54
84.	आईडीपी-119 एनईईपी तुरीयल पन बिजली दिनांक 25.2.97	जेपीवाई	11695.00	18/06/09	572.33
85.	आईडीपी-120 एनटीपीसी सीमाहद्री तापीय विद्युत केन्द्र 25.2.97	जेपीवाई	19817.00	24/06/07	18725.79
86.	आईडीपी-129 एनएचपीसी धौलीगंगा पन बिजली परियोजना दिनांक 12.12.07	जेपीवाई	18318.00	09/02/05	5678.35
87.	आईडीपी-131 तूतीकोरिन पोर्ट ड्रेजिंग प्रोजेक्ट दिनांक 12.12.1997	जेपीवाई	7003.00	20/12/07	5961.04
88.	आईडीपी-138 सिम्हाद्रि ताप विद्युत केन्द्र-II दिनांक 30.3.2001	जेपीवाई	12194.00	30/03/08	11592.53
	एशियाई विकास बैंक				
89.	एनटीपीसी ऊंचाहार ताप विद्युत दिनांक 1.12.1988	यूएसडी	126.68	30/03/00	126.68
90.	पीजीसीएल विद्युत पारेषण क्षेत्रक दिनांक 18.7.1996	यूएसडी	275.00	31/03/03	223.04
91.	नवीकरणीय ऊर्जा विकास दिनांक 23.4.1997	यूएसडी	100.00	16/07/02	56.91
92.	आईसीआईसीआई-निजी क्षेत्रक अवसंरचना सुविधा दिनांक 14.8.97	यूएसडी	150.00	26/09/02	150.00
93.	आईएफसीआई-निजी क्षेत्रक अवसंरचना दिनांक 14.8.97	यूएसडी	100.00	27/09/02	62.50
94.	मुंबई पत्तन न्यास दिनांक 25.9.1998	यूएसडी	43.42	30/09/03	43.42
95.	चेन्नई पत्तन न्यास दिनांक 25.9.1998	यूएसडी	8.50	31/03/03	4.35
96.	एलपीजी पाइपलाईन परियोजना दिनांक 11.12.1998	यूएसडी	109.50	31/08/04	97.57
97.	1719-इंड हुडको शहरी और पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा दिनांक 19.5.2000	यूएसडी	90.00	31/12/06	0.00
98.	1720-इंड-आईसीआईसीआई शहरी और पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा दिनांक 19.5.2000	यूएसडी	80.00	31/12/06	0.47
99.	1721-इंड-आईडीएफसी शहरी पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा दिनांक 19.5.00	यूएसडी	30.00	31/12/06	0.00
100.	सूरत-मनोर टोलवे दिनांक 5.10.2000	यूएसडी	180.00	30/09/04	17.08
101.	विद्युत पारेषण (क्षेत्रक) सुधार दिनांक 4.12.2000	यूएसडी	250.00	31/03/06	14.30
	आईबीआरडी				
102.	पीजीसीएल पावरग्रिड प्रणाली विकास दिनांक 23.3.1993	यूएसडी	275.00	31/12/00	227.44
103.	कोनकोर कटेनर ट्रांसपार्ट लोजिस्टिक्स दिनांक 29.8.1994	यूएसडी	67.42	31/12/01	33.49
104.	आईडीबीआई औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण दिनांक 21.11.94	यूएसडी	28.83	31/03/01	26.33
105.	आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण दिनांक 21.11.94	यूएसडी	50.00	31/03/02	3.53
106.	आईडीबीआई आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक विकास दिनांक 24.3.95	यूएसडी	77.70	31/10/01	77.70
107.	आईएलएंडएफएस निजी अवसंरचना वित्त दिनांक 10.7.1996	यूएसडी	31.13	30/09/01	25.13

1	2	3	4	5	6
108.	कोयला क्षेत्रक पुनरुद्धार दिनांक 19.3.98	यूएसडी	261.30	30/06/03	232.28
109.	आईआरईडीए द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा दिनांक 11.8.2000	यूएसडी	80.00	31/03/06	0.00
110.	द्वितीय पावरग्रिड प्रणाली विकास दिनांक 13.6.2001	यूएसडी	450.00	30/06/06	0.00
	नार्वे				
111.	एक्सपोर्ट फायनेस एएसए से आईसीआईसीआई 10 मि० अमरीकी डालर दिनांक 6.11.1997	यूएसडी	10.00		0.34
	अनुदान				
	कनाडा				
1.	चमेरा परियोजना दिनांक 5.5.1987	सीएडी	69.76	30/09/00	69.60
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-II दिनांक 7.2.2001	सीएडी	6.76	31/05/06	0.00
	आईडीए				
3.	नवीकरण संसाधन दिनांक 30.9.1993	सीएचएफ	6.00	31/12/99	0.56
4.	नवीकरण संसाधन विकास दिनांक 30.9.1993	सीएचएफ	6.00	31/12/01	1.13
	जर्मनी				
5.	पल्स पोलियो टीकाकरण-III दिनांक 29.10.2001	डीईएम	20.00	30/12/02	0.00
	डेनमार्क				
6.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन-II दिनांक 17.9.1991	डीकेके	70.00	31/12/99	13.10
7.	संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण (उड़ीसा) चरण-I दिनांक 2.12.96	डीकेके	54.80	31/12/01	2.12
8.	स्वास्थ्य देखभाल-III (तमिलनाडु) दिनांक 24.12.1996	डीकेके	102.50	31/12/01	58.39
9.	राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम-III दिनांक 7.11.97	डीकेके	55.00	06/11/02	17.24
10.	कुष्ठरोग उन्मूलन-III दिनांक 16.11.98	डीकेके	76.40		5.50
11.	एमपी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं दिनांक 15.11.1999	डीकेके	79.30	14/11/04	3.12
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
12.	बिहार में सहकारी ग्रामीण भंडारण केन्द्र दिनांक 24.2.88	ईयूआर	21.20	31/03/00	7.62
13.	पशुधन के लिए चिकित्सीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण दिनांक 30.10.89	ईयूआर	40.30	31/07/98	5.81
14.	उर्वरक आपूर्ति—अल्कलाईन भूमि सुधार दिनांक 22.5.1990	ईयूआर	35.50	26/09/01	8.06
15.	प्राथमिक शिक्षा सहायता दिनांक 23.12.1993	ईयूआर	150.00	30/12/02	143.50
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रक विकास दिनांक 2.9.1997	ईयूआर	200.00	31/12/04	62.00
17.	"सर्व शिक्षा अभियान" के लिए सहायता कार्यक्रम दिनांक 12.10.01	ईयूआर	200.00	31/12/10	0.00

1	2	3	4	5	6
	फ्रांस				
18.	दिल्ली जल आपूर्ति-ओजोन ट्रीटमेंट संयंत्र के लिए अनुदान दिनांक 30.12.1992	एफआरएफ	2.23	28/12/98	2.23
19.	दिल्ली में जल वितरण प्रणाली का मानिचत्रण एवं नियंत्रण दिनांक 7.12.1992	एफआरएफ	2.95	29/06/98	2.65
20.	पायलट परियोजना और ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई दिनांक 21.5.93	एफआरएफ	1.10	14/12/93	0.28
21.	दूरसंचार विभाग पायलट परियोजना प्रशिक्षण एवं पूर्ति दिनांक 1.6.9	एफआरएफ	2.00	31/12/98	2.00
22.	कलकत्ता पोत न्यास जलसंर्वेक्षण के लिए उपकरण आपूर्ति दिनांक 12.6.1996	एफआरएफ	2.40	31/03/99	2.04
23.	मल्टीमीडिया दूर प्रशिक्षण का व्यवहार्यता अध्ययन 19.9.96	एफआरएफ	1.00	31/12/98	1.00
24.	मत्यस्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के लिए पायलट परियोजना (विजाग) दिनांक 18.3.97	एफआरएफ	1.65	31/12/02	1.49
25.	पम्पिंग स्टोरेज स्टेशन का व्यवहार्यता अध्ययन प०थं० दिनांक 1.2.1998	एफआरएफ	2.00	31/12/02	1.40
	युनाइटेड किंग्डम				
26.	ऊर्जा कुशलता अनुदान दिनांक 21.11.1990	जीबीपी	81.10	31/03/01	75.10
27.	कृषकों वर्षा सिंचित कृषि दिनांक 7.1.1993	जीबीपी	2.51	31/03/02	1.72
28.	कृषको पूर्वी भारत वर्षासिंचित कृषि दिनांक 1.4.95	जीबीपी	6.63	31/03/02	3.01
29.	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम दिनांक 22.10.1996	जीबीपी	47.50	30/06/00	44.78
30.	झांग्रा परियोजना-झांग्रा कोयला दिनांक 28.10.96	जीबीपी	4.56	31/03/99	4.46
31.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा दिनांक 16.5.1997	जीबीपी	37.71	31/03/04	12.56
32.	पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा विस्तार 16.5.00	जीबीपी	30.00	30/09/06	1.92
33.	वन प्रशिक्षण दिनांक 11.4.2000	जीबीपी	0.94	31/03/03	0.00
34.	आंध्र प्रदेश पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 1998 दिनांक 21.7.2000	जीबीपी	8.12	30/10/05	0.09
35.	लोक जुम्बिश-III एलपीजी दिनांक 4.8.2000	जीबीपी	31.43	31/03/04	6.74
36.	पश्चिम उड़ीसा ग्रामीण विकास दिनांक 23.7.99	जीबीपी	23.00	31/01/10	0.00
37.	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा उड़ीसा में लैंगिक स्वास्थ्य के लिए भागीदारी दिनांक 5.10.99	जीबीपी	28.10	31/12/04	0.94
38.	पोलियो उन्मूलन-1999 दिनांक 3.2.2000	जीबीपी	38.81	31/03/01	35.25
	आई०बी०आर०डी०				
39.	शहरी पर्यावरणिक प्रबंधन दिनांक 4.9.1996	जेपीवाई	103.15	31/03/01	103.15

1	2	3	4	5	6
	जापान				
40.	मत्स्य पत्तनों के लिए ड्रेजर का निर्माण दिनांक 19.12.1997	जेपीवाई	2420.58	30/04/99	2420.58
	नीदरलैंडस				
41.	हुगली फेयरवे डेवलपमेंट दिनांक 17.12.1990	एनएलजी	24.00	31/12/99	19.64
42.	महिला समख्या परियोजना 31.1.1994	एनएलजी	30.30	31/12/02	25.19
43.	जलनिकासी संबंधी नेटवर्क प्रचालनात्मक अनुसंधान दिनांक 4.10.1995	एनएलजी	7.09	31/12/00	4.76
44.	अपग्रेडिंग हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण दिनांक 14.8.1997	एनएलजी	9.28	31/07/01	9.26
45.	भा०रि० बैंक को बैंक नोट श्रेडिंग तंत्र की आपूर्ति दिनांक 23.2.2000	एनएलजी	8.51	31/12/02	0.99
46.	भा०रि० बैक को नोट श्रेडिंग तंत्र की आपूर्ति दिनांक 29.11.2000	एनएलजी	3.56	31/12/02	0.00
	नार्वे				
47.	राष्ट्रीय डाटा बायस कार्यक्रम दिनांक 18.2.1997	एनओके	27.00	30/06/01	26.96
48.	महिला आर्थिक कार्यक्रम दिनांक 13.11.1997	एनओके	38.00	13/11/02	30.06
	आई०डी०ए०				
49.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा दिनांक 21.8.1997	यूएसडी	25.80	30/06/03	10.26
	आईडीएफ (विश्व बैंक)				
50.	आर्थिक विकास-वैश्विक पर्यावरण सुविधा दिनांक 30.9.1996	यूएसडी	20.00	30/06/02	11.29
	आईबीआरडी				
	संयुक्त राज्य अमरीका				
51.	संसूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति दिनांक 30.8.1985	यूएसडी	40.07	30/04/03	33.79
52.	निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन II दिनांक 31.8.97	यूएसडी	10.00	31/01/01	2.54
53.	प्लांट जेनेटिक संसाधन दिनांक 31.8.1988	यूएसडी	18.70	30/09/97	14.84
54.	एडस निवारण तथा नियंत्रण दिनांक 3.9.1992	यूएसडी	10.00	31/03/02	5.98
55.	परिवार नियोजन सेवा नवीकरण दिनांक 30.9.1992	यूएसडी	77.82	30/09/02	79.01
56.	ऊर्जा संरक्षण तथा वाणिज्यीकरण दिनांक 18.4.2001	यूएसडी	25.00	30/06/05	0.02
57.	एवर्ट परियोजना दिनांक 15.9.99	यूएसडी	41.50	30/07/07	0.27
58.	ग्रीनहाऊस गैस प्रदूषण निवारण दिनांक 10.4.1995	यूएसडी	18.92	31/03/02	18.95
	फोर्ड फांउडेशन				
59.	दिल्ली और पुणे में सिटीजन चार्टर पोस्टफोरम दिनांक 20.12.2000	यूएसडी	0.05	12/11/01	0.05
	यूएनएफपीए				
60.	प्रचार माध्यम समर्थन, दिनांक 2.6.2000	यूएसडी	0.10	30/06/02	0.03

1	2	3	4	5	6
61.	भारतीय लिंग जनगणना, 2001 का सुग्राहीकरण दिनांक 13.10.2000	यूएसडी	0.15	31/10/01	0.11
62.	व्यावसायिक प्रशिक्षण में जनसंख्या शिक्षा, दिनांक 31.10.95	यूएसडी	0.41	31/03/01	0.07
	यूएनडीपी				
63.	पंजाब में कृषि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटीएसएपीएसपी), दिनांक 30.3.2000	यूएसडी	1.25	30/06/02	0.09
64.	रोजगार सृजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 30.3.02	यूएसडी	0.60	31/12/02	0.00
65.	समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सहायता, दिनांक 7.8.1998	यूएसडी	8.70	31/12/02	1.04
66.	समुदाय आधारित निर्धन-समर्थक पहल, दिनांक 5.9.97	यूएसडी	13.50	31/03/01	2.16
67.	भारतीय उद्योग की ग्रीन रेटिंग दिनांक 13.2.1998	यूएसडी	0.41	30/11/01	0.27
68.	पर्यावरणीय कार्यक्रम में क्षमता निर्माण दिनांक 31.12.98	यूएसडी	0.45	31/12/01	0.05
69.	सेमीकंडक्टर और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में पर्यावरणीय प्रबंध दिनांक 11.12.1998	यूएसडी	0.35	31/12/00	0.16
70.	निर्धनता उन्मूलन और पर्यावरण पुनर्संरचना के लिए कृषि-वानिकी दिनांक 13.10.1999	यूएसडी	0.33	30/09/01	0.20
71.	दिल्ली का पर्यावरणीय गुणवत्ता का उन्नयन दिनांक 30.9.99	यूएसडी	0.30	30/09/01	0.15
72.	औषधीय पौधे-संरक्षण और सततता 30.10.99	यूएसडी	0.50	31/12/01	0.23
73.	भारत को अंतर्देशीय आर्द्रभूमि दिनांक 10.11.99	यूएसडी	0.50	31/12/01	0.21
74.	लघु अनुदानों पर उप-कार्यक्रम दिनांक 15.11.99	यूएसडी	0.70	31/12/01	0.18
75.	संरक्षण शिक्षा केंद्र, गोवा, दिनांक 24.11.99	यूएसडी	0.28	31/10/01	0.18
76.	पश्चिम बंगाल में तन्त्रजीवन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, दिनांक 1.9.1999	यूएसडी	0.20	30/09/01	0.14
77.	शहरी सेवाएं पर्यावरणीय दर्जा निर्धारण प्रणाली 18.10.99	यूएसडी	0.35	31/12/01	0.17
78.	विद्यालयों के लिए समुदाय ग्रहया और मानीटरिंग कार्यक्रम दिनांक 8.10.1999	यूएसडी	0.10	31/01/01	0.10
79.	औलिव रिडले टर्टल संरक्षण दिनांक 1.11.1999	यूएसडी	0.30	30/11/01	0.22
	यूएनएफपीए				
80.	स्कैलपैल-भिन्न बंदयाकरण का विस्तार दिनांक 15.5.97	यूएसडी	1.35	31/03/01	0.72
81.	राजस्थान में एकीकृत जनसंख्या और विकास दिनांक 14.7.98	यूएसडी	12.06	30/09/02	1.65
82.	आईपीडी, गुजरात दिनांक 10.9.1998	यूएसडी	8.11	31/05/02	1.23
83.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना-बूंदी दिनांक 9.8.1997	यूएसडी	0.62	31/03/01	0.20
84.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना-वर्धा, दिनांक 19.8.1997	यूएसडी	0.50	31/03/01	0.39
85.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना-सिटमोर दिनांक 9.8.97	यूएसडी	0.75	31/03/01	0.28
86.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना-मलाप्पुरम, दिनांक 9.8.1997	यूएसडी	0.75	31/03/01	0.31

1	2	3	4	5	6
87.	प्रजनन स्वास्थ्य का स्तर सुधारना दिनांक 3.8.98	यूएसडी	0.41	31/12/02	0.13
88.	केरल में एकीकृत जनसंख्या और विकास दिनांक 7.8.98	यूएसडी	4.22	31/08/02	0.11
89.	विद्यालयों में जनसंख्या और विकास शिक्षा (एनसीईआरटी), दिनांक 7.9.1998	यूएसडी	3.66	30/12/01	1.44
90.	साक्षरता पश्च और अनवरत शिक्षा में जनसंख्या और विकास शिक्षा दिनांक 23.9.1998	यूएसडी	1.94	31/12/01	1.04
91.	जिला प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना पटना दिनांक 9.8.97	यूएसडी	0.66	31/03/01	0.17
92.	महिला अधिकारिता के लिए प्रशिक्षण महाराष्ट्र दिनांक 3.10.97	यूएसडी	0.72	31/03/01	0.13
	यू०एन०डी०पी०				
93.	बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए संकर चावल प्रौद्योगिकी का विकास, दिनांक 31.12.1998	यूएसडी	2.55	31/12/01	0.21
94.	खाद्य सुरक्षा के लिए मक्का-आधारित फसल प्रणाली 30.12.98	यूएसडी	0.81	31/12/02	0.17
95.	खाद्य सुरक्षा के लिए महिला किसानों की अधिकारिता उ०प्र०	यूएसडी	1.63	30/11/02	0.76
96.	आर्थिक सुधार दिनांक 1.11.1999	यूएसडी	1.84	31/10/02	0.44
97.	राज्य एचडीआर की तैयारी के लिए क्षमता निर्माण 8.7.99	यूएसडी	0.50	30/06/02	0.16
98.	समुदाय-आधारित सौर ऊर्जा का प्रदर्शन (एसडब्ल्यूआरसी) दिनांक 3.11.99	यूएसडी	1.20	31/10/02	0.71
99.	जूट कार्यक्रम दिनांक 2.8.1999	यूएसडी	1.00	30/06/02	0.73
100.	मल्बरी भिन्न रेशम तसर उत्पादन और प्रसंस्करण 2.8.99	यूएसडी	1.90	30/06/02	1.80
101.	एकीकृत अंगोरा बूल कार्यक्रम दिनांक 2.8.1999	यूएसडी	1.40	30/06/02	0.18
102.	हाथ से बुने कारपेट दिनांक 2.8.1999	यूएसडी	1.20	31/06/01	0.80
103.	केन और बेम्बो क्षेत्र विकास दिनांक 19.9.1999	यूएसडी	1.09	30/06/02	0.63
104.	मसाला उद्योग का एकीकृत विकास दिनांक 31.12.1998	यूएसडी	1.12	31/12/01	0.21
	यू०एन०एफ०पी०ए०				
105.	एकीकृत जनसंख्या और विकास-मध्यप्रदेश दिनांक 16.8.99	अ०डा०	7.14	27/03/03	0.35
106.	हमारा शरीर हमारा जीवन दिनांक 21.05.1999	अ०डा०	0.92	30/06/02	0.16
107.	एकीकृत जनसंख्या और विकास-उड़ीसा दिनांक 8.7.99	अ०डा०	5.96	31/07/02	0.11
	यू०एन०डी०पी०				
108.	विक्लांग बच्चों को सहायता दिनांक 22.02.2000	अ०डा०	1.00	31/12/02	0.12
109.	शहरी देखभाल के लिए क्षमता विकास दिनांक 21.12.02	अ०डा०	0.50	31/12/02	0.15
	यू०एन०एफ०पी०ए०				
110.	लिंग से संबंधित मामलों को समर्थन दिनांक 15.09.1999	अ०डा०	0.32	28/03/03	0.32
111.	जनसंख्या, जनन स्वास्थ्य के संबंध में समर्थन दिनांक 8.11.99	अ०डा०	0.14	30/11/01	0.03
112.	सुरक्षित मातृत्व बनाना एक वास्तविकता दिनांक 1.4.00	अ०डा०	0.09	31/03/03	0.09

1	2	3	4	5	6
	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संघ विकास निधि				
113.	भारतीय जनगणना, 2001 की लिंग सुग्रहिता दिनांक 25.10.2000	अ०डा०	0.06	31/05/01	0.05
	एशियाई विकास बैंक				
114.	सी०ए०ए० एण्ड ए० संस्थागत सुदृढ़ीकरण, वित्त मंत्रालय दिनांक 27.12.2000	अ०डा०	0.60	31/12/02	0.00
	आई०बी०आर०डी०				
115.	सूचना विकास कार्यक्रम — दिनांक 18.08.1999	अ०डा०	0.35	31/08/00	0.33
116.	राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना — दिनांक 18.9.1998	अ०डा०	0.40	30/09/00	0.00
117.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम दिनांक 07.12.1997	अ०डा०	0.50	31/12/99	0.10
118.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 09.05.1997	अ०डा०	1.72	30/09/00	1.68
	यूनिसेफ				
119.	पोषाहार को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यशाला दिनांक 04.06.1999	अ०डा०	0.05	31/03/01	0.05
120.	आईसीडीएस योजना के तहत ए डब्ल्यू डब्ल्यू प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तारीख 01.04.1999	अ०डा०	0.21	31/03/01	0.21
121.	भारत की लिंग सक्रिय जनगणना, 2001 दिनांक 01.11.2000	अ०डा०	0.10	31/03/01	0.07
	संयुक्त राज्य अमरीका				
122.	संयुक्त अनुमत पोपी अध्ययन — दिनांक 09.06.2000 (जे०एल०ओ०पी०एस०)	अ०डा०	0.17	30/09/02	0.05
	जर्मनी				
123.	हुडको-भवन प्रौद्योगिकी का संवर्धन (हुडको-III)	डीईएम	10.00	30/06/99	7.80
124.	एचडीएफसी-II दिनांक 14.02.1994	डीईएम	30.00	30/12/05	26.28
125.	पीएसएस और पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन दिनांक 29.12.1996	डीईएम	15.00	30/12/98	12.67
126.	हुडको-V दिनांक 20.11.1995	डीईएम	35.00	30/12/98	35.00
127.	एन०एस०आई०सी० राष्ट्रीय नवीकरण निधि दिनांक 23.5.96	डीईएम	2.40	31/12/01	0.40
128.	एन०एस०आई०सी०-XII दिनांक 22.11.1995	डीईएम	0.15	30/06/97	0.15
129.	जलसंभर विकास महाराष्ट्र-II दिनांक 20.06.1997	डीईएम	25.00	30/12/05	13.78
130.	हुडको-VI दिनांक 31.10.1997	डीईएम	30.00	30/12/00	26.08
131.	एचडीएफसी-III (कम लागत वाले आवास) दिनांक 25.9.1998	डीईएम	30.00	30/12/03	7.40
132.	आदिवासी विकास कार्यक्रम (नाबार्ड) दिनांक 24.11.98	डीईएम	28.00	30/12/10	1.00
	आई०बी०आर०डी०				
133.	आईआरईडीए द्वितीय नवीकरण ऊर्जा परियोजना दिनांक 11.08.2000	एसडीआर	3.80	31/03/06	0.00

1	2	3	4	5	6
	गुजरात				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	गुजरात में बांधों पर फ्यूज़गेट प्रणाली दिनांक 17.5.1999	एफआरएफ	34.74	31/12/03	33.99
	जापान				
2.	गुजरात वनरोपण और विकास दिनांक 25.01.1996	जेपीवाई	15760.00	26/03/04	14639.47
3.	पिपावव पत्तन जहाज अवच्छेदन दिनांक 25.01.1996	जेपीवाई	7046.00	26/03/03	6967.20
	एशियाई विकास बैंक				
4.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम दिनांक 14.12.2000	यूएसडी	150.00	31/12/02	51.50
5.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना दिनांक 14.12.02	यूएसडी	200.00	30/06/05	2.14
6.	गुजरात भूचाल पुनर्वास और पुनर्निर्माण दिनांक 26.04.2001	यूएसडी	500.00	30/06/04	80.00
	आई०बी०आर०डी०				
7.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना दिनांक 18.10.2000	यूएसडी	381.00	31/12/05	49.11
	अनुदान				
	नीदरलैण्ड				
1.	जल संसाधन विकास और प्रबंधन-I 17.02.1995	एनएलजी	1.45	01/06/99	0.47
2.	ग्रांट इंडिया 1996-06 गोवा क्षेत्रीय जलापूर्ति 4.8.97	एनएलजी	19.37	03/08/02	0.78
3.	गुजरात स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1996-02 ओरेट परियोजना दिनांक 27.11.1997	एनएलजी	39.83	30/06/02	30.60
4.	कृषि में 1997.05 प्रशिक्षण महिलाएं — गुजरात-II दिनांक 9.12.97	एनएलजी	6.61	30/06/02	2.88
5.	प्राथमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण और 9.12.97 मरम्मत — गुजरात दिनांक 24.07.20001	एनएलजी	94.49	30/09/03	44.51
	जर्मनी				
6.	नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम गुजरात दिनांक 23.12.94	डीईएम	26.00	12/04/06	12.82
	हरियाणा				
	ऋण				
1.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनसंरचना दिनांक 16.01.1998	यूएसडी	52.35	31/12/00	52.35
	आई०एफ०ए०डी०				
2.	मेवात क्षेत्र विकास — दिनांक 29.05.1995	एसडीआर	9.65	31/12/03	4.58
	आई०डी०ए०				
3.	हरियाणा जल संसाधन समेकन — दिनांक 06.04.1994	एसडीआर	187.30	31/12/01	174.09

1	2	3	4	5	6
	अनुदान				
	यूरोपीयन आर्थिक समुदाय				
1.	अरावती पहाड़ियों में सार्वजनिक भूमि का सुधार दिनांक 7.3.1990	ईयूआर	23.20	31/10/99	19.82
2.	हरियाणा समुदाय वानिकी दिनांक 19.02.1997	ईयूआर	23.30	31/12/04	0.00
	नीदरलैण्ड				
3.	जलाक्रांत और खारे पानी वाली भूमि का सुधार हरियाणा दिनांक 23.08.1994	यूएसडी	4.41	31/03/02	3.20
	यू०एन०एफ०पी०ए०				
4.	हरियाणा एकीकृत महिलाओं को अधिकार देना तथा उनका विकास दिनांक 31.12.1998	एनएलजी	3.70	31/01/02	2.90
	हिमाचल प्रदेश				12.91
	ऋण				
	ओपेक				
1.	शिमला मलव्ययन दिनांक 21.08.1997	यूएसडी	10.00	31/12/01	5.63
	अनुदान				
	यूनाइटेड किंगडम				
1.	हिमाचल प्रदेश वानिकी दिनांक 08.09.1994	जीबीपी	3.83	31/03/01	3.31
	नार्वे				
2.	पर्यावरण कार्यक्रम दिनांक 13.11.1997	एनओके	24.00	13/11/02	20.57
	कर्नाटक				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	जलापूर्ति और मलव्ययन प्रणालियों में सुधार 26.4.96	एफआरएफ	47.94	31/12/03	12.27
2.	एफएफ-105 मि० प्रा० दिनांक 23.11.98 (एलए-2) दिनांक 23.11.1998	एफआरएफ	13.74	21/06/02	10.95
	जापान				
3.	बंगलौर जलापूर्ति और मलव्ययन दिनांक 25.01.1996	जेपीवाई	28452.00	26/03/04	10209.29
4.	पूर्वी कर्नाटक वन रोपण दिनांक 25.02.1997	जेपीवाई	15968.00	29/05/05	8981.65
	ओपेक				
5.	रायचुर जिला अस्पात-दिनांक 06.06.1991	यूएसडी	9.00	30/04/01	7.00
	एशियाई विकास बैंक				
6.	कर्नाटक शहरी ढांचागत विकास दिनांक 10.05.1996	यूएसडी	85.00	30/06/02	52.91
7.	कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंधन दिनांक 19.5.2000	यूएसडी	175.00	30/06/05	1.02

1	2	3	4	5	6
	आईबीआरडी				
8.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार दिनांक 26.07.2001	यूएसडी	360.00	31/12/06	16.60
9.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना दिनांक 26.07.2001	यूएसडी	75.00	31/12/01	75.00
10.	कर्नाटक जलापूर्ति प्रबन्धन और एम एस परियोजना दिनांक 23.12.1999	यूएसडी	1.50	02/06/02	0.00
	आईडीए				
11.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना दिनांक 26.07.2001	एसडीआर	58.90	31/12/01	58.90
12.	कर्नाटक जलसंभर विकास दिनांक 26.07.2001	एसडीआर	79.00	31/03/07	2.37
	अनुदान				
	जर्मनी				
1.	कर्नाटक जलसंभर विकास दिनांक 17.06.1994	डीईएम	20.00	30/12/02	5.93
2.	कर्नाटक क्षेत्रीय स्तर पर अस्पताल विकास दिनांक 16.1.97	डीईएम	23.00	30/12/02	8.42
	डेनमार्क				
3.	महिला एवं युवा प्रशिक्षण विस्तार-II (कर्नाटक) दिनांक 01.07.1989	डीकेके	48.50	29/12/00	27.31
4.	एकीकृत ग्रामीण जल और सफाई, कर्नाटक-I, दिनांक 28.12.89	डीकेके	50.00	30/09/96	22.42
5.	ग्रामीण जल और सफाई चरण-II कर्नाटक, दिनांक 1.10.96	डीकेके	65.50	31/03/02	49.54
6.	कर्नाटक जलसंभर विकास चरण-II, दिनांक 2.06.97	डीकेके	46.70	02/06/04	15.71
7.	महिला एवं युवा प्रशिक्षण चरण-III, दिनांक 26.6.2000	डीकेके	28.30	30/06/05	0.00
	फ्रांस				
8.	अर्कावेथी और पोलर बेसिन-I के रिचार्ज का मूल्यांकन, दिनांक 7.6.93	एफआरएफ	2.65	30/04/96	2.65
9.	भूजल डाटा बेस प्रबंधन-II की स्थान, दिनांक 7.6.93	एफआरएफ	2.65	26/03/96	2.65
	यूनाईटेड किंगडम				
10.	कर्नाटक जलसंभर विकास, दिनांक 23.05.97	जीबीपी	4.49	31/03/02	0.00
	स्वीटजरलैंड				
11.	भारत-स्वीटजरलैंड भागीदार जलसंभर विकास दिनांक 19.6.1995	आईएनआर	88.82	30/09/01	88.82
	नीदरलैंड				
12.	ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई — कर्नाटक दिनांक 14.3.89	एनएलजी	33.15	31/03/01	31.82
13.	तुंगभद्रा सिंचाई प्रायोगिक परियोजना चरण-II दिनांक 31.8.95	एनएलजी	0.80	31/07/98	0.70
14.	मैसूर पेपर मिल चरण-III, दिनांक 3.02.98	एनएलजी	5.07	31/12/02	2.43
	आईडीए				
15.	कर्नाटक समुदाय-आधारित टैंक सुधार दिनांक 14.2.01	यूएसडी	0.40	01/11/01	0.16
16.	कर्नाटक जलसंभर विकास दिनांक 14.2.01	यूएसडी	0.36	31/07/01	0.18

1	2	3	4	5	6
	केरल				
	ऋण				
	जापान				
1.	अट्टापेडी बंजरभूमि व्यापक पर्यावरण दिनांक 25.1.96	जेपीवाई	5112.00	26/03/05	312.71
2.	केरल जलापूर्ति दिनांक 25.2.97	जेपीवाई	11997.00	03/06/06	0.00
	ओपेक				
3.	केरल वर्षा पोषित खेती विकास दिनांक 27.6.91	यूएसडी	10.00	30/06/00	2.97
	आईडीए				
4.	केरल वानिकी दिनांक 13.8.98	एसडीआर	28.80	31/12/02	12.35
5.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता दिनांक 04.1.01	एसडीआर	50.10	31/12/06	1.98
	अनुदान				
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
1.	केरल में कृषि बाजार (उर्वरक पूर्ति) दिनांक 30.3.89	ईयूआर	18.65	31/12/97	18.00
2.	केरल बागवानी विकास दिनांक 17.01.92	ईयूआर	28.70	31/12/00	16.85
3.	केरल लघु सिंचाई दिनांक 21.5.92	ईयूआर	11.80	31/12/00	3.39
	यूनाईटेड किंगडम				
4.	कोचीन शहरी गरीबी को कम करना दिनांक 01.5.97	जीबीपी	11.47	30/09/01	3.76
	नीदरलैंड				
5.	केरल समुदाय सिंचाई दिनांक 17.12.93	एनएलजी	4.85	30/06/00	2.15
6.	केरल जलापूर्ति, पावारत्ती दिनांक 29.8.1996	एनएलजी	44.50	31/03/02	27.60
	मध्य प्रदेश				
	ऋण				
	जापान				
1.	झील भोपाल संरक्षण और प्रबन्ध दिनांक 28.2.95	जेपीवाई	7055.00	12/04/02	3309.11
2.	राजघाट नहर सिंचाई दिनांक 25.2.97	जेपीवाई	13222.00	29/05/06	3963.72
	ओपेक				
3.	रेवा अस्पताल दिनांक 8.3.89	यूएसडी	10.00	30/06/01	10.00
	एशियाई विकास बैंक				
4.	मध्य प्रदेश जन संसाधन प्रबन्ध दिनांक 14.12.99	यूएसडी	250.00	30/09/02	100.00
	आईडीए				
5.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन उपाय दिनांक 5.12.2000	एसडीआर	84.20	30/06/06	2.95

1	2	3	4	5	6
	अनुदान				
	डेनमार्क				
1.	कृषि में मध्य प्रदेश की महिलाएं दिनांक 19.11.1993	डीकेके	12.61	18/11/00	9.67
2.	व्यापक जलसंभर विकास तिरूनवेली चरण-II दिनांक 05.8.94	डीकेके	68.47	31/01/02	43.91
3.	पशुधन विकास — बस्तर दिनांक 5.12.1996	डीकेके	28.30	04/12/01	4.12
4.	पश्चिमी मध्य प्रदेश में जलसंभर विकास दिनांक 12.3.97	डीकेके	29.20	11/03/02	12.06
	महाराष्ट्र				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	यूरेन पुनर्बन्दोबस्त दिनांक 11.12.95	डीईएम	1.98	30/12/98	1.98
2.	यूरेन गैस संयंत्र पुनर्बन्दोबस्त दिनांक 11.12.95	डीईएम	14.87	30/12/99	11.40
3.	लघु सिंचाई कार्यक्रम, महाराष्ट्र, दिनांक 1.6.2000	डीईएम	45.00	30/12/06	0.99
	फ्रांस				
4.	झींगा मछली अंडज उत्पत्ति शाला के लिए स्वच्छ जल सृजन, (महाराष्ट्र 376एम) दिनांक 2.12.97	एफआरएफ	4.43	31/12/02	3.42
	जापान				
5.	घाटघर टी पी परियोजना दिनांक 5.12.1988	जेपीवाई	11414.00	20/01/03	6214.22
	आईबीआरडी				
6.	बम्बई मल निपटान दिनांक 28.12.1995	यूएसडी	124.78	31/12/02	58.92
	आईएफएडी				
7.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण दिनांक 28.5.1995	एसडीआर	21.25	30/09/02	17.05
	अनुदान				
	जर्मनी				
1.	बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र दिनांक 23.7.1996	डीईएम	20.00	30/12/01	3.17
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
2.	फसलों के विकास के लिए जल-नियंत्रण प्रणाली महाराष्ट्र दिनांक 25.10.19988	ईयूआर	15.00	31/10/98	13.80
3.	महाराष्ट्र में खारा पानी वाली भूमि का सुधार दिनांक 3.7.1995	ईयूआर	15.50	31/12/01	0.35
	फ्रांस				
4.	माजालगोन सिंचाई का बहु-आयात विनियमन दिनांक 30.11.92	एफआरएफ	3.05	24/04/97	2.59
	यूनाईटेड किंगडम				
5.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता दिनांक 10.9.91	जीबीपी	16.46	31/12/00	8.61

1	2	3	4	5	6
	आईबीआरडी				
6.	मुम्बई पुनर्बन्दोबस्त और पुर्नवास दिनांक 01.9.96	जेपीवाई	44.76	31/07/00	44.76
7.	मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण दिनांक 1.6.2000	जेपीवाई	16.76	31/07/00	0.00
	यूएनएफपीए				
8.	महाराष्ट्र में एकीकृत जनसंख्या और विकास दिनांक 4.2.99	यूएसडी	4.60	31/03/02	0.82
	जर्मनी				
9.	जलसंभर महाराष्ट्र-II (नाबार्ड) दिनांक 26.6.97	डीईएम	25.00	30/12/05	0.00
	मणिपुर				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	कांगचुप जलापूर्ति का उन्नयन/परिवर्धन दिनांक 26.2.1997	एफआरएफ	31.65	31/12/01	32.05
2.	आर डी-एम एन (125 एम) के पुनर्वास हेतु विस्तृत अध्ययन (125 एम) दिनांक 14.10.97	एफआरएफ	7.62	30/06/01	7.62
3.	भूजल खोज-इम्फाल (125 एम) दिनांक 27.5.1997	एफआरएफ	4.63	30/06/01	4.63
	जापान				
4.	मणिपुर रेशम पालन दिनांक 12.12.1997	जेपीवाई	3962.00	28/07/05	460.82
	मेघालय				
	ऋण				
1.	यूनिअम पन बिजली केन्द्र पुनरूद्धार दिनांक 25.2.97	जेपीवाई	1700.00	10/06/04	870.80
	बहुराज्यीय परियोजनाएं				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	झींगा अंडज उत्पत्तिशाला निर्माण-जीयू (376 एम) दिनांक 2.12.97	एफआरई	4.57	31/12/02	3.67
	आईबीआरडी				
2.	नाथपा झ करी विद्युत दिनांक 18.5.1989	यूएसडी	154.40	31/03/02	94.58
3.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी-II) दिनांक 14.7.99	यूएसडी	85.00	31/03/05	0.85
	आईएफएडी				
4.	झारखंड छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास दिनांक 25.6.99	एसडीआर	16.95	31/12/09	0.78
	आईडीए				
5.	झींगी और मत्स्य पालन दिनांक 29.1.1992	एसडीआर	19.25	31/12/00	19.25
6.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा तथा विस्तार दिनांक 9.3.94	एसडीआर	33.80	31/12/01	29.14
7.	कृषि मानक संसाधन विकास दिनांक 11.4.1995	एसडीआर	40.50	31/12/01	37.73
8.	पन परियोजना दिनांक 22.9.1995	एसडीआर	75.10	31/03/03	49.14

1	2	3	4	5	6
9.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकास दिनांक 18.4.96	एसडीआर	235.50	30/03/04	142.06
10.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी-II) दिनांक 14.7.99	एसडीआर	36.90	31/03/05	24.08
11.	तृतीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना दिनांक 18.10.2000	एसडीआर	48.90	30/06/06	2.56
	अनुदान				
	स्विटजरलैंड				
1.	रेशम उत्पादन-2000 (रेशम उत्पादन परियोजना) दिनांक 5.11.97	सीएचएफ	12.50	31/03/04	1.78
	नीदरलैंड				
2.	एनएलजीजी 001 अनुदान भारत 1994-01 दिनांक 3.2.94	एनएलजी	210.00	31/12/03	90.99
	आईडीए				
3.	ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता, केरल/कर्नाटक 12.7.00	यूएसडी	0.41	31/05/02	0.20
	उड़ीसा				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई दिनांक 19.2.93	डीईएम	55.00	30/12/00	40.60
	जापान				
2.	रेनगली सिंचाई दिनांक 12.12.1997	जेपीवाई	7760.00	05/02/03	3334.91
	आईबीआरडी				
3.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना दिनांक 10.7.1996	यूएसडी	332.67	31/12/02	117.51
	आईडीए				
4.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन दिनांक 18.12.2000	एसडीआर	35.00	30/09/02	9.28
5.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन दिनांक 5.1.1996	एसडीआर	194.80	30/09/02	119.90
6.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास दिनांक 13.8.1998	एसडीआर	56.80	31/03/04	7.78
	अनुदान				
	डेनमार्क				
1.	संघटित जलसंभर विकास, कोरापुट जिला दिनांक 5.10.1992	डीकेके	46.30	05/10/99	19.85
2.	समेकित पशुधन विकास कोरापुट दिनांक 22.12.92	डीकेके	19.90	31/12/00	12.12
3.	टेवा चरण-II उड़ीसा दिनांक 1.7.1995	डीकेके	23.69	30/06/02	19.67
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
4.	उड़ीसा में लघु सिंचाई दिनांक 3.7.1995	ईयूआर	10.70	31/12/04	1.11
	फ्रांस				
5.	भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण अपशिष्ट प्रबंध विकास दिनांक 5.2.1997	एफआरएफ	1.90	31/12/00	0.00

1	2	3	4	5	6
	युनाइटेड किंगडम				
6.	कटक गंदी बस्ती सुधार 23.5.1991	जीबीपी	16.94	31/03/02	9.59
7.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार 29.8.1996	जीबीपी	42.00	31/03/01	25.06
8.	उड़ीसा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-चरण-III 21.8.97	जीबीपी	1.75	31/12/02	0.88
9.	कटक शहरी सेवा सुधार 20.10.1997	जीबीपी	11.49	31/03/02	2.22
10.	चक्रवात से क्षतग्रिस्त एलआईपी का पुनर्वास 29.8.01	जीबीपी	5.35	31/07/02	0.00
11.	उड़ीसा जिला प्राथमिक शिक्षा 18.9.2001	जीबीपी	41.21	30/11/08	0.00
	नार्वे				
12.	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम 16.4.1992	एनओके	40.00	31/12/99	27.56
	स्वीडन				
13.	उड़ीसा वानिकी/क्षमता निर्माण 1.2.1997	एसईके	13.50	30/11/99	1.75
	यू०एन०डी०पी०				
14.	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध तथा महिलाओं के लिए स्थाई आजीविका 3.11.1999	यूएसडी	1.98	30/11/02	1.40
15.	विकेन्द्रीकृत इन्जीनियरिंग व्यवस्था, कोम्ना ब्लाक, 26.11.99	यूएसडी	1.00	30/09/02	0.74
	पंजाब				
	ऋण				
	जापान				
1.	पंजाब वृक्षारोपण परियोजना 12.12.1997	जेपीवाई	6193.00	16/02/03	4372.56
	अनुदान				
	यू०एन०डी०पी०				
1.	वस्त्रों में प्राकृतिक रंगाई का विकास तथा उपयोग	यूएसडी	0.45	31/12/00	0.39
	राजस्थान				
	ऋण				
	जर्मनी				
1.	समेकित सौर-तापीय विद्युत संयंत्र, मथानिया 29.10.01	डीईएम	116.80	30/06/07	0.00
2.	राजस्थान ग्रामीण तथा जलापूर्ति 17.6.1994	डीईएम	40.00	03/01/02	40.00
	फ्रांस				
3.	जयपुर हेतु जल प्रबंध परियोजना (223.3एम 1.12.94) 18.12.95	एफआरएफ	5.30	31/03/01	2.69
4.	जन स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग विभाग जयपुर 3.9.1996	एफआरएफ	13.69	31/03/01	7.92
	जापान				
5.	वृक्षारोपण विकास (इंदिरागांधी नहर) 23.1.91	जेपीवाई	7869.00	05/02/02	4521.39
6.	राजस्थान वानिकी विकास 28.2.1995		4219.00	12/04/02	4112.46

1	2	3	4	5	6
	एशियाई विकास बैंक				
7.	राजस्थान शहरी ढांचागत विकास 1.12.1999	यूएसडी	250.00	30/06/05	1.20
	आईबीआरडी				
8.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना 27.2.2001	यूएसडी	180.00	30/06/05	18.54
9.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना 10.2.1994	यूएसडी	2.00	31/12/05	0.00
	आईडीए				
10.	राजस्थान जिला गरीबी उपक्रम 12.5.2000	एसडीआर	75.00	31/12/05	3.12
11.	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा 27.7.2001	एसडीआर	58.50	31/12/06	2.74
	अनुदान				
	कनाडा				
1.	राजस्थान कृषि जल निकासी 13.3.1990	सीएडी	14.99	31/12/00	9.41
	स्विटजरलैंड				
2.	पावडी – परियोजना राजस्थान 23.7.1996	सीएचएफ	77.84	30/06/99	18.06
	जर्मनी				
3.	राजस्थान लघु सिंचाई चरण-I 29.4.1987	डीईएम	2.70	31/12/00	2.15
4.	आवासी स्कूल परियोजना 5.6.1997	डीईएम	18.00	30/12/03	5.30
5.	राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति चरण-I 17.6.1994	डीईएम	55.00	03/01/02	55.00
6.	ग्रामीण जलापूर्ति राजस्थान 17.6.1995	डीईएम	40.00	03/01/02	14.50
7.	ग्रामीण जलापूर्ति राजस्थान 29.10.2001	डीईएम	10.00	30/12/02	0.00
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
8.	सिद्धमुख और नोहरा सिंचाई 10.5.1993	ईयूआर	45.00	31/12/01	38.46
	फ्रांस				
9.	जन स्वास्थ्य और इन्जीनियरिंग विभाग, जयपुर 18.12.1995	एफआरएफ	6.50	31/03/01	6.50
	युनाइटेड किंगडम				
10.	शिक्षाकर्मी परियोजना चरण-III 16.3.2000	जीबीपी	17.14	08/03/03	3.08
	स्वीडन				
11.	डूंगरपुर समेकित जलभूमि विकास 4.3.1992	एसईके	80.00	30/09/99	46.15
	जर्मनी				
12.	सौर तापीय विद्युत परियोजना मथानिया 23.8.01	यूएसडी	0.75	30/06/02	0.00
	तमिलनाडु				
	ऋण				
	जापान				
1.	मद्रास मलव्ययन आर एण्ड एफ सुधार 28.2.95	जेपीवाई	17098.00	12/04/02	1211.19

1	2	3	4	5	6
2.	तमिलनाडु वृक्षारोपण कार्यक्रम 25.2.1997	जेपीवाई	13324.00	17/05/05	8003.91
	आईबीआरडी				
3.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति 20.11.1995	यूएसडी	80.50	30/06/02	63.44
4.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास 14.7.1999	यूएसडी	105.00	30/11/04	70.38
	आईडीए				
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन 22.9.1995	एसडीआर	181.90	31/03/02	99.89
	अनुदान				
	डेनमार्क				
1.	कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं (तनवा) चरण-II 30.9.1993	डीकेके	58.05	30/09/01	46.34
2.	व्यापक जल संभर विकास, रामनाकपुरम 19.11.93	डीकेके	26.42	31/03/02	19.63
3.	ग्रामीण जल तथा स्वच्छता चरण-II तमिलनाडु 1.10.96	डीकेके	60.00	28/03/04	21.17
4.	पुडुकोन्ताई पशुधन विकास चरण-II 31.11.97	डीकेके	51.48	31/01/04	9.88
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
5.	तमिलनाडु में टैंक सिंचाई व्यवस्था (चरण-II) 27.4.1959	ईयूआर	24.50	31/12/99	21.96
	स्वीडन				
6.	आई०सी०डी०एस०-III 6.12.95	एसईके	60.00	31/12/99	54.53
	जर्मनी				
7.	एन०एल०सी० अध्ययन विशेषज्ञ अनुदान 1.1.1901	डीईएम	1.50	31/12/99	1.14
8.	एन०डी०डी०बी० अध्ययन और विशेषज्ञ निधि-IV 5.8.91	डीईएम	2.00	31/12/99	2.00
	उत्तर प्रदेश				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०-(यू०पी०) के उपस्कर (376 एम 30.1.96) 13.8.97	एफआरएफ	3.56	26/03/01	3.56
2.	एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०-चिकित्सा उपस्करों की आपूर्ति तथा संस्थापन 25.1.1998	एफआरएफ	29.52	30/06/01	26.97
	जापान				
3.	अनपारा बी तापीय विद्युत 24.1.1994	जेपीवाई	17638.00	11/09/02	14907.47
4.	अनपारा विद्युत-पारेषण व्यवस्था-II 25.1.1996	जेपीवाई	8054.56	26/03/01	8054.56
	ओपेक				
5.	बस्ती जिला अस्पताल 4.5.1990	यूएसडी	6.50	30/06/00	5.90
	आई०बी०आर०डी०				
6.	उत्तर प्रदेश जलापूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता 22.7.96	यूएसडी	47.31	31/05/02	24.17

1	2	3	4	5	6
7.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता 30.7.1998	यूएसडी	79.90	31/03/04	0.00
8.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना 30.7.98	यूएसडी	150.00	31/12/04	41.68
	आईडीए				
9.	उत्तर प्रदेश सोडायुक्त भूमि सुधार 24.6.93	एसडीआर	39.50	31/03/01	39.50
10.	उत्तर प्रदेश वानिकी 30.12.97	एसडीआर	39.00	31/07/02	19.08
11.	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता 30.7.98	एसडीआर	37.20	31/03/04	23.39
12.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था विकास 14.1.99	एसडीआर	97.90	31/03/05	8.37
13.	उत्तर प्रदेश सोडायुक्त भूमि सुधार परियोजना-II 4.2.99	एसडीआर	141.70	30/09/05	24.73
14.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था विकास 19.5.2000	एसडीआर	82.10	30/12/05	2.42
	अनुदान				
	यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
1.	उत्तर प्रदेश में तंगधारी स्थिरीकरण	ईयूआर	7.90	16/04/02	0.00
	फ्रांस				
2.	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग व्यवहार्यता अध्ययन-लक्षवर बांध 23.4.96	एफआरएफ	3.50	31/12/98	3.50
	यूनाइटेड किंगडम				
3.	पश्चिमी भारत वर्षापोषित कृषि-II 21.4.99	जीबीवी	15.09	31/03/06	0.94
	नीदरलैंड्स				
4.	उत्तर प्रदेश उप-परियोजनपा-VI 16.10.90	एनएलपी	25.00	31/12/00	17.76
5.	ग्रामीण जलापूर्ति उत्तर प्रदेश उप-परियोजना-VIII 24.8.94	एनएलपी	25.48	31/12/01	17.67
6.	बुदेलखंड समेकित जल 12.6.96	एनएलपी	2.80	31/05/01	1.35
7.	गंगा कार्य योजना सहायता 23.7.97	एनएलपी	51.24	01/10/01	9.34
8.	उत्तर प्रदेश में ऊसर सुधार 7.7.98	एनएलपी	5.64	30/09/02	0.00
	पश्चिम बंगाल				
	ऋण				
	फ्रांस				
1.	सी०एम०सी०-उत्तर प्रदेश बंगाल, एलए-I 23.11.98	एफआरएफ	36.00	21/06/02	16.59
2.	(एफएफ 105 मिलियन) प्रोतोकोल 23.11.98	एफआरएफ	18.60	30/06/02	10.60
	जापान				
3.	पूरुलिया पम्पड भंडारण 28.2.95	जेपीवाई	20520.00	12/04/03	5565.03
4.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण (पश्चिम बंगाल) 28.2.95	जेपीवाई	1525.00	02/10/02	381.72
5.	पश्चिम बंगाल पारेषण व्यवस्था 25.2.1997	जेपीवाई	11087.00	29/05/04	5045.07
6.	कलकत्ता परिवहन ढांचागत विकास 25.2.97	जेपीवाई	10679.00	29/05/04	2396.67

1	2	3	4	5	6
7.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र-II 12.12.97	जेपीवाई	34151.00	19/02/03	27747.34
8.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र-III 24.3.99	जेपीवाई	11537.00	28/04/04	7042.35
	आईबीआरडी				
9.	कलकत्ता जलापूर्ति मलव्ययन तथा जल निकासी 23.7.99	यूएसडी	2.50	30/11/01	0.84
	अनुदान				
	जर्मनी				
1.	ग्रामीण जलापूर्ति, पश्चिम बंगाल 5.7.96	डीईएम	50.00	30/12/02	30.94
2.	बुनियादि स्वास्थ्य कार्यक्रम, पंश्चिम बंगाल 22.6.99	डीईएम	60.00	30/12/06	1.76
	फ्रांस				
3.	ठ्रेस अपशिष्ट प्रबंध सम्बन्धी व्यवहार्यता अध्ययन, सी०एम०सी० 13.11.97	एफआरएफ	1.40	31/12/00	0.00
	यूनाइटेड किंगडम				
4.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार 1.1.91	जीबीपी	16.94	30/09/01	10.79
5.	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार 8.11.2001	जीबीपी	28.30	31/03/09	0.00
	नीदरलैंड्स				
6.	उत्तर बंगाल तराई विकास चरण-III 30.11.94	एनएलजी	13.12	31/03/01	10.00
	आईबीआरडी				
7.	पश्चिम बंगाल नगरपालिका विकास 17.9.98	यूएसडी	0.47	31/12/99	0.00

[हिन्दी]

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

3224. **श्री राजो सिंह :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए बिहार में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्प्यूटर केन्द्रों को कहां-कहां खोले जाने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक से अधिक सहायता

3225. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक से अधिक सहायता देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2002-2003 के लिए एशियाई विकास बैंक से कितनी सहायता की मांग की गई है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने अतिरिक्त सहायता देने के एवज में कुछेक क्षेत्रों में सुधार शुरू करने से संबंधित शर्त रखी है;

(घ) यदि हां, तो अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के एवज में एशियाई विकास बैंक द्वारा रखी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शर्तों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) एशियाई विकास बैंक कलैण्डर वर्ष के आधार पर सहायता मुहैया कराता है। एशियाई विकास बैंक आने वाले वर्ष के संबंध में ऋण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए आमतौर पर कैलण्डर वर्ष के अंत में अपना पुष्टि मिशन भेजता है।

(ख) एडीबी मिशन ने सिद्धान्त रूप में चालू वर्ष 2002 के लिए पांच परियोजनाओं हेतु 1125 मिलियन से 1225 मिलियन अमरीकी डालर तक के मूल्य के प्रस्तावित ऋण देने का संकेत दिया है।

(ग) और (घ) परियोजना के कार्यक्षेत्र और इन परियोजनाओं के अन्य ब्यौरों पर वर्ष के दौरान बैंक के मूल्यांकन-पूर्व तथा मूल्यांकन मिशन और लाभानुभोगी राज्यों/निष्पादक अभिकरणों इत्यादि के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। ऋण संबंधी ब्यौरों की जानकारी विशिष्ट ऋण प्रस्ताव के लिए बैंक के साथ की गई वार्ताओं के बाद तथा ए०डी०बी० बोर्ड द्वारा ऋण की मंजूरी दिए जाने के बाद प्राप्त होती है। ए०डी०बी० के ऋण आमतौर पर 20 और 25 वर्ष के लिए पांच वर्ष की छूट अवधि के साथ ऐसी ब्याज दर पर दिए जाते हैं जो लिबोर जमा 60 आधारिक बिन्दुओं से सम्बद्ध होती है तथा बैंक की नीति के अनुसार वचनबद्धता प्रभार एवं फ्रंट एण्ड शुल्क लिए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु धनराशि

3226. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों के लिए हाल में शुरू किए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के वित्तीय प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार होने वाले अतिरिक्त खर्च को किस प्रकार वित्त पोषित करेगी; और

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए धन जुटाने हेतु विश्व बैंक या अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं से मांगे गए ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) चूंकि अधिशेष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सद्यः प्रवर्तित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अधिशेष कर्मचारियों द्वारा वी०आर०एस० अपनाने वाले कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर है, अतः इस मुकाम पर वित्तीय निहितार्थों का आकलन संभव नहीं है।

(ग) वी०आर०एस० के लिए वर्ष 2002-2003 के बजट आकलन में 100 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(घ) वी०आर०एस० के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक या किसी अन्य बाह्य वित्तीय संस्था से ऋण का आग्रह नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आयकर राजस्व

3227. **डा० बलिराम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर और मिर्जापुर सर्किल से कितना आयकर संग्रहित किया गया; और

(ख) उपर्युक्त तीनों सर्किल के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान वसूल किए गए आयकर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

सर्किल	98-99	99-2000	2000-01
गोरखपुर	9.15	10.07	18.45
आजमगढ़	2.81	4.54	5.82
मिर्जापुर	18.00	25.67	47.67

(ख) उक्त अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र निम्नानुसार हैं :—

राजस्व जिले :—

गोरखपुर : गोरखपुर, महाराजगंज तथा कुशीनगर

आजमगढ़ : आजमगढ़, मऊ और देवरिया।

मिर्जापुर : मिर्जापुर और सोनभद्र।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन योजनाएं

3228. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व अर्जन के विकास दर में गिरावट के कारण उनके मंत्रालय ने विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं की समीक्षा के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत निर्यात में धोखाधड़ी की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं। 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान ऐसे मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	अंतर्ग्रस्त निर्यात करने वाली फर्मों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)
1999-2000	167	19704.12
2000-2001	268	15287.52

(ग) और (घ) धोखाधड़ी को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले ही से निवारक तंत्र बनाए गए हैं। धोखा धड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक निर्यात संबर्धन योजना में रक्षोपाय किए गए हैं। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत धोखाधड़ी सहित धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए तथा धोखा धड़ी का पता चलने पर उचित कार्रवाई करने के लिए सीमाशुल्क गृहों के पास पहले ही से विशेष जांच और आसूचना शाखाएं मौजूद हैं। राजस्व आसूचना महानिदेशक आसुचना के आधार पर जांच करता है और तत्पश्चात् अपराधियों के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। जब कभी भी नई कार्य-प्रणाली ध्यान में आती है, सीमाशुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को सावधान करने के लिए राजस्व आसूचना महानिदेशक परिपत्र जारी करता है ताकि इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष कक्ष नहीं बनाया गया है।

(ङ) से (छ) प्रत्येक वर्ष, निर्यात आयात नीति (एक्जिम नीति) की घोषणा से पहले, निर्यात संवर्धन योजनाओं की पुनरीक्षा करने और आगमी वर्ष की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के दौरान राजस्व विभाग के सरोकारों को वाणिज्य मंत्रालय की जानकारी में लाया जाता है। इस साल भी, 2002-2007 तक की अवधि के लिए एक्जिम नीति/निर्यात आयात नीति को अन्तिम रूप देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चाएं/बैठकें आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं का मूल उद्देश्य भारतीय माल के निर्यात को बढ़ावा देना है और 2002-2007 की निर्यात आयात नीति, जिसे 31.3.2002 को घोषित किया जाना है, का केन्द्र-बिन्दु उसी दिशा में होगा।

खाद्यान्न निर्यात में रूकावटें

3229. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और कनाडा की गेहूं और अन्य खाद्यान्न निर्यात के मामले में भारत किसी समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समस्याओं के निपटान हेतु केन्द्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से संपर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के समक्ष विभिन्न खाद्यान्न निर्यात के मामलों की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) यू०एस०ए० तथा कनाडा ने पिछले वर्ष हमारे गेहूं निर्यात की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए थे जिनके जवाब दे दिए गए हैं। इस समय उक्त मामले पर डब्ल्यू०टी०ओ० में जाने का कोई कारण नहीं है।

हवाई अड्डे पर शीत भंडारण

3230. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कोचीन हवाई अड्डे पर शीत भंडार गृह बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यहां से हवाई मार्ग द्वारा समुद्री उत्पादों का निर्यात हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का अन्य हवाई अड्डों पर इस प्रकार के शीत भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को निर्यातों के लिए उद्दिष्ट प्रशीतित मत्स्य के परिरक्षण हेतु उनके द्वारा निर्मित चिल रूम के लिए 15.70 लाख रु० की अनुदान सहायता उपलब्ध की है।

(ग) और (घ) कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने अभी हाल ही में शुरू हुई हैं। इस हवाई अड्डे के जरिए प्रशीतित मत्स्य के निर्यात में एक बार वृद्धि होने पर इस सुविधा का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

(ङ) और (च) मै० केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राईजेज (के०एस०आई०ई०) ने भी त्रिवेन्द्रम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चिल रूम सुविधा के निर्माण हेतु एम्पीडा द्वारा उपलब्ध की गई अनुदान सहायता का लाभ उठाया है। एम्पीडा ने अन्य हवाई अड्डों पर प्रशीतित कार्गो भंडारण सुविधा के निर्माण हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजना के ब्यौरों के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) को सूचित किया है। तथापि, ए०ए०आई० ने इस योजना का लाभ उठाने के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि उन्होंने दिल्ली तथा चेन्नई हवाई अड्डों पर ऐसी

सुविधाएं पहले ही सृजित कर दी है और मुंबई में एक अन्य सुविधा निर्माणाधीन है।

सीमा व्यापार संबंधी कार्यबल

3231. **श्री पी०आर० किन्डिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा व्यापार संबंधी अंतर मंत्रालयी कार्यबल की सिफारिशों की जांच और उन पर विचार करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ था और

(ख) यदि हां, तो कार्य बल की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए समिति द्वारा क्या कदम उठाए गए और इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। 28.3.2000 को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। कार्य बल की सिफारिशों पर विभिन्न विभागों/अभिकरणों के समन्वय से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। क्रियान्वित की गई मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :—

(i) आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अंतर्गत, वाणिज्य विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती कस्बों समेत व्यापार संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 6.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

(ii) असम औद्योगिक विकास निगम को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीमा व्यापार प्रणाली अभिज्ञात करने संबंधी अध्ययन सौंपा गया है।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि के तहत, 547.63 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और इसमें से 289.16 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(iv) पूर्वोत्तर के व्यापार संवर्धन और पूर्वात्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में निर्यातों को बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अगरतला में एक सेमीनार का आयोजन किया गया था।

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र में छ: सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इन राजमार्गों के उन्नयन एवं रख-रखाव संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(vi) वस्तु बोर्डों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में अपने कार्यालय खोले हैं।

खाद्यान्नों का निर्यात

3232. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न निर्यातकों ने केन्द्र सरकार से त्रैमासिक आधार पर खाद्यान्नों की कीमत निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने निर्यातकों के सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सुगम निर्यात हेतु केन्द्र सरकार को निर्यातकों ने अन्य कौन से सुझाव दिए;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार निर्यातकों द्वारा खाद्यान्न उठाने के लिए एक माह के लिए और समय देने के लिए नियमों में संशोधन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस बड़े खाद्यान्न भंडार को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है और देश में खाद्यान्नों का वर्तमान भंडार कितना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात हेतु पेशकश किए गए मूल्य निर्धारित करने तथा उसके साथ स्टाक का उठान करने के लिए एक अतिरिक्त माह का समय देने और संबंधित तिमाही शुरू होने से पूर्व इन मूल्यों की घोषणा 45 दिन अग्रिम में करने का निर्णय किया है।

(ङ) निर्यातकों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव भी दिया है कि चावल की न्यूनतम खेप का आकार 5000 टन से कम करके 2000 टन कर दिया जाए और निर्यातकों की समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाए।

(च) और (छ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) सरकार उठान में वृद्धि करने और न्यूनतम बफर स्टाक के मानदंडों से अधिक स्टाक का निपटान करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

आम और आम के सत का निर्यात

3233. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आम के सत और आम के व्यापार के देख रेख हेतु पृथक् आम बोर्ड बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम और आम फलों से जुड़ी इकाइयों की निर्यात क्षमता बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्ष-वार आम और आम के सत के कुल निर्यात की मात्रा और कीमत संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार आम और आम के सत के निर्यात और देश के भीतर व्यापार लाभ हेतु नई योजना शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) देश में आम बोर्ड के गठन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आम तथा आम के सत के निर्यातों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	आम		आम का सत	
	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (लाख रु०)
1998-99	45407	7913.66	38133	13856.40
1999-2000	34634	7154.92	72384	19652.62
2000-2001	37109	6860.70	57303	26384.87

स्रोत : एपीडा

निर्यातों के राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए आम सहित फलों के निर्यातों को प्रोत्साहित कर रही है, जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना; प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करना; विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समेकित कार्गो हैंडलिंग तथा शीतागार सुविधाएं स्थापित करना; विशिष्टीकृत ढुलाई वाहन, रीफर वैन, कंटेनरों प्रशीतन पूर्व एककों के लिए सहायता प्रदान करना; फसल पूर्व एवं फसल पश्चात प्रबंधन सुविधाएं स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करना; व्यापार एवं उद्योग जगत को तकनीकी सलाहकार सेवाएं तथा अन्य सहायता प्रदान करना इत्यादि।

दी गई छूट की समीक्षा

3234. श्री अरुण कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों में कुछ छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष के दौरान छूट देने के क्या कारण रहे;

(ग) क्या दी गई छूट की समीक्षा करने और राज्य के वित्तीय हितों के विरुद्ध जाने वाली छूटों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी०ओ०पी० एंड टी०) ने इस मंत्रालय के परामर्श से दिनांक 14.7.1981 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सरकार द्वारा नियंत्रित और/अथवा वित्तपोषित अन्य संगठनों के लिए यह अपरिहार्य बना दिया है कि वे जी०एफ०आर० में विनिर्धारित संविदा/बोलियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया में शिथिलता लाते हुए अपनी स्टेशनरी और अन्य आइटमों की स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करें। आर्थिक उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए और सरकारी संगठनों को प्रतियोग और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए केन्द्रीय भण्डार इत्यादि को दी गई वर्तमान विशेष रियायत की पुनर्समीक्षा और इसके बदले जी०एफ०आर० के प्रावधानों के अनुसरण का प्रश्न इस मंत्रालय और डी०ओ०पी० एंड टी० में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा घपलेबाजी

3235. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17.2.2002 के 'जनसत्ता' के नई दिल्ली संस्करण में "करोड़ों रुपए का चूना लगा रही है ई०आई०सी० शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा जांच करायी गई है या कराये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी निधियों के अपव्यय को रोकने और इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार में दिए गए मुख्य मुद्दे हैं — अत्यधिक दरों पर नए आवास को किराए पर लेना, विकासपुरी में डी०डी०ए० से खरीदे गए प्लाटों पर निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई०आई०सी०) द्वारा अपने भवन का निर्माण न किया जाना और वाई०एम०सी०ए०, नई दिल्ली में नए भवन के नवीकरण पर किया गया अत्यधिक व्यय। इन तथ्यों के बारे में ई०आई०सी० से पूछताछ की गई थी। यह पता लगाया गया है कि डी०डी०ए० ने भवन स्थल

का अधिग्रहण अभी नहीं दिया है। ई०आई०सी० किसी वैकल्पिक स्थान विशेष रूप से केन्द्रीय दिल्ली में, आवंटित करने के लिए भी डी०डी०ए० के साथ बातचीत कर रही है, जो उनका कार्य चालन संबंधी अपेक्षाओं के अधिक अनुकूल रहेगा। ई०आई०सी० द्वारा राजेन्द्रा प्लेस में अधिगृहीत पूर्ववर्ती परिसर चार स्थानों तथा तीन तलों पर फैला हुआ था जिसमें 9 भिन्न-भिन्न मकान मालिकों के फ्लैट शामिल थे। ये परिसर कार्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे जिससे अनुशासन तथा पर्यवेक्षण कार्य प्रभावित होता था और इनका रख-रखाव भी खराब एवं अस्वास्थ्यकर था जिसके कारण कोई अन्य उपयुक्त स्थान खोजने की जरूरत पड़ी।

किराए पर लिए गए नए परिसरों के लिए तय की गई किराए की दरें प्रचालित बाजार दरों के अनुसार हैं और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। ई०आई०सी० ने एक डिजाइनर/कन्ट्रैक्टर के चयन में सहायता देने तथा इस कार्य के निष्पादन की देखरेख के लिए कुछ शुल्क भुगतान के आधार पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटैक्चर की सेवाएं ली गई थीं। कंट्रेक्टरों का चयन करने के लिए ई०आई०सी० ने नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की थीं। नवीकरण तथा फर्नीशिंग पर हुए व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त ई०आई०सी० द्वारा सरकार में व्यय के लिए अपेक्षित सावधानी तथा मानकों का अनुपालन किया जाता है। ई०आई०सी० के लेखे भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं और यदि उनमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होता है।

[अनुवाद]

3236. **श्री के०एच० मुनियप्पा :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल) :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002; के दौरान प्रत्येक माह प्राथमिक विद्यालयों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने की केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रति माह विद्यार्थी 3 किलोग्राम खाद्यान्न के कोटा को बढ़ाकर 5 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी प्रति माह करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने बेसहारा बच्चों, वृद्धाश्रमों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के स्कूलों के लिए राज्य के कोटे के अतिरिक्त 6,000 मीट्रिक टन चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दी जाने वाली दर पर आबंटित करने का भी अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 2001-2002 के दौरान प्रत्येक माह केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार समर्थन राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे व्यापक रूप से मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, को खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन और आपूर्ति बताने वाला संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार द्वारा उसके पक्ष में किए गए चावल के गरीबी रेखा से ऊपर के आवंटन में से राज्य सरकार 6000 टन चावल का निम्नलिखित विवरण के अनुसार आबंटन कर रही है :-

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	स्कीम	मात्रा प्रति माह
1.	समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग विभाग/अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाए जा रहे/मान्यता प्रदान किए गए छात्रावासों को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर	2000
2.	महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्र	3500
3.	वृद्धाश्रम/अकिंचन गृह	500
	जोड़	6000

राज्य सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि उपर्युक्त स्कीमों के लिए 6000 टन चावल प्रति माह का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर किया जाए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रहने वालों की संख्या और उन्हें दी जाने वाली मात्रा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001-02 के लिए इन छात्रावासों हेतु राज्य सरकार को पहले ही 36450 टन खाद्यान्नों का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर किया गया है। राज्य सरकार को वर्ष 2001-02 के लिए समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अधीन गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 36420 टन चावल और 37000 टन गेहूं का आवंटन किया गया है। वृद्धाश्रमों/अकिंचन गृहों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन के बारे में किए गए अनुरोध पर राज्य सरकार से विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

2001-2002 (अप्रैल, 2001 से जनवरी, 2002 तक) की अवधि के दौरान प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार समर्थन राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा टन में

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्नों का कुल (अंतिम) आवंटन	अप्रैल से जनवरी, 2002 के दौरान खाद्यान्नों का उठान										
			अप्रैल का जोड़	मई का जोड़	जून का जोड़	जुलाई का जोड़	अगस्त का जोड़	सितम्बर का जोड़	अक्तूबर का जोड़	नवम्बर का जोड़	दिसम्बर का जोड़	जनवरी 02 का जोड़	कुल उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	232753.62	0	0	14444	15870	19642	12353	16088	16232	17884	18321	130834
2.	अरूणाचल प्रदेश	4305.00	0	0	0	0	10	33	74	113	104	38	372
3.	असम	91716.63	390	330	538	262	666	913	6090	4282	3129	4659	21259
4.	बिहार	217576.41	1673	12871	10087	8383	18158	12848	17522	13327	14120	14219	123208
5.	छत्तीसगढ़	81532.74	0	0	2694	2411	9366	4707	7689	6016	6471	6591	45945
6.	गोवा	2408.52	0	0	0	202	0	202	202	202	202	0	1010
7.	गुजरात	87419.07	0	0	515	1284	2894	4125	2233	1338	2148	4220	18757
8.	हरियाणा	48496.39	382	202	1200	2796	3691	3670	4093	4376	4265	4149	28824
9.	हिमाचल प्रदेश	20058.12	1639	1757	2024	472	472	1194	1942	1951	1952	2023	15426
10.	जम्मू और कश्मीर	21497.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	62567.13	252	1753	1984	1536	2446	1925	1865	1538	1476	1825	16580
12.	कर्नाटक	156147.37	0	0	10648	14064	13571	12573	13591	13913	14418	14357	107135
13.	केरल	46693.60	0	4657	4663	4447	4891	4669	4669	4669	4669	4669	42003
14.	मध्य प्रदेश	190611.57	732	0	8845	17226	18765	18341	16529	15655	19023	18173	133289
15.	महाराष्ट्र	293757.03	0	0	21593	25461	28090	32598	31089	26370	23785	24321	213307
16.	मणिपुर	8389.44	592	592	577	577	577	577	574	837	837	745	6485
17.	मेघालय	12573.36	0	271	484	683	583	960	983	969	847	969	6749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	2947.17	0	294	295	294	295	295	0	295	0	0	1768
19.	नागालैंड	4789.92	304	479	0	479	479	479	479	479	0	479	3657
20.	उड़ीसा	99221.92	2577	0	0	7680	5942	9446	10393	9186	8128	9091	62443
21.	पंजाब	49792.50	0	0	475	420	682	640	3962	6547	3632	4243	20601
22.	राजस्थान	186649.89	8975	65	0	10039	15034	16051	17087	16088	15762	15926	115027
23.	सिक्किम	2420.10	226	211	126	226	233	238	219	238	160	0	1877
24.	तमिलनाडु	116010.86	0	0	7966	6757	7797	9468	8851	8273	8004	8499	65615
25.	त्रिपुरा	14239.65	0	0	0	0	1339	1340	0	1347	1347	1347	6720
26.	उत्तर प्रदेश	475132.41	4841	435	0	8343	2312	10120	10990	145664	78304	36075	297084
27.	उत्तरांचल	20936.90	1333	51	0	892	2263	1791	1817	1338	1973	1616	13074
28.	पश्चिम बंगाल	287442.57	16159	13525	18895	20587	21495	19150	4509	10518	21529	22065	168432
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1153.83	0	0	115	115	0	0	0	0	115	0	345
30.	चंडीगढ़	559.86	0	0	0	0	0	40	43	0	0	56	139
31.	दादर और नगर हवेली	763.91	0	0	67	42	57	61	68	66	68	57	486
32.	दमन और दीव	452.46	0	0	0	25	25	44	43	26	43	43	249
33.	दिल्ली	20210.66	20	0	0	0	0	0	0	0	0	4358	4378
34.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1246.98	0	0	113	89	106	112	113	113	112	112	870
	भारत	2862475.35	40095	37473	108348	151662	181881	180963	183807	311966	254507	223246	1673948

टिप्पणी : अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथासूचित खाद्यान्नों के उठान के आंकड़ें।

खाद्यान्नों का आवंटन 10 माह के लिए है।

मंत्रालयों को आबंटित बजट

3237. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय/विभाग अपनी वास्तविक आवश्यकता के विपरीत बजटीय मांगें प्रस्तुत करते हैं और बहुत से केन्द्रीय मंत्रालय उन्हें आबंटित बजट निधि को खर्च नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों/विभागों द्वारा कम निधियों वाला बजट प्रस्तुत करने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों को किये गये बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है और उसमें से कितनी राशि खर्च नहीं की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) सामान्य वित्तीय नियमावली मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुमानों को तैयार करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। वर्ष की अवधि के दौरान, व्यय की समीक्षा की जाती है तथा अनुदानों की पूरक मांगें, जहां भी आवश्यक हो, संसद से हासिल कर ली जाती हैं।

(ख) और (ग) संसद द्वारा स्वीकृत विनियोग की तुलना में आधिक्य या बचतों के लिए कारणों को लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाता है, जो मामले की जांच करती है तथा संसद को अपनी सिफारिशें देती है।

विश्व बैंक का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर बकाया

3238. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आर०डी०बी० आई०) ने रिजर्व बैंक के 1,440 करोड़ रुपये के ऋण को रोल किये जाने के साथ ही विश्व बैंक का 1,000 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने के लिए सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई०डी०बी०आई० चेयरमैन विश्व बैंक के उस ऋण को चुकाने के मामले में जिसका एक भाग कुछ ही महीनों में परिपक्व होने वाला है, पर विचार-विमर्श करने हेतु बैंकिंग सेक्रेटरी से मिला था;

(ग) यदि हां, तो उस विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आई०डी०बी०आई० के अनुरोध पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सरकार से 5 आई०बी०आर०डी० ऋण सहायता ली थी जिसकी वापसी 2008-2019 के बीच की जानी है। आज की तारीख तक बकाया शेष राशि 973 करोड़ रु० है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी टीयर-I पूंजी को मजबूत करने के लिए सरकार से इस ऋण को उस लिखत में परिवर्तित करने के लिए सम्पर्क किया था, जो टीयर-I पूंजी के योग्य हो। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण निधि (दीर्घावधि परिचालन) के अंतर्गत शेष बकाया राशि (1110 करोड़ रु०) को टीयर-I पूंजी में बदलने के लिए भी सरकार से सम्पर्क किया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा सरकार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ है। सरकार प्रस्तावित परिवर्तन के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गई है।

अंत्योदय योजना

3239. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंत्योदय योजना के शुरू होने के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितना चावल वितरित किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से विशेषतः तमिलनाडु से इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की इसका कोटा बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) अंत्योदय अन्न योजना की शुरूआत से इस योजना के अधीन चावल के वितरण के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। तमिलनाडु सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने अंत्योदय अन्न योजना के अधीन लाभभोगियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निर्धनतम परिवारों (अंत्योदय परिवारों) का हिसाब प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या के 15.33 प्रतिशत के आधार पर लगाया गया है। किसी अकेले राज्य के संबंध में यह आधार बदला नहीं जा सकता है। यह आधार सभी राज्यों के लिए एक समान रूप से लागू है।

विवरण

फरवरी, 2002 तक अंत्योदय अन्न योजना के अधीन राज्यवार चावल का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	186.84	175.072
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.756	0.242
3.	असम	21.114	16.658
4.	बिहार	50.000	30.549
5.	छत्तीसगढ़	86.220	83.246
6.	दिल्ली	0.320	0.127
7.	गोवा	0.796	0.670
8.	गुजरात	10.725	10.356
9.	हरियाणा*	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	13.975	13.683
11.	जम्मू व कश्मीर	17.176	4.072
12.	झारखंड	32.985	23.409
13.	कर्नाटक	57.763	56.110
14.	केरल	71.460	54.586
15.	मध्य प्रदेश	57.120	51.492
16.	महाराष्ट्र	84.984	73.998
17.	मणिपुर	1.276	0.140
18.	मेघालय	2.812	1.972
19.	मिजोरम	2.893	2.893
20.	नागालैंड	1.900	1.852
21.	उड़ीसा	75.828	74.646
22.	पंजाब*	0.000	0.000
23.	राजस्थान	1.284	0.548
24.	सिक्किम	1.008	0.954
25.	तमिलनाडु	22.423	8.960
26.	त्रिपुरा	6.786	5.576
27.	उत्तर प्रदेश	69.381	0.000
28.	उत्तरांचल	6.690	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	45.800	22.744
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.514	0.303
31.	चंडीगढ़	0.265	0.265
32.	दादर व नगर हवेली	0.600	0.570
33.	दमन और द्वीव	0.110	0.085
34.	लक्षद्वीप	0.030	0.000
35.	पांडिचेरी	0.900	0.832
	जोड़	932.734	716.660

* अंत्योदय अन्न योजना के अधीन केवल गेहूं का आवंटन किया जा रहा है।

भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित व्यापार मेलों के बारे में दिनांक 27.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1037 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन ने इटपो द्वारा आयोजित व्यापार मेलों के बारे में श्री रामदास अठावले द्वारा लोक सभा में पूछे गए अता०प्र०सं० 1037 (हि०) का उत्तर दिया था।

2. यह सूचित किया जाता है कि इटपो द्वारा आयोजित व्यापार मेलों के बारे में उक्त प्रश्न के उत्तर में लेखन सामग्री मेला के संबंध में दी गई सूचना गलत थी जोकि वस्तुत: वर्ष 1998-99 के दौरान आयोजित नहीं किया गया था। यह गलती अनजाने में हो गई है इसलिए उक्त प्रश्न के दिए गए उत्तर में कृपया निम्नलिखित संशोधन किया जाय :

(i) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I में वर्ष 1998-99 के अंतर्गत क्रम सं० 5 में वर्णित लेखन सामग्री मेला शब्द को हटा दिया जाय।

(ii) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II में मेलों का नाम कॉलम के अंतर्गत क्रम सं० 2 में वर्णित लेखन सामग्री मेला वर्ष1998-99 के दौरान आयोजित नहीं किया गया था।

3. इटपो से सही सूचना एकत्र करने तथा इसके सत्यापन मे समय लगा और इसलिए उपर्युक्त सूचना को संशोधित करने में देरी हो गई। इस विवरण को संसद के पूर्ववर्ती शीतकालीन अधिवेशन के दौरान दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 को लोक सभा में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव था। तथापि, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद संसद के दोनों सदनों को दिनांक 18.12.2001 को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया था और इसलिए विवरण को प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार से हुए इस विलंब के लिए अत्यन्त खेद है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०एच० विद्यासागर राव) : महोदय, श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह "क" कार्यकारी संवर्ग भर्ती नियम, 2002, जो 13 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 101(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह "क" और "ख" सिविलियन राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2000 जो 14 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 434(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5352/2002]

(2) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेन्ट (स्टाफ आफीसर) भर्ती नियम, 2002 जो 6 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 169(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5353/2002]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं श्री अनन्त कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 कीं धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5354/2002]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5355/2002]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अजीत सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कृषि मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी *देखिए* संख्या एल०टी० 5356/2002]

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये *देखिए* संख्या एल०टी० 5357/2002]

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय श्रीमती मेनका गांधी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5358/2002]

(2) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5359/2002]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5360/2002]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5361/2002]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 270(अ), जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 853(अ) के कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5362/2002]

(2) (एक) जूट विनिर्मिति विकास परिषद्, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट विनिर्मिति विकास परिषद्, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये *देखिए* संख्या एल०टी० 5363/2002]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5364/2002]

[श्री वी० धनंजय कुमार]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल सेन्टर फार जूट डाइवरसिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेन्टर फार जूट डाइवरसिफिकेशन, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे । गये *देखिए* संख्या एल०टी० 5365/2002]

(8) (एक) कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5366/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5367/2002]

(3) (एक) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (वालन्टरी हेल्थ सर्विसेज), चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (वालन्टरी हेल्थ सर्विसेज), चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (वालन्टरी हेल्थ सर्विसेज), चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5368/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पुन: बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001 जो 8 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 38(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5369/2002]

(2) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 48(अ) जो 18 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिल्ली ऋण वसूली अधिकरण संख्या 3 की स्थापना के स्थान एवं क्षेत्राधिकारिता को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 71(अ) जो 31 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा लखनऊ स्थित ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना के स्थान एवं क्षेत्राधिकारिता को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 884(अ) जो 7 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पुणे स्थित ऋण वसूली अधिकरण

की स्थापना के स्थान एवं क्षेत्राधिकारिता को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5370/2002]

(3) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 627 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 628 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 629 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 630 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 631 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 632 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 633 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अपील अधिकरण, संख्या 1 कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 634 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण, संख्या 2 कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 635 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 636 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 637 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 638 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 639 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 640 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 641 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित)

[श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन]

पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 642 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) ऋण वसूली अधिकरण, एरणाकुलम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 643 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) ऋण वसूली अधिकरण, संख्या 3 मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 644 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 645 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 646 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्या 1 मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 647 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्या 2 मुम्बई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 648 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 649 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 650 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्या 2 चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 651 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्या 1 चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 652 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 653 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5371/2002]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 230(अ) जो 25 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आयात के मूल्यांकन के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 231(अ) जो 25 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो निर्यात के मूल्यांकन के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का०नी० 852(अ) जो 19 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना संख्या 50/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5372/2002]

(5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2002 जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 159(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2002 जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 160(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2002 जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 2002 जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 162(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5373/2002]

(6) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र संशोधन नियम, 2002 जो 1 मार्च, 2002 के (आठवां निर्गम) भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 163(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2002 जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 164(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5374/2002]

(7) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 271(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 को या उसके बाद इस निधि में किए गए अंशदान पर लागू ब्याज की दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । *देखिए* संख्या एल०टी० 5375/2002]

(8) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) अधिसूचना संख्या एफ० नं० 5-1/2002-एन० एस० II जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989 में और संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० नं० 5-1/2002-एन० एस० II जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1991 में और संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5376/2002]

(9) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2002 का संख्यांक 8) – वायुसेना और नौसेना।

[ग्रंथालय में रखा गया । *देखिए* संख्या एल०टी० 5377/2002]

(दो) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रेल) (2002 का संख्यांक 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया । *देखिए* संख्या एल०टी० 5378/2002]

(तीन) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रेल) (2002 का संख्यांक 9) – केन्द्रीय समीक्षाएं।

[ग्रंथालय में रखा गया । *देखिए* संख्या एल०टी० 5379/2002]

(चार) मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2002 का संख्यांक 7) – थलसेना और आयुध कारखाने।

[ग्रंथालय में रखा गया । *देखिए* संख्या एल०टी० 5380/2002]

(10) वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग एक – समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । *देखिए* संख्या एल०टी० 5381/2002]

[श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन]

(11) वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग दो – विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 5382/2002]

(12) वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग लेखाओं, भारतीय रेल, भाग दो – विस्तृत विनियोग लेखाओं (अनुबंध छः) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 5383/2002]

(13) वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग लेखाओं – संघ सरकार – रक्षा सेवाएं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 5384/2002]

(14) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा । गया देखिए संख्या एल०टी० 5385/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल०टी० 5386/2002]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फोरैन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फोरैन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे । गये देखिए संख्या एल०टी० 5387/2002]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) नेशनल सेन्टर फार ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेन्टर फार ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5388/2002]

(ख) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5389/2002]

(7) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5390/2002]

(9) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5391/2002]

(11) (एक) सी०ए०पी०ई०एक्स०आई०एल०, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी०ए०पी०ई०एक्स०आई०एल०, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5392/2002]

(13) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के सामान्य निधि लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 1999-2000 के पूल निधि लेखे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5393/2002]

(15) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । *देखिए* संख्या एल०टी० 5394/2002]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महोदय, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दूरसंचार अंत: संबंध (प्रभार और राजस्व में हिस्सा बांटना) विनियम, 2001 जो 14 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-4/2001-टी०आर०ए०आई० (इकॉन) में प्रकाशित हुए थे।

(2) दूरसंचार अंत: संबंध (पत्तन प्रभार विनियम, 2001 जो 28 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-6/2001-टी०आर०ए०आई० (इकॉन) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5395/2002]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं रीता वर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक और स्तर) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 26 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 9-3/2001/एन०सी०टी०ई० में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, प्रस्तुत करने की रीति, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति) विनियम, 1995 जो 8 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 9-1/2001/एन०सी०टी०ई० (प्रशासन) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । *देखिए* संख्या एल०टी० 5396/2002]

(2) राष्ट्रीय शिक्षक परिषद (अधिनियम, 1993 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ० 9-3/2001/एन०सी०टी०ई० जो

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

31 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 4 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 239 के शुद्धि पत्र के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5397/2002]

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 21 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक, 1986, जिसे संसद की सभाओं द्वारा पारित किया गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अधीन पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया, के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया :—

प्रस्ताव

"कि भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986, जिसे संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिया गया था जिसे राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अधीन पुनर्विचार हेतु लौटा दिया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

2. तत्पश्चात्, विधेयक वापस लिया गया।"

(दो) "मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 मार्च, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 2002 को पारित आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 पर विचार किया और राज्य सभा द्वारा विधेयक पर सहमति नहीं हुई, विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।"

अपराह्न 12.04½ बजे

[हिन्दी]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

डॉ० एस० वेणुगोपल (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां और उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं, कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-02) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-02) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-02) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-02) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(5) जल संसाधनप मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2001-02) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06.1/2 बजे

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 'विदेशी प्रिंट मीडिया का प्रवेश तथा प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

छियानवेवां, सतानवेवां और अठानवेवां प्रतिवेदन

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 89वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 96वां प्रतिवेदन।

(2) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 88वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर महासागर विकास विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 97वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 90वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 98वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06.3/4 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्रवाई संबंधी अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौवां प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) — इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(2) अड़तालीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(3) उनचासवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — गैस/पेट्रोल एजेंसियां देने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सहित इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(4) दसवां प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) — गैस/पेट्रोल एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(5) सोलहवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गयी ऋण सुविधाएं।

(6) पैंतालीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संचालन (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गयी सुविधाएं)।

(7) पचासवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(8) बत्तीसवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

(9) तेरहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) — उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के विशेष संदर्भ सहित न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व।

(10) नौवां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) — राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आस्ट्रेलिया में हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कुलुम, आस्ट्रेलिया में हाल ही में सम्पन्न हुए चोगम 2002 के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। यह सम्मेलन जो 21वीं सदी का पहला राष्ट्रमंडल शिखर-सम्मेलन है, मैं माननीय प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सम्मान मिला।

राष्ट्रमंडल सरकारों के प्रमुखों की कुलुम में 2 से 5 मार्च, 2002 तक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने की। उद्घाटन भाषण राष्ट्रमंडल की अध्यक्षा महामान्या सम्राज्ञी एलिजाबेथ II ने दिया। शासनाध्यक्षों ने राष्ट्रमंडल कुलुम घोषणा पारित की और कुलुम विज्ञप्ति के साथ साथ अलग से जिम्बाब्वे से सम्बद्ध घोषणा संलग्न की गई।

इस विज्ञप्ति में हमारी प्रमुख चिन्ताओं की ओर विशेषकर आतंकवाद और विकास पर ध्यान दिया गया। शासनाध्यक्षों ने आतंकवाद के सभी कृत्यों के बारे में अपनी-अपनी भर्त्सना दोहरायी "चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो अथवा वह कहीं भी हो अथवा किसी के द्वारा उसे किया गया हो"। इसमें यह भी कहा गया है कि "आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है"। इसी प्रकार बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित मसलों जिनमें आम तौर पर सर्वसम्मति दुर्ग्राह्य है, भारत इस बात का सुनिश्चय करने में समर्थ हुआ कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मसलों के बारे में भाषा दोहा के परिणामों को पूर्णत: परिलक्षित करती है तथा वह विकास संबंधी कार्यसूची का समर्थन करती है।

कुलुम में सम्पन्न चोगम में जिम्बाब्वे के मामले पर भी विचार किया गया। सीमित वार्ता के दौर से यह संकेत मिला कि इस ममले के संबंध में अनेक विचार है। इस बात पर सहमति बनी की राष्ट्रपति के चुनावों से सम्बद्ध राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट के प्राप्त होने तक कार्यवाही को आस्थगित रखा जाए। साथ ही राष्ट्रमंडल के नेता लोकतंत्र के समर्थन में अपने सिद्धांतों को तिलांजली देने के पक्ष में नहीं थे। जिम्बाब्वे से सम्बद्ध राष्ट्रमंडल शासनाध्याक्षों का वक्तव्य राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट के प्रतिकूल होने की स्थिति में जिम्बाब्वे के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही निर्धारित करने पर सहमत हुआ। वास्तव में यह सर्वसम्मति तब बनी जब भारत ने यह कहते हुए बहस बन्द करने का सुझाव दिया कि यह मामला आगे और राष्ट्रमंडल को जातीय तथा प्रजातीय आधार पर विभाजित न करे।

जैसा कि, माननीय सदस्यों को ज्ञान है कि राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षक दल ने रिपोर्ट सौंप दी है, और चेयरमैनों की समिति ने, जिसमें आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रिका के राष्ट्रपति और नाइजीरिया के राष्ट्रपति शामिल हैं, निर्णय लिया है कि जिम्बाब्वे को राष्ट्रमंडल से 12 माह के लिए निलंबित किया जाये।

सम्मेलन की महत्वपूर्ण सफलताओं में सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गयी थी कि भारत को सी०एम०ए०जी० (राष्ट्रकुल मंत्रिस्तरीय कार्यकारी दल) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। जैसा कि कुलूम विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया था, भारत अगले राष्ट्रकुल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन तक आस्ट्रेलिया, बहमास, बंगलादेश, बोत्सवाना, माल्टा, नाइजीरिया और समोआ के साथ तत्काल प्रभाव से सी०एम०ए०जी० का सदस्य बन जाएगा। सी०एम०ए०जी० की अंतिम बैठक, में जिसका समर्थन राष्ट्रकुल शासनाध्यक्ष के सम्मेलन द्वारा किया गया, में शासनाध्यक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली न हो जाए तब तक पाकिस्तान को राष्ट्रकुल परिषद से निलंबित रखा जाए।

जहां तक फीजी का प्रश्न है, शासनाध्यक्षों ने लोकतंत्र बहाली की दिशा में की गयी प्रगति की समीक्षा की और राष्ट्रकुल परिषद से फीजी का निलंबन रद्द करने के सी०एम०ए०जी० के निर्णय का समर्थन किया। तथापि, फीजी सरकार की संवैधानिकता पर चल रही कानूनी कार्यवाही के आलोक में इस बात पर सहमति हुई कि सी०एम०ए०जी० को फीजी को अपनी कार्यसूची में रखना चाहिए।

चूंकि नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने अगले राष्ट्रकुल शासनाध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया, इसलिए अगला शिखर सम्मेलन 2003 में नाइजीरिया में होगा।

हमारे दृष्टिकोण से सम्मेलन के परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक रहे हैं। कूलुम घोषणा से विकास कार्यसूची को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी जबकि आतंकवाद के विरुद्ध इसके कड़े दृष्टिकोण में हमारी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। अगले चार वर्षों के दौरान सी०एम०ए०जी० की हमारी सदस्यता से राष्ट्रकुल के भीतर भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अभी भी वहां कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक एक करके बोलिये।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : हमने भी ज़ीरो अवर के लिए नोटिस दिया है। मैं लगातार आठ दिन से नोटिस दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएँगे।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : इन्होंने किस बात का नोटिस दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ज़ीरो अवर में नोटिस देना पड़ता है।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : इन्होंने किस विषय पर नोटिस दिया है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति झा आजाद जी क्या आपने सूचना दी है ?

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस विषय पर सूचना दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की 31 सूचनायें हैं।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : मैं विषय जानना चाहता हूं जिस पर उन्होंने सूचना दी है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : विषय का उल्लेख श्री रामजीलाल सुमन कर रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : उन्हें किस विषय में सूचना दी है ? *(व्यवधान)* विषय जानने का हक क्या मुझे नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे अब विषय पर चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : दो दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : धरने पर हैं तो आपने कल नोटिस क्यों नहीं दिया ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैंने नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : ज़ीरो अवर में नोटिस देना होता है, 10 बजे से पहले नोटिस देना होता है। इन लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। 31 सदस्यों ने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गुजरात में न रुकने वाली हिंसा से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामजीलाल सुमन ने सूचना दी हुई है।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : इस पर हमें कितने और दिनों तक चर्चा करनी है। पिछले चार दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे विनिर्णय को चुनौती दे रहें हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे ही हमें सूचनायें मिली हमने उन्हें सूचीबद्ध कर दिया है।

श्री कीर्ति झा आजाद : क्या अन्य कोई विषय नहीं है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कितने दिनों तक ये इस विषय पर बोलते रहेंगे ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में आप नोटिस दे सकते हैं, अपना मामला उठा सकते हैं। आप अगर नोटिस देते हैं तो आपको भी हम बुलाते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात की स्थिति पर हम और कितने दिनों तक चर्चा करते रहेंगे ? अन्य महत्वपूर्ण विषय भी हैं *(व्यवधान)* कब तक हम गुजरात पर ही चर्चा करते रहेंगे ? *(व्यवधान)* महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सदन में प्रतिदिन गुजरात पर ही क्यों चर्चा की जाती है। *(व्यवधान)*

[श्री कीर्ति झा आजाद]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस नहीं देते हैं। मैं क्या करूं और फिर मुझसे कहते हैं मैं आपको बोलने के लिए समय नहीं दे रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, उनकी 31 सूचनाएं मेरे पास हैं।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अभी उधर से कुछ सदस्य कह रहे थे कि यदि आपने किसी दूसरे सदस्य को अनुमति दी है, तो उनको पहले से जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यह परम्परा तो इस सदन की नहीं रही है। कोई सदस्य नोटिस देता है, उसकी प्राथमिकता तय करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है और अध्यक्ष महोदय किसी को अनुमति देते हैं, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर हम लोग एक-दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं, तो इस सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। अगर सदन की कार्यवाही नहीं चले और यह जो नंगा नाच सदन में होता है, उससे तो ज्यादा उपयुक्त है कि आप सदन को हमेशा के लिए स्थगित कर दीजिए ताकि कम से कम जनता को यह मालूम हो जाए कि सदन चलाने में गवर्नमेंट किसी तरह से कोई भी सहमति नहीं रखती है क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि विरोध पक्ष के लोग अगर शोर मचाएं, तो यह सदन *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस सदन में वरिष्ठ सदस्य को बोलने की अनुमति भी नहीं, देगें, श्री श्रीचन्द कृपलानी ली ?

कृपया आप अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : सदन में ऐसा हमने कई बार देखा है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का शोर मचाएं, यह मैंने अपने 40 वर्ष के जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर लड़ाई फैजाबाद, अयोध्या और गुजरात में नहीं लड़नी है बल्कि इस सदन में भी लड़नी है, तो मैं विरोध पक्ष को लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप ही सदन को छोड़ दीजिए। ये जैसे चाहें सदन को वैसे चलाएं।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, वे बोल चुके हैं, अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हमें गुजरात में तनाव कम करना चाहिए या उस पर सदन में प्रतिदिन चर्चा कर उसे बढ़ाना है *(व्यवधान)* अगर हम गुजरात की स्थिति पर यहां, प्रतिदिन बोलते रहेंगे तो तनाव कम करने के बजाय तनाव बढ़ायेंगें ही तथापि वहां की स्थिति ओर बिगड़ेगी। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के 33 शहरों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अलग से नोटिसेस दिए हैं। हम रोज डिसकस नहीं करते हैं हालांकि यहां 30-35 इश्यूज आते हैं। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं पार्लियामेंट में कोई प्राब्लम क्रिएट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' के दौरान सूचनाओं की प्राप्ति होती है और हम कथन को तब तक अस्वीकार नहीं करते जब तक वह कानून और व्यवस्था से संबंधित नहीं हो।

पिछले बार श्री पासवान ने कानून और व्यवस्था के बारे में सूचना दी थी। इस तरह के नोटिस हम स्वीकार नहीं करते। 'शून्य काल' में हम किसी भी नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं अगर वह महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो तो। तद्नुसार पीठासीन अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार नहीं कि वह बताये कि किस सदस्य ने किस विषय में नोटिस दिया हुआ है। हम ऐसा नहीं करते। बनायी गयी सूची के अनुसार हमने सदस्यों को महत्व दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह मैंने श्री सुमन को बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय में आपने कोई नोटिस नहीं दिया, फिर भी अगर आपको कुछ कहना है, तो मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : महोदय, मुझे कुछ कहना है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम लगातार तीन दिन से नोटिस दे रहे हैं। *(व्यवधान)* आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही, वह सही है। मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन रोज ही यह ऐसा करते हैं। *(व्यवधान)* आपके पास रोज 35-40

नोटिस रोज आते हैं लेकिन किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता। ...(व्यवधान) गुजरात के विषय पर हमने यहां डिसकशन भी किया है लेकिन रोज ही गुजरात के इश्यू पर घंटा या सवा घंटा डिसकशन होती है। ...(व्यवधान) हमारे जो दूसरे मैम्बर्स हैं, उन्होंने अलग- अलग इश्यूज पर नोटिस दिये हैं। हमने भी पीछे बिहार में जो स्थिति चल रही थी, वहां जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, उसके संबंध ा में अपना नोटिस दिया है। ...(व्यवधान) गुजरात के इश्यू पर रोज ही घंटा-सवा घंटा डिसकशन होता है। एक तो वैसे ही लोगों के बीच में मतभेद और आपसी समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। ...(व्यवधान) जिन मुद्दों को हम यहां उठाना चाहते हैं।...(व्यवधान) रोज डिसकशन करेंगे तो रोज ही हंगामा होगा। ...(व्यवधान) क्या और कोई मुद्दा नहीं है, जीरो ऑवर में और कोई मुद्दा नहीं लिया जायेगा ? ...(व्यवधान) क्या बाकी मैम्बरों के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं ? ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि कम से कम सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर गुजरात के इश्यू पर बोलने के लिए किसी एक मैम्बर ने नोटिस दिया, तो वह बोले लेकिन सभी उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। ...(व्यवधान) आज कोई परिपाटी नहीं है, कोई नियम नहीं है। ...(व्यवधान) जिन्होंने नोटिस दिया है, केवल वह बोले लेकिन घंटा-सवा घंटा रोज ही इस पर डिसकशन चलता रहता है। दूसरे लोगों के जो भी मुद्दे हैं, वे नहीं लिये जाते। ...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि वहां शांति बहाल हो गई है, यह बात असत्य है। ...(व्यवधान) वहां शांति बहाल नहीं हुई है। यह बहुत गंभीर मामला है। 37 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कल भी वहां पांच लोग मारे गये हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह ज्यादा हो गया ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, रोज इसी इश्यू पर बात करके ये लोग देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) क्या इसके अलावा हिन्दुस्तान में और कोई मुद्दा नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा उनको देख लीजिए। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, कोई सीमा होती है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर जायेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बोलने का अवसर दिया है श्री आजाद जी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : इसका निर्णय अध्यक्ष पीठ से होगा। ...(व्यवधान) आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : महोदय, गुजरात स्थिति पर लगातार हम चार या पांच दिन से चर्चा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी सदस्य को अनुमति देंगे जो वैधानिक तरीके से चुनी हुयी गुजरात राज्य की सरकार के विरुद्ध आरोप लगाये। ...(व्यवधान) प्रतिदिन वे यहां आ रहे हैं। ...(व्यवधान) प्रतिदिन हम इसपर चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) यह क्या है ? कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे कार्य करने देंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्रियों को तो देखें। सत्तारूढ़ पक्ष के मंत्री इस बात से खुश हो रहे हैं कि आप परेशान है और कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ...(व्यवधान) वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आज अंतिम दिन है और भले ही आपने नोटिस न दिया हो, मैं आपको अवसर दूंगा। बशर्ते सदन में शांति बनी रहे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम रोज गुजरात की बात ही करते रहेंगे ? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कीर्ति, जी, अब इतना समय हो गया है। आप में से किसी एक सदस्य के नाम का भी नोटिस नहीं आया। मैं आपको कैसे बुलाऊं ? सब सदस्य मुझे सुबह साढ़े नौ बजे तक आकर नोटिस दे देते हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पूरा गुजरात जल रहा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी पूरी बात मानता हूं और यह भी जानता हूं कि मैंने नोटिस नहीं दिया है। माननीय चंद्रशेखर जी ने अपनी बात रखी। *(व्यवधान)* पिछले एक सप्ताह से हम गुजरात के बारे में यहां बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)* ये लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं। *(व्यवधान)* ये लोग बार-बार गुजरात का नाम लेकर देश में समस्याएं पैदा कर रहे हैं, ये लोग देश के अंदर तनाव बढ़ा रहे हैं। *(व्यवधान)* रोज यहां यही बात चल रही है और गुजरात की बात करके देश की स्थिति को और खराब कर रहे हैं। ये लोग सद्‌भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या गुजरात को छोड़ कर कोई और विषय हिन्दुस्तान में नहीं है ? *(व्यवधान)* बाकी सदस्यों ने जिस बारे में नोटिस दिए हैं, क्या वे विषय महत्वपूर्ण नहीं हैं ? *(व्यवधान)* क्या ये लोग गुजरात के नाम पर रोज डिस्टर्ब करते रहेंगे ? *(व्यवधान)* कल भी इन लोगों ने गुजरात के विषय में नोटिस दिया, उसमें से एक या दो व्यक्ति बोलते तो बात समझ में आती परन्तु ये सब लोग आज फिर उसी विषय पर बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कहते हैं कि इस सरकार ने सारे देश में आग लगा रखी है। मैंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि ये लोग सिर्फ आग भड़काने का काम कर रहे हैं। *(व्यवधान)* इनको मालूम है कि एन०डी०ए० का एजेंडा क्या है। इन्होंने किस प्रकार की बात कही है। ये लोग ही देश के अंदर ये सब काम करवा रहे हैं। *(व्यवधान)* इनके पास गुजरात के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री नहीं है और वहां बैठे सदस्य गम्भीर भी नहीं हैं। *(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसा ही कल किया था और अपने मंत्री तक को नहीं बोलने दिया। *(व्यवधान)* वे अध्यक्षपीठ को भी अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करने दे रहे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाएं, श्री दासमुंशी जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बिना जो सदस्य बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाने दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो सदस्य बोलें हैं, मैं उसे एक्सपंज करता हूं।

*(व्यवधान)**

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में आज भी साम्प्रदायिक हिंसा का दौर जारी है, उसका कब अंत होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए माफ कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर जाएं, श्री कीर्ति झा आज़ाद जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद : यह तरीका ठीक नहीं है, मैं नहीं समझता कि यह उचित है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माफ कीजिए आप में से किसी ने भी नोटिस नहीं दिया और केवल बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी यह कहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य जान-बूझ कर सदन में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : महोदय, अगर सदन में सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में क्या हो रहा होगा। *(व्यवधान)* जो लोग बिना आप की अनुमति से बोल रहे हैं उनके वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। केवल श्री रामजीलाल सुमन का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये। लोगों को पता लगना चाहिए कि सदन में भी सदस्यों को गुजरात में वहां क्या हो रहा है। *(व्यवधान)* इस बात की चर्चा नहीं करने दी जा रही।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : सरकार को आप अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। *(व्यवधान)* गुजरात की स्थिति से आप लोग राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हो। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गृह मंत्री जी चले गए हैं, सरकार चुप है, सतारूढ़ पक्ष के सदस्य सदन में बाधा डाल रहे हैं। यह सरकार के लिए शर्मनाक है, ऐसा व्यवहार सदन में कर रहे हैं, महोदय आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर वे क्या करते होंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बोलने देंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा हो रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाएं, श्री रतिलाल वर्मा जी, क्या आप मुझे सदन की कार्यवाही करने देंगे ?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा का दौर जारी है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.34 बजे

(इस समय श्री चन्द्रनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए ।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से अपील करता हूं कि अपने स्थान पर जाएं।

अपराह्न 12.35 बजे

(इस समय श्री चन्द्रनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए ।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। *(व्यवधान)* उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपने स्थान पर जाएंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बाधा न डालें, आधा-घंटे से ज्यादा समय बीत गया है और केवल 25 मिनट शेष हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा का दौर जारी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है, श्री रामदास आठवले जी। गृह मंत्रालय को मैंने आपका पत्र भेज दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां हूं अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होने दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग हाउस नहीं चलाना चाहते। *(व्यवधान)*

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अब गुजरात में शांति है, फिर क्यों अशांति पैदा करना चाहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं अपने सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वे उपाध्यक्ष महोदय की टिप्पणी पर विचार करें, अगर कुछ आपत्तिजनक है तो वे उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होने देंगे।

श्री शिवराज वि० पाटील : अगर एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा नहीं होने दी जाती है तो सरकार को हमसे सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आज़ाद, मैंने कहा है, यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है तो उसे मैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। यह बहुत दुर्भाग्य है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। लेकिन आप इस सभा को कार्य नहीं करने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप आज मेरे निर्णय को चुनौती दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि० पाटील : यदि कानून सभा से बाहर लागू नहीं होता है तो इसे सभा में लागू होने दें। कृपया हमें यह न बताएं कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.38 बजे

(इस समय श्री चन्द्रनाथ सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.38¼ बजे

(इस समय श्री चन्द्रनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी यदि कोई असाधारण घटना देश में होती है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री जी चुप बैठे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : हमें गुजरात से अनेक पत्र मिले हैं। हम जानते हैं, गुजरात में क्या हो रहा है। यदि इस मुद्दे पर सभा में चुने गए सदस्यों को भी चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वहां उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। जिनकी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। यदि सभा से बाहर कानून लागू नहीं होता है तो इसे अंदर तो लागू करने दें। यह अध्यक्षपीठ के हित में होगा। यह सभा की कार्यवाही के हित में भी होगा और यह संसद के हित में भी होगा। अन्यथा, अन्य मामलों में हमसे कोई सहयोग की आशा न करें। अभी दिन का अंत नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ... *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : आप क्या बात करते हैं ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गीते जी, आज की लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, हम आपका आदर करते हैं। आपके आदेश का पालन भी करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष जी, सुमन जी को बोलने के लिए आपने एलाउ किया था। उसके बाद क्या आपकी व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सकता है ? *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : इस गुजरात के विषय को कभी सदन में जीरो ऑवर में उठाया जाता है, कभी नियम 193 में उठाया जाता है। ... *(व्यवधान)* ऐसी कई घटनाएं हैं जिन पर यहां चर्चा की जाती है, ... *(व्यवधान)* अपने उन्हें इजाजत दी है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो आज गुजरात की घटना है जिस पर इस सदन में कई बार उस पर चर्चा हुई है। *(व्यवधान)* आज यह आवश्यकता है कि इस सदन के माध्यम से यह संदेश गुजरात में जाना चाहिए जिससे गुजरात में शांति बनी रहे, न कि गुजरात में फिर दंगा भड़के। इसलिए यह जिम्मेदारी हमारी बनती है, इस सदन की बनती है कि यहां से इस प्रकार का संदेश सारे देश में जाये, केवल गुजरात में ही नहीं, तो इस विषय को लेकर सारे देश में शांति बनी रहे और इसीलिए इस प्रकार का संदेश सदन से जाना चाहिए, यही हम चाहते हैं। हम आपके आदेश का पालन हम करेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गुजरात का सवाल कई दिन हाउस में चर्चा में रहा है। जिस तरह के हालात वहां बने हैं, अगर वे सामान्य हो जाते तो हम लोगों को सवाल उठाने का शौक नहीं था। बराबर वहां से पत्र आ रहे हैं। *(व्यवधान)* वहां साम्प्रदायिक *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ जी, जरा सुनने की कृपा करें।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जी, ये इस तरह की बातें करके अशांति पैदा करने चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा का दौर जारी है और आपको दिखाई नहीं देता, यही दिक्कत है। *(व्यवधान)* कल ही अहमदाबाद में पांच लोग मारे गये हैं, पन्द्रह लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ... *(व्यवधान)* राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वर्मा ने वहां का दौरा किया था और दौरा करने के बाद यह कहा है कि अगर कोई कहता है कि गुजरात की स्थिति सामान्य हो गई है तो इससे बड़ा असत्य और दूसरा नहीं है। ... *(व्यवधान)* गुजरात के तनाव के बाद गुजरात सरकार ने जो दंगों पर रिपोर्ट तैयार की है, उसको जस्टिस वर्मा ने पूरी तरह से खारिज किया है। ... *(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर सवाल है। वहां लोग दहशत में हैं। ... *(व्यवधान)* तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग जस्टिस वर्मा से मिले थे। ... *(व्यवधान)* गुजरात का मामला बहुत गंभीर है। गुजरात

के लोगों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। *(व्यवधान)* आज सदन का अंतिम दिन है। *(व्यवधान)* भारत सरकार क्या कर रही है ? भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि वहां की स्थिति सामान्य हो, वहां के लोगों में विश्वास कैसे पैदा हो, यह काम सरकार को करना चाहिए। *(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य का धर्म क्या है, राज्य अस्तित्व में क्यों आया ? राज्य का काम क्या है ? *(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसी बात करके अशांति पैदा करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : आप ही लोग वहां दंगा करा रहे हैं। *(व्यवधान)* राज्य सरकार वहां दंगा करा रही है। *(व्यवधान)* क्या दंगा वहीं के लोग करा रहे हैं ? *(व्यवधान)* दंगा बजरंग दल के लोग करा रहे हैं और इनका निश्चित प्रयास पूरे देश में दंगा पैदा करने का है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : महोदय, वह एक वरिष्ठ सदस्य है और वह कह रहे हैं। कि वह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति किसी सदस्य पर ऐसा आरोप लगा सकता है। यह क्या है ? *(व्यवधान)*

(हिन्दी)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, बजट सत्र के पहले पक्ष का आज अंतिम दिन है, गृह मंत्री जी आयें और गुजरात के बारे में अपना वक्तव्य दें और बतायें, वहां की स्थिति को कैसे सामान्य किया जा सकता है। *(व्यवधान)* मुझे आपसे यही निवेदन करना है। *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात की घटना को आज 20-22 दिन हो गए हैं। *(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, कृपया अब व्यवधान न पहुचाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, 20-22 दिन गुजरात की घटना हो गए हैं और कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है, जब गुजरात में आदमी न मारे गए हों। इसीलिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि वे स्टेटमेंट दें और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 72 घन्टे पूरे गुजरात में घटना घटी, लेकिन कहा गया कि राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से हिंसा काबू आई है। *(व्यवधान)* कोई दिन ऐसा नहीं गया है, जब दुकानें न जलाई गई हों। कर्फ्यू में भी लोग बाहर निकले हैं। कल ही अहमदाबाद में छः लोग मारे गए हैं। सैकड़ों दुकानों को आग लगाई गई। बड़ौदा में कर्फ्यू है। *(व्यवधान)* मानवाधिकार के चेयरमैन वहां गए थे और सर्किट हाउस में *(व्यवधान)* जो लोग आए, उनकी बातचीत नहीं सुनने दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मुख्यमंत्री होने पर यह हिंसा पर नियंत्रण नहीं पा सके। *(व्यवधान)* यदि वह हिंसा रोकने में सक्षम नहीं-नहीं है तो उन्हें हट जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मंत्री की नीयत पर शंका है और वहां वायलैंस हो रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह स्थिति को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हैं। *(व्यवधान)* वहां शायद ही कोई सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हैं।

[हिन्दी]

कल रात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में

[अनुवाद]

इसलिए सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है क्योंकि

[हिन्दी]

वहां टैंशन हो गया है और कोई भी आदमी बाहर नहीं आ सकता है। कोई आदमी धन्धा नहीं कर सकता है। खाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, उनको राज्य सरकार की ओर से मदद नहीं दी गई है।

इतना ही नहीं, मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है –

[अनुवाद]

इन कैम्पों को यथाशीघ्र खाली कराया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उनको खाना नहीं दिया गया और कैम्पस खाली करने के लिए कहा गया है। उन्होंने हैल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को दिखाया नहीं जा सकता है। मैं आपसे मांग करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। यह एक बात है। दूसरे, उन्हें मुख्यमंत्री से स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि क्या वह

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। अंत में, यदि मुख्यमंत्री हिंसा पर नियंत्रण पाने में सक्षम नहीं हैं तो माननीय गृह मंत्री उन्हें इस्तीफा देने को कहें। *(व्यवधान)*

महोदय, तीन महत्वपूर्ण त्यौहार – मुहर्रम, होली और गुडफ्राइडे नजदीक आ रहे हैं। *(व्यवधान)* इन तीनों महत्वपूर्ण त्यौहारों के दौरान सम्पूर्ण राज्य में पुलिस का अतिरिक्त बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बल होने चाहिए जिन्हें तत्काल भेजा जाना चाहिए। *(व्यवधान)* मुझे आशा है इस देश के हित में राज्य के साथ अंततः न्याय हो और राज्य को एक संदेश भेजा जाए। अन्यथा, उन्हें जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह मेरा अनुरोध है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है और आप मुझे कह रहे हैं। इन्होंने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वैको : क्या आप केवल उन्हीं को अनुमति दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इधर भी ध्यान दीजिए। *(व्यवधान)* यदि उन्होंने नोटिस दिए हैं तो आप उन्हें अन्य मुद्दों पर बोलने की अनुमति दे। उन्हें कुछ अन्य मुद्दे उठाने दें। अनेक मुद्दे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप इधर भी ध्यान दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आपका इस पर नोटिस नहीं है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका इस पर नोटिस नहीं है, बिहार भवन का नोटिस है।

[अनुवाद]

श्री वैको : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अनुरोध करने की अनुमति दें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, जब मैंने नैवेलो लिग्नाइट कार्पोरेशन का मुद्दा उठाया था तो आप सही कह रहे थे कि जो भी इसी मुद्दे पर बोलना चाहता है तो उन्हें इससे सम्बद्ध करने दें। अब, उन्होंने मुद्दा उठाया है और उन्होंने अपनी बात कही है। इस ओर भी ध्यान दिया गया है। इसलिए, यदि कोई उनसे सम्बद्ध नहीं होना चाहता है तो उन्हें लम्बा भाषण देने की अनुमति न दें। यहां अन्य मुद्दे भी हैं और यहां बोलने के लिए 30 सदस्य इंतजार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां 31 सदस्य बोलने का इंतजार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देखा जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय मैंने नोटिस दिया है। कृपया मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उन लोगों से पूछूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, हमारे नोटिस का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस है, लेकिन इस विषय पर नहीं है।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आपने प्रश्न-काल में कहा था कि जीरो ऑवर में बोलिए। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, आपने कहा था कि आप सब को बोलने का मौका देंगे। आपने सीनियम मेम्बर्स की बातों को सुन लिया है। *(व्यवधान)* मैं कहता हूं कि कीर्ति आजाद जी को भी बोलने का समय दिया जाए तथा अन्य माननीय सदस्यों को भी दिया जाए। *(व्यवधान)* आपने कहा था इसलिए मैं कह रहा हूं। आप पर कोई दबाव नहीं है, हम आप पर दबाव नहीं डाल सकते, आप

सर्वोपरि हैं, लेकिन आपने कहा था कि हम सब को आपको बोलने का समय देंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए बोला, क्योंकि प्रश्न-काल में सस्पेंशन के लिए काम-रोको प्रस्ताव इन्होंने दिया था। मैंने इनसे कहा कि मैं आपको जीरो आँवर में बोलने का समय दूंगा। इसलिए मुझे इन्हें समय देने के बाद ही अन्य किसी को समय देना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, जीरो आँवर में काम-रोको प्रस्ताव है, प्रश्न-काल सस्पेंशन का नोटिस दिया हुआ है। मैंने इन्हें प्रश्न-काल के बाद समय देने के लिए पहले ही प्रोमिस किया था। मैं इन लोगों को बुलाऊंगा, मैंने यह नहीं कहा कि इन्हें नहीं बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे इंटरप्शन करने से क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद : महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव का जीरो आँवर से क्या मेल है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ नोटिस देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपने नोटिस दिया है।

श्री राधाकृष्णन ने नोटिस दिया है, श्री बनातवाला ने नोटिस दिया है; श्री ई० अहमद ने नोटिस दिया है; श्री रामजीलाल सुमन ने नोटिस दिया है; श्री प्रबोध पण्डा ने नोटिस दिया है। इन सभी को इस मुद्दे पर अपने आपको सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारे एडजर्नमेंट मोशन का क्या हुआ ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : महोदय मुझे केवल एक मिनट बोलने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि राहत कार्य शुरू किया जाएगा। *(व्यवधान)* अभी तक कुछ नहीं किया गया है। *(व्यवधान)* मेरा केवल यही अनुरोध है कि राहत कार्य का एक पैकेज होना चाहिए। *(व्यवधान)* महोदय, गुजरात के माननीय सदस्य वहां की स्थिति के बारे में बोले हैं। *(व्यवधान)* मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था और स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वहां राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और वहां। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमने जो एडजर्नमेंट मोशन संसदीय कार्य मंत्री को, महासचिव को दिया है, उसका क्या हुआ ? *(व्यवधान)* महोदय, हमने प्रश्न काल के शुरू में ही यह प्रश्न उठाया था। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, एडजर्नमेंट मोशन आपका गुजरात के ऊपर था, आपको एसोसिएट किया जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए, यह बहुत महत्व पूर्ण है। राहत पीड़ितों की अत्यधिक समस्याएं होने के बावजूद भी अभी तक उन्हें चावल और आटे के अलावा कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इस मुद्दे पर अपने आपको सम्बद्ध करने की अनुमति दी है। उन्होंने गुजरात मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मेरा विनम्र अनुरोध है कि राहत पहुंचाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे वास्तव में दयनीय स्थिति में हैं। आपके माध्यम से मेरा सरकार से केवल इतना अनुरोध है कि उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे थ्रैटनिंग का पत्र आया है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि गुजरात में दंगे नियंत्रित हो गए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले : महोदय, आप मुझे इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, इस मामले को पहले ही गृह मंत्री के साथ उठाया जा चुका है। आपको बार-बार इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, गुजरात में दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ... *(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ लोगों को सिखाकर भेजा कि दंगे का इश्यू न उठने दिया जाए। ... *(व्यवधान)* जब तक दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक देश में शांति नहीं होगी ... *(व्यवधान)* देश नहीं बचेगा। ... *(व्यवधान)* इसलिए कृपा करके प्रधान मंत्री जी को बुलाने का निर्देश दिया जाए जिन्होंने कहा था कि गुजरात के दंगे हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक हैं। ... *(व्यवधान)* दंगाइयों के समर्थक यहां मौजूद हैं। ... *(व्यवधान)* ये इतने महत्व के सवाल को उठाने नहीं देते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ... *(व्यवधान)* गुजरात में दंगाइयों को छूट दे दी गयी है। ... *(व्यवधान)* गुजरात में एक-तरफा कार्रवाई हो रही है। ... *(व्यवधान)* हम पोटो की खिलाफत कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.59 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति से संदेश

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 22 मार्च 2002 को राष्ट्रपति से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :—

"मत: लोकसभा ने 18 मार्च, 2002 को अपनी बैठक में आतंकवाद निवारण विधेयक; 2002 को पारित कर दिया है तथा उसे राज्य सभा को भेज दिया है। तथा मत: राज्य सभा ने 21 मार्च, 2002 को अपनी बैठक में उक्त विधेयक को अस्वीकृत कर दिया है।

अब, अत: संविधान के अनुच्छेद 108 खंड (1) के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के०आर० नारायणन, भारत का राष्ट्रपति उक्त अधिनियम पर विचार विमर्श करने तथा मत देने के प्रयोजन के लिए रज्य सभा तथा लोक सभा की संयुक्त बैठक अधिवेशित करने के लिए अपने आशय को अधिसूचित करता हूं।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक * — *पुर: स्थापित*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 23 को लेगी — श्री अरुण जेटली

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.05 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

नियम 377 के अधीन मामले***

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ० अशोक पटेल (फतेहपुर) : महोदय, फतेहपुर स्टेशन से जयपुर-जोधपुर जाने वाले यात्री ट्रेन संख्या 3111 से यात्रा करते थे, लेकिन इस ट्रेन के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप फतेहपुर स्टेशन से जयपुर-जोधपुर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। फतेहपुर से बड़ी संख्या में यात्री जयपुर-जोधपुर जाते हैं, इसके अतिरिक्त

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*** सभा पटल पर रखे माने गये।

फतेहपुर से अजमेर शरीफ भी बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं, इस गाड़ी के बंद होने के परिणामस्वरूप इन यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए हावड़ा जोधपुर एक्सप्रैस का ठहराव फतेहपुर स्टेशन पर किया जाए. तथा इस बारे में यथाशीघ्र उचित निर्देश जारी किये जाएं।

[अनुवाद]

(दो) मुलुन्ड पूर्वी मुम्बई में संयुक्त कब्रिस्तान तक संपर्क मार्ग पूरा करने के लिए मुम्बई नगरपालिका निगम को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मुलुन्ड पूर्व मुंबई में श्मशान भूमि (बी०एम०सी०) तक संपर्क सड़क को पूरा करने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किए जाने की आवश्यकता है। साल्ट पॉन लैण्ड् से 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है जो कि औद्योगिक नीति विभाग की संपत्ति है, जिसे अब शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। आठ लाख से अधिक हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय प्रभावित हुए है। मुंबई नगर-निगम/महाराष्ट्र सरकार को अनुमति मिलने के बाद 2 करोड़ रु० व्यय किए गए लेकिन अब संबंधित प्राधिकारी से कार्य बन्द करने का नोटिस जारी किया गया है। संपर्क सड़क को पूरा करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक है।

मैं शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री से संपर्क. सड़क को शीघ्र पूरा करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

(तीन) नसीराबाद और महू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के शीघ्र निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, दिल्ली-मुम्बई के बीच सड़क यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली-जयपुर-अजमेर-नसीराबाद से महू होकर मुम्बई तक जाता है, उसके बीच का नसीराबाद से महू तक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था जबकि शेष समस्त मार्ग राष्ट्रीयकृत राजमार्ग था। किन्तु विगत दो वर्ष पूर्व इस मध्य भाग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग में ले लिया गया है तथा इसकी विधिवत राजपत्र में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। यह मार्ग, दिल्ली-मुम्बई के मध्य एक ऐसा सुरक्षित मार्ग है जिस पर प्रतिदिन हजारों ट्रक, बस तथा निजी गाड़ियों का आवागमन होता है। यह एक बहुत ही व्यस्त राजमार्ग है।

वर्तमान में नसीराबाद-महू जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। यह एक ओर नसीराबाद के आर्मी सेन्टर से तथा दूसरी ओर महू के सेना केन्द्र से जुड़ा होने के कारण अत्यधिक महत्व रखता है। इस मार्ग में कई चीनी, कपड़ा और तेल मिलें आदि हैं।

अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त नसीराबाद-महू राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदण्डों के अनुरूप बनाये जाने हेतु आवश्यक धनराशि आबंटित कर योग्य निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

[हिन्दी]

(चार) बिहार में बेतिया रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बेतिया रेलवे स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। बेतिया पश्चिम चम्पारण का मुख्यालय भी है। इसको आदर्श स्टेशन बनाये जाने हेतु कई सालों से मांग बराबर होती रही है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा की कमियों को देखते हुए बेतिया रेलवे स्टेशन को शीघ्र आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाये। साथ ही लोगों को स्टेशन पर इस पार एवं उस पार जाने हेतु कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण एक उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता है। इसी स्टेशन पर एक दूसरा प्लेटफार्म बनाये जाने की आवश्यकता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बेतिया रेलवे स्टेशन को चन्द आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में स्वीकृति दी जाये एवं दूसरा प्लेटफार्म शीघ्र बनाया जाये। साथ ही साथ इसी रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल का निर्माण किया जाये।

(पांच) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आकाशवाणी केन्द्र खोलने की मांग वर्षों से जनता करती रही है। सिवनी जिला अनेक सभ्यताओं तथा संस्कृतियों का संगम स्थल है तथा अपनी गौरवमयी विभिन्न साहित्यिक संस्कृति की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला वर्षों से अपनी पुरातन परम्पराओं तथा कला की विद्याओं को सहेजे हुए है। आकाशवाणी केन्द्र के अभाव में इन कलाओं को न तो प्रदर्शित होने का अवसर मिलता है, न ही प्रोत्साहित होने का, जिसके कारण यहां के कलाकार तथा कलाएं सीमित दायरे में सिमट कर रह गई हैं।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है सिवनी जिले में शीघ्र आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करके क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर जनता को अनुगृहित करें।

[अनुवाद]

(छह) उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव (ढेकानाल) : महोदय, उड़ीसा राज्य की लगभग आधी जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है और कुल जनसंख्या

[श्री के०पी० सिंह देव]

के लगभग 40 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। कुल जनसंख्या के 73 प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं। राज्य की शिशु मृत्यु दर भारत में सर्वाधिक है और आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है। एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक आपदाए । और बढ़ते ऋण के बोझ ने राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है।

राज्य सरकार और राज्य के संसद सदस्य पिछले 35 वर्षों से केन्द्र सरकार का ध्यान राज्य की अनिश्चित वित्तीय स्थिति की ओर आकर्षित कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए और राज्य के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता और अनुदान दिया जाए। उड़ीसा विधान सभा ने अपने 13 नवम्बर, 1997 को हुए विशेष सत्र में एकमत से इस संबंध में एक संकल्प स्वीकार किया है।

राज्य को ऋण के जाल से मुक्त करने की आवश्यकता के मद्देनजर और लोगों को भीषण गरीबी से बचाने के लिए, क्षेत्रीय असमानता दूर करने और राज्य के विकास को तीव्र करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार और योजना आयोग को उड़ीसा को विशेष श्रेणी राज्य के रूप में विशेष ध्यान देने के लिए अर्थोपाय करने के उपाय ढूंढने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) मध्य प्रदेश के छतरपुर में उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, खुजराहो की गणना भारत के प्रमुखतम पर्यटन केन्द्रों में की जाती है। भारत सरकार भी देश में अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। अत: यह आवश्यक है कि पर्यटन स्थलों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त बनाया जाए, जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यटन ने केवल स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, अपितु शासन को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कराता है।

शासन की नीति आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की अन्य विकसित क्षेत्रों के समान आधुनिक शिक्षा, संचार व मनोरंजन के साधनों से जोड़ने की है। खजुराहो के जिला मुख्यालय छतरपुर (म०प्र०) में दूरदर्शन का अल्पशक्ति ट्रांसमीटर है, जो अत्यन्त सीमित क्षेत्र में ही प्रसारण कर पाता है। खजुराहो जैसा प्रमुख पर्यटन केन्द्र दूरदर्शन प्रसारण से वंचित है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि छतरपुर में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीशन केन्द्र स्थापित किया जाए तथा छतरपुर में स्थापित अल्पशक्ति ट्रांसमीटर जिले की ही सुदूर स्थित नगर लौड़ी में स्थापित किया जाए, जिससे बुन्देलखण्ड के अभी तक वंचित क्षेत्र को दूरदर्शन प्रसारण की सेवायें प्राप्त हो सकें।

[अनुवाद]

(आठ) कर्नाटक में गुलबर्गा को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, गुलबर्गा पवित्र तीर्थ स्थानों के रूप में विख्यात है। यह स्थान विभिन्न समुदायों और धर्मों के धर्म-सुधारकों और संतों का निवास स्थान रहा है। इस स्थान का महत्व विश्व-विख्यात सूफी संत हजरत ख्वाजा बंदा नवाज और अन्य सूफी संतों और शरण बसवेश्वर मंदिर के कारण है। गुलबर्गा के निकट देवल गंगापुर और मालखेड़ नदियों का संगम है, जहां हजारों यात्री भगवान के दर्शन करने और पवित्र स्नान करने आते हैं। गुलबर्गा और हलकट्टा में विख्यात सूफी संतों के उर्स उत्सव के दौरान हैदराबाद से विशेष ट्रेन चलती है। गुलबर्गा में और उसके आस-पास बहुत सारे मंदिर और तीर्थ स्थान हैं।

गुलबर्गा में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं जिनमें मंदिर और पवित्र तीर्थ स्थल और विश्व विख्यात बहमनी साम्राज्य की किला मस्जिद, झील नदी तट और अन्य स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में की गई खुदाई में बौद्ध संस्कृति, बुद्ध बिहार के पुरातन और ऐतिहासिक खंडहर मिले हैं। इसके अतिरिक्त गुलबर्गा में अनेक शैक्षणिक संस्थान है।

मैं सरकार से गुलबर्गा को पर्यटक केन्द्र घोषित करने का आग्रह करता हूं।

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 का आंध्र प्रदेश में पामारू से ओंगोले तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय,राष्ट्रीय राजमार्ग-214 को काट्टीपुडी के राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से हटाकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पमारू तक बनाया जा रहा है। 243 कि०मी० लंबी सड़क बन चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग-214 को पमारू से ओंगोले होते हुए चालापल्ली, पुलीगड्डा, रेपाले, भाटीप्रोलु, बपाटला और चिराला तक बनाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्तावित विस्तार 167 कि०मी० है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में तीन पुल शामिल हैं। पुलीगड्डा के पास कृष्णा नदी की शाखा, कृष्णा नदी पर बना पेरुमुड्डी – पुलीगड्डा पुल और प्रकासम जिले में गुंड़लकामा पर बना पुल।

राष्ट्रीय राजमार्ग-214 के पमारू से ओंगोले तक विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की काफी संभावनाए हैं और यह राष्ट्रीय राजमार्ग-5 की वैकल्पिक सड़क भी साबित होगी जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर यातायात का दबाव काफी कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, चेन्नई और कोलकाता के मध्य की दूरी लगभग 80 कि०मी० कम हो जाएगी और इस प्रकार ईंधन की वार्षिक बचत भी बहुत होगी और विदेशी मुद्रा की भी काफी बचत होगी।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे यथाशीघ्र पमारू से

ओंगोल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-214 के विस्तार के कार्य को आरंभ करें।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश में विडहर घाट में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र खलीलाबाद का दक्षिणांचल पूर्व में गोरखपुर, आजमगढ़ व अम्बेडकरनगर आदि जनपदों के मेन मार्ग को छूता है, जो वाराणसी, जौनपुर से चल कर भगवान बुद्ध की नगरी लुम्बनी तक का सीधा पथिक मार्ग है, किन्तु बीच में घाघरा नदी के विडहर घाट पर पुल न होने से आम आवाम को पूरब से बडहलगंज या पश्चिम अयोध्या जाने में सैंकड़ों कि०मी० अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। जिस पर पुल बनाने हेतु स्थानीय जनता ही नहीं, अपितु मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर जनपद की जनता भी वर्षों की मांग करती रही है।

आपके आश्वासन व आशीर्वाद पर मैं अपने क्षेत्र की जनता से उक्त पुल का निर्माण कराने का आश्वासन/घोषणा कर चुका हूं। भगवान बुद्ध के पथिक मार्ग वाराणसी से लुम्बनी को सीधा जोड़ने हेतु जनहित में घाघरा नदी के विडहर घाट तक पुल निर्माण कराने का आदेश देकर, हमें कोटी-कोटी धन्यवाद देने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए आवश्यक धन निर्गत किया जाये।

(ग्यारह) नांदेड़ जिले में पानी में फ्लोराइड की समस्या का निराकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र हिंगोली के नांदेड जिले के किनवट एवं भौकर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 40 ऐसे गांव की ओर दिलाना चाहता हूं जहां के पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है जिसके कारण यह पानी पीने से गांव के सभी लोग विकलांग हो रहे हैं और पशु कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन सब कारणों से यहां के लोगों में दहशत है और यहां के लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहां के लोगों को अपने घर और खेती-बाड़ी को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि यह केन्द्र सरकार को देखना है और हमारे पास कोई इसका बजट नहीं है। सरकार को पायलट प्रोजैक्ट योजना के अंतर्गत काम पूरे भारत के 63 गांवों में करना था जो नहीं हुआ है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या के निवारंण हेतु केन्द्र स्तर पर शीघ्र कार्यवाही की जाये और लोगों को मौत के मूंह से बचाया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उरई में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री बृजलाल खाबरी (जालौन) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन, गारौठा (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत 5 विधान सभाएं आती हैं और वहां केन्द्रीय सरकार के हजारों कर्मचारी काम करते हैं लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (केन्द्रीय विद्यालय संगठन) द्वारा वर्ष में सांसद कोटे के तहत दो कूपन केन्द्रीय विद्यालय में दो बच्चों के प्रवेश हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण मैं उनका उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। उनका उपयोग देश के अन्य जिलों में भी करने की अनुमति नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत जालौन उरई मुख्यालय में जन हित को ध्यान में रखते हुए एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। मंत्रालय द्वारा मुझे जो दो कूपन केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु दिए जाते हैं, जब तक मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक मैं उनका उपयोग देश के अन्य स्थानों पर कर सकूं, इसकी अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) तमिलनाडु के होसुर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी० वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : महोदय, होसूर तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है और साथ ही मेरे कृष्णागिरि निर्वाचन क्षेत्र की सबसे बड़ी नगरपालिका है। यहां पर अनेक बड़ी कंपनियां जैसे टी०वी०एस० सुजुकी, टायटन, अशोक लीलैंड इत्यादि और लघु स्तर के बहुत सारे उद्योग है। देश के विभिन्न भागों के लगभग दो लाख कार्मिक इस शहर में रहते हैं। इस समय, संलम-बैंगलोर बड़ी लाइन पर रेलवे स्टेशन में केवल मानव संचालित आरक्षण प्रणाली है और होसूर और आसपास के क्षेत्र के लोग आरक्षण सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं। कि होसूर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर शीघ्र खोले।

[हिन्दी]

(चौदह) जनजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, सन् 1980 का जो केन्द्र सरकार का फारेस्ट कानून है, इस कानून से पर्वत क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र नानाविध विकास काम से वंचित रहा है। बांध, स्कूल, सड़कें, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, टेलीफोन, नहर यह सुविधा करने के लिये पाबंदी लगा दी है। कई सालों से जनजाति लोगों द्वारा फौरेस्ट जमीन खेती में लाई गई है। यह जमीन रेवेन्यू में डालना जरूरी है, रूकावट आई है।

मेरी आपके माध्यम से वन मंत्री जी से प्रार्थना है कि फारेस्ट कानून में संशोधन किया जाये।

[अनुवाद]

(पंद्रह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण और उन्हें छह लेन वाले मार्गों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, केरल में मुख्यत: तीन राष्ट्रीय राजमार्ग है। परंतु इनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग के मानदंड के अनुसार नहीं है। राज्य, औद्योगिक रूप से पिछड़ा है यहां पर पर्यटन में, पर्यावरण अनुकूल उद्योगों और वन आधारित उद्योगों में काफी संभावनाएं है बशर्ते उचित आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। इडापल्ली से मंगलोर तक गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-17 जो कोचीन और तटीय क्षेत्रों से गुजरता है विश्व स्तर के लायक बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस मार्ग पर बहुत से बंदरगाह और उद्योग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 कोचीन और तटीय क्षेत्रों से गुजरता है। इस राजमार्ग पर कई पत्तन और उद्योग है अत: इस मार्ग में सुधार किया जाना चाहिए कोचीन से मदुरई तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों को निरंतर पर्यटक उपलब्ध कराता है। इन सभी राजमार्गों को आधुनिक बनाया जाना चाहिए और एक्सप्रेस सड़क के स्तर की छ: लेन वाली सड़क में इसका उन्नयन किया जाना चाहिए। रबड़ीकृत बिटुमिन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किफायती ढंग से सड़क पर तार बिछाने के लिए किया जाता सकता है, चूंकि केरल में प्राकृतिक रबड़ बहुतायत में होता है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक के बाबत एक सूचना पहले ही भेजी है, परंतु तारीख का उल्लेख सामान्य प्रारूप में नहीं किया गया है। तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार 26 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे संयुक्त बैठक आयोजित करना चाहती है। यह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए है।

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : धन्यवाद। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : क्या इसके लिए अलग से सम्मन जारी करने की आवश्यकता नहीं है ? *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कोई सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। संसद का सत्र पहले ही चल रहा है। यह संयुक्त सत्र या संयुक्त बैठक है। इसलिए कोई सम्मन जारी नहीं होगा। इसे दोनों सभाओं के बुलेटिन में प्रकाशित किया जाएगा। सम्मन की आवश्यकता नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से हम लोगों को सूचना दी गई कि महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश है कि संयुक्त अधिवेशन होगा। उस में न तारीख और न ही समय का उल्लेख था। हम कहां से सीखने जायें या हमें कोई संविधान बताये। महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपके यहां डेट और समय की सूचना नहीं दी जबकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री हम लोगों को सदन में यह सूचना दे रहे हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश आया कि उन्होंने संयुक्त अधिवेशन आहूत किया है जिसमें तिथि और समय का निर्धारण नहीं किया गया जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कर दिया। हम जानना चाहते है कि असलियत क्या है। संयुक्त अधिवेशन ऐतिहासिक महत्व का होता है। आज तक के संसदीय इतिहास में यह दो बार हुआ है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने अपनी इनटैंशन बताई है कि वे 26 मार्च को करना चाहते हैं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के मन में जो आता है, मनमानी करते हैं। नियम और परम्परा को ताक पर रख दिया गया। यह कैसा महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश है ? संसदीय कार्य मंत्री वहां से बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य शीघ्र बैठेंगे तो मैं असलियत बता पाऊंगा ? मैं पी०एम०बी० का समय नहीं लेना चाहता हूं और निजी सदस्यों का समय न लूं, इसलिये संक्षेप में स्थिति बतानाा चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि यह संयुक्त अधिवेशन नहीं, संयुक्त बैठक है। आप तो साधारण रूप से इसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। यह संयुक्त अधिवेशन नहीं, यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। दूसरा, यह संयुक्त बैठक पहली बार नहीं हो रही है, तीसरी बार हो रही है। जिस प्रकार पहले दो बार की परम्परा रही है, उसी प्रकार का तीसरी बार के लिये पत्र है और शब्दश: है। पिछली बार जब बैठक हुई थी, उस जैसी स्थिति है। जब कल राज्य सभा ने यह कह दिया कि पोटो बिल को रिजैक्ट किया गया है तो हमने प्रधानमंत्री जी से आदेश लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को सूचित किया। उसमें हमने तिथि सूचित की और उसी के अनुसार सरकार की मंशा बतलाई। उनसे अनुमति मांगी गई। आज प्रात:काल राष्ट्रपति भवन में पूरे पुराने कागज़ात उन्होंने देखे जो नियमानुसार पिछले संयुक्त बैठक के लिये हुये थे। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृत दे दी है और फाइल मेरे पास पहुंच गई है। उसमें उनका वही संदेश है जैसा पहले मैसेज आया था लेकिन वह तिथि के अनुसार नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य से अध्यक्ष नहीं हैं, आप उनके स्थान पर बैठे हुये हैं, मैंने आपको पत्र लिखा जिसमें तिथि की जानकारी दी है। इसके साथ-साथ मैंने व्यवस्था की भी आपसे प्रार्थना की है। यही पत्र मैंने माननीय उप-राष्ट्रपति जी को राज्य सभा के सभापति के रूप में लिखा है। अगर मैं चाहता तो यहां बोलता भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह बुलेटिन छप जाता और लोगों को आना पड़ता। लेकिन आपकी सुविधा के लिए खड़े होकर अगर मैं कल का बुलेटिन आज बता रहा हूं तो मैं समझता हूं कि कल की खबर आज देने के लिए मुझे बधाई देनी चाहिए, मुझे गाली क्यों मिल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता।

[अनुवाद]

श्री वैको : क्या आपके कहने का अर्थ है अलग से सम्मन जारी किए जाएंगे ?

श्री प्रमोद महाजन : नहीं, कोई सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। सभा का सत्र पहले ही चल रहा है। यह केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। पहले दो अवसरों पर भी कभी कोई सम्मन जारी नहीं किए गये थे।

श्री वैको : वर्ष 1987 में, मैंने भी संयुक्त बैठक में भाग लिया था। उस समय कोई सम्मन जारी नहीं किए गये थे। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुझे खेद है, महोदय। लोक सभा सचिवालय ने मुझे यह सूचित किया है कि वे सम्मन जारी करेंगे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, 22 तारीख के बाद छुट्टी हो गई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी ने स्वयं की त्रुटि ठीक कर ली है।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : महोदय, मेरे पास एक सूचना है। आज लोक सभा का सत्र समाप्त हो जाएगा। सभा का स्थगन अनिश्चित काल के लिए नहीं है; यह सामान्य स्थगन है। इसलिए सभा दोबारा समवेत कैसे होगी ? बुलेटिन के प्रकाशन मात्र पर तो हम नहीं मिल सकते। सम्मन जारी करने ही होंगे।

श्री प्रमोद महाजन : मैं यह पहले ही कह चुका हूं। मैंने स्वयं की गलती ठीक कर ली है।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : इस घटना चक्र के देखने से संसदीय कार्य मंत्री जी की ओवर-एक्टिंग पर केवल मैंने सवाल उठाया कि आसन से निदेश हुआ है, हम लोगों को सूचना मिली है कि राष्ट्रपति महोदय का संदेश है, कुछ और समय नहीं उठाते संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा हुआ था, वह अपने आप बता देंगे कि हम कितनी ओवर-एक्टिंग कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महामहिम राष्ट्रपति जी को डेट के बारे में हमने भेजा है, उसके बाद हम आपको बता देंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रीमैच्योर उत्तर कैसे दिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने सरकार का इरादा जाहिर कर दिया है। इसमें गलत क्या है ? इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अपराह्न 2.23 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री एम० दुराई (वन्डावासी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 13 मार्च, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 13 मार्च, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अगली मद — 'विधेयकों का पुरःस्थापन'

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, नियम 377 के अधीन मामलों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभा पटल पर रखे माने गए हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए समय हमेशा ही अपराह्न 3.30 बजे निर्धारित रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति में हमने यह निर्णय लिया था कि अपराह्न 2.00 बजे से लेकर 4.30 बजे तक सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेगा तथा 4.30 बजे से 7.00 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प लिए जाएंगे। आज हमने पिछले दो

शुक्रवारों के गैर-सरकारी कार्य एक साथ मिला लिए हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मुझे कुछ कहना है। नियम 377 के अधीन मामलों पर लोक सभा के नए सदस्यों को बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है। यदि प्रतिदिन वे सभा

[श्री रमेश चेन्नितला]

पटल पर ही रखे जाते रहे तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपके विनिर्णय का आदर करते हैं किन्तु कृपया इस पहलू पर भी गौर करें।

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य, गैर सरकारी सदस्यों का विशेषाधिकार है। उनका समय, किसी दूसरे कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अत्यधिक महत्व के कारण ही हमने कार्यमंत्रणा समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के पिछले दो शुक्रवारों के कार्य आज एक साथ लेने का निर्णय लिया है।

अपराह्न 2.15 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — *पुर:स्थापित*

(एक) पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व) विधेयक

[अनुवाद]

श्री सु० तिरूनावुकरसर (पुडुक्कोट्टाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी राज्य के अधीन सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी राज्य के अधीन सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सु० तिरूनावुकरसर : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.15½ बजे

(दो) कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें और कल्याण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के हितों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.16 बजे

[अनुवाद]

(तीन) चलचित्र (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5ख का संशोधन)

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.17 बजे

[अनुवाद]

(चार) राजनीतिक दल (सहायता तथा विनियमन) विधेयक*

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

कि राजनीतिक दलों और उनके अभ्यर्थियों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा ठोस लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था का संप्रवर्तन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक दलों और उनके अभ्यर्थियों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा ठोस लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था का संप्रवर्तन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं

अपराह्न 2.18 बजे

[हिन्दी]

(पांच) फर्जी शैक्षणिक संस्था (बंद करना) विधेयक*

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी फर्जी शैक्षणिक अथवा कोचिंग संस्थाओं को बंद करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में सभी फर्जी शैक्षणिक अथवा कोचिंग संस्थाओं को बंद करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री पद्मसेन चौधरी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.19 बजे

[अनुवाद]

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.20 बजे

[अनुवाद]

(सात) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 02.21 बजे

[अनुवाद]

(आठ) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक*

(नए अध्याय 2ख का अन्त:स्थापन)

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.22 बजे

[अनुवाद]

(नौ) अवैध आप्रवासी (पहचान और विवासन) विधेयक*

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में अवैध आप्रवासियों की पहचान और उन्हें विवासित करने हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि देश में अवैध आप्रवासियों की पहचान और उन्हें विवासित करने हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एस० बसवराज : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 02.22½ बजे

[अनुवाद]

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 269 का संशोधन)

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.23 बजे

[अनुवाद]

(ग्यारह) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक*

(धारा 9 का संशोधन)

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.23½ बजे

[अनुवाद]

(बारह) रेल (संशोधन) विधेयक*

(धारा 126, आदि का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 02.24 बजे

[अनुवाद]

(तेरह) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक*

(धारा 13, आदि का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.24½ बजे

[अनुवाद]

(चौदह) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 154, और धारा 161 का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.24¾ बजे

[अनुवाद]

(पन्द्रह) सरकारी कर्मचारी (उत्पीड़न से संरक्षण) विधेयक*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी स्थापनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों का उत्पीड़न से संरक्षण करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी स्थापनाओं में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों का उत्पीड़न से संरक्षण करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.25 बजे

[अनुवाद]

(सोलह) कृषक (ऋणग्रस्तता का निराकरण) विधेयक*

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कृषकों द्वारा लिए गए ऋणों के निपटान और ऐसे बैंकों और संस्थाओं द्वारा कृषकों को ऋणों का विनियमन करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कृषकों द्वारा लिए गए ऋणों के निपटान और ऐसे बैंकों और संस्थाओं द्वारा कृषकों को ऋणों का विनियमन करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.26 बजे

[अनुवाद]

(सत्रह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(पैरा 3 का लोप)

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.26½ बजे

[अनुवाद]

(अठारह) संचार विधि (संशोधन) विधेयक*

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.27 बजे

[अनुवाद]

(उन्नीस) बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक*

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का संदाय और तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का संदाय और तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 02.27½ बजे

[अनुवाद]

(बीस) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 8क का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.28 बजे

[अनुवाद]

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 105 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 02.28½ बजे

[अनुवाद]

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.29 बजे

[अनुवाद]

(तेईस) पर्यावरण (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक*

(नयी धारा 6क का अंत:स्थापन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.30 बजे

[अनुवाद]

किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक*

(धारा 53 का संशोधन) – वापस लिया गया

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.30 बजे

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 2.31 बजे

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक – *जारी*

(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री वैको (शिवकाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, विधेयक जो मैंने यहां पुर:स्थापित किया है और जो चर्चा के लिए लिया गया है एक महत्वपूर्ण विधेयक है। देश के वर्तमान परिदृश्य में विधेयक पर चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज, भारत इतिहास के चौराहे पर खड़ा है। जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था, उस दिन स्थिति भिन्न थी। इस बीच बहुत कुछ घटित हो चुका है। सम्पूर्ण देश में केप कोमोरिन से हिमालय तक, देश के चारों ओर तनाव बढ़ रहा है। भारत में घटित हो रही घटनाओं से लाखों लोगों चिंतित है और मैं अपने देश में इन घटनाओं के भावी परिणामों से अत्यधिक चिंतित हूं।

अपराह्न 2.32 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

मैंने पिछले दिनों जो कुछ कहा था उसको याद दिलाना चाहता हूं। हमारी अलग राज्य की धारणा थी। हमारे स्वर्गीय अरिगंर अन्ना ने चार दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल को मिलाकर अलग देश द्राविडनाडु बनाने की मांग की थी। जब हिमालयी पर्वतों पर चीनी तोपें गरज रही थी तो वे वैल्लोर सेन्ट्रल जेल में कैद थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक ऐसा भावुक भाषण दिया जिससे इस देश के लाखों लोगों की आखों में आंसू उतर आए तो उन्होंने जेल से तमिलनाडु के लोगों से यह अपील की कि यह देश के लिए संकट की घड़ी है। हम सबको पंडित जवाहर लाल नेहरू का साथ उठ देना चाहिए। फिर वे राज्य सभा में आए। इन सब घटनाओं के बाद, हमने अलग राज्य की मांग छोड़ दी। हम एक भारत के पक्ष में हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश से हूं और यह प्रजातंत्र सफलतापूर्वक कार्यकर रहा है। मैं ऐसा क्यों कहूं कि हमारा प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातंत्र

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

[श्री वैको]

है ? इस देश में सैंकड़ों करोड़ लोग रहते हैं। ये विभिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न-भिन्न भाषाओं, भिन्न-भिन्न रीति रिवाजों और भिन्न-भिन्न सभ्यताओं से संबंधित हैं। यह बहुभाषी, बहुधर्मी और मेरी धारणा के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। इसलिए, एकता और अखंडता को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। हमें युगोस्लाविया और गुडे यू०एस० एस०आर० जैसे पहले के देशों से सबक सीखना चाहिए।

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के 15 राज्यों में टुकड़े हो गए। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरे विधेयक का मूल प्रश्न एकता की धारणा को बल प्रदान करने के लिए राज्यों को और शक्तियां देने, अखंडता की धारणा को बल प्रदान करने और एक संघीय राज्य स्थापित करने के बारे में है ? इसलिए, अपनी पार्टी के संकल्प में हमने एक बात कही हैं कि इसे भारत संघ के रूप में पुकारने की बजाय इसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए।

यह 'आइड्स ऑफ मार्च' की चेतावनी थी। लेकिन 'आइड्स ऑफ मार्च' गुजर चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अवसर को चुनौतियों से मुकाबले का दिन कहा है। लेकिन समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं किया गया है। हमें इस संसद से भिन्न-भिन्न विचार सुनने को मिलते हैं। मैं किसी भी प्रदेश से कोई राय सुनना नहीं चाहता। यही मंच है जहां हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए, राज्यों को अधिक शक्तियों का मतलब पांच दशकों में केन्द्र द्वारा छीन ली गई शक्तियों को वापस देना है। संघ सूची में शामिल किए गए विषयों को अधिकांशत: राज्य सूची से लिया गया है। अत: भारत संघ ने राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। इसे समवर्ती सूची में लेने के नाम पर उन्हें छीन लिया गया है। ये शक्तियां राज्यों के पास होनी चाहिए विशेषकर, राज्यों के शेष अधिकार राज्यों के पास होने चाहिए, न कि भारत संघ में। यही एक आदर्श है, हमारे लिए यही एक प्रिय सिद्धांत है।

यह स्वर्गीय अरिगंर अन्ना, डी०एम०के० के संस्थापक के लिए उद्धृत करना बिल्कुल उपयुक्त होगा। यही है जो उन्होंने अपनी मृत्यु के सिर्फ 20 दिन पहले 12 जनवरी, 1969 को अपनी पार्टी के "होम रूल" के मुख्य पत्र में लिखा था।

महोदय, क्रूर नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। वे कैंसर से मरे थे। जब कैंसर के इलाज की कोई औषधि आती है। मैं उनके बारे में सोचता हूं क्योंकि हमने अपने महान नेता को इस रोग के कारण खोया है।

वे कहते हैं :

"प्यारे भाइयों, वे नहीं जानते कि मैं किस धातु का बना हूं। मैं कभी भी सत्ता के लिए पागल नहीं रहा हूं। न ही मुझे एक ऐसे संविधान के अन्तर्गत, जो कि कागजों में तो संघीय प्रकृति का है परन्तु वास्तव में वह अधिकाधिक केन्द्रीय प्रकृति का है, अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनने में मुझे कोई खुशी नहीं होती है। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डी०एम०के०) विचारवान लोगों की जानकारी में यह बात लाने में सक्षम है कि वर्तमान संविधान पिछले दरवाजे से द्वितंत्रीय शासन व्यवस्था लाने का प्रयास है जो कि निश्चय ही राजनैतिक जगत में कोई नये आयाम जोड़ेगा।"

संविधान सभा में 3 अगस्त, 1949 को राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधानों पर बहुत रोचक परिचर्या हुई । संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, तो डा० अम्बेडकर को एक बात का बड़ा दु:ख हुआ। यह बहुत रोचक है। इस पर जोर देते हुए उन्होंने बड़े दु:ख के साथ कहा :

"मेरे विचार से इस पर सभी सहमत होंगे कि हमारा संविधान, इसमें ऐसे बहुत से प्रावधान होने के बावजूद जिनके कारण केन्द्र को प्रान्तों के ऊपर अधिक अधिकार प्राप्त हैं, एक संघीय संविधान है, अर्थात प्रान्तों को भी संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए क्षेत्रों में उतनी ही सम्प्रभुता प्राप्त है जितनी केन्द्र को संविधान द्वारा इसे प्रदान किए गए क्षेत्रों में है।"

अन्तत: जब सभा ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया तो डा० अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को बहस का उत्तर देते हुए कहा। मैं उद्धरण देता हूं :

"जहां तक केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों का प्रश्न है, इनके आधार मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।"

उन्होंने आगे कहा :

"संघवाद का मूल सिद्धान्त यह है कि केन्द्र और राज्यों में विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार का विभाजन हो और ऐसा केन्द्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार नहीं होगा अपितु स्वयं संस्थान द्वारा होगा। यह काम संविधान करता है। राज्य अपनी विधायी या कार्यपालिका प्राधिकार के लिए किसी भी प्रकार से केन्द्र पर निर्भर नहीं हैं। इस मामले में केन्द्र और राज्य दोनों बराबर है। यह कहना कठिन है कि ऐसा संविधान केन्द्रीय शासनवाद कैसे कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि संविधान ने केन्द्र को किसी भी अन्य संघीय संविधान की तुलना में बहुत अधिक विधायी और कार्यपालिका प्राधिकार दे दिया है। ऐसा हो सकता है कि केन्द्र को तो अवशिष्ट शक्तियां दी गईं परन्तु राज्यों को नहीं।

लेकिन ये सब बातें संघवाद के अनिवार्य मूल नहीं हैं।"

डा० अम्बेडकर ने यह कहा था :

"जैसा कि मैंने कहा कि संघवाद का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों में विधायी और कार्यपालिका प्राधिकारों के बंटवारे में निहित है। यह सिद्धान्त हमारे संविधान में निहित है।"

राज्य की सम्प्रभुता की इस अवधारणा के बारे में हमारे स्वर्गीय नेता श्री अरिगंर अन्ना के कथन को मैं उद्धृत करता हूं :

"हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजनैतिक सम्प्रभुता जनता में निहित है। वैधानिक सम्प्रभुता संघ और इसकी इकाईयों के बीच विभाजित है। आप इसे इसके आलोक में क्यों नहीं देखते ? सम्प्रभुता किसी एक स्थान विशेष में पूर्णत: निहित, नहीं है।

हमारा ढांचा संघीय है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता ऐकिक ढांचे के स्थान पर संघीय ढांचा चाहते थे क्योंकि बहुत से राजनैतिक दार्शनिकों ने इंगित किया था कि भारत इतना बड़ा देश है कि – वस्तुत: इसे एक उप-महाद्वीप कहा जाता है – इसमें रहने वाले लोगों की दिमागी सोच में इतनी भिन्नता है, परंपराएँ बहुत अलग-अलग हैं, इतिहास इतना भिन्न है कि यहां इस्पात में जकड़े किसी कठोर, ऐकिक ढांचे को नहीं खड़ा किया जा सकता।"

यहां मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"मैं यह कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे का कार्यस्वरूप इस प्रकार का है कि राज्य अधिकाधिक परेशानी महसूस कर रहे हैं और उनकी यह मांग है कि संघ सरकार संविधान की समीक्षा करे, संविधान का पुन: मूल्यांकन करे।"

सत्तासीन होने के बाद हमारे प्रधान मंत्री ने एक संविधान समीक्षा समिति का गठन किया है। यह सही दिशा में उठाया गया सही कदम है।

जहां तक अवशिष्ट शक्तियों का सम्बन्ध है, मैं उद्धृत करता हूं :

"संविधान का निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी और तिरंकुश रवैये से अधिक स्वतंत्र नहीं था।"

ग्रेंडले ने उनसे दो बार यही पूछा था। उन्होंने कहा था कि वे संविधान का निर्माण करते समय ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी और निरंकुश रवैये से अधिक मुक्त नहीं हो सके हैं। मैं आगे उद्धृत करता हूं :

"उन्होंने सोच-समझकर राष्ट्रीय हित के नाम पर देश के विभाजन का लाभ राज्यों की सम्प्रभुता को कुचलने में उठाया।"

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में कांग्रेस को केवल अनुच्छेद 1, धारा 8 के अंतर्गत युद्ध की घोषणा, सेवा का गठन, विदेशों से व्यापार विनियमित करना, कर उगाहना, उच्चतम न्यायालय से अवसर न्यायाधिकरणों का गठन करना और पूर्ववत्ती शक्तियों के कार्यनिष्पादन हेतु आवश्यक और समुचित कानून बनाना आदि कार्यों के लिए ही शक्तियां दी गई हैं। राज्यों के लिए पूर्ण शक्तियों से संबंधित विषयों की संख्या केवल 18 तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 1, धारा 9 केन्द्र की आठ विषयों पर कानून बनाने से निषेध करती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 1, धारा 10 राज्यों को कांग्रेस की सहमति के बिना कोई संधि, समझौता करने, आयात या निर्यात पर शुल्क लगाने का निषेध करती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1791 में किए गए दसवें संविधान संशोधन के अनुसार, "संविधान ने जो शक्तियां संयुक्त राज्य को नहीं सौंपी हैं और न ही उनका राज्यों के लिए निषेध किया है, वे क्रमश: राज्यों के पास या जनता के पास आरक्षित हैं।"

अत: संयुक्त राज्य अमरीका के संघवाद में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं न कि संघ को। कांग्रेस के पास विषयों की सूची बहुत सीमित है। बड़ी-बड़ी संभावनाओं सहित राज्यों के पास बहुत अधिक प्रवशिष्ट शक्तियां हैं।

आस्ट्रेलिया के संविधान में भी संयुक्त राज्य अमरीका की ही भांति शक्तियों का वितरण किया गया है।

आस्ट्रेलिया का संविधान भी संघीय है। उसमें भी केन्द्र को न देकर राज्यों को कुछ अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद 107 में राज्यों के विधान मंडल से वापस ली गई या राष्ट्रमंडल की संसद में विशेष रूप से निहित शक्तियों को छोड़कर राज्यों को प्राप्त प्रत्येक शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अत: अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। स्वीकार्यत: आस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची का कोई प्रावधान नहीं है।

खतरनाक और खेदजनक बात यह है कि प्रान्तों का अधिकार कम किया गया और उनके पास वे शक्तियां भी नहीं रहीं जो उन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान प्राप्त थीं।

भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रान्तों की विधायी सूची में जो वन, मात्स्यकी, खाद्यान्नों व अन्य चीजों में मिलावट, दान और धर्मार्थ संस्थाएँ, दान और धर्मदायों, शिक्षा, वन्य पक्षी और वन्य पशुओं का संरक्षण आदि विषय थे वे भी समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारें अपनी नीति के अनुसार इन विषयों पर कानून बनाने की अपनी पूर्ण शक्ति खो बैठीं। 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत समवर्ती सूची में केवल 25 विषय थे जबकि हमारे संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र ने संविधान (संशोधन) अधिनियमों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को राज्य की सूची में से निकालकर केन्द्र की सूची में अन्तरित किया है। संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रविष्टि 92-क नयी प्रविष्टि है जिसके अनुसार केन्द्र समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की अन्तर-राज्यीय खरीद और बिक्री पर कर लगा सकता है और इससे राज्यों की बिक्री-कर संबंधी पूर्व शक्ति क्षीण हुई। यह इस संबंध में पहला संशोधन था।

इसके बाद सबसे त्रासकारी संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 आया। उन दिनों हम सब को मीसा के अन्तर्गत नजरबंद रखा गया था। मैं भी एक वर्ष से अधिक समय तक जेल में नजरबंद रहा। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। वह घोर अलोकतान्त्रिक, निरंकुश और गैर संघवादी था। उस समय

[श्री वैको]

निरंकुश प्रवृत्ति की स्थापना न्यूनाधिक रूप से लोकतन्त्र की मूल अवधारणा को ही दफन करने के लिए की गयी थी। उस समय देश के नागरिको को उनके मूल अधिकारों से भी वंचित किया गया था। इस देश में इससे पहले इस तरह का दमनकारी संविधान (संशोधन) अधिनियम कभी नहीं लाया गया था। संघ सूची में राज्य की सहमति के बिना ही केन्द्र के सैन्य बलों या अन्य बलों को केन्द्र के नियंत्रण में ही किसी भी राज्य में तैनात करने की शक्ति देने हेतु प्रविष्टि 2-क को शामिल किया गया था। राज्य सूची में प्रविष्टि-3 में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय और उच्च-न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों के संगठन, गठन और न्याय प्रशासन संबंधी राज्य की शक्तियों को छीन लिया गया। राज्य की सूची में से प्रविष्टि 11 (शिक्षा), प्रविष्टि 19 (वन), प्रविष्टि 20 (वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण) और प्रविष्टि 29 (मानकों की स्थापना के अतिरिक्त भार और माप निर्धारित करना) का लोप कर दिया गया। किसी भी अन्य संघीय देश ने जनमत या संघ की इकाईयों की सहमति के बिना कभी ऐसे संशोधन नहीं किए।

समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़ाने के बावजूद भी संसद ने राज्यों के क्षेत्राधिकार की उपेक्षा कर केन्द्र को शक्तियां प्रदान करने हेतु समवर्ती सूची में यह संशोधन किए। इसी प्रकार राज्यों के क्षेत्राधिकार में कटौती करते हुए राज्य सूची में दस ऐसे संशोधन किए गए जिनसे राज्यों के उन पूर्ण अधिकारों में भी कटौती हुई जो कि राज्यों को ब्रिटिश शासनकाल में भी प्राप्त थे। हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची में किए गए संशोधन निःसंदेह से प्रतीपगामी और निरंकुश प्रवृति को दर्शाते हैं।

श्री मोतीलाल नेहरू के प्रतिवेदन, जिसे स्वतन्त्र संविधान के सिद्धान्तों से संबंधित पहला प्रतिवेदन माना जाता है, में राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन भारत शासन अधिनियम, 1935 ने अवशिष्ट शक्तियां न तो केन्द्र को दीं और न ही प्रान्तों को अपितु ये शक्तियां गवर्नर-जनरल को प्रदान कर दीं।

क्रिप्स के प्रस्तावों के अनुसार भारतीय राज्यों और प्रान्तों को अपना-अपना संविधान बनाने का अधिकार देना सुनिश्चित किया गया था और संघ के बराबर दर्जा प्राप्त करने का अधिकार देना भी सुनिश्चित किया गया था।

16 मई, 1946 को घोषित किए गए कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संघ सूची के विषयों को छोड़कर सभी विषय और सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रान्तों के पास रहनी चाहिऐं थीं।

संयुक्त राज्य में संघीय सरकार केवल अपनी ओर से ही ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। "कांग्रेस राज्यों से संबंधित किसी भी शक्ति को औपचारिक रूप से हस्तगत नहीं कर सकती। ऐसा राज्यों की किसी सहमति से भी नहीं थिका जा सकता।"

आस्ट्रेलिया में संविधान संशोधन के बिना राज्यों के विषय पर कोई कानून बनाना असंभव है।

कनाडा की संसद को संविधान की धारा 92 के अंतर्गत विशेष प्रांतीय सूची में दिए गये किसी भी मामले से संबंधित विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वैको : महोदय, मैं कई महीनों से इस चर्चा में भाग लेने का इंतजार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री वैको : मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

शिक्षा को राज्य की सूची से हटा दिया गया है। 1833 से 1870 की कालावधि में केन्द्रीकरण अपनी पराकाष्ठा पर था। उसके बाद 1918 तक विकेन्द्रीकरण धीरे-धीरे जारी रहा। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की गई। इस सेवा के सदस्य प्रांतीय शिक्षा विभागों के सभी महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ थे। इस सेवा के माध्यम से, केन्द्र प्रांतीय शिक्षा नीति पर सीमित नियंत्रण रखती थी। भारत शासन अधिनियम, 1919 द्वारा द्वैधशासन के आरंभ होने के साथ 'शिक्षा' को 'अंतरित' विषय बना दिया गया और केन्द्र का शिक्षा पर नियंत्रण बहुत मामूली हो गया। यह स्थिति संविधान के 1950 में लागू होने तक जारी रही।

अपने मूलरूप में यथा अंगीकृत संविधान ने इन दोनों अत्यंत विरोधी स्थिति में संतुलन बनाने प्रयत्न का किया। इसने विश्व-विद्यालयों समेत शिक्षा को सूची II की मद् 11 के रूप में राज्यों को आवंटित कर दिया जोकि सूची I की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 के उपबन्धों और सूची III की प्रविष्टि के अधीन था। 'श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रारीक्षण' और "कानूनी, चिकित्सकीय और अन्य व्यवसायों को क्रमशः 25 और 26 मदों के रूप में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उच्च शिक्षा या अनुसंधान के संस्थानों में गुणवत्ता स्तर के निर्धारण और समन्वयन का प्राधिकार तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों को विशेष रूप से संघ को सौंप दिया गया (सूची I की प्रविष्टि 66)

यहां यह उल्लेखनीय है कि हालांकि 'शिक्षा' का विषय जिसे संविधान द्वारा मूल रूप से केवल राज्य को सौंपा गया था सूची III की प्रविष्टि 25 और सूची I की प्रविष्टि 63 से 66 के अधीन रखा गया था।

मैं उस तरीके के बिल्कुल खिलाफ हूं जिसमें 'शिक्षा' जैसे विशेष क्षेत्र के द्वारा कतिपय अवधारणाओं को प्रभावित करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

आज, हम राज्यों को अधिक शक्तियां देने पर चर्चा कर रहे हैं। मैं देश की एकता और अखंडता की बात क्यों बता रहा हूं ? इस पर प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम देश की एकता और अखंडता की

रक्षा के दबाव को सहन कर सकेंगें । देश में अनेक प्रांतीय भाषाएं हैं। इसलिए हमारा हमेशा से आग्रह रहा है कि सभी राष्ट्रीय भाषाओं को देश की राज भाषा बनाई जाए। किसी एक भाषा का अन्य भाषा पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। इस बात को उस समय अन्यथा न लिया जाए जब हम हिन्दी को लागू करने के बारे में बात करते हैं।

आजकल, कभी-कभी मैं स्वयं को अजनबी जैसा महसूस करता हूं, यदि हम लोकतंत्र सच्चे अर्थों में चाहते हैं तो सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान दर्जा देना पड़ेगा। सभी भाषाओं को देश की राज भाषा बनाया जाना चाहिए। उस समय तक अंग्रेजी भाषा को भी बने रहने देना चाहिए। यह आश्वासन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया था। यदि कुछ लोग इस सिद्धांत की वकालत करते हैं कि इसे कार्यान्वित करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 19 राष्ट्रीय भाषाएं है तब फिर द्रविड़ समूह की भाषा से 'तमिल' भाषा को अपनाया जाए। शुरूआत के तौर पर आप 'तमिल' को उसी तरह से एक राज भाषा बनाएं जिस तरह से अपने अन्य समूह से 'हिन्दी' को राज भाषा बनाया, हुआ है।

दीर्घावधि में सभी राष्ट्रीय भाषाओं को वे कह रहे थे कि केवल एक भाषा देश की एकता को बनाए रखने में सक्षम हो सकती है। राजभाषा बनाया जा सकता है। सोवियत रूस में क्या हुआ ? रेड आर्मी की ताकत और अधिकार के द्वारा भी क्या वे सोवियत रूस की एकता और अखंडता को बनाए रख सके ? इसलिए उसका ब्रालकनीकरण (विघटन) हो गया।

इसी प्रकार, आज जो कुछ भी हो रहा है उस पर मैं चिंतित हूं। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं दोनों पक्षों के अपने मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा यहां उठाए गये विचारों का गलत अर्थ न लगाया जाए, यह एक ऐसा मैंच है जहां हम अपने मत व्यक्त कर सकते हैं। मेरे विचारों से आप असहमत हो सकते हैं और आपके विचारों से मैं असहमत हो सकता हूं। वाल्टर ने कहा है : ''मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं परंतु मैं आपके विचारों की अभिव्यक्ति की आपकी स्वतंत्रता के रक्षा के लिए, मरते दम तक संघर्ष करूंगा।'' इसलिए, मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं।

यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म निरपेक्षता का संरक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात राजग सरकार अपने ऐजेंडे के अनुसार धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। हम भी राजग के एक घटक सदस्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर करने वालों में से हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके किसी भी रूख का विरोध कर रहे हैं। जब हम ऐसा कहते हैं, हमारे कहने का अर्थ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हैं।

कल हाऊस ऑफ कामन्स में सत्तारूढ लेबर पार्टी के संसद सदस्यों ने टोनी ब्लेयर को आडे हाथों लिया और उनकी जम कर खिंचाई की। उन्होंने आलोचना उनके अफगान युद्ध में संलिप्तता के कारण की थी। उन्होंने इस बात की आलोचना की थी कि क्यों यह सरकार अफगानिस्तान में अमरीकी युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेनाएं भेज रही है। उन्होंने यह भी कहा : ''जब वियतनाम जैसी विपत्ति आएगी तो हम अपनी सेना वहां से हटा नहीं पाएंगे।'' लेबर पार्टी के दो पूर्व मंत्री और समस्त हाऊस ऑफ कामन्स ने सरकार की आलोचना की थी। इसलिए, मतभेद के स्वर लोकतंत्र के प्राण है।

जब जान कैनेडी को उनकी पुस्तक 'प्रोफाइल्स ऑफ करेज' के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, मैंने वह पुस्तक पढ़ी है, तो कांग्रेस के सदस्य चाहे वह डेमोक्रेटिक पार्टी के हो या रिपब्लिकन पार्टी के हो, संकट के समय या जब गंभीर मामले पर चर्चा हो रही हो, दोनों पक्षों के सदस्यों ने सभा में अपने मन की बात कही। उन्होंने ऐसे ही लोगों के भाषणों का पुस्तक में उल्लेख किया और उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया।

इसी प्रकार मैंने अपनी राय व्यक्त की है। मेरी बात का यह गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जैसे मैं कुछ पक्षपातपूर्ण बात कह रहा हूं, यह मेरी अवधारणा है और मैं इससे कटिबद्ध हूं, ऐसी अवधारणा जिसे मैंने मन मस्तिष्क में संजो के रखा है। मैं अपने विचारों में गलत भी हो सकता हूं। परंतु मैं अपने विचारों का हकदार हूं, मैं अपने मतों का हकदार हूं।

महोदय, आज समस्या यह है कि तनाव बहुत बढ़ गया है, कुछ क्षेत्रों में संघर्ष की तैयारी चल रही है। मैं भविष्य के लिए चिंतित हूं। जब कुछ लोग अयोध्या की बात करते हैं, जब कुछ लोग गुजरात की बात करते हैं, जब कुछ लोग गोधरा की बात करते हैं तो मुझे बहुत पीडा होती है। जब मैंने गोधरा के बर्बरतपूर्ण आक्रमण की खबर सुनी, जहां लोगों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिन्दा जला दिया गया। मेरा दिल दहल गया। उन छोटे बच्चों का क्या हुआ होगा, उनकी माताएं उन्हें गोद में लिए थीं जब आग ने उन्हें घेरा होगा ? उनकी माताओं ने अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा होगा, परंतु उन्होंने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा होगा ?

मैंने इस घटना को सुनने के तुरंत बाद एक वक्तव्य दिया था। मैं एक मामूली आदमी हूं, इसलिए मेरा टीवी पर एकाधिकार नहीं है। मैंने कहा था कि इन बर्बर लोगों को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं है। वे सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है और ऐसे उन्मादी तत्वों का सख्ती से दमन करना चाहिए।

महोदय, हम न्यूटन के सिद्धांत को यहां लागू नहीं कर सकते कि प्रत्येक क्रिया पर एक प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान पर यह लागू हो सकता है परंतु लोकतंत्र पर नहीं।

अपराह्न 3.00 बजे

प्रतिक्रिया, के रूप में हम एक दूसरे नरसंहार, दूसरे पाशविक आक्रमण, दूसरे कायर्तापूर्ण हमले को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते। जब श्रीमान जाफरी संसद के पूर्व सदस्य अपनी रक्षा के लिए घंटों गुहार लगा रहे थे और अपनी जीवन रक्षा के लिए टेलीफोन पर सहायता मांग रहे थे, उसके बाद भी उनके संपूर्ण परिवार को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इसलिए, मैं गोधरा में हुए नरसंहार और अहमदाबाद

[श्री वैको]

के दूरदराज के गांवों में हुए नरसंहार के बारे में सोच कर कांप जाता हूं। महोदय, दंगों में कौन से लोग प्रभावित होते हैं ? आदमी और औरतें, बुर्जुग लोग, बच्चे, बीमार और अपाहिज ये लोग प्रभावित होते हैं। दोनों ओर से उपद्रवी तो बच कर निकल जाएंगे और मासूम लोग ही प्रभावित होंगे। यही समस्या है। अब मैं चिंतित हूं क्योंकि हम राम मंदिर के बारे में कुछ कहते है और जब मेरे मित्र इस्लाम के बारे में कुछ कहते है, बिना सोचे समझे वे न केवल संसद में हंगामा मचाते हैं अपितु संसद के बाहर भी हंगामा मचाते हैं।

महोदय, मैं रैशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं। 1984 के पूर्वार्द्ध में, राम मूर्तियों और गर्भगृह मूर्तियों को अमरीका में हो रहे भारत महोत्सव में ले जाकर वहां प्रदर्शित करने का एक प्रस्ताव था। मैंने राज्य सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। मैंने उस पर चर्चा शुरू की थी। माननीय श्री आडवाणी और माननीय श्री जसवंत सिंह ने उस चर्चा में भाग लिया था। लगभग 35 लोगों ने उस चर्चा में भाग लिया था। श्री सुदर्शन नाच्चीयप्पन कृपया मेरी बात सुनिए। इस मामले पर मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। उस समय मैं मामूली आदमी था मैं संसद का कनिष्ठ सदस्य था।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री कमलापति त्रिपाठी मेरे पास आए और मेरे कंधे थपथपाकर कहा कि : "आपने आज चर्चा के लिए अच्छा विषय उठाया है।" उस समय, मेरे मित्र माननीय श्री सिंह देव संस्कृति के प्रभारी मंत्री थे। मैंने उनसे पूछा : "आप राम की मूर्ति किस कारण लेकर जा रहे हो, मूर्तियों की प्रतिकृति न लेजाकर नौ मंदिरों के गर्भगृह से मूर्तियां अमरीका क्यों ले जायीं जा रही हैं ? किस उद्देश्य के लिए ?" मोनालिसा का चित्र फ्रांस से बाहर कहीं भी लेकर जाने की इजाजत नहीं है। हिन्दू भक्तों के अनुसार मंदिर के चारदिवारी की ईट भी पवित्र होती है। मैंने मंत्री से पूछा : "आपने मूर्तियां बाहर ले जाने का साहस कैसे दिखाया ?" उस पर उन्होंने उत्तर दिया : "हमने इन मूर्तियों को बीमित किया है।" मैंने पूछा : "आपने भक्ति की क्या कीमत लगाई है और लोगों की भावनाओं की क्या मोल लगाया है ?" वे जवाब नहीं दे सके। उसके बाद चर्चा समाप्त हो गई। और उन मूर्तियों को भारत से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई।

मैं यह सब क्यों कह रहा हूं क्योंकि मैं विरासत, संस्कृति, संभ्यता, वास्तुशिल्प सभी के संरक्षण में रूचि रखता हूं। परंतु उसी के साथ, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महोदय, यहूदी और अरब सदियों से आपस में लड़ रहे हैं कल तक जेरूशलम और अन्य जगहों पर रक्तपात हो रहा था परंतु महोदय आज भी इजरायली सरकार अलाकशा मस्जिद का रक्षण करती है। ईशू मसीह से पहले वहां पर मूल रूप से एक यहूदी मंदिर था जिसे एक बार रोमनों ने तहस नहस कर दिया था। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : कहां पर ? *(व्यवधान)*

श्री वैको : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं गलत भी हो सकता हूं। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : मुझे एक शंका है मैं चाहता हूं आप उसका समाधान करें। *(व्यवधान)*

श्री वैको : अपने इतिहास के अल्पज्ञान के आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूं। वे नहीं समझेंगे मैं जो भी मुद्दा यहां उठाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : यह सर्वथा विद्वेषपूर्ण है। मैं आपसे केवल यह कहने का अनुरोध कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री वैको : जेरूसेलम में एक पुराना मंदिर था जिसे नष्ट कर दिया गया। किन्तु महोदय, इस्त्राइल की सरकार ने अलाक्शा मस्जिद को बचाया है।

सभापति महोदय : आप एक घण्टे का समय ले चुके हैं।

श्री वैको : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि मैं बीच हीं में रूक जाऊंगा तो, मुझे गलत समझा जाएगा। मुझे क्या मिला ? जो कुछ मैं कह रहा हूं, भावी पीढ़ियां उस पर विचार करेगी। यह भाषण केवल भाषण देने के लिए ही नहीं है। मैं इतने दिनों से पूरी वेदनरा व दुखः के साथ देख रहा हूं कि संसद में आजकल क्या हो रहा है।

इसलिए, महोदय, इस्त्राइल की सरकार ने मस्जिद की रक्षा की। किन्तु यहां तत्कालीन केन्द्रीय सरकार मस्जिद की रक्षा करने में असफल रही। महोदय, 148 कंपनियां मूक दर्शक बनी रहीं। जब मस्जिद धवस्त की जा रही थी तब वे केवल मूक दर्शक बने रहे। इन्होंने वहां कई सालों पहले प्रतिमाएं स्थापित की थीं। लोगों ने गुहार भी लगाई। उन्होंने शिलादान किया। अतएव, अब क्या किया जा सकता है ? मेरे मित्रों को इस पर सोचना चाहिए। भले ही यहां बहुमत हो या अल्पमत, मैं आर०एस०एस० द्वारा पारित संकल्प की अवधारणा का विरोध करता हूं। यह मेरा दृष्टिकोण है। मैं बहुत अधिक व्यथित था। यदि कोई यह कहता है कि अल्प संख्यकों की सुरक्षा का निर्णय बहुसंख्यक करेंगे तो हम पूरी तरह उनकी दया पर ही निर्भर हैं। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं।

यहां अल्पसंख्यक हैं। यहां 20 करोड़ मुस्लमान हैं। इंडोनेशिया के बाद यहां विश्व के सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं। वे इस देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ाईयों में मुस्लमान युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया था।

जब मैंने दोनों तरफ के लोगों हिन्दुओं और मुसलमानों से बात की तो उन्होंने कहा कि वे इस देश में शांति चाहते हैं। वे इस देश में एकता चाहते हैं। मैं सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। यदि कहीं सुदूर कोने में भी कुछ होता है तो यह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। तब खून बहता है, मार-काट होती है। कल तक वे साथ-साथ बैठे हुए थे।

हमारे राज्य में एकता का इतिहास रहा है। इस एकता को हमारे नेताओं — पेरियार और अन्ना ने बनाया था। अब, हमें चिंता क्यों

है ? क्या होगा ? मेरे मित्रगण, ज़रा सोचिए कि मलेशिया में रह रहे हिन्दुओं के साथ क्या होगा। उनमें से अधिकतर तमिल हैं। सिंगापुर में रह रहे लोगों का क्या होगा ? उनमें से अधिकतर तमिल हैं। वे मुसलमानों के साथ घुलमिल कर रह रहे हैं। मुसलमान बड़ी जनसंख्या में हैं। इसके लिए पूरे देश के नजरिए को बदलना होगा। सभी धार्मिक स्थलों, भले ही वे हिन्दुओं के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों के हों या किसी और के सभी स्थलों का आदर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वैको : जहां तक सांप्रदायिक दंगों का संबंध है, इन दंगों में जो कुछ हुआ, कोई जघन्य कार्य, यदि कोई उसे उचित ठहराने का प्रयत्न करता है तो मुझे बहुत दुःख होता है। 1984 में दंगें हुए थे। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इसे यह कहकर औचित्यपूर्ण ठहराया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उससे धरती भी हिल जाती है। इससे जनता का विश्वास डगमगा जाएगा। क्या हुआ है ? यह सांप्रदायिक घृणा कुछ क्षेत्रों की पुलिस के दिमाग में भी फैल गई है। यह खतरे का संकेत है। इसे रोका जाना चाहिए। यदि यह सांप्रदायिक घृणा सेना के मन में भी घर कर गई तो क्या होगा ? इसलिए देश की एकता व अखण्डता को बचाने के लिए सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। पारस्परिक सौहार्द कायम होना चाहिए। जो भी विद्वेष व घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं वे इस देश के भविष्य को बरबाद कर रहे हैं।

इसके अलावा, केन्द्र ने जो शक्तियां छीन ली हैं उन्हें भी वापस राज्यों को प्रदत्त किया जाना चाहिए। यदि सही रूप से संघ वाद की स्थापना की जाती है तभी हमारे देश के भविष्य, विशेषतः भारत की एकता व अखण्डता की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा यह खतरे में पड़ जाएगी।

इसलिए, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक को अपना समर्थन प्रदान करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 3.09 बजे

[हिन्दी]

(चौबीस) कार्यशील महिला कल्याण विधेयक*

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न उद्योगों और स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न उद्योगों और स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

अपराह्न 3.10 बजे

[हिन्दी]

(पच्चीस) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) (निरसन) विधेयक*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के रापत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.10½ बजे

[अनुवाद]

(छब्बीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 357 का संशोधन)

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.11 बजे

[अनुवाद]

(सत्ताईस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 243 आदि का संशोधन)

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.11½ बजे

[अनुवाद]

(अट्ठाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 151क से 151ञ का अंतःस्थापन)

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.12 बजे

[अनुवाद]

(उनतीस) औषधि विनियामक प्राधिकरण विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि औषधियों के उत्पादन, पूर्ति और वितरण को विनियमित करने तथा उनके मानकों और कीमतों को अवधारित करने हेतु एक प्राधिकरण गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औषधियों के उत्पादन, पूर्ति और वितरण को विनियमित करने तथा उनके मानकों और कीमतों को अवधारित करने हेतु एक प्राधिकरण गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.3.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.13 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक

(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन) जारी

[अनुवाद]

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : आदरणीय सभापति महोदय, हमारे मित्र, श्री वैको द्वारा पुरःस्थापित यह संविधान संशोधन विधेयक, 2000 हमारे मन में नए विचार जगा रहा है। वे इस अवसर के माध्यम से 50 वर्ष पहले के आंदोलन को ले आए हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार द्रविड़ आन्दोलन भारत की संघीय शासन प्रणाली में पृथक राज्यों की स्थापना की मांग कर रहे थे। उन्होंने अरिगनार अन्ना के भाषणों को उद्धृत किया और उनके विचार अरिगनार अन्ना के विचारों पर ही आधारित थे। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक संविधान संशोधनों का जिक्र भी किया जिनके द्वारा संघ सरकार ने राज्यों की शक्तियां हड़प लीं। राज्य कहते रहे हैं कि उनकी शक्तियां, केन्द्रीय सरकार द्वारा हड़पनी नहीं चाहिए। किन्तु, मैं यह महसूस करता हूं कि उन्हें आधुनिक काल को भी ध्यान में रखना होगा। हम अब भारत या इंडिया है। स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से लगभग 460 स्वायत्तशासी राज्यों का भारतीय संघ में एकीकरण करने पर हमें गर्व है। स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से हमने भारत या इंडिया नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। लाखों लोगों ने अपने जीवन, संपत्तियों और परिवारों का बलिदान दिया।

उन्होंने अपनी क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, भाषाई और संस्कृतिक भावनाओं का बलिदान दिया। इंडिया को नया भारत या नव भारत बनाने के नाम पर सब कुछ बलिदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी ने एकता कायम करने के लिए राम व अल्लाह जैसे पवित्र नामों का भी प्रयोग किया ताकि लोग समझ सकें कि वे धर्म, संस्कृति, भाषा, राज्य, जाति व वर्गों से ऊपर हैं। इसकी गूंज भारत के प्रत्येक गांव में हुई। लोगों ने यह महसूस किया कि यदि भारत, ब्रिटिश सत्ता से मुक्त होकर एक प्रभुसत्ता सम्पन्न भारत बन जाता है तो यहां राम राज्य या ग्राम राज्य स्थापित हो जाएगा और हम अधिक शक्ति सम्पन्न हो जाएंगे और प्रभुसत्ता पंचायतों के माध्यम से ग्रामों में निहित होगी।

यह नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया था। उन्होंने लोगों को यह सोचने के लिए विवश किया कि आखिर वे गरीबी में क्यों हैं तथा वे कष्ट क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने उन्हें यह भी महसूस कराया कि यह सब इसलिए घटित हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिये। उन्होंने लोगों को बताया कि यही कारण है कि लोगों को उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना पड़ा जिनसे वे हजारों सालों से लाभान्वित हो रहे थे। यहां तक कि हम हमेशा वेदिक काल से ही इन अधिकारों का उपभोग करते आ रहे हैं।

हम हर दृष्टि से स्वायत्त व संप्रभुता संपन्न थे। प्रत्येक गांव स्वायत्त था तथा उसकी अपनी सरकार थी। परन्तु हमने इसे अंग्रेजों के हाथ गवां दिया जिन्होंने अपने कानूनों और औपनिवेशिक शासन की अपनी प्रणाली के माध्यम से गांवों से उनके प्रत्येक अधिकार को छीन लिया। जनता ने यह महसूस किया कि उनके अधिकार उन्हें वापस मिलने चाहिएं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष करना है तथा यदि ब्रिटिश साम्राज्यवाद यहां से समाप्त होता है तो गांवों को और अधिक अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे तथा तत्पश्चात् रामराज्य अथवा पंचायत राज्य आएगा और वे अपने अधिकार पाकर काफी खुश होंगे तथा वे अपना विकास कर सकते हैं।

जनता ने सोचा कि वे वैदिक काल में लौट सकते हैं जब सबकुछ ईश्वरीय आधीन था, तथा सभी मनुष्यों को इस दिव्य शक्ति पर विश्वास था। वे प्रत्येक वस्तु से प्यार करते थे। वे मनुष्यों, प्राणियों और यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं से भी प्यार करते थे। यही वैदिक चेतना थी। कोई अलगाव नहीं था, कोई मंदिर, मस्जिद अथवा चर्च नहीं था। यहां तो सिर्फ पवित्र जीवन था जिसकी पूजा हिन्दू, हिन्दुस्तान और भारत अथवा इंडिया के निवासी किया करते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की भी मुख्य विचार-धारा यही थी।

अब, यह सब घटित हुआ है। एक सौ वर्ष के संघर्ष व अनेक चीजों के बलिदान के पश्चात् अब हमने स्वयं ब्रिटिश प्रणाली के माध्यम से – ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम द्वारा एक के बाद एक सभी अधिकारों को प्राप्त कर लिया है। धीरे-धीरे हमने एक-एक करके अपने अधिकारों को हासिल कर लिया है। हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को भी प्राप्त कर लिया है तथा हमने प्रत्येक अधिकार को एक-एक करके प्राप्त किया है। अंततः हमने 1950 में सभी चीजों को प्राप्त कर लिया जब हमने स्वतंत्रता अधिनियम के पश्चात् भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ को प्राप्त कर लिया।

इसलिए हमें इतिहास को देखना है। अरिग्नर अन्ना एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। मैं उन्हें जानता था। मैं एक विद्यार्थी की तरह उनके भाषणों का अनुकरण किया करता था। परन्तु उस समय उनकी एक सोच थी कि समाज से कुछ खो गया है। वे महसूस करते थे कि तमिलनाडु जैसे छोटे राज्यों द्वारा भारत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस समय अनेक भाषाओं – तेलगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल के लोग विशाल मद्रास प्रेसीडेंसी में रहते थे। हर एक वहां था। वह एक 'कस्मोपोलिटन' नगर था। वह क्षेत्र भी उसी तरह का था। तब हमने यह निर्णय लिया कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए और तब अलग राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक का गठन हुआ। उन भाषाओं को जानने वाले लोग संबंधित राज्यों में स्थानांतरित हो गए। परन्तु कुछ लोग उसी स्थान अर्थात् तमिलनाडु में रूक गए। तत्पश्चात् उन्होंने यह सोचना प्रारंभ किया कि तमिल का विकास करना चाहिए क्योंकि तमिल वह प्राचीन

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन]

भाषा है जिससे इन द्रविड़ भाषाओं का जन्म हुआ है, यह इन द्रविड़ भाषाओं की जननी है जिसने अन्य भाषाओं का पोषण करने में भी इनकी मदद की है।

परन्तु, उस समय उन्होंने अनावश्यक रूप से यह महसूस किया कि हिन्दी, तमिल को बर्बाद कर देगी। द्रविड़ पार्टी द्वारा लिया गया यह एक गलत निर्णय था।

यही निर्णय था। अब, राजग सरकार को जो पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दी को प्रचारित कर रही है, समर्थन दे रहे हमारे मित्र इसे गलत साबित कर रहे हैं।

श्री वैको : यहां तक कि हम आज भी किसी भी रूप में हिन्दी को थोपने का विरोध कर रहे हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं इस मुद्दे पर आऊंगा। जब आप बोल रहे थे तो मैं काफी शांत था।

श्री वैको : मैं आपका समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं कोई प्राधिकारवादी नहीं हूं, मैं प्रजातंत्रवादी हूं। यही कारण है कि मैंने आपके द्वारा कही गयी सभी बातों को स्वीकार किया है। परन्तु यह हिन्दी भाषा थी। हमें याद करना चाहिए कि महात्मा गांधी ने हिन्दी को क्यों स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि यदि भारतीय आपस में मिलते हैं और हिन्दी में बात करते हैं तो वे हिन्दी के प्रत्येक वाक्य में अपनी मातृभाषा के एक या दो शब्दों को भी शामिल करेंगे।

अपराह्न 3.21 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

हिन्दी भाषा का यही वह स्वरूप था जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था। यही कारण है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह भाषा तमिल होनी चाहिए थी, तेलगु होनी चाहिए थी, मलयालम होनी चाहिए थी, मराठी होनी चाहिए थी, तथा राजस्थानी होनी चाहिए थी। प्रत्येक भाषा के शब्द वहां होने चाहिए और इसे हमें एकसूत्र में बांधना चाहिए। चूंकि वे वहां देवनागरी लिपि में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने इस भाषा को चुना। यह हिन्दी भाषा है।

परन्तु दुर्भाग्यवश, जिन लोगों ने सत्ता संभाली उन्होंने हिन्दी के विकास हेतु इसे संस्कृतनिष्ट बना दिया। यही बात थी जिसने अरिग्नर अन्ना जैसे लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि यह भाषा तमिल के लिए खतरा बनने जा रही है। यही भाव उन्होंने पैदा किया। परन्तु इससे निकाले गए गलत निर्णय पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यहां तक कि अभी भी इस पर उचित ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तब जाकर, हिन्दी को हर जगह, हर स्थान पर स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान में तमिलनाडु के अलावा

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : स्वतंत्रता के तुरंत बाद कांग्रेस का शासन था। इसलिए, आपके कहने का अर्थ है कि कांग्रेस द्वारा हिन्दी को संस्कृतनिष्ट बनाया गया।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं आपको बताऊंगा। अब, हम इस बात पर आ रहे हैं कि हिन्दी किस प्रकार से संस्कृतनिष्ट बनी है। हम गणतंत्र भारत के प्रथम तीस वर्षों का बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। आप हिन्दी भाषा को अनेक भारतीय शब्दों, देशी शब्दों के मिश्रण के रूप में पा सकते हैं। जैसा कि मैंने सुझाया, महात्मा गांधी का यही स्वप्न था। किन्तु बाद में, कुछ लोगों ने पद सम्भाला – मैं यह नहीं बताना चाहता कि वे कौन हैं – और इसे संस्कृतनिष्ट बना दिया। अब यह बिल्कुल संस्कृतनिष्ट है। मैं डा० मुरली मनोहर जोशी की भाषा को नहीं समझ सकता, परन्तु मैं अपने विद्वान मित्र डा० रघुवंश प्रसाद सिंह की भाषा को समझ सकता हूं। मैं उनकी भाषा समझ सकता हूं। मैं कुमारी मायावती की भाषा समझ सकता हूं। *(व्यवधान)* मैं अन्य लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं। हम इसके आधार पर कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं। अन्य राज्यों के दूसरे लोग जब हिन्दी में बात करते हैं तो मैं उनकी भाषा समझ सकता हूं क्योंकि वे संस्कृतनिष्ट हिन्दी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं।

साथ ही साथ, आप यह भी देख सकते हैं कि मंत्रियों में से भी कुछ लोग सरल हिन्दी का प्रयोग करते हैं। हम श्री प्रमोद महाजन के भाषण को बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वे संस्कृतनिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वे बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि हमारे प्रधान मंत्री के भाषण को भी समझा जा सकता है। वे संस्कृतनिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वे काव्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, हमें कुछ चीजों की जरूरत है। जब हंस रहे होते हैं तो हम इसे समझ नहीं सकते। मात्र उसके बाद ही हम इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार, हम सरल भाषा को समझ सकते हैं। मैं बहुत ही सरलता से यह कह सकता हूं कि राजीव गांधी का हिन्दी भाषा का ज्ञान पर्याप्त था। हम देख सकते हैं कि वे 150 शब्दों के प्रयोग से ही हिन्दी में अपना सम्पूर्ण भाषण दे देते थे तथा यह हर व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता था।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : और अंग्रेजी में 145 शब्द। *(व्यवधान)*

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वास्तविक हिन्दी को लाया जाये जो सभी क्षेत्रों की सभी भाषाओं का सम्मान करे और उन्हें समाने लाए। यही वास्तविक हिन्दी ऐसी होगी जो सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जा सके।

मैं यह कहते हुए बहुत प्रसन्न हूं कि अब तमिलनाडु और पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों को छोड़कर सभी राज्य हिन्दी के दायरे में आ गए हैं। प्रत्येक स्थान पर हिन्दी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि त्रि-भाषा पद्धति को अपनाया जा रहा है। परन्तु तमिलनाडु में अभी भी वे अनावश्यक रूप से सिर्फ तमिल और अंग्रेजी से ही

चिपके रहना चाहते हैं। किन्तु वे जो धनी लोग हैं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में जा सकते हैं तथा सभी तीन भाषाओं को सीख रहे हैं।

तथापि, मेरे जैसे गरीब लोग जो गांवों में रहते है हिन्दी को भाषा के रूप में नहीं सीख पा रहे हैं। हम संसद में नहीं आ सकते थे और इसे नहीं देख सकते थे। तमिलनाडु के 40 सांसदों में से श्री मणि शंकर अय्यर और श्री दलित इजिलमलाई को छोड़कर शेष 38 सांसद हिन्दी नहीं बोल सकते हैं। मैं अपने को एक स्वाभिमानी तमिलवासी समझता हूं लेकिन तभी जब मैं इस संसद में हिन्दी में बोल सकूं। सिर्फ तभी मैं यह महसूस कर सकता हूं कि मैं एक वास्तविक भारतीय, वास्तविक तमिलवासी हूं। मैं इस भाषा को सीखना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री वैको : आपको खुश होना चाहिए तब खासतौर पर जब सभी हिन्दीभाषी तमिल सीखेंगें। यदि वे सर्वाधिक प्राचीन और शास्त्रीय भाषा, तमिल को सीखते और बोलते हैं, तब आपको प्रसन्न होना चाहिए।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं महसूस करता हूं कि श्री वैको त्रि-भाषा फार्मूले को स्वीकार करते हैं।

श्री वैको : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि जब तक आप हिंन्दी नहीं बोलते हैं आप अपने पर गर्व महसूस नहीं कर सकते। क्या ये सदस्य यहां तमिल में बोलेंगे ? हम त्रि-भाषा फार्मूला का पूरी तरह विरोध करते हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : तमिल राजस्थान में एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। *(व्यवधान)* यही कारण है कि आज आप अलग-अलग हैं।

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वे आपसे सहमत नहीं हैं।

श्री वैको : हम अलग-थलग नहीं हैं। पूरे विश्व में उच्च पदों पर सिर्फ तमिल लड़के कब्जा कर रहे हैं न कि उत्तर प्रदेश और बिहार के विद्यार्थी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री नाच्चीयपन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि राजग सरकार का एक घटक बनाने के पश्चात् उन्हें तमिल का प्रचार-प्रसार करने की कोशिश करनी चाहिए। मध्यप्रदेश में तमिल भाषा की कक्षाएं चल रही हैं, राजस्थान में चल रही हैं, गुजरात में चल रही हैं, तथा पश्चिम बंगाल में भी आप तमिल सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह पूरे भारत में तमिल पढ़ायी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए हमें हिन्दी की आवश्यकता है। साथ ही साथ, हमारा कहना है कि इसे लादा नहीं जाना चाहिए। वर्तमान में, इसे लादा गया है। यहां तक कि प्रधान मंत्री भी स्वतंत्रता दिवस का सम्बोधन हिन्दी में कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री वैको : क्या आप तमिलनाडु में अपने घोषणापत्र में इसे शामिल कर पायेंगे ? क्या आप तमिलनाडु में अपने घोषणापत्र में इस अवधारणा को शामिल करने के लिए तैयार हैं ?

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री नाच्चीयपन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : वे प्रधान मंत्री के विरुद्ध उंगली भी नहीं उठा सकते, परन्तु मैंने इस मुद्दे को संसद में यह कहते हुए उठाया है कि प्रधान मंत्री ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के इस वादे का उल्लंघन किया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर प्रधान मंत्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में संबोधित करेंगे। श्री वैको ने इसे नहीं उठाया, मैंने इसे उठाया। उन्होंने तब भी इसे नहीं उठाया जब श्री नीतीश कुमार हिन्दी में बोल रहे थे। उन्होंने इसे स्वीकार किया क्योंकि सत्ता में राजग की सरकार है। वे सत्ता चाहते हैं। *(व्यवधान)* साथ ही साथ वे भाषा को भुनाना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री वैको : ऐसा नहीं है। आप गलत हैं।

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री नाच्चीयपन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : मुझे पता है कि आप किस प्रकार से तमिलवासियों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसे साबित कर सकता हूं।

सभापति महोदय, तमिलनाडु को नवोदय विद्यालय पद्धति के तहत 400 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे। वे त्रिभाषा फार्मूला को स्वयं तमिल माध्यम में ही कार्यान्वित कर सकते थे। यदि ऐसा किया गया होता तो करीब 10,000 स्टॉफ नियुक्त हुए होता और वहां अनेक शिक्षक बने होते। क़िन्तु तमिलनाडु में हुआ क्या ? आप लोगों की अंधदेश भक्ति तथा अनावश्यक भावनाओं के कारण हम इसे नहीं पा सके। आप 'राजग' के एक घटक हैं और आपके मंत्री हिन्दी में बोल रहे हैं, परन्तु वहीं आप तमिलवासियों को हिन्दी सीखने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री वैको : अंधदेशभक्ति आप दिखा रहे थे जब आप सत्ता में थे। आपको यह समझना चाहिए कि हमने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया।

सभापति महोदय : श्री नाच्चीयपन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। एक दिन, शिवगंगा में एक छोटे से शहर में, दो लोग एक होटल में तमिल में बात कर रहे थे। कुछ समय के बाद, वे तमिल को छोड़कर हिन्दी में बात करने लगे। वे साधारण लोग जो गरीब मजदूर हैं, जिन्होंने यहां हिन्दी नहीं सीखी है, जब वे खाड़ी देशों में मजदूर के रूप में गए तो

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन]

उन्होंने वहां हिन्दी सीखी तथा तमिलनाडु में शिवगंगा लौटे। अब, यदि वे अपने विचारों का आदान-प्रदान हिन्दी में करना चाहते हैं तो आप इसे नहीं रोक सकते। लोग बाहर जा रहे हैं, हिन्दी सीख रहे हैं तथा आप इसे नहीं रोक सकते। आप प्रत्येक गांव में हिन्दी बोलने वाले लोग पाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : वे आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : श्री वैको, आपमें सहन-शीलता होनी चाहिए। मैं आपके विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैंने उत्पादन-शुल्क संबंधी आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। *(व्यवधान)*

श्री वैको : आपको गुमराह नहीं करना चाहिए। यह द्विभाषा फार्मूला की वजह से ही है कि अनेक विद्यार्थी सभी यूरोपीय देशों में जा रहे हैं तथा वे इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : कुछ लोग सिर्फ संसद में अथवा मंत्री बनने पर अपने को गर्वशाली भारतीय महसूस करते हैं परंतु अन्य जगहों पर नहीं।

महोदय, तमिलनाडु राज्य इस महान देश का एक भाग है। इस राज्य की जनता ने अपने कठिन परिश्रम से सिर्फ बौद्धिक रूप मे ही नहीं बल्कि शारीरिक और सांस्कृतिक रूप में भी योगदान दिया है। तमिल एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। तमिल गीतों और इसके संगीत का इस देश में व्यापक प्रभाव है। काफी संख्या में अभिनेत्रियां, प्रबंधन से जुड़े लोग, राजनीतिज्ञ तमिलनाडु से आते हैं तथा उन्होंने इस देश के विकास में प्रभावपूर्ण ढंग से योगदान दिया है। तमिलनाडु के लोगों ने यहां तक कि अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर काफी योगदान दिया है। इसलिए, हमें उस राज्य का हिस्सा होने पर गर्व है।

महोदय, हमारे संविधान का निर्माण भविष्य के लिए दूरदर्शिता के साथ हुआ। संविधान में पंचायत राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है। पंचायत राज संस्थाओं को जिन 29 शक्तियों को संविधान संशोधन के माध्यम से देने की बात की गयी थी वह उनको नहीं दी गयी हैं। इसी कारण से, उस स्तर पर शक्तियों का यथोचित प्रयोग नहीं हो पाया है। मेरे मित्र, श्री वैको को यह स्वीकार करना चाहिए कि महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने संबंधित राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्रदान की है। संप्रभुता दिल्ली अथवा चेन्नई में निहित नहीं है बल्कि यह गांवों में भी निहित हैं। जब हम तृणमूल स्तर पर शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करेंगे केवल तभी हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं। पंचायत राज संस्थाओं को जिन 29 शक्तियों को देने की बात की गयी थी वह उन्हें दी जानी चाहिए।

महोदय, ठीक इसी प्रकार, राज्यों को भी अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रही हैं। वे सिर्फ केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करने में अभिरूचि रखते हैं, परन्तु उन निधियों का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्वर्गीय कामराज की कार्यावधि के दौरान, यदि सड़क निर्माण के लिए किसी परियोजना को लिया जाता था तो उस परियोजना पर होने वाले परिव्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन करना पड़ता था। यहां तक कि 45 से 50 वर्षों के बाद भी उन सड़कों की स्थिति बहुत ही अच्छी रही है। परन्तु अब क्या हो रहा है ? राज्य सरकारें धन प्राप्त करने में ही रूचि रखती हैं तथा वे विभिन्न मदों पर सेवा शुल्क भी लगा रही हैं। हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया है कि राज्य सरकारें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से प्राप्त होने वाली निधियों पर 0.5 प्रतिशत सेवा शुल्क लगाने की योजना बना रही हैं। राज्य सरकारें सिर्फ विभिन्न मदों पर सेवा-शुल्क लेने में अभिरूचि रख रही हैं किन्तु वे राज्यों के विकास के लिए अपनी निधियों का उपयोग नहीं कर रही हैं। वे विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए सिर्फ अभिकरणों के रूप में कार्य कर रही हैं परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि राज्यों में विकास नहीं हो रहा है।

महोदय, यह सब कहने के पश्चात् मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय हमारा संविधान विश्व के अन्य देशों के लिए अनुकरणीय बन गया है। यूरोपीय देश हमारे संविधान से प्रेरणा प्राप्त कर अपने संविधान की रूपरेखा बना रहे हैं। जिन यूरोपीय देशों ने कभी हमारे देश पर शासन किया था, वे अब हमारे विचारों को उधार ले रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समय, उनमें से अधिकांश देशों की अपनी अलग पहचान थी किन्तु अब वे एक झंडे के तले एकत्र हो गए हैं।

महोदय, करीब दो महीने पहले, मैं कुछ यूरोपीय देशों में व्यक्तिगत दौरे पर गया था। हमारे अपने देश में आपस में भाईचारे की भावना है किन्तु फिर भी दलगत भावना में हम अकेले रहते हैं। मैंने वहां के अपने किसी मित्र से पूछा कि उनकी अपनी अलग मुद्रा (करेंसी) क्यों नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें 'यूरो' अपनी मुद्रा (करेंसी) के रूप में क्यों अपनाना चाहिए। वस्तुतः, यूरोप के विभिन्न देशों से करीब 25 बहुत ही दक्ष वकील थे। उनमें से एक ने मुझे बताया कि वे यूरोप के लिए केवल एक मुद्रा, 'यूरो' पाकर बेहद खुश हैं क्योंकि इससे उन्हें यूरोप के किसी भी भाग में इसे भुनाने में मदद मिलती है चाहे वह फ्रांस हो, जर्मनी हो अथवा इंगलैंड हो। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक और भी बड़े देश में रह रहा हूं। मैंने उनमें से एक से भाषा के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि वह फ्रेंच बोल सकता है और उसने जर्मन एवं अंग्रेजी सीखी है तथा वह कुल मिलाकर चार भाषाएं जानता है। उसने इसके बारे में बहुत गर्व महसूस किया। मैंने उससे पूछा कि एक वकील होकर उसे इतनी भाषाओं को सीखने का मौका कैसे मिला। उसका जवाब था कि यदि हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो हम हमेशा ही इसे सीख सकते हैं। जब मैंने यह पूछा कि क्या उसके द्वारा दूसरी भाषाओं का सीखा जाना उसकी अपनी भाषा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला, तो उन्होंने बताया कि उनकी अपनी भाषा का गठन काफी समृद्ध है।

श्री वैको : नब्बे प्रतिशत अंग्रेज अंग्रेजी नहीं जानते।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : कृपया कुछ सहनशीलता रखें।

श्री वैको : मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : हम इस विश्व के एक अंग हैं। यूरोप अब एकीकृत है। श्री वैको जैसे कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इंगलैंड 'यूरो' को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसी कारण से वह अब अलग-थलग है। यहां तक कि फ्रांस भी अंग्रेजों को स्वीकार करके खुश है। वे लोग जिन्होंने एक समय सम्पूर्ण विश्व पर शासन किया वे अब अपने ही देश में ही शासन नहीं कर पा रहे हैं। हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो सार्वदेशिक चिन्तन से निर्देशित होता है। एक भाषा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रादेशिक बंधुत्व होना चाहिए। साथ ही साथ हमें एक सार्वभौमिक तरीके से रहना चाहिए। तमिल में एक कहावत है – "यदुम ऊरे, यावारूम केलीर" इसका अर्थ है : "सम्पूर्ण विश्व मेरा है, सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं।" यह उन तमिलवासियों की भावना थी जो दो हजार वर्ष पहले रहते थे। यही कारण है कि आप प्रत्येक देश में जहां तमिल पाए जाते हैं तमिल भाषा में होर्डिंग लगे पाएंगे। विदेशों में रहने वाले तमिलवासी तमिल बोलते हैं और अपनी संस्कृति का अनुकरण करते हैं। मैंने पेरिस, इंगलैंड, मॉरीशस और यहां तक कि जेनेवा में तमिल में लिखे बोर्डों को देखा है। ···*(व्यवधान)* डा० रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत सही हैं। हमारे राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती ने एक बार कहा था : "मेरी मातृभाषा की चौदह बोलियां हैं।" इसका अर्थ चौदह भाषाएं हैं। यही भावना वहां होनी चाहिए।

वर्तमान व्यवस्था में, समवर्ती सूची पर काफी भार है। इसलिए, इसे अपना कुछ भार घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए, कब घटाना चाहिए, वह शक्ति किसे दी जानी चाहिए; ये सभी प्रश्न हैं जिनपर चर्चा करने की जरूरत है। मैं इस वाद-विवाद की पहल करने के लिए श्री वैको को धन्यवाद देता हूं। मैंने सोचा वे इस पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। मैंने सिर्फ इसके तकनीकी पहलुओं पर अपने को तैयार किया। इसलिए, मैं केवल कुछ मिनट का ही समय लूंगा और सभा के समक्ष मुख्य बिन्दुओं को रखूंगा।

मेरे मित्र श्री वैको ने प्रविष्टि-84 को संघ सूची से हटाकर राज्य सूची में रखने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया। यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं उस अंश को पढ़ता हूं :

> "भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके अंतर्गत (क) मानवीय उपयोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर, (ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ नहीं हैं; किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां है जिसमें ऐल्कोहल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।"

हमें इस संशोधन को सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 51 के साथ पढ़ना चाहिए। अत: यह केवल पूरक है। दोनों एक ही हैं। इसलिए, इन क्षेत्रों अर्थात् केन्द्र तथा राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करते समय, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए।

विश्व अर्थव्यवस्था के इस दौर में, निसन्देह व्यापार राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्यों में ज्यादा संकेंद्रित होने चाहिए क्योंकि राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यापार प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जानी चाहिए। अत: इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, सम्पदा शुल्क तथा अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अन्य बातों का उल्लेख भी जल्दी से कर लेता हूं। वह सूची-II, अर्थात राज्य की सूची की प्रविष्टि संख्या 30 में दर्ज महत्वपूर्ण आंकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं जिनमें 'जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण' भी शामिल है। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि राज्य जन्म तथा मृत्यु का विषय देख रहे हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक का प्रणाली के माध्यम से इसे कर सकते हैं। इस प्रकार सारे आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर रखे जा सकते हैं।

इसी प्रकार, उन्होंने सूची-I की प्रविष्टियों संख्या 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अध्यधीन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा का उल्लेख किया है। इसी प्रकार, प्रविष्टि संख्या 25 के तहत श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की बात भी कही गयी है। इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों के बीच काफी विरोध है। अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान, अखिल भारतीय चिकित्सा बोर्ड इत्यादि हैं जो स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करते हैं जब वहां अभियांत्रिकी, तकनीकी, मेडिकल कॉलेज, अथवा अन्य कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाते हैं। उन्हें परियोजनाओं की मंजूरी के लिए बेकार में दिल्ली आकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। शिक्षा अभी भी बाजार नियंत्रित है। उसी कॉलेज को स्वीकार किया जाता है जो अच्छी पढ़ाई देता है। अत: राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नियमन की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं एक और मुद्दे का जिक्र करते हुए अपने भाषण को समाप्त करूंगा। उन्होंने कुछ नयी चीजों का गठन किया है, परन्तु उसे उन्हें उचित तरीके से करना चाहिए था। मैं संविधान समीक्षा समिति का गठन करने के उनके तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरा कहना है कि इस समिति का गठन गलत इरादे से किया गया है और यह गलत दिशा में जा रही है। अत: संविधान समीक्षा समिति का गठन बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसे संसद द्वारा गठित किया जाना चाहिए था। संसद समिति का गठन कर सकती है और उस पर विचार भी कर सकती है। वह इसपर नये रूप से सोच सकती थी।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि

[प्रो० रासा सिंह रावत]

सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।
यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से,
फिर भी है बाकी है निशां हमारा।

हमारा जो देश है :— अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। हमारा देश अनेक धर्मों वाला, अनेक जातियों वाला, अनेक बोलियों वाला, अनेक उत्पादनों वाला और अनेक भाषाओं वाला देश है। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है — अनेकता में एकता। यही भारत की विशेषता है। हमें भारत की विभिन्न भाषाओं पर, विभिन्न संस्कृतियों पर और भारत की संस्कृति जो मिलकर कहलाती है, उस पर गर्व है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर देश में पृथकतावाद का कोई नारा लगता है, अलगाववाद की भावना पनपाने की कोशिश करता है, किसी भी माध्यम से, वह हम सबके लिए कष्टदायक है। अभी राजभाषा के बारे में चर्चा हुई।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आपके कुछ अपने लोग भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी सही रास्ते पर लाएं।

प्रो० रासासिंह रावत : मैं वही कह रहा हूं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए देश भक्ति का तकाजा है कि हम सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें। चाहे वह तमिल हो, तेलुगू हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, बंगाली हो, हिन्दी हो, जो भी संविधान के अंतर्गत जो सूची दे रखी है, उसमें सम्मिलित की गई हो। राज्यों कि अंदर उन भाषाओं का प्रयोग होता है। केन्द्र में जहां तक सम्पर्क भाषा का सवाल है, एक दूसरे से मिलने पर अंग्रेजी के पहले हिन्दी का प्रयोग राष्ट्रभाषा के रूप में होता था। आजादी की लड़ाई भी इसी भाषा से लड़ी गई थी। हमारे महापुरूष राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जो आजादी के सेनानी थे, उन्होंने भी सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को हिन्दुस्तानी रूप में अपनाया था। इसलिए किसी देश में निजता का पद पाती है पर्वतर क्या, विनय एक व्यापक वाणी, राष्ट्र की सत्ता क्या। वह व्यापक वाणी भारतीय भाषा ही हो सकती है, जिसको सर्वाधिक बोलने वाले और समझने वाले हों। मैं समझता हूं वायको जी ने संविधान संशोधन की बात कही है, उसमें भाषा वाला विवाद जो शुरू हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। भारत की सभी भाषाएं हमारे लिए मान्य हैं, पूज्यनीय हैं और हमें अधिकाधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपने-अपने राज्यों में जहां उनका प्रयोग राज्य स्तर पर प्रादेशित क्षेत्रों में होता है, उसमें होना चाहिए लेकिन जातिवाद, प्रांतीयतावाद, भाषावाद, अलगाववाद या साम्प्रदायिकतावाद को लेकर, छोटी-छोटी बातों को लेकर अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारा देश बिखर जाएगा। वाइको जी ने कहा है कि संविधान की जो सूची है, अनुच्छेद 246 के अंदर सातवीं अनुसूची है जिसके अंदर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के अंदर शासन व्यवस्था बनाई है। संविधान सभा में हमारे देश के सभी वर्गों, सभी राज्यों और तत्कालीन सभी प्रभुत्व नागरिक और महानुभाव थे और सबके चिंतन करने के बाद संघ सूची, राज्यों की सूची और समवर्ती सूची बनी है, उन्होंने बड़ा सुंदर प्रयोग किया कि ये विषय संघ के अधिकार में रहेंगे और ये राज्यों के अधिकार में रहेंगे और समवर्ती सूची में केन्द्र और राज्य दोनों को समान अधिकार होगा।

जहां तक वाइको जी का यह कहना है कि राज्यों को मजबूत बनाया जाना चाहिए, इस बात का मैं आंशिक समर्थन करता हूं। केन्द्र और राज्य दोनों को मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि अगर केन्द्र मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा और राज्य मजबूत होगा तो केन्द्र मजबूत होगा। लेकिन राज्य अटॉनोमी के नाम पर जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के अंदर विशेष अधिकार दे रखे हैं और वहां समस्या हुई थी कि एक देश के दो निशान, एक देश के दो प्रधान और एक देश के दो विधान हों। कश्मीर आज तक हमारी भारत माता का सिर है, ताज है, हमारा मस्तक है लेनिक आज वह समस्याग्रस्त बना हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारा देश एक माला है और जितने राज्य हैं चाहे छोटे राज्य हैं या बड़े राज्य हैं, वे सब उसके अंदर मनके की तरह हैं, भारत माता के गले की माला के फूल हैं। इस प्रकार की भावना को लेकर यदि हम चलेंगे तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी नहीं तो अलगाववाद की बात होगी।

"जब नाव डूबेगी तो डूबेंगे सारे, न हम ही बचेंगे, न साथी हमारे।"

इसीलिए हमें मजबूत भारत का सपना देखना चाहिए। आज विदेशी ताकतें यह दिखा रही हैं कि यूरोप छोटे-छोटे देशों के अंदर बंटा हुआ है, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, लिस्वान और नॉर्वे ऐसे देश हैं और कई तो हमारे देश के जिले के बराबर देश हैं लेकिन हमारा इतना बड़ा देश उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक है। एक अरब की आबादी वाला देश है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, प्रांत हैं, जलवायु है लेकिन उसके बावजूद भी भारत हमारे यहां की संस्कृति, इतिहास और हमारी पुरातन सभ्यता को एक रखे हुए हैं। हमें इस एकता को जीवित रखना पड़ेगा। भले ही ऊपर से अलग दिखें लेकिन मूलतः सारी भाषाएं एक हैं और जो ऊर्जा जो मूल स्रोत है, वह एक है। इसीलिए वाइको जी के द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन जो है, उसका केवल मैं आंशिक समर्थन करना चाहूंगा।

हमारे संघ की सूची में भारत के संविधान ने जो सूची दे रखी है, 97 विषय हैं और वाइको जी ने 94 कर दिये हैं, तीन कम कर दिये हैं। कुछ तो आर्थिक मामलों से संबंधित हैं और कुछ इन राज्यों के हैं। राज्यों की सूची में संविधान के अंदर 76 विषय दिये हुए हैं, वाइको जी ने 66 रखे हैं और समवर्ती सूची में संविधान के अंदर 47 विषय हैं और वाइको जी ने 28 विषय रखे हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बता दूं कि उसमें मुद्रण त्रुटि थी। इसलिए उस विधेयक में संशोधन के लिए मैंने प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं कह रहा था कि अगर ऐसी आवश्यकता होती तो यह संविधान समीक्षा आयोग जो अभी बिठाया है, उसके बारे में कहते लेकिन मैं समझता हूं कि आज एन०डी०ए० के रूप में सारे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सारे देश की शक्तियां, विभिन्न वर्गों के लोग एक माला के मनके बनकर देश में शासन कर रहे हैं।

यह ठीक है, जैसा वैको जी ने कहा, इमरजैंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थीं और मीसा जैसा काला कानून देश में लगा दिया था। राज्यों की सारी शक्तियां कम कर दी थीं। लेकिन धीरे-धीरे 1983 में सरकारिया आयोग बना, जिसने बताया कि केन्द्र और राज्यों के कैसे संबंध होन चाहिए, कौन-कौन सी बातों पर कैसी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन कब लागू होना चाहिए, कब नहीं लागू होना चाहिए, इन सारी परिस्थितियों के बारे में विवेचन किया। मैं समझता हूं कि संविधान निर्माताओं ने, हम पचासवीं स्वर्ण जयन्ती मना चुके हैं, जो संविधान बनाया है, वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसलिए संविधान में संशोधन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि राज्यों को वित्त के मामले में और अधिकार मिलने चाहिए, ताकि राज्यों को समय-समय पर केन्द्र की और थोड़े धन के लिए न देखना पड़े। राज्य भी अपने रिसोर्सेस जुटा सकें। हम पंचायतों को आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। ग्राम राज्य की इकाई है, जैसे पंचायत समिति है, जिला परिषद् है, जिला पंचायत है, विधान सभा है, लोक सभा है, उसी प्रकार केन्द्र, केन्द्र के साथ राज्य और राज्यों के साथ स्वायत्त् इकाइयां, सभी मजबूत होने चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता ही है, होना चाहिए और हो रहा है। मैं समझता हूं कि हर चीज की अति ठीक नहीं है। अगर केन्द्र कमजोर हुआ, जिस प्रकार मुगलों के जमाने में दिल्ली और आगरा की धुरी कमजोर हुई, तो अंग्रेज आए और वे अपनी मनमानी करने लगे तथा देश को गुलाम बना दिया। अब तक का इतिहास इस बात का साक्षी है, मजबूत केन्द्र, मजबूत राज्य और मजबूत राज्य, मजबूत केन्द्र। सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत बंटेगा नहीं। भारत उनके कब्जे में नहीं आएगा। हमारे कुछ मसले हैं, हमारे मतभेद हैं और लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं सुब्रहमण्य भारती की कविताओं में राष्ट्रीयता का परिचय मिलता है और स्वामी तिरुवलकर जी की कम्बन रामायण में संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हमें उन पर गर्व है। तुलसी दास जी ने कहा है – ''मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक। पाले-पोसे संकलन अंग, तुलसी सहित विवेक।'' अर्थात्, हमारा मुखिया मुख की तरह होना चाहिए और मुख एक होते हुए, एड़ी से चोटी तक का वह विकास करता है। ऐसे ही केन्द्र सबल हो और केन्द्र सबल होगा, तो राज्य सबल होंगे। सारे राज्य, चाहें छोटे जैसे नागालैंड, मिजोराम, गोवा या बड़े जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, केरल – सारे राज्यों को ध्यान में रखकर सब का संतुलित रूप से, समुचित रूप से, सुचारू रूप से विकास हो। हमारे संविधान की यह विशेषता रही है। मैं समझता हूं कि पूर्वज संविधान निर्माताओं ने, स्वाधीनता सैनानियों ने बहुत सोच-समझकर बाबासाहिब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया। संविधान के अनुसार संघीय अधिकार अलग है, राज्यों के अधिकार अलग हैं और समवर्ती अधिकार अलग हैं। केन्द्र के हाथ में सेना का, केन्द्र के हाथ में रक्षा का, केन्द्र के हाथ में डाक व तार, केन्द्र के हाथ में रेलवे जैसे अधिकार दिए। राज्यों को राज्य के अधिकार दिए। लेकिन मीसा जैसे काले कानून का उपयोग न हो, अपनी शक्ति के बल पर न्यायालय के निर्णय को बदलने का प्रयास न हो, ऐसी व्यवस्था है। अगर हमारे संविधान में कहीं कोई कमी रह गई है, तो उस कमी को विद्वानों के द्वारा, विधि-वेताओं के द्वारा, संविधान विशेषज्ञों के द्वारा यदि परिवर्तन की आवश्यकता है, तो परिवर्तन करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न हो।

महोदय, अंत में मैं आपकी आज्ञा से सरकारियां आयोग का एक भाग कोट करना चाहूंगा – ''भारत के संविधान में द्विस्तरीय सरकार की परिकल्पना की गई है। एक संघीय स्तर पर और दूसरी राज्य के स्तर पर। कार्यात्मक दृष्टि से यह संविधान स्थायी स्वरूप का नहीं है, बल्कि परिवर्तनात्मक है। इस प्रक्रिया के तहत अपकेन्द्री और अभिकेन्द्री शक्तियों के पारस्परिक संबंध, परिवर्तनशील सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर निरन्तर एकता और विविधता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।'' कितनी सुन्दर बात सरकारिया आयोग की प्रस्तावना के अंदर कही गई है – हमारा सब का उद्देश्य केन्द्र के अधिकारी, राज्य के अधिकारी या समवर्ती सूची, लेकिन लक्ष्मण रेखा, मर्यादा, उद्देश्य क्या है – निरंतर एकता, देश एक बना रहे, ''वयम् राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता:,'' राष्ट्र के विद्वान लोग हमेशा जागरूक रहें। ''राष्ट्र देवो भव:,'' राष्ट्र को देवता के तुल्य समझें। ऐसा मान कर राष्ट्र की आराधना निरंतर एक्य भाव से करते रहें तो एकता बनी रहेगी।

अगर मेरे पैर के एक अंगुठे में कांटा चुभता है तो हमारा दिमाग यह नहीं कहता कि अंगुली के अंदर कांटा चुभा होगा, हमें क्या लेना-देना। सारे शरीर में सनसनी फैल जाती है। दिमाग आंखों को कहता है देखो, हाथ को कहता है, ढूंढो और पैरों को कहता है, ऊपर उठो। पैर के नीचे जो कांटा है, उसे निकाल कर फैंक दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से देश के किसी भी भाग में आने वाली विपदा, मुसीबत, हमारी अपनी मुसीबत, सारे देश की मुसीबत होनी चाहिए, यही राष्ट्रीय एकात्मकता की अनुभूति है, जिसके लिए एन०डी०ए० निरंतर प्रयत्नशील है, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्नशील है। मैं समझता हूं कि वाइको का भाव भी यही है। उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे गलत न समझा जाए। मेरा अपना विचार हो सकता है, उनके अपने विचार का हम उनके स्थान पर सम्मान करते हैं, लेकिन विचार राष्ट्र को दृष्टि से देखना पड़ेगा। पांच अंगुलिया अलग-अलग हैं, लेकिन पांचों अंगुलियां, हथेलियां और कलाई से बंधी हुई हैं। अगर पांचों अंगुलियां एक होंगी तभी शक्ति आएगी। संघों की शक्ति कलयुग है। कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति है। हमारे यहां संसद भवन के मुख्य द्वार

[प्रो० रासा सिंह रावत]

को केन्द्रीय कक्ष के ऊपर लिखा हुआ है – "अयं निजा: परोवेती, गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु, वसुधेवकम् कुटुम्बकम।" यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गिनती छोटे दिल वाले लोग करते हैं। विशाल दृष्टिकोण वालों के लिए सारा संसार एक परिवार है। हम सब भारतवासी एक भारतमाता के बेटे हैं। इसलिए हमें सब भाषाओं, संस्कृति, बोलियां, सब के ऊपर नाज़ है। यहां हिन्दी भारतमाता के भाल की बिंदी है। सब बहने हैं – हिन्दी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाब सब बहने हैं औरी सब बहनों की अंग्रेजी विदेशी भाषा है, वह इस देश से जानी चाहिए। राष्ट्रीय अस्मिता का तकाजा है, हम अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान करें और सारी राष्ट्रीय भाषाओं को अपने-अपने क्षेत्र में फलने और फूलने का अवसर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आंशिक समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री वाइको ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, हम उसके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन हमें आश्चर्य है कि वह जिस सरकार को सपोर्ट करते हैं, वे मानेंगे या नहीं मानेंगे, वे मानने वाले नहीं हैं, ऐसा हमें लगता है। रासा सिंह रावत जी ज्ञान का बहुत उपदेश दे रहे थे, लेकिन वह जिस तरफ बैठे हैं वहां ऐसे भी लोग हैं जो करनी करें पाताल लोक की, कथनी कथै हिमालय की। यह हिमालय की ऊंचाई का कथन है, लेकिन करनी पाताल लोक के लोग कर रहे हैं। देश एक है, एक रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। ये कह रहे हैं – "वसुधैव कुटुम्बकम," लेकिन यह नहीं है। "श्रुतयो विभिन्ना, स्मृतियो विभिन्ना, नइकोर मुनेजस्य, मतयो विभिन्ना, धर्मस्य तत्वम्, मतयोग गुहाया, महाजनो एना, गतस्य पंथा," ये लोग भूल जाते हैं। दंगा फैलाओ, मारो काटो, यह काम इनके कुछ कट्टरपंथी लोग कराते हैं। इन लोगों का आपस में मतभेद है। कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो देश का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को उपदेशित किया जाए। *(व्यवधान)* प्रो० रासासिंह रावत जी ने अभी बहुत ऊंचा उपदेश दिया है।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन आप बताएं कि उस पर अमल करने वाले भी आपकी तरफ हैं या नहीं। संजीवनी-बूटी और अमरकृति की आप बातें कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि "करनो करे पाताल लोक की और कथनी करे हिमालय की"। बात तो बहुत ऊंची कर रहे हैं लेकिन व्यवहार में आपके लोग क्या कर रहे हैं।

सेंटर-स्टेट संबंधों पर बहस हो रही है और इसी से संबंधित माननीय वाइको साहब का मामला है। यह मामला बहुत संवेदनशील है और इसके लिए सरकारिया कमीशन भी बैठाया गया था। लेकिन उसका गद्द उड़ाने का काम इस सरकार ने किया है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या सरकार से पूछ कर की। जितने आर०एस०एस० के कट्टरपंथी हैं वह बहाली करते हैं, राज्य सरकार को क्यों पूछने जाएंगे। इसीलिए विवाद हो रहा है। जो तीन लिस्टें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट संविधान में हैं जिनमें से एक में स्टेट का अधिकार है, दूसरी में केन्द्र का और तीसरी में दोनों का संयुक्त रूप से अधिकार है, माननीय वाइको साहब का प्रथम प्रस्ताव है कि यूनियन के 4(2) के अधिकार को यूनियन लिस्ट से हटाकर स्टेट लिस्ट में रखा जाए। उसके बाद 10(2) ऐसा क्षेत्र है जिसको कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में रखा जाए। मतलब यह है कि चार यूनियन लिस्ट से और 10 कंकरेंट लिस्ट से दोनों को मिलाकर 14 अधिकारों को स्टेट लिस्ट में रखा जाए। यह माननीय वाइको साहब का प्रस्ताव है। महोदय, इसमें सरकारिया कमीशन ने 2.43.01 में कहा है कि ·

[अनुवाद]

> "कराधान संबंधी मामलों में कानून की अवशिष्ट शक्तियां विशेष तौर पर संसद की सक्षमता में बनी रहनी चाहिए, जबकि कराधान के अलावा कानून-निर्माण संबंधी शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को लागू करने के लिए संविधान में तदनरूप संशोधन किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

सरकारिया कमीशन ने कहा है कि इन मामलों में कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में से कौन बढ़िया है इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन महोदय, जैसे कृषि का मामला लीजिए। हिंदुस्तान तो कृषि प्रधान देश है और यहां पर सब राज्यों में सभी प्रकार की खेती होती है। बढ़िया मिट्टी वाली खेती, बालू मिट्टी वाली खेती, पत्थरीली मिट्टी वाली खेती, सभी प्रकार की खेती हिन्दुस्तान में होती है।

अपराह्न 4.04 बजे

[**डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, भारत सरकार केन्द्र द्वारा स्पोन्सर्ड स्कीमें बनाती है और अपने मुताबिक सभी राज्यों को कहती है कि इतना खर्चा हम करेंगे और इतना ख़र्चा आप करो। विभिन्न प्रकार की स्कीमें हैं जैसे बढ़िया दालें, बढ़िया अनाज, जूट और भी कई प्रकार की खेती की स्कीमें हैं। भारत सरकार कह देती है कि राज्य सरकारों को इतना खर्चा अपनी तरफ से देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर राज्य फंड लेने से वंचित रह जाते हैं।

सभापति महोदय : चूंकि इस विधेयक पर दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था जो कि समाप्त होने जा रहा है। अभी कुछ माननीय सदस्यों को और बोलना है। यदि इस सदन की सहमति हो तो इसके लिए एक घंटा बढ़ा दिया जाता है। ·

अनेक माननीय सदस्य : हां, समय बढ़ा दिया जाए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, केन्द्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं, वे मधुर होने चाहिए। सैंटर ने कुछ चीजों को अपने पास रखा हैं। केन्द्र रोड, डाक-तार, विदेश, सुरक्षा आदि कामों को जरूर चलाए। हम भी यह चाहते हैं कि सैंटर मजबूत रहे। कोई नहीं चाहता कि सैंटर कमजोर हो लेकिन जो काम सैंटर से नहीं होता है, वह उसे न करे। वह अपनी दादागिरी बंद करे। कहा गया कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विकेन्द्रित व्यवस्था होनी चाहिए। यहां अमेरिका का बहुत भारी उदाहरण दिया जाता है लेकिन अमेरिका में राज्यों, गांवों और पंचायतों के पास बहुत अधिकार हैं। वहां सैंटर के पास बहुत कम अधिकार हैं लेकिन यहां उनकी खराब चीजों के उदाहरण दिए जाते हैं। उनकी अच्छाइयों को समझ कर उनका यहां प्रयोग होना चाहिए। हमने संविधान में 73वां, 74वां संशोधन किया और आर्टिकल 273 इंट्रोड्यूस किया लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए जिससे पंचायतों को पूरे अधिकार मिलें। उनके अधिकार सैंटर ने छीन लिए। सैंटर में बैठ कर लोग स्कीमें बनाते हैं। मूंग, मसूर की दाल, हल्दी, तरबूज और ककड़ी की खेती जहां नहीं होती, वहां उनकी खेती करने के लिए किसानों से कहा जाता हैं। अफसर एअरकंडिशन्ड कमरों में बैठ कर स्कीम्स बनाते हैं लेकिन वे इनके बारे में पूरी तरह जानते नहीं हैं। वे स्कीम्स राज्यों में चली जाती हैं और कह दिया जाता है कि 50 परसैंट पैसा राज्य दें और 50 परसैंट सैंटर देगा जबकि वह खेती वहां हो नहीं सकती। किसानों को उनके बारे में मालूम ही नहीं होता है। कहीं जूट की खेती होती है, कहीं सोयाबीन की खेती होती है, कहीं नारियल की खेती होती है और कहीं रबड़ का उत्पादन होता है। किसानों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इसलिए स्कीम उसके मुताबिक बननी चाहिए। आपकी लैबोरेट्री टू लैंड स्कीम नहीं पहुंचती है। आप किसानों की असली समस्या के बारे में जानते नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यह ट्रिक से काम करते हैं। विवेकानन्द जी ने कहा था कि ट्रिक से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। हमारे यहां एक डिप्टी साहब थे। उनके यहां प्रसाद के रूप में एक किलो पेड़ा आया। इससे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। उन्होंने कानून बना दिया कि जिनके पास कंठी है, उसे प्रसाद मिलेगा लेकिन प्रसादी ज्यों का त्यों रह गया। उसी तरह भारत सरकार का हाल है। सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स पर शर्त लगा दी और हर राज्य को घेर लिया। यह नहीं मालूम किया कि उनकी क्या समस्यायें हैं, उनके पास पूंजी है या नहीं लेकिन असिस्टेंस दी भी तो वह ज्यों की त्यों रह गई। यही हाल डी०पी०ए०पी०, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और इलैक्ट्रिफिकेशन का है। इस बारे में सब केन्द्र की स्कीम्स बनाई गई हैं। जब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में विद्युतीकरण की व्यवस्था है तो फिर राज्य सरकारें 50 प्रतिशत अपनी तरफ से खर्च करें। उस 50 प्रतिशत में से 30 परसेंट राशि अनुदान के रूप में मिलेगी और 70 प्रतिशत लोन देगी। यह कितना पैसा लेगा, वह ज्यों का त्यों रह गया है। श्री वैको का जो प्रस्ताव आया है, उसके तहत यह महसूस किया गया लेकिन हम व्यवहार में महसूस कर रहे हैं कि सैंट्रल से सम्भल नहीं रहा है। चूंकि स्टेट का विषय है, उन्हें ही देना चाहिये।

सभापति महोदय, मछुआरे समुद्र में मछली मारने का काम करते हैं लेकिन यहां आफिसरों को क्या मालूम कि समुद्र में मछली कैसे मारी जाती है। हम भी तालाब या जौहड़ में मछली मारने की बात जानते हैं और अगर ये लोग यहां से स्कीम बनायेंगे तो खराब ही होगी। उसी तरह से स्टेट को अपने अधिकार दिये जाने चाहिये। जो स्थानीय आफिसर्स हैं, वे वहां की समस्यायें जानते हैं, वहां की जनाकांक्षा क्या है, वे जानते हैं इसलिये उन्हें सैंटर से स्कीम के लिये खर्चा मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, इस बार रेवेन्यू में घाटा हो गया है। हर राज्य को 500-500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और जवाबदेही उन पर रखी हुई है लेकिन निर्वाह नहीं हुआ है। केन्द्र से जो संभलने वाली चीजें हैं, वह करें तो ठीक है वरना बाकी चीजों को डी-सैंट्रलाइज करें। जिनकी समस्यायें हैं, वे अपना समाधान करेंगे लेकिन केन्द्र उसमें सहायता करे।

सभापति महोदय, जहां तक भाषा का सवाल है यह संवेदनशील मामला है। जब इसमें धर्म और राजनीति घुस जाती है तो मामला खराब हो जाता है। श्री नाचिअप्पन ने उदाहरण दिया कि श्री सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और 14 भाषाओं के जानकार थे। इसी प्रकार डा० लोहिया ने भी एक फार्मूला दिया था – "डा० लोहिया की यह अभिलाषा, चले देश में अपनी भाषा" जब तमिल लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो मैं उन्हें नन्दरी (धन्यवाद) देता हूं। लेकिन आज बीमारी यह है कि अंग्रेजी बोलने वाला अपने आपको काफी काबिल समझता है। उसका कारण यह है कि हमारा देश वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है और वही गुलामी की मानसिकता अभी तक हमारे अंदर है। यह ठीक है कि अंग्रेजी में एक्सप्रेशन है और देश में डेढ़-दो परसेंट बोलने वाले लोग हैं। गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम बोली जाती है। यह उनकी अपनी जबान है। दूसरे राज्यों में हिन्दी समझते हैं लेकिन गैर-हिन्दी राज्यों में हमारी भाषा नहीं समझते हैं।

उन्होंने कहा कि आपकी बोली को मैं भाव से समझ जाता हूं, क्योंकि वह ओरिजनल है, यह रीजनल नहीं है। यदि हार्ट से कोई भाषा बोली जाए तो वह इम्प्रैसिव होती है और समझने के लायक होती है। बनावटी तरीके से यहां-वहां से जोड़-तोड़कर बोलते हैं। अब हमंगस फ्रॉड बोलने पर कितना विवाद खड़ा हो गया। हिन्दी में उसी को हम रोज बोल रहे हैं, लेकिम कोई नहीं टोकता। लेकिन अंग्रेजी के चलते सदन में भी कितना विवाद हो जाता है। लेकिन वही बीमारी है कि दूसरी भाषा नहीं बोल सकते। अंग्रेजी में बोले, उर्दू में बोलें, तमिल में बोलें, तेलुगु में बोलें, मलयालम में बोलें, उनका स्वागत है। लेकिन देश की भाषा में बोले। लेकिन कुछ लोग बनावट के लिए, आडम्बर के लिए कि हम ज्यादा होशियार हैं, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। जबकि वह घिसी-पिटी भाषा है, अंग्रेजी के शब्दों को कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं है। एक जगह पुट और दूसरी जगह बट, अगर इसे साइंटिफिक तरीके से लिया जाए यह पुट, बुट या पट, बट होना चाहिए। लेकिन एक जगह पुट है और एक जगह बट है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसमें कोई नियम ही नहीं है।

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, हिन्दी भाषा में छः लाख शब्द हैं और अंग्रेजी में दो लाख शब्द हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी रिच लैंग्वेज है। जनता की जबान पर जो भाषा आ जाती है वह मंज जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय भाषा में शब्दों की संख्या छह लाख है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कभी-कभी गैर हिन्दी भाषी लोगों को अगर अनुवाद न मिले, डायरेक्ट ही मिले, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कट्टरपंथी नहीं हूं। जो किसी हिसाब से भाषा की परिभाषा है, जो बाकी लोगों को समझने में आ जाए। यह नहीं है कि

[अनुवाद]

हिन्दी का मैं एक भी शब्द नहीं जानता

[हिन्दी]

तमिलियन लोग बोलते है।

[अनुवाद]

तमिल का मैं एक भी शब्द नहीं जानता।

[हिन्दी]

इस तरह झंझट नहीं होगा। तमिल के भी कुछ शब्द सीखने और जानने चाहिए और हम लोग सीख भी रहे हैं।

सभापति महोदय : यह संविधान संशोधन है, यह भाषा से संबंधित नहीं है। आप समाप्त करिये। सदन का समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि और माननीय सदस्यों को भी बोलने का समय मिल सके।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिए वैको साहब का यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में लाने का और कंकरन्ट लिस्ट से स्टेट में लाने का जो प्रस्ताव है, उसे लाया जाना चाहिए और इसके लिए सैन्टर को अधिकार देना चाहिए। केन्द्र की मजबूती रहते हुए सैन्टर को अपनी जगह का अधिकार मिलता है तो आटोनोमी का सवाल क्यों नहीं आयेगा। जम्मू-कश्मीर आज आटोनोमी मांग रहा है। इसलिए नेशनल यूनिटी रहे। अनेकता में एकता यह हमारी खूबी है, हमारी विशेषता है। लेकिन राज्यों को अपने विकास के लिए पूरे अधिकार दिये जाने चाहिए। इसलिए लिस्ट में कटौती करके स्टेट लिस्ट में वृद्धि करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण अधिकार दिये जाने चाहिए, ताकि वे अपनी जगह पर अपनी समस्या से निपट सकें और उसके लिए केन्द्र उन्हें मदद दे। लेकिन उल्टा होता है, केन्द्र अड़ंगा लगा देता है, जिसके कारण राज्यों का बहुत नुकसान होता है। खासकर बिहार राज्य का सत्यानाश हो गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे राज्य को दस हजार करोड़ रुपया केन्द्र से नहीं गया। इसलिए हम इसके पक्षधर हैं। माननीय सदस्य ठीक बोल रहे हैं। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये छटपटाते रहते हैं, नहीं तो हम सब लोग एक न हो जाएं। आप इस पर वोटिंग कराइये हम इसे सपोर्ट करके पास करायेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री वैको के द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उस विधेयक के पक्ष में खड़ा हुआ हैं। क्योंकि उस विधेयक में यह स्पष्ट है और यह न केवल केन्द्र और राज्यों के संबंधों के संदर्भ में हैं, बल्कि उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जो राज्यों की सूची है उसे और बढ़ाया जाए, एक्सपैन्ड किया जाए। यानी जो यूनियन लिस्ट है उससे उसमें चार लेन और जोड़ दी जाएं। और जो कन्करेंट लिस्ट है उसे जो 10 राज्य और केन्द्र की सम्मिलित लिस्ट ताकत की है, उसमें से भी कुछ ताकत स्टेट को दी जाए, यानी राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। बिल का जो हेतु है, जो उद्देश्य है, एम्स एंड आब्जैक्ट्स हैं उसमें भी यह स्पष्ट है कि केन्द्र से राज्यों को और ताकत मिले, स्टेट को ज्यादा पॉवर दी जाएं। इस संबंध में जो विधेयक माननीय वैको जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक बीमा का क्षेत्र हो, धार्मिक संस्थान का मामला हो, चेरिटेबल संस्थाएं, जो केन्द्र की सूची में है, उसमें से कुछ ऐसे सैंसिटिव मामले हैं उनको छोड़ कर, बाकी पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ रहा है। जिससे खास तौर से हमारे देश की आजादी का जो मकसद है, जिसके अनुसार राज्यों को भी ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। गांधी जी का राज्यों के विकेन्द्रीकरण का जो दर्शन था कि नीचे के लोगों को ताकत देंगे, ताकत को गांवों में पहुंचाने हेतु जो चार पिलर की स्थापना की कल्पना की जा रही थी, जो चौखम्भा राज्य की डॉ० राम मनोहर लोहिया ने कल्पना की थी और महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी वह सही रूप में आजादी का स्वरूप था जिससे कि हमारे देश के गांव मजबूत हों। महोदय, महात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारत का आदमी गांवों में बसता है। जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत की आत्मा मजबूत नहीं हो सकती और गांवों को सही आजादी भी तभी मिलेगी जब गांवों मजबूत होंगे।

सभापति जी, प्रो० रासा सिंह रावत जी ने बहुत ही सही ढंग से सरकारिया आयोग के गठन से लेकर सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं और उनके अनुरूप अब क्या हो रहा है और हमें भारत को कैसे मजबूत करना है, इस बारे में विस्तार से अच्छा बताया और कहा कि देश मजबूत होगा, तो राज्य मजबूत होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज 53 वर्ष की आजादी के बाद राज्यों को जो 29 शक्तियां दी गई हैं, पंचायती राज का 72वां तथा 73वां संविधान संशोधन कब का पारित हो चुका है, लेकिन पंचायतें आज तक मजबूत नहीं हुई।

उन्हें मजबूत करने के लिए सुप्रीमकोर्ट और अन्य कई न्यायालयों में चर्चा हुई, लेकिन जो ताकत गांवों में आनी चाहिए वह नहीं आई। आम जनता को आज भी जो वित्तीय शक्तियां पंचायतों के माध्यम से मिलनी चाहिए, वे नहीं मिली हैं। आखिर पंचायती राज की जो परिकल्पना थी या महात्मा गांधी का जो स्वप्न था, संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, जो उनकी आकांक्षा थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी मानसिकता थी, उसकी परिकल्पना करें और देखें कि उसके तहत जमीन पर क्या हो रहा है। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि अभी तक आजादी का मकसद पूरा नहीं हुआ है और जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, उनको जो लाभ पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचा है। कई सरकारें आईं, 53 वर्ष की आजादी के बाद बहस होती है कि जनता को ताकतवर बनाना है, ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू करना है, राज्यों को ताकत देनी है और लोक तंत्र को मजबूत करना है, लेकिन हो क्या रहा है, मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। महात्मा गांधी आजादी के पक्षधर थे इसलिए उन्होंने कभी गवर्नमेंट में कभी किसी पद पर जाने की नहीं सोची। वे तो आजादी का जो संग्राम था उसको गांवों तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित थे। इसीलिए महात्मा गांधी उसको आजादी देना चाहते थे, हम लोग प्रतिनिध हैं, हम लोग आजादी दिलाने का काम करें। गांवों की आजादी ही जनता की असली ताकत है और विशेष अधिकारी भी है, लेकिन जो आम जनता है, उसको क्या अभी भी आजादी मिली है, यह सवाल है। यदि देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, ग्राम पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी, ग्राम पंचायत सब जगह लागू होंगी तभी आम जनता मजबूत होगी। आज भी आम जनता आजादी के मकसद को छू नहीं पाई है। आजादी की रोशनी आज तक गांवों में नहीं पहुंच पाई है। इसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि आजादी कैसे पहुंचेगी ? कई ऐसे सवाल उठते रहे हैं। एक बार पावर को सैंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। श्री वैको साहब ने चर्चा की थी कि 1975 में आपातकाल लागू की गयी। देश में पावर को सैंट्रलाइज किया गया जबकि डी-सैंट्रलाइज करना चाहिए था। यह काम उस दल के द्वारा किया गया जो महात्मा गांधी का बहुत नाम लेते हैं। जिनको महात्मा गांधी जी का नाम लिये बिना नींद नहीं आती। महात्मा गांधी का नाम लेकर आजादी का जो मूल सपना था, उसको धरती पर उतरने नहीं दिया। हम थोड़ा फक्कड़ आदमी हैं। किसी को हमारी बात लगती है तो हम परवाह नहीं करते। मैं किसी पक्ष की चिंता नहीं करता। अभी वैको साहब देश के संविधान संशोधन पर जो विधेयक लाये हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। हमें निष्पक्ष भाव से, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर सोचना चाहिए कि क्या कारण है, कैसी मानसिकता हमारे शासक दलों की है या शासन में रहने वालों की मानसिकता बदल जाती है। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को लागू करने से पहले अपना हित देखने लगते हैं। आम जनता को आजादी न मिले, इसका एक उदाहरण है कि इमरजेंसी लागू करके जनता के सारे मौलिक अधिकारों को छीना गया। आज भी हम जब सवाल उठाते हैं तो बराबर शंका जाहिर करते हैं कि कोई ऐसा कानून सदन से पास मत करिये जिस कानून के तहत आम जनता के हाथ में ताकत न आकर शासन तंत्र के हाथ में सिमटकर रह जाये। आम जनता को कहां ताकतवर बना रहे हैं ? आप इस विधेयक को सदन में पास करायें या संविधान संशोधन करायें, उससे तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आम जनता ताकतवर नहीं होगी। हमारा लक्ष्य तो आम जनता को ताकतवर बनाना है लेकिन आम जनता ताकतवर नहीं हो रही है। ब्रिटिश काल में भी शासन चलता था। उस समय पुलिस का फैशन था । उस समय सारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। उनको कुचला जाता था। डेमोक्रेटिक राईट्स को भी कुचला गया। क्या इतने दिन बीतने के बाद भी इन डेमोक्रेटिक राईट्स को कुचला जायेगा, अंकुश लगाया जायेगा ? आम जनता को आजादी नहीं मिलेगी तो वैको साहब द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक से आम जनता को ताकत मिले, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, की परिकल्पना जिस दिशा में है, मैं समझता हूं कि आज के समय में वह बहुत ही उचित है। अभी कुछ लोग इतिहास की बात कह रहे थे। हमारे वैको साहब ने गणराज्य मजबूत करने और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, उसे अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। इसमें कहीं जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्ष ढांचे को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम पर ही नहीं है बल्कि सब पर है। हमारे संविधान निर्माता ने जिस मेहनत से जिस मशक्कत से इस धर्मनिरपेक्ष संविधान को बनाया है, अभी हमारे रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि सबसे अच्छा हमारा हिन्दुस्तान। जब हिन्दुस्तान सबसे अच्छा है तो हमारा संविधान भी सबसे अच्छा है। इस संविधान पर कहीं भी किसी भी तहर की आंच नहीं आनी चाहिए, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। धर्मनिरपेक्ष संविधान को और इतिहास के बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं। मैं साफ शब्दों में अर्ज करना चाहता हूं कि इतिहास की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारा जो अतीत है, उसे किसी को मिटाने का हक नहीं है, किसी को छूने का हक नहीं है। क्योंकि इतिहास मिटाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। आज आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में लालकिला और संसद है जो 1937 में ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गयी थी। ब्रिटिश शासन हमारे देश में 200 साल तक रहा। सोमनाथ मंदिर हिन्दुस्तान की धरोधर है। *(व्यवधान)* मैं अभी समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : साढ़े चार बजे हमें संकल्पों पर चर्चा करनी है। आप अपना भाषण आगे जारी रख सकेंगे। अब श्री मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा जो संकल्प रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में प्रस्तुत किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 4.30 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करना — विचाराधीन

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, डा० मदन प्रसाद जायसवाल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प इस

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

सदन में प्रस्तुत किया है और उस संकल्प के माध्यम से उन्होंने इस सरकार से चाहा है कि जो राज्य राजमार्ग है, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अच्छी सड़कों का महत्व देश के विकास के लिये कितना है। देश की आजादी के बाद यदि इस देश का तेज गति से विकास करने का कहीं संकल्प लिया था, सपना देखा था तो इस दिशा में यदि सारे देश में अच्छी सड़कों का जाल फैला दिया होता तो यह देश आज विकसित देशों में अग्रणी हो गया होता।

सभापति जी, आपके आशीर्वाद से मुझे साउथ अफ्रीका और अमरीका जाने का अवसर मिला। वहां मैंने जो सड़कें देखीं, ऐसा लगने लगा वह साउथ अफ्रीका जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गरीब देश है, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, रंग-भेद की लड़ाई के कारण वह अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, परन्तु सर्वश्रेष्ठ सड़कें दिखाई दीं — 6 लेन और 4 लेन की सड़कें अक्सर दिखा दीं, इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्रों में भी चार लेन की सड़कें थीं। एक स्थान पर क्रासिंग के लिए हम अपने यहां दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई का नजारा देखते हैं, आधे-आधे, एक-एक घंटे तक रोड जाम होती है, ट्रैफिक को आने-जाने के लिए सुगमता से सुविधा नहीं मिलती। हमारे यहां इस प्रकार की स्थिति है और उन देशों में एक मिनट के लिए भी ट्रैफिक नहीं रुकता। अगर एक चौराहे या छः राहे पर, छः तरफ से जाने के लिए रास्ता है तो वहां छः ओवरफ्लाई ब्रिज बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे देश में भी यह सब किया जा सकता था। हमारा देश आज भी साधन-सम्पन्न देशों की गिनती में है, खनिज साधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सड़क निर्माण के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं लगती हैं, वे सब इस देश में हैं। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि इस देश में इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण सड़कों का जाल नहीं फैल पाया और आज उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार में अटल जी के नेतृत्व में खंडूरी साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय इस देश में सड़कों का जाल फैलाने के लिए किया है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से कोलकाता, गोहाटी तक, गोहाटी से कोलकाता, कोलकाता से विशाखापटनम, चेन्नई आदि के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी लगभग 13,000 किलोमीटर की लम्बाई होती है, एक महती योजना इस सरकार ने हाथ में ली है। छः लेन और चार लेन की सड़कें, जो मैंने विदेशों में देखीं, इस प्रकार की सड़कें बनाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इतना ही नहीं, जो लक्ष्य रखा था कि 2004 में इन सड़कों का काम पूरा कर लिया जाएगा, इस लक्ष्य के विरुद्ध इतनी तेज गति से इसका काम चल रहा है कि यह 2003 के अंत तक हो जाएगा। उसका नमूना मैंने अन्य किसी स्थान पर नहीं देखा लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में शिप्रा नदी है, उस पर जो पुल बना है, वहां से लेकर इंदौर के लिए जो बाई पास बना है, वह उन सड़कों की तुलना में, जो विदेशों में हमने देखी हैं, बराबरी करने की स्थिति में हैं। इस प्रकार की सड़कें सारे देश में बनाने का इस सरकार ने जो संकल्प लिया है, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इस काम के लिए 55,000 करोड़ रुपये इस सरकार ने उपलब्ध करवा दिए हैं और तेज गति से काम चल रहा है। इसी प्रकार के सारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करके सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ... *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : क्या आपके यहां कार्य प्रारंभ हो गया है ? हमारे यहां तो नहीं हुआ।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हां, हमारे यहां हो गया है। मेरे साथ दौरे पर चलिए, घुमा देता हूं। *(व्यवधान)* शुभारंभ हो गया है, दो-तीन सड़कें पूरी भी हो गई हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : तब तो राजस्थान के मुख्य मंत्री ... *(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : कभी-कभी तो सही बोलना सीखें।

मैं मध्य प्रदेश का हूं, मुझे वहां क्यों भेज रहे हो। साउथ अफ्रीका में आप और हम सब साथ में घूमे हैं। हम सब साथ में थे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुवर अखिलेश सिंह, कृपया रनिंग कमेण्ट्री न दें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : ये बैठ-बैठे रनिंग कमेण्ट्री कहते रहते हैं, उनको आप बोल देते तो मुझे बोलने की नौबत ही नहीं आती। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उनको भी निवेदन किया है।

[अनुवाद]

कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं यह कह सकता हूं कि इस सरकार ने पिछले दो वर्षों में इस प्रकार का एक अच्छा काम हाथ में लिया है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर जो फोर लेन की बराबरी का पुल बना है, उसका एक कार्यक्रम हुआ था, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय खंडूरी जी वहां पधारे थे। उसमें मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री श्रवण कुमार जी पटेल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जो लोक निर्माण मंत्री हैं, उनका भाषण सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं चाहूंगा कि उस भाषण को कभी कोई पढ़े और सच्चाई को स्वीकार करने का साहस दिखाये। इस सदन में भी माननीय सदस्य बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं, जो जानते हैं, पर सच्चाई को यहां कहना नहीं चाहते हैं,

जबकि इस पवित्र मंदिर में सच बात कहने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के पहले शेरशाह सूरी एक राजा हुए, उन्होंने दिल्ली से कलकत्ता के बीच में ग्रांट ट्रंक रोड बनाने का निर्णय लिया था और वह बनाई थी। उसके बाद देश की आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, यह उनका कथन है, उनका मत है, उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, एकमात्र अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की महती आवश्यकता के और देश के विकास के लिए जरूरी जो बात है, उस काम को हाथ में लिया है और वे सड़क बना रहे हैं और उन्होंने सारा वर्णन भी किया था। इस अवसर पर मैं बधाई दूंगा कि मध्य प्रदेश में पिछले साल छ: राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किये गये और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो राष्ट्रीय राजमार्ग जो नये स्वीकृत हुए हैं, उनमें से आते हैं। एक और महत्वपूर्ण मांग है, जो अभी स्टेट हाईवे है, परन्तु *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : खंडूरी साहब, आप इनकी कोई बात मत मानिएगा, पहले सब को दो-दो दे दीजिए, तब इनकी तीसरी बात मानियें।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें, अखिलेश जी।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप ऐसा क्यों करते हो, आप तो मेरे मित्र हैं, आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके बारे में भी ऐसा ही सोचूंगा।

मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर, चूंकि वह इस संकल्प से सम्बन्धित है, यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांग तीन है, आगरा से मुम्बई जाता है और यह इन्दौर से होकर जाता है तो इन्दौर से उज्जैन और उज्जैन से कोटा एक मार्ग है, जो इन्दौर से झालावाड़ तक स्टेट हाईवे के रूप में है और वहां आवागमन का घनत्व बहुत ज्यादा है। वहां बहुत ज्यादा आवागमन होता है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की दूरी भी उसमें बहुत कम होती है, वह अभी तक लम्बे समय से स्टेट हाईवे है। मैं पहले से निवेदन कर रहा हूं, किसी कारणवश राज्य सरकार ने पहले प्रस्ताव नहीं भेजा था, अब राज्य सरकार इसका प्रस्ताव भेज रही है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे इस स्टेट हाईवे को, जो इन्दौर उज्जैन झालावाड़ के बीच में है, क्रमांग 27 को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मैं इस अवसर पर मंत्री जी का एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो लोक सभा में कुछ प्रश्नोत्तर मैंने पढ़े थे, उससे मुझे जानकारी मिली है और वैसे भी पहले मेरी जानकारी थी कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बहुत कम है। इतना ही नहीं, बिहार में राष्ट्रीय औसत का जो 50 प्रतिशत सड़कों का एवरेज है, मध्य प्रदेश में केवल 40 है और हम तो तारीफ कर रहे हैं न।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप कहां तारीफ कर रहे हैं वहां कुछ भी नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री थावरचन्द गेहलोत, कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उसमें भी मध्य प्रदेश में सड़कों का एवरेज कम है और मध्य प्रदेश ऐसे स्थान पर बसा हुआ है, उसके चारों तरफ लगभग नौ राज्य ऐसे हैं, जहां का आवागमन हैवी ट्रक्स और हैवी वाहन वहां आते हैं और उसके कारण सड़कों की हालत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। वर्तमान में बहुत सारे राजमार्ग ऐसे हैं, जिनकी हालत बहुत अधिक खराब है और मध्य प्रदेश पर उसका बहुत ज्यादा आर्थिक भार पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, केन्द्र से जो पैसा दिया था, वह भी उन्होंने इधर उधर लगा दिया था। फिर यहां से लिखा-पढ़ी हुई, फिर लाइन पर आए और जिस काम के लिए पैसा मंजूर हुआ था, उसमें लगाने की कोशिश की। मैं यह कहना चाहता हूं कि आबादी के घनत्व को देखते हुए और क्षेत्रफल को देखते हुए वहां पर सड़कों का प्रतिशत बहुत कम है। उस प्रतिशत को दूसरे राज्यों की तुलना में बराबरी पर लाने के लिए मंत्री महोदय को सहयोग करना चाहिए। मैंने जो सुझाव दिए हैं सड़कों के बारे में और जो दो-तीन साल पहले राजमार्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन के रिकार्ड में दर्ज हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य आप करें और इसके लिए स्वीकृति प्रदान करें। मुझे आशा है कि ऐसा करके आप हमारे राज्य को भी अन्य राज्यों की तरह सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) **:** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने डा० मदन प्रसाद जायसवाल जी द्वारा रखे गए इस महत्वपूर्ण संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। देश की 55 साल की आजादी के बाद भी जब हम भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ नजर डालते हैं तो यह लगता है कि जो हमारी बुनियादी आवश्यकता थी सड़क, उसको 55 साल की आजादी के बाद भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। इस बुनियादी आवश्यकता को पूरा न कर पाने के कारण और सड़कों के मामलों में जो विसंगतियां हैं, उन पर दृष्टि डालने के बाद यह लगता है कि जो देश के अंदर विकास के मानक पर असमानता पैदा हुई है, उसने निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के अंदर इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर देश को एकजूट रखना है तो इस क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के लिए हमें सार्थक पहल करनी होगी, सार्थक निर्णय लेने होंगे। अगर हमने इस असमानता को समाप्त नहीं किया तो इस व्यवस्था के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश दिन-प्रतिदिन पनपता जाएगा। आज देश के राजनीतिक पटल पर जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हो रहा है, यह क्षेत्रीय विषमता का ही प्रमुख कारण है। अभी हमारे साथी थावरचंद जी दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक के देशों में सड़कों का वर्णन कर रहे थे। मैं उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि जब पिछले दिनों आपने डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाया था। उस राशि से इसी सदन के अंदर तत्कालीन मंत्री और आपके पूर्ववर्ती साथी राजनाथ सिंह जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

था कि जितने राजमार्ग हैं, उसको हम राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे किसी भी बिन्दु पर राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, वह 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया, जो लगभग डेढ़-दो साल पहले इसी सदन में दिया गया था। हमारे साथी डा० मदन प्रसाद जायसवाल जी हमारी ही तरह भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके से चुनकर आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं और ये बिहार से चुनकर आते हैं। इनका भी इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ है, हमारा भी इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इनके भी जाने का रास्ता गोरखपुर से होकर गुजरता है, हमारे भी जाने का रास्ता वही है। जिस राष्ट्रीय राजमार्ग का इन्होंने वर्णन किया था, मैं पूरी तरह से इनके प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि उस राष्ट्रीय राजमार्ग को छितौनी से खड्डा, खड्डा से सिसवा, सिसवा से कप्तानगंज, कप्तानगंज से होकर गोरखपुर तक जोड़ दिया जाए, तो यह क्षेत्र का सुगम और सरल मार्ग हो जाएगा। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों में यदि आप थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, खासतौर से मैं बस्ती से लेकर महदावल, महदावल से कर्मैनी, कर्मैनी से कैम्पीयरगंज, कैम्पीयरगंज से पनियारा, पनियारा से परतावल, परतावल से कप्तानगंज और कप्तानगंज से कुशी नगर के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की बात कर रहा हूं। अगर इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर देंगे तो गोरखपुर जैसे महानगर पर गोरखपुर होकर बिहार जाने वाले वाहनों का दबाव कम होगा।

बिहार जाने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने से दिल्ली से लेकर, पंजाब से लेकर, जम्मू-कश्मीर से लेकर नेपाल जाने वालों के वाहनों के 35-40 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होगी। भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार हो रहा है, उसमें इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर देने से वाहनों को गोरखपुर न जाकर बस्ती से कप्तानगंज पहुंचाने का काम करेंगे और इससे 40-50 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होगी। ऐसा करने से गोरखपुर जैसे महानगर पर नेपाल जाने वाले वाहनों का दबाव भी कम होगा और तेल के खर्च में भी बचत होगी तथा वाहनों के घिसाव में भी बचत होगी। मैं समझता हूं कि जितना व्यय आप इस राजमार्ग के बनाने पर करेंगे, उसका कई गुना आप दस वर्षों में वूसल कर लेंगे।

इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। जहां से मैं आता हूं, वहां नोतनवा एक उपनगरी है, जहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बनी नामक स्थान है। लुम्बनी से खनवा और खनाव से नोतनवा को जोड़ दिया जाए, नोतनवा से ठूटीबारी, ठूटीवारी से निचलौवा, निचलौवा से सिसवा, सिसवा से कपतानगंज और कपतानगंज से कुसीनगर के बीच राजमार्ग बना दिया जाए, तो जितने भी पर्यटक आते हैं, गौतमबुद्ध की लुम्बनी में दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें लुम्बनी का दर्शन करने में 103 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होगी। इसके बौद्ध पर्यटकों का समय बचेगा। साथ ही साथ गौतम बुद्ध की ननिहाल, जो मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे।

महोदय, अंत में, डा० मदन प्रसाद जयसवाल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस संकल्प पर सार्थक निर्णय लेते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित करने का काम करेंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, डा० मदन जयसवाल जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता माननीय मंत्री जी से ज्यादा मालूम होगी, इसलिए कि वे उबड़-खाबड़, पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। हमें विश्वास है, जिस इलाके से वे आते हैं, वे सड़क के महत्व को ज्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे। वह सेना में थे, इसलिए वह मजबूत इरादे के व्यक्ति हैं, इसलिए वह सड़कों के निर्माण में मजबूती से निर्णय करेंगे। लेकिन मंत्री जी आपके विभाग का काम ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। बाढ़ की वजह से जो सड़के क्षतिग्रस्त हैं, उनकी मरम्मत का काम भी नहीं हो रहा है। आप सदन में कहते हैं कि आपके पास राज्य से प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि आपके विभाग के अधिकारी आपको गलत सूचना देते हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया आसन को संबोधित करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपकी ओर ताकते हुए इन्हें समझाते हैं। पथों के प्राक्कलन राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं, इससे लगता है कि आपके पदाधिकारी आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि छपरा से मौहम्मदपुर बाढ़ का इलाका है, कोई लम्बी सड़क नहीं है। सिर्फ 62-63 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां आवागमन बंद हो चुका है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर उस पथ को ठीक करायें। दूसरा मेरा निवेदन छपरा और गोपालगंज सीवान होते हुए लिंक राष्ट्रीय राजमार्ग से है। यह कोई नई सड़क नहीं है, पहले की बनी हुई है, लेकिन बाढ़ में डूबी हुई है। इसकी मरम्मत के लिए पैसा दीजिए। आप कहते हैं कि प्राक्कलन नहीं आया। आपके विभाग के लोग राज्य से इस संबंध में प्राक्कलन क्यों नहीं मंगाते हैं। आप अपने विभाग पर दबाव बनाइये और राज्य से प्राक्कलन मंगाइये। चूंकि मुझे अभी जाना है, मैं तीन-चार सड़कों के नाम आपको लिखवा रहा हूं और आशा करूंगा कि आप मजबूती से उन मार्गों को बनाने में नोटिफिकेशन निकालेंगे।

बिहार सरकार ने भी यह प्रसताव भेजा है। बिहार सरकार का प्रस्ताव आया है, इसलिए इसमें कोई खटपट की बात नहीं है, आप इसे कर दीजिएगा। हमारे साथी बता रहे थे कि बिहार में 50 प्रतिशत एन०एच० हो गया है, उन्हें बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, वहां मात्र तीन प्रतिशत एन०एच० हुआ है। बिहार में 88,352 किलोमीटर सड़क है, जिसमें एन०एच० मात्र 3301 किलोमीटर हुआ है। इसलिए

बिहार में एन०एच० का 50 प्रतिशत कह कर बिहार को बरगलाइए मत। मात्र तीन प्रतिशत एन०एच० बिहार में हुआ है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, हमारे यहां बहुत लम्बा सड़क भी एन०एच० का नहीं है, छोटा-छोटा है।

मंत्री जी, आप ठीक से नम्बर नोट कर लीजिए और उसे संभाल कर रखिए। एक सड़क है, जो पहले से राज मार्ग है उसे एन०एच०, लिंक में बदलना है। माझी से बरौली वाया एकमा, महाराजगंज, यह लगभग 64 कि०मी० है। यह तीन जिलों का लिंक जोड़ता है — छपरा, सिवान और गोपालगंज। इसलिए आप इसकी प्राथमिकता को देख कर इसे कर दीजिएगा। छपरा से महम्मदपुर वाया मसरक, यह भी बहुत छोटा है। माझी से ताजपुर होकर, रघुनाथपुर होते हुए जाती है, जो उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर होकर जोड़ती है। माझी एक ऐसी जगह है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बार्डर है और बिलकुल सरयू नदी पर यह जगह बसी हुई है। उधर से जो हाजीपुर, गाजीपुर एन०एच० है, जो बनारस वगैरह जाती है, उस लिंक को जोड़ेगी, इससे नेपाल की दूरी भी कम हो जाएगी। यहां भारी वाहनों का आवागमन बराबर जारी रहता है, इसलिए आप इसे अति महत्वपूर्ण समझेंगे। एकमा से मसरक, वाया सहाजीतपुर और दुरौंदा से मसरक, तरैया से सिवान, यह दो-चार छोटी-छोटी सड़कें हैं।

खंडूरी जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम जब जाएंगे तो आपके जवाब को पढ़ेंगे। आप जवाब में जरूर कह दीजिएगा कि प्रभुनाथ जी ने जितनी सड़कों के बारे में कहा है, उन सब को एन०एच० लिंक में ले लिया जाएगा। उन्हें आप बनवा दीजिए। हम आपको आज इस उम्मीद पर बधाई देते हैं कि आप जरूर यह बात कहेंगे। हम आने के बाद में आपको फिर बधाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, डा० मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा सभी राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने संबंधी लाये गये संकल्प के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। वास्तव में आर्थिक विकास के लिए सड़क का निर्माण पूर्व आवश्यकता है। यह चुम्बक की तरह है जो अपनी ओर खींचता है। अगर आप किसी गांव तक सड़क का निर्माण करते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप पायेंगे कि उप सड़क के किनारे किसी ने दुकान खोल ली है और तत्पश्चात कोई और आकर सड़क के किनारे जमीन खरीद के मकान बना लेता है। जब तक वहां सड़क नहीं होती कोई वहां नहीं जाता है और न ही कोई उस जगह की परवाह करता है।

पूर्ववर्ती सरकारों ने इस महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सभी को सभी कुछ मुफ्त या कम मूल्य पर देने पर ही बल दिया। उनका मानना था कि इस तरह देश की आर्थिक स्थिति और लोगों की दशा में सुधार होगा। इन्हीं कारणों से, देश निर्धन हो गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की बिगड़ती हुयी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया है और इसलिए इस सरकार की आर्थिक नीति तथा सोच में काफी बदलाव आया हैं।

महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो लोग पहले पूछते हैं कि सड़क कब बनेगी। आप किसी भी संसद सदस्य से पूछ लीजिए, आप भी संसद सदस्य हैं। वे कहते हैं "माननीय संसद सदस्य महोदय, आप हमारी सड़क बनवा दें"। आप सभी संसद सदस्यों से पूछ सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको आबंटित निधियों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सड़क निर्माण के लिए खर्च होता है। महोदय, यह बुनियादी चीज है। सड़कों का निर्माण होना चाहिए और इससे खुशहाली आयेगी। मैंने भारत से बाहर बहुत ज्यादा देशों का भ्रमण नहीं किया है। मैंने केवल 2-3 देशों का ही भ्रमण किया है। सर्वप्रथम, जब मैं मलेशिया की राजधानी क्वालालमपुर पहुंचा, वह सुबह-सुबह का वक्त था और हवाई अड्डे के बाहर बस हमारा इंतजार कर रही थी। जब मैंने यह पूछा कि क्वालालमपुर हवाई अड्डे से शहर के लिए कितनी दूरी तय करनी है, तो उसने बताया कि दूरी 70 किलोमीटर है। मैंने कहा कि यह 70 किलोमीटर है, तब तो यह दूरी तय करने में ढ़ाई घंटे का समय लगेगा।" उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा कि ढ़ाई घंटे का समय क्यों लगेगा, अधिकतम 45 मिनट का समय ही लगेगा। मैंने पूछा कि क्या हम 70 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर लेंगे। उसने कहा कि हां, सड़क अच्छी है, आप खुद आइए और देख लिजिए"। तब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार यह पाया कि बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, मुझे स्वयं इस पर विश्वास नहीं हो रहा था।

मैंने हर जगह ऐसा ही देखा। जब मैं चीन गया तो उन लोगों ने हमें जींगजियांग नामक दूरस्थ स्थान पर भेजा, जो कश्मीर से उपर है और जो बीजींग से 2500 किलोमीटर दूर है। यह पहाड़ी क्षेत्र है। यहां खेती योग्य भूमि शायद ही कहीं उपलब्ध है। वहां की धरती सभी जगह पहाड़ी और पथरीली है। वहां भी वे 2500 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं जब उस स्थान से वापस आया तो प्रतिभोज के दौरान चीन के माननीय प्रधान मंत्री जूरोंगजी से मैंने पूछा कि वह क्षेत्र तो एकदम अविकसित है, फिर वे वहां उस स्थान तक जाने हेतु सड़क बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि आप तो खुद ही कह रहे हैं वह क्षेत्र अविकसित है, यदि हम वहां सड़क नहीं बनायेंगे और वहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे तो वहां उद्योग लगाने के लिए कौन जायेगा ? यदि वहां उद्योग नहीं लगाये जायेंगें तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार होगा।

अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने चारलेन वाले चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना आरम्भ की है। इसकी आयोजना और शुरूआत तीव्र गति से की जा रही है। बचपन से इस देश में मैंने कभी-भी कोई ऐसी परियोजना नहीं देखी

[श्री खारबेल स्वाइं]

है जिसका निर्माण कार्य इतनी तेजी से हो रहा हो। मैं तहे दिल से माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं जो यहां बैठे हैं, क्योंकि निविदा देने के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं हैं। यह 58,000 करोड़ रुपयों की परियोजना है और यह ईमानदारी और सक्षमता से इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। महोदय, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मुझे मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी जैसे मंत्री पर गर्व है। देश को उन पर नाज है।

महोदय, अब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर आता हूं जो कि उड़ीसा के लक्ष्मणनाथ से जलेसर से बालासोर तक जाता है। मैं उनके ध्यान में एक बहुत ही साधारण सी बात लाना चाहता हूं। वहां तीन बाईपास हैं जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाना चाहता है। मैं व्यक्तिगत तौर से उनसे मिला था और उन्हें इस बारे में लिखा भी था। मैं नहीं समझता हूं कि उपजाऊ भूमि को बर्बाद करके वहां पर बाईपास सड़क बनाने की जरूरत है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसकी कोई जरूरत नहीं है। कभी-कभी कुछ नौकरशाहों के अहं के कारण ऐसे कार्य किए जाते हैं। जब कभी हम लोग उनके साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि वहां बाईपास सड़क क्यों बनाना चाहते हैं, तो उसका उत्तर देने में वह असमर्थ होते हैं। वे केवल इतना ही कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) खंडूड़ी जी से अनुरोध करता हूं कि हल्दीपादा, बास्ता तथा लक्ष्मणनाथ के नजदीक बाईपास सड़क नहीं बनायी जानी चाहिए, क्योंकि वहां सड़क सीधी है और इनकी कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास सरकारी भूमि है तो आप किसानों की जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं ? वहां पहले से ही सड़क है और वह सीधी है। कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से सरकारी भूमि को अपने कब्जे में कर लिया है और उस पर कुछ दुकानें बना ली हैं। उन लोगों के प्रति जिन्होंने अनाधिकृत तरीके से दुकानें बना ली हैं, आपकी सहानुभूति क्यों है ? उनको वहां से हटाया जाना चाहिए क्योंकि वह सरकारी जमीन है। आप भूमि के लिए क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और किसानों की उपजाऊ, कृषि योग्य भूमि को बर्बाद कर रहे हैं उस सड़क पर बाढ़ के पानी के निकास के लिए कई लम्बे सेतुमार्ग हैं। अब समुचित संख्या में पुलिया बनाने की आवश्यकता है, ताकि बाढ़ के समय पानी आसानी से निकल जाए, अन्यथा इससे कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। बाद में पानी जमा होने की समस्या भी उत्पन्न होगी। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए।

मेरा तीसरा मुद्दा एक पूरक प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जिसे कुछ समय पहले मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था। वह प्रश्न काटे जा रहे पेड़ों के बारे में था। उन्होंने उत्तर दिया था कि मंत्रालय राज्य सरकारों को सड़क के किनारे पेड़ लगाने के लिए दुगनी राशि दे रहा है। महोदय, कृपया हमेशा राज्य सरकारों पर निर्भर न रहें।

यदि आपने धनराशि दी है जो यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात की निगरानी भी की जानी चाहिए कि क्या धन का उचित इस्तेमाल हो रहा है। जहां कहीं भी सड़कों का निर्माण हो उनके किनारे पेड़ अवश्य लगाएं जाए। यदि आप एक पेड़ भी काटे तो यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व बनता है कि सड़क किनारे पेड़ वास्तव में लगाएं गये हैं।

एक और सुझाव के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं तहेदिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जलेश्वर और चंदनेश्वर के बीच सड़क के निर्माण के लिए पांच करोड़ रु० की राशि मंजूर की है। यह भारत की सबसे खराब सड़कों में से एक है और यह अंतरराज्यीय सड़क है। आपने उस क्षेत्र के लोगों के पिछले 40 वर्षों के सपने को साकार किया है। आपने धनराशि दी है और आपने अगले वर्ष और पांच करोड़ रुपये की राशि देने का वायदा किया है। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। तथापि महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि आपने यह राशि केन्द्रीय सड़क निधि से दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बन्ध में निर्देश किये गये हैं। सतर्कता अधिकारी वहां जाकर बड़े ही असावधानीपूर्वक इस बात का सत्यापन करते हैं कि क्या कार्य निर्देशों के अनुसार हुआ है। इस सम्बन्ध में निगरानी की जानी चाहिए यह और भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय सड़क निधि का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है। यही मेरा सुझाव है और इसी सुझाव के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदय, मैं डाक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी के संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे और मुम्बई राज्य था। 1960 में मुम्बई के दो भाग किए गए और एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात राज्य बन गया। बम्बई से सूरत, अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन की सड़क बनाने की योजना है। मैं इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता चाहता हूं लेकिन यह काम समय पर पूरा होने की आशा रखता हूं।

चार साल पहले धुलिया, साकरी, नवापुर, बारडोली, सूरत वाया धुलिया, सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 6 है। मंत्री महोदय ने इस काम में अच्छी मदद की है लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। यदि इस काम के लिए धनराशि मंजूर करेंगे तो सूरत तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अच्छा होगा। यह गुजरात से सीधी साउथ जाने के लिए सड़क है। इसलिए यह सड़क बहुत जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि मैं मांग करता हूं कि बरणपुर अंकलेश्वर सड़क जिसके मध्य बरणपुर-शिरपुर-शहादा-तल्लोदा-अकलुकुवा-अंकलेश्वर पड़ते हैं, यह ट्राइबल इलाका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाला है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस राजमार्ग के निर्माण के लिय मंजूरी देकर काम शीघ्र शुरू करायें।

सभापति जी, मेरी चौथी मांग यह है कि मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-लेन में परिवर्तित करने के लिये सुना गया है लेकिन कसाराघाट में 15-17 किलोमीटर भाग ऐसा है जहां 4-5 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर से होकर आगरा पहुंचता है। इसे चार-लेन वाला करने के लिये मंजूरी मिल गई है। अगर इस काम को जल्दी करायेंगे तो कृपा होगी।

सभापति महोदय, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और काय शीघ्र शुरू करायेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय, सभापति महोदय, मैं राज्य राजमार्गो की राष्ट्रीय राजमार्गो के रूप में घोषणा करने सम्बन्धी संकल्प को चर्चा हेतु इस सम्माननीय सभा के समक्ष लाने के लिए डा० जायसवाल का अत्यंत आभारी हूं।

महोदय, हमने प्राथमिक पाठशाला में यह पढ़ा था कि विकास के लिए गति आवश्यक है और गति के माध्यम से ही मानव ने विकास किया है। जब संयुक्त राज्य अमरीका पूर्वी तट से विस्तार करना चाह रहा था तो स्थानीय जनता जो पश्चिम की ओर जाना चाहते थे, की यही मांग थी कि रेल लाइन बिछाई जाए।

महोदय, इस सभा के माननीय सदस्यों ने कलकत्ता से पेशावर तक फैले शेरशाह सूरी के साम्राज्य का उल्लेख किया है। वास्तव में यह कलकत्ता नहीं था अपितु यह पेशावर से सासाराम और पटना तक फैला था। कलकत्ता तो बहुत दूर था और उस वक्त तो वह एक अनजान जगह थी। इस प्रकार उनका साम्राज्य बिहार से पेशावर तक फैला हुआ था। इस वक्त हमें इतिहास से एक अन्य नाम को भी याद रखना चाहिए और वह है रानी अहिल्या बाई। वह उन शासकों में से एक थी जिनके शासन के दौरान हमारे देश की राजनैतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी परंतु उन्होंने जगन्नाथ सड़क नामक एक सड़क की नींव रखी, जो ग्रांड ट्रक रोड को पुरी से जोड़ती है ताकि पूरे देश से तीर्थयात्री आसानी से पुरी की यात्रा कर सकें। अब यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 5 का एक भाग है। इसलिए हमें उनका भी योगदान याद रखना चाहिए। निःसंदेह अनेक अन्य शासक भी थे जिन्होंने इस देश में सड़कों का जाल फैलाने में अपना योगदान दिया।

महोदय, एक प्रसिद्ध विद्वान ने यह कहते हुए फ्रांस क्रांति की व्याख्या की : "यह समय सबसे अच्छा है और यह समय सबसे खराब है।" इसी प्रकार एडोल्फ हिटलर के समय में भी जर्मनी में भी इसी प्रकार की व्याख्या की गई थी। हालांकि वह समय जर्मनी का सबसे खराब समय था फिर भी वह सबसे अच्छा समय था क्योंकि जब राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों की बात आती है तो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के शासनकाल में ही 'आटोबहान' की संकल्पना अस्तित्व में आई और क्रियान्वित की गई थी। हिटलर सारे यूरोप को बड़े सड़क मार्गों के माध्यम से जोड़ना चाहता था ताकि सभी शहरों को सीधे जोड़ा जा सके और माल को लाया-ले जाया जा सके तथा सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें।

पिछले 15 सालों के दौरान भारत में सड़कों की स्थल रूपरेखा पूरी तरह बदल गयी है। सड़कों पर तीव्र गति के वाहन आ गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री स्वाइं ने कहा है, तीव्र गति के वाहनों की गति 140 कि०मी० प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। वाहनों की गुणवत्ता में सुधार आया है और वाहनों की अधिकतम गति भी बढ़ती ही जा रही है। परंतु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह इस पहलू पर ध्यान दें। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सड़कों की दशा सुधारी जाए। जो तकनीक अब हम अपना रहें हैं उसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है इसमें कोई शंका नहीं है। यदि हम समाचार पत्रों को पढ़े तो तीव्र गति के वाहनों द्वारा किए गये दुर्घटनाओं के आंकड़ों और पलटे हुए वाहनों की संख्या को देखकर विस्मय होता है वे अन्य वाहनों से नहीं टकराते हैं। ये सड़कों पर बने विभाजक से टकराकर प्राय पटल जाते हैं और इस प्रकार लोग मरते हैं। यदि कोई वाहन सड़क विभाजक से टकराकर पलटता है तो व्यक्ति को क्यों मरना चाहिए ? तीव्र गति वाहनों में इंजन के लिए अधिक जगह होती है। मुझे अब उन तकनीकीयों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पिछले पचास वर्षों के दौरान, 13,000 राष्ट्रीय राजमार्ग का और निर्माण किया गया। 1947 से देश में अनेकों प्रधान मंत्री हुए हैं। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक वाक्य लिखा जाए तो वह वाक्य क्या होगा ? वह यह होना चाहिए कि : उन्होंने इस देश के 'आधुनिक मंदिरों' का निर्माण किया और स्टील प्लांट और आई०आई०टी० के साथ आधुनिक भारत का निर्माण किया। यदि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किए गये साकारात्मक कार्यों को जानना है तो उन्हें इसी से हो याद किया जाना चाहिए। इस तरह, यदि आप श्रीमती इंदिरा गांधी को एक वाक्य में याद करना चाहते हैं तो, हमें देश में खाद्यान्न के मामले में की गयी प्रगति की बात करनी चाहिए। उन्होंने यह एक उल्लेखनीय काम किया है। मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण और अन्य बातों का यहां जिक्र नहीं करूंगा। उनके कार्यकाल के दौरान भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना। यदि राजीव गांधी को एक वाक्य में याद करना है तो वह वाक्य क्या होगा ? वह वाक्य उनके द्वारा युवाओं को दिया गया आव्हान होगा कि, "हमने 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का सुनहरा अवसर खो दिया; सूचना प्रौद्योगिकी में एक नई तकनीकी क्रांति आ रही है; यदि हमने यह अवसर खो दिया तो हम दुबारा काफी पीछे ढकेल दिए जाएंगे।" उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर ज्ञान और अन्य सम्बद्ध चीजों की नींव रखीं।

और यदि वर्तमान प्रधानमंत्री के संबंध में एक पंक्ति में जिक्र किया जाए तो वह पंक्ति होगी– "वे सड़कों के निर्माण के द्वारा देश की अग्रणी सेवा कर रहे हैं।" ये सड़कें न केवल कन्याकुमारी को कश्मीर और सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ती हैं बल्कि ये सड़के स्वर्णिम चर्तुभुज के द्वारा हमारे चार महानगरों को भी जोड़ती है। ये सड़के सर्वोत्तम होगी और इनकी लंबाई 53,000 कि०मी० होगी। इस कार्य के लिए इतिहास सदा अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद रखेगा। यदि इतिहास में इन चार प्रधान मंत्रियों का केवल एक-एक

[श्री भर्तृहरि महताब]

पंक्ति कार्य देखा जाये तो उपलब्ध पक्तियों में से श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी इस विशिष्ठ परियोजना के कारण उन्हें सर्वोत्तम व्यक्ति चुना जा सकता है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक समस्या का जिक्र करूंगा। जब राजनाथ सिंह इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने हमारे राज्य में आकर भुवनेश्वर से कटक के बीच 32 कि०मी० लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रथम चार लेन वाली परियोजना का उद्घाटना किया था। उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। उस लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदल दिया गया

परंतु जैसा कि हर जगह स्थिति है, गांव सड़क के एक तरफ है और पाठशालाएं दूसरी तरफ बसावट सड़क के एक ओर है और कृषि भूमि दूसरी तरफ; और बच्चों को सड़क पार करनी पड़ती है और पशुओं को भी सड़क के दूसरी ओर जाना पड़ता है। इसलिए, सड़क अण्डरब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता है। तीन पुलों का निर्माण किया गया है परन्तु हमें और अधिक पुलों की आवश्यकता है। इसी बात की ओर मैंने तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री श्री राजनाथ सिंह का ध्यान आकर्षिक किया था। मैंने वर्तमान मंत्री को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है। वहां दो या तीन अण्डरब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, जगतपुर से चंडीखेल तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाया जा रहा है। अण्डर ब्रिज के निर्माण के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।

1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान ही, उड़ीसा में मुख्य राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला गया है। परंतु फिर भी दो या तीन राजमार्गों को अभी भी छोड़ दिया गया है। जिनमें से एक का जिक्र श्री स्वाइं ने किया है। यह मांग काफी समय से लम्बित और है हम अपने राज्य से इसकी मांग लगातार करते आए हैं। कम से कम उत्तरी जिला जो मेरा गृह जिला है, में राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की आवश्यकता है। परंतु अभी भी दो अन्य सड़के हैं जिनकी ओर में मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक सड़क तालचेर जो कि खान मुहाना को जोड़ने वाली है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जिससे संपूर्ण देश को फायदा पहुंच सकता है। अधिकतर खान मुहानों तक की सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न दिशाओं में जाती है और भिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों से जुड़े हुए है। बहुत ही कम राष्ट्रीय राजमार्ग खानों के मुहानों से जुड़े हुए हैं। यदि खान मुहाने को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए एक योजना बनाली जाये तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी राष्ट्रीय हानि को रोका जा सकेगा क्योंकि यातायात में बहुत समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा और ईंधन की खपत होती है, इसपर बहुत सा धन भी खर्च होता है। यदि खानों के मुहानों से राष्ट्रीय राजमार्ग तक अच्छे राजमार्ग या अच्छी सड़के बना दी जाए जो बंदरगाहों और रेल मार्गों से जुड जाए तो यातायात सुचारू रूप से चलेगा।

एक अन्य सड़क है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 200 को राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से जोड़ता है अर्थात तालचेर से खुर्दा बरासता ढेंकनाल-अथागढ़-मुनडुली-मेंढासाल-पितापल्ली तक है। उड़ीसा के मध्य एक बहुत ही संकरी सड़क है। जिसका दायरा कटक, चोडवार और भुवनेश्वर तक है। यदि पुरानी सड़क का उन्नयन कर दिया जाए तो न केवल तालचेर से बल्कि संबलपुर और रायपुर से गोपालपुर, विशाखापत्तनम, और चेन्नई तक यातायात सीधा और सुचारू रूप से चलेगा। आज स्थिति यह है कि हमेशा यातायात अवरुद्ध रहता है जिससे उड़ीसा के दो मुख्य शहर कटक और भुवनेश्वर प्रभावित रहते हैं; यदि यातायात सीधा चले तो यह राजमार्ग 67 कि०मी० की दूरी को कम करता है।

इसी प्रकार, केंद्रपाड़ा—चांदबल्ली—भद्रक से होकर कटक से जगतपुर जाने वाली एक अन्य सड़क है। यह राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। एक अन्य मुख्य राज्य राजमार्ग है जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सड़क नयागढ़—चारीचक—बौद—सोनेपुर से होकर खुर्दा से बोलंगीर जाती है। रेल लाइनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है, फिर भी वहां राज्य राजमार्ग है। उड़ीसा के पश्चिमी भाग में यह राज्य राजमार्ग ने एक तटीय उड़ीसा को पश्चिमी उड़ीसा से जोड़ता है। इस सड़क पर भारी यातायात रहता है। यह सड़क आठ जिलों से गुजरती है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इन तीन बड़ी सड़कों पर तुरंत ध्यान दें। अंत में, मैं केन्द्रीय सड़क निधि की बात करूंगा। सरकार को प्रति लिटर पेट्रोल-डीज़ल पर लगाये गये एक रुपये के उपकर से कार्य में करीब 6,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो धनराशि का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहे हैं जिनके लिए उस राशि को उपलब्ध कराया गया था।

मैं आपको एक वाक्या सुनाना चाहूंगा। 29 अक्तूबर, 1999 को जब उड़ीसा में महाचक्रवात आया था, तब मैं राजधानी एक्सप्रैस में, पांच-छ: दूसरे माननीय सदस्यों के साथ, यात्रा कर रहा था। चूंकि इस चक्रवात के कारण हवाई मार्ग बंद कर दिया गया था इसलिए हम राजधानी से जा रहे थे। हमें हावड़ा, कलकत्ता में उतरने पर मजबूर कर दिया गया। हम रेल मार्ग से उड़ीसा नहीं पहुंच सकते थे इसलिए हमने एक वाहन किराए पर लिया। पश्चिम बंगाल के राजमार्ग पर जाते समय हमने बहुत अंतर महसूस किया। कोई भी आक्षेप किये बिना, मैं यह कहूंगा कि बिहार में प्रवेश करते ही, जिसे अब झारखण्ड कहा जाता है, हमने बहुत अंतर महसूस किया। हमारा चालक कलकत्ता का था। उड़ीसा की सीमा पार करते ही, चालक ने कहा कि अब उसे राहत मिली है। उसने ऐसा इस शंका से नहीं कहा कि कोई अपराधी उसे पकड़ न ले बल्कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब वह ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया था जहां वह आराम से गाड़ी चला सकता था। इस तरह चालक ने भी अंतर महसूस किया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़ी चलाने वाले चालकों की यही समस्या है।

जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अच्छा चालक अच्छी सड़क को ही प्राथमिकता देता है और अच्छी सड़क होने से खराब ड्राइविंग से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आती हैं।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि अपने लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए धन खर्च करने वाले राज्यों का अच्छी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले ही एक सुझाव दिया गया है। ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्यों में हो रहे कार्यों पर निगरानी रख सकें। डा० जायसवाल ने जो सुझाव दिए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। बड़े राज्य राजमार्ग तैयार किये जाने चाहिए क्योंकि कई राज्यों के पास अपने राज्य के राजमार्ग विकसित करने के लिए आवश्यक निधियां नहीं है। यह भी आवश्यक है कि राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सड़कों का बड़ा भारी महत्व है, यह सभी जानते हैं। यह संयोग बड़ा बढ़िया है क्योंकि कल रेल बजट पर चर्चा हुई थी और आज श्री मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा प्रस्तुत किये गये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संकल्प पर बहस हो रही है। इसमें नैशनल हाईवे और स्टेट हाईव पर जिक्र होगा। इससे अच्छा संयोग यह है कि यहां पर माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री भी मौजूद हैं। यह तो आप सब जानते हैं कि सड़क से टूरिज्म का बड़ा भारी संबंध है और बिना सड़क के टूरिज्म का विकास नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ यहां वायु यान के मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। यह बड़ा अच्छा संयोग है। श्री मदन प्रसाद जायसवाल ने जिन सड़कों की मांग की है, वह ठीक है। मेरा कहना है कि बेतिया लेहरिया में एक अशोक स्तम्भ है, उसको कुशीनगर से जोड़ा जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ हाजीपुर से वैशाली तक पारु, साहिबगंज होते हुए केसरिया, केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप मिला है। हाल ही में वहां आर्क्योलोजी सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई कराई तो उसे मिट्टी में दबा हुआ एक स्तूप मिला। यह स्तूप आक्रमण के समय से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। लेकिन वहां की सड़क एकदम चौपट है। वह जाने लायक नहीं है। केसरिया के बाद अड़ेराज में लाखों लोगों की भीड़ जाती है क्योंकि वहां अड़ेराज महादेव का तीर्थ स्थान है। वहां नेपाल से लेकर मुजफ्फरपुर, बेतिया, हाजीपुर आदि हर जगह से लाखों लोग साल में दो-तीन बार आते हैं। लेहरिया जहां अशोक स्तम्भ है, कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्किट का सपना था लेकिन बुद्धिस्ट सर्किट पूरा नहीं हुआ। माननीय पर्यटन मंत्री ने स्वयं जाकर सड़कों की दुर्दशा को देखा तो बोद्धगया से राजगीर तक के लिए सड़क बनाना अभी हाल ही में मंजूर किया है। लेकिन उधर हाजीपुर से वैशाली तक तो सड़क बन गई लेकिन उसके बाद पारू, जाफरपुर, साहिबगंज, अड़ेराज से पहले लेहरिया, कुशीनगर तक के बीच में सड़क चौपट है। इस सड़क के लिए 1995 में राज्य सरकार ने लिखा-पढ़ी की। लेकिन भारत सरकार को नियम-कायदे से बहुत कम मतलब है, पोलीटिकली जिसकी मजबूती है, उनका निकल गया। हमने 1995 मे मंत्री जी को लिखकर दिया था। उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में बहुत कुछ हो गया है लेकिन हमने नोट कर लिया है मतलब उन्होंने उसके औचित्य को स्वीकार किया है, हिस्टौरीकल, कल्चरल आदि सभी दृष्टिकोणों से उसका चित्य है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि नोट कर लिया है। हम आग्रह करेंगे कि उसे करा दिया जाए।

पर्यटन, संस्कृति मंत्री भी मौजूद हैं। ये वैशाली नहीं गए हैं। इस बार ले जाएंगे क्योंकि भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती मनाई जा रही है। हम पर्यटन मंत्री और सड़क मंत्री दोनों को आमंत्रण देते हैं कि वहां जाकर देखें। देखने से जितना पता लगता है, कहने से पता नहीं लगता। उस सड़क को बनवा दीजिए, बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल करवा दिया जाए, एन०एच० से हो जाए, सब दृष्टिकोणों से नापें। हाल में स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, इनको पटकार लगाई है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि किसी भी सड़क को राजमार्ग घोषित करते समय निर्धारित दिशा-निर्देश का पूरा पालन होना चाहिए। समिति ने सड़क क्षेत्र में अनुसंधान, विकास की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की। संसदीय समिति ने कहा है कि केवल उन्हीं सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ती हैं। ऐसी सड़कें जो यात्रा की दूरी कम करती हैं, इनको ख्याल ही नहीं है, घुमा देंगे। हम एक उदाहरण देते हैं।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, क्या यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है ?

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : जी हां, हो चुकी है।

रिपोर्ट में नाराजगी जाहिर की है कि जैसे, तैसे चुनाव हो जाता है, उसकी कुछ नीति नहीं है और अगर नीति है तो उसका पालन नहीं होता। इसलिए सभी बातों को देखते हुए उसका अनुसरण होना चाहिए। जैसे हमने लिखा था, अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ा जाए। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जोड़ दिया है। जिससे सौ किलोमीटर अधिक दूरी है, उसमें जोड़ दिया। वह घूम गया चकिया महल इसमें दिशा-निर्देश है कि दूरी कम हो। अयोध्या से पडरौना पडरौना से मोतीहारी, ढाका, रीगा होते हुए सीतामढ़ी जोड़ देने से सौ किलोमीटर की दूरी घट रही है। इसे ऐग्जामिन करवा लिया जाए। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ना ऐतिहासिक है। अयोध्या वाले सब छटपटा रहे हैं। सीतामढ़ी मां जानकी की जन्म भूमि है। सीतामढ़ी से पुपरी होते हुए पूरब की तरफ मिला देने से जनकपुर तक मिल जाती है। दो राज्यों को जोड़ने की प्राथमिकता समिति ने की है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए।

हवाई जहाज मंत्री बैठे हुए हैं लेकिन इनको जनता की सर-जमीन की कठिनाई का क्या पता है। अररिया से किशनगंज, इधर की तरफ का भी एन०एच० हो गया उधर का भी हो गया, बीच में अररिया से किशनगंज बचा हुई है। उसको जोड़े बिना बिहार, बंगाल का रास्ता दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए उसे भी ऐग्जामिन करवा लिया जाए। राज्य सरकार से प्रस्ताव आया है अररिया से किशनगंज, ये आसमान

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

की बात करते हैं, मर-जमीन की बात हम बताएंगे कि असलियत क्या है। तीनों बातों पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। हम वैशाली से आते हैं। तीन हजार वर्ष पहले वहां डैमोक्रेसी थी। हमने अब्राहिम लिंकन से जनतंत्र नहीं सीखा, डैमोक्रेसी की परिभाषा नहीं सीखी। जनतंत्र हमारे पुरखों ने पैदा किया। भगवान बुद्ध जब वहां गए थे उन्होंने भाषण में कहा कि सबसे अच्छा राज्य है, यहां कानून बना कर लोग शासन करते हैं। प्रजातंत्र कानून का शासन है। भगवान बुद्ध की जन्म भूमि वैशाली, 2600वीं जयन्ती बड़े शानदार ढंग से मनाई जा रही है सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। भगवान महावीर की जयन्ती में सत्य, अहिंसा का संदेश, विश्व में शान्ति का संदेश, उस पर अमल हो, दुनिया के लोग इसे मान लें तो सब झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है। इस हिसाब से, हिन्दुस्तान में कुल 33 लाख किलोमीटर सड़कें हैं।

इन 33 लाख किलोमीटर में से 58 हजार किलोमीटर तो एन०एच० हैं और 26.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें है, 3.70 लाख किलोमीटर जिले की सड़क है और 1.78 लाख किलोमीटर स्टेट हाईवेज हैं। स्टेट हाईवेज के बारे में डा० मदन प्रसाद जायसवाल साहब ने कहा है कि उसमें से आप ज्यादा को एन०एच० करिये, यह ठीक बात है, यह होना चाहिए।

अब बिहार का सवाल लोग उठाते हैं, जब से ये एन०एच० के माननीय मंत्री हुए हैं, एक किलोमीटर सड़क बिहार को नहीं दिये हैं। इस बार देश में 275, 375 किलोमीटर सड़क इन्होंने मंजूर की हैं, लेकिन बिहार को एक किलोमीटर सड़क क्यों नहीं दी है। अभी मेहताब साहब बोल रहे थे कि सिवान में जाने से लग जाता है कि वहां सड़कों की हालत खराब है। राज्य की वित्तीय हालत खराब है, वहां सड़कों की मरम्मत का भी कोई उपाय नहीं है। बिहार में अभी 7,957 किलोमीटर ग्रामीण और जिले की सभी मिलाकर सड़क हैं, 4092 किलोमीटर सड़क स्टेट हाईवेज हैं और राजमार्ग 3301 किलोमीटर है। सब करीब 68 हजार किलोमीटर सड़क बिहार में हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : रघुवंश जी, मुझे एक मिनट देंगे ? आपने कहा कि कुछ नहीं दिया है। इस सरकार के द्वारा 1998-99 में 507 किलोमीटर, 1999-2000 में 460 किलोमीटर, 2000-2001 में 853 किलोमीटर सड़क दी गई है और 853 किलोमीटर का मेरे समय से नोटिफिकेशन हुआ है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह पुराना हिसाब आप जोड़ रहे हैं। 2000-2001 में 853 दिया, लेकिन 2001-2002 में एक किलोमीटर नहीं दी है, जबकि देश भर में 375 किलोमीटर दिया है। यह हमारे पास लिखित उत्तर है, जो 20 मार्च को प्रश्न संख्या 2658 के उत्तर के आधार पर मैं कह रहा हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : आप सही बोल रहे हैं। आप 2001-2002 का बोल रहे हैं, मैं 2000-2001 का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, यह उसके आधार पर है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने कितना दिया, यह हमने कहा। सम्पूर्ण सरकार का हम नहीं कह रहे हैं। आपकी कलम से हमको कितने किलोमीटर सड़क मिली ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : यह 2000-2001 के नोटिफिकेशन में 853 किलोमीटर है, जो नवम्बर, 2000 के बाद हुआ है, जब मैं आपकी कृपा से मंत्री बन गया हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : हम तो अपेक्षा करते थे कि आप हमारे बड़े घनिष्ठ रहे हैं, आपसे बड़ा अपनापन और मौहब्बत रही है, हमको लगता था कि आप कुछ देंगे, लेकिन आप बिल्कुल किवाड़ बन्द किए हुए हैं, आपने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : आप मुझे मिलेंगे तो बताऊंगा कि मेरी क्या मजबूरी है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उस मजबूरी में और सरकार में किसी काम को निकालने का, किसी की मदद करने के और नहीं करने के दोनों रास्ते रहते हैं। सरकार में हम लोग भी रहे हुए हैं। हम किसी की मदद करना चाहें तो उसका भी रास्ता बना हुआ है और किसी की मदद नहीं करनी है तो उसके लिए भी पर्याप्त कारण और जवाब हैं। उस सवाल जवाब में हम नहीं जा सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टेट, जो पिछड़े राज्य हैं, जो ज्यादा पीछे छूट गये हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। संविधान, नीति, व्यवहार और नियम यही कह रहा है, नहीं तो रीजनल इम्बेलेंसेज होंगे। यह देश के लिए और देश की एकता के लिए भी खतरा है। जो राज्य पीछे छूट गए हैं, उनको सहूलियत दी जाए। जैसे आरक्षण की सुविधा कुछ वर्गों को मिली हुई है, ऐसे ही इन राज्यों को सुविधा देनी चाहिए। बिहार में सड़कों की हालत बहुत खराब है। केन्द्र सरकार अगर बिहार में बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव, पर्यटन और सड़कों के बारे में ध्यान दे दे तो हम सबसे आगे हो जाएंगे। भारत सरकार कानून बनाती है कि आधा पैसा हम देंगे और आधा राज्य को देना होगा। राज्य वह पैसा नहीं दे पाता, इस कारण यहां से भी हमें पैसा नहीं मिलता। अगर आप हमारी योजनाओं में दिए गए पैसे को देखें तो सब जगह शून्य ही दिखाई देगा। इस कारण हमारे राज्य का विकास नहीं हो पाया है। उसको अग्रणी बनाने के लिए आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। सड़कों के महत्व को देखते हुए विशेष तरीके से, कानून से हटकर बिहार की और पिछड़े राज्यों की मदद करनी चाहिए।

विश्व पर्यटन की रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि हमारे देश में 67 लाख रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में पैदा हो सकते हैं। उसमें से बिहार में 3 लाख 67 हजार रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर की स्थली रहा है। बिहार

में गुरू गोविंद सिंह जी हुए। इसके अलावा वहां 100 के करीब मजारें हैं, जहां हर साल उर्स का मेला लगता है। वहां लाखों-लाख लोग आते हैं, देश और विदेश से लोग आते हैं। इसलिए ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देकर वहां सड़कों की हालत को ठीक किया जाए। अगर हम हिसाब जोड़ें तो हमारा जो हिस्सा होना चाहिए, जो खर्च हुआ है, वह बहुत कम है। यह ठीक है कि इसमें राज्य सरकार का भी कुछ दोष है। वह यहां प्रस्ताव नहीं भेजती। लेकिन भारत सरकार एक गार्जियन की तरह है। जैसे क्लास में पीछे की बैंच पर बैठे हुए बच्चे से भी अध्यापक पूछता है, उसी तरह बिहार के बारे में भी केन्द्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए। वह देखे कि उसमें क्या कमजोरियां हैं और वह कैसे दूर हो सकती हैं। मुझे आशा है कि दोनों मंत्री महोदय इस बात को महसूस करेंगे बिहार में पर्यटन तथा सड़क के मामले में कैसे विकास हो सकता है, इस पर ध्यान देंगे।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं डा० मदन प्रसाद जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संकल्प चर्चा के लिए सदन में पेश किया। बिहार आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए वहां क्षेत्रीय विषमता ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि बिहार की तरक्की हो। उसके लिए यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। जायसवाल जी ने जो संकल्प पेश किया है, उससे मिलता-जुलता प्रस्ताव मैं नियम 377 के अधीन सदन में रख चुका हूं।

अपराह्न 05.39 बजे

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

भूतल परिवहन मंत्री जी से भी मैं इस बारे में मिला था। उन्होंने कहा था कि इस पर हम कार्यवाही करेंगे। जायसवाल जी ने सड़कों के बारे में जो कहा है, उससे मिला हुआ नरकटियागंज से विसरवा आश्रम है, उसकी दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। महात्मा गांधी जब आंदोलन के लिए चम्पारण गए थे तो उन्होंने अपने हाथों से विसरवा आश्रम को बनाया था। वहां देश-विदेश से लोग आते हैं। वहां आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। उस ओर आपकी ध्यान देना चाहिए और सड़क की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि विसरवा महात्मा गांधी के आश्रम की वजह से एक तीर्थ स्थान हो गया है।

इस सदन के माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस सड़क को जोड़ दें। मैं पुनः मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विसरवा आश्रम से यह 15 किलोमीटर की दूरी है, देश-विदेश से लोग आते हैं, इसको बनाने का काम करें। उस जगह पर गांधी जी ने अपने हाथ से एक पाया बनाया था, जो वहां हैं। इस संबंध में मैंने मंत्री जी से नियम 377 के अधीन सूचना पर भी कहा था और आज भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने का काम करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, डा० मदन प्रसाद जयसवाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही जहां-जहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनको जोड़ने के बारे में भी यह संकल्प है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि रोड बनाने की नई टैक्नोलोजी के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैं विभिन्न देशों, जैसे अमरीका, यूके, साउथ अफ्रीका, जर्मनी जापान आदि, में होकर आया हूं। वहां एक बार सड़क बनाने के बाद 25-30 साल तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने देश में जो कान्ट्रैक्टर है, उनके द्वारा काम करने में करप्शन भरा हुआ है। जो पैसा उनको दिया जाता है, उसका 60 प्रतिशत ही लगता है और 40 प्रतिशत काम में नहीं लगता है। आपके डिपार्टमेंट के द्वारा और राज्य में डीडब्ल्युडी के द्वारा इस काम को करना चाहिए और नई टैक्नोलाजी से इसको बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। इसके साथ-साथ आप फोर-लेन बनाने के बारे सोच रहे हैं। इस काम को भी फास्ट करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार मेरा दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र में पंढरपुर से पूना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर विचार किया जाना चाहिए। यालेगांव को कोलापुर और कोलापुर से किनोर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं, तो उसका उपयोग हो सकता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं यह फिर कह रहा हूं कि कान्ट्रैक्टर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, श्री मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वह अत्यंत ही व्यावहारिक है और विचारणीय भी है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में मुख्यतः बिहार की कुछ सड़कों का उल्लेख किया है और उन्हें राज्य मार्गों से राष्ट्रीयकृत राज मार्गों में सम्मिलित करने की बात कही है। प्रस्ताव में यह भी साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि सभी राज्यों में महत्वपूर्ण राज्य मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राज मार्गों में परिवर्तित करें।

महोदय, इस प्रस्ताव का जो दूसरा भाग है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दूसरे भाग पर जोर देना चाहूंगा। यह ठीक है कि सड़क मार्गों का देश के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी भूमिका है, आवश्यकता है। यातायात की दृष्टि से भी सड़क मार्ग जितना व्यावहारिक बनता है, ठीक बनता है, जितना अच्छा होता है उतनी देश की प्रगति और उन्नति में सहायता मिलती है। इस समय जो अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार है उन्होंने इस आवश्यकता को महसूस किया और स्वर्णिम चतुर्भुज की कल्पना की। उसके बाद में एक केन्द्रीय सड़क निधि, साथ ही साथ प्रधान मंत्री सड़क योजना, इन सब का एक जाल बिछा कर देश के अंदर यातायात को सुचारू और समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया है, जिसमें देश के अंदर न केवल शहरी क्षेत्रों में, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों के छोर तक को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि प्रधान मंत्री सड़क योजना

[डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

की जो कल्पना है, जो गांव किसी प्रकार से भी मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ा जाए – इस प्रकार से समूचे देश के अंदर विकास की नई दिशा की कल्पना की है। राष्ट्रीय राज मार्गों का अपना महत्व है और राज्य मार्ग का अपना स्थान है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य मार्ग हैं, स्टेट हाईवेज हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राज मार्ग में परिवर्तित करना आवश्यक होता है।

अभी कतिपय माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने-अपने राज्यों के राज्य मार्गों के बारे में, जिन्हें राष्ट्रीय राज मार्गों में परिवर्तित किया जाना चाहिए, उनके बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं कुछ ऐसे राज्य मार्गों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी काफी विद्वान और गंभीर व्यक्तित्व वाले हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा, आज ही मेरा नियम 377 के अंतर्गत एक प्रस्ताव भी था। दिल्ली और मुंबई के बीच में दो राष्ट्रीय राज मार्ग हैं – एक तो मुंबई से आगरा होकर और दूसरा दिल्ली से जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, रतलाम, मऊ होकर मुंबई पहुंचता है। इस राष्ट्रीय राज मार्ग का जो बीच का हिस्सा अब तक है, नसीराबाद से लेकर मऊ का, जो राष्ट्रीय राज मार्ग के रूप में घोषित नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपनी सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बीच के मार्ग को, नसीराबाद से लेकर मऊ, नसीराबाद में भी सेना का मुख्यालय है, मुख्य स्थान है और मऊ भी सेना का प्रशिक्षण केन्द्र है, बीच में सी०आर०पी०एफ० का नीमच केन्द्र भी पड़ता है। सी०आर०पी०एफ० का केन्द्र, आर्मी के दोनों सेंटर, नसीराबाद से मऊ तक का, राष्ट्रीय राज मार्ग में घोषित कर दिया गया है, इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। लेकिन उसके लिए धनराशि प्राप्त होनी चाहिए, धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने पत्र द्वारा भी मंत्री जी को इस बारे में निवेदन किया था कि आपने अधिसूचित कर दिया, राष्ट्रीय राज मार्ग को स्वीकार भी कर लिया। ये दो राज्यों के बीच में जो कड़ी छूट गई थी, यह ठीक बन जाएगी और दिल्ली में मुंबई का कम दूरी का अच्छा मार्ग बन जाएगा। दिल्ली से मुंबई का, वाया आगरा मार्ग लम्बा है और यह छोटा है तथा सुरक्षित भी है। इसमें ज्यादा पहाड़ी मार्ग भी नहीं आता है, यह सुरक्षित मार्ग है और यहां ज्यादा यातायात चलता है। बीच में इस मार्ग को राज्य सरकार द्वारा बनाने की बात चली थी लेकिन राज्य सरकार के पास धनाभाव के कारण आज तक उसकी स्थिति पहले जैसी ही है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस मार्ग के लिए आवश्यक धनराशि अवश्य मुहैय्या कराएं जिससे यह बीच का मार्ग ठीक हो सके। आपने जब इसको अपने हाथ में ले ही लिया है तो फिर विलम्ब किस बात का है।

मैं पुन: कहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी मैंने चर्चा की यह अधिसूचित हो चुका है। इसके बीच में नीमच पड़ता है जो सी०आर०पी०एफ० का सेंटर है। अभी माननीय थावरचंद जी ने झालावाड़ की बात कही थी। नीमच से लेकर के मनासा, रामपुरा, गांधीसागर भानपुरा होकर झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का है और नीमच मध्य प्रदेश का भाग है। इनके बीच का जो भाग है उसमें कुछ भाग नाबार्ड के अंदर स्वीकृत हुआ है लेकिन शेष नहीं हुआ है। यह मार्ग भी जो स्टेट मार्ग है राष्ट्रीय, राजमार्ग के रूप में ले लिया जाए तो यह उधर राष्ट्रीय राजमार्ग में जुड़ जाएगा और इधर झालावाड़ में जुड़कर आगे जाकर के कोटा होकर आगे बढ़ जाएगा। इससे एक लिंक बन जाएगा। मैं इसके बारे में भी निवेदन कर रहा हूं।

तीसरा मार्ग जो मध्य प्रदेश और गुजरात को मिलाता है इंदौर से होकर धार व दाहौद होकर अहमदाबाद पहुंचता है। इसका कुछ भाग तो राष्ट्रीय राजमार्ग है और कुछ भाग है ही नहीं। शेष जो इंदौर से लेकर धार के बीच की कड़ी है यदि यह जोड़ दी जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जो दूसरा राष्ट्री राजमार्ग है वह दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा तो यातायात की बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। गांधी नगर राजधानी है और दूसरी तरफ इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है इसलिए इस मार्ग को भी आप लेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम होगा और गुजरात और मध्य प्रदेश का जो यातायात है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा।

वर्तमान में इंदौर से लेकर खंडवा मार्ग जाता है। अभी बुरहानपुर की यहां पर चर्चा आई कि जो इन्दौर से खंडवा मार्ग जाता है वहां से बुरहानपुर और फिर आगे महाराष्ट्र से जुड़ जाता है। इंदौर से लेकर बड़वा, सेदुआ और खंडवा, बुरहानपुर आगे महाराष्ट्र के अंदर यह रास्ता मिल जाता है। बुरहानपुर से आगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे यह राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ जाता है और उधर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे भी यह जुड़ जाता है। यह बात न केवल मध्य प्रदेश की दृष्टि से बल्कि समस्त देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इन चारों राज्यों को भी अलग-अलग सीमाओं से जोड़ने वाला यह मार्ग है। केवल मध्य मार्ग जो बीच में है उसे जोड़ा जाए और राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दें तो अच्छा रहेगा। मैंने उन सड़कों के बारे में उल्लेख किया है जो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद और ठीक हो सकती है।

इसी प्रकार से दूसरा मार्ग मध्य प्रदेश की जो सीमा है मंदसौर जो मेरा संसदीय क्षेत्र है उसका एक भाग-जावरा है। जावरा से ताल होकर के आगे महिदपुर, होकर उज्जैन से कोटा मार्ग जाता है वह उससे जोड़ा जाता है तो इससे न केवल सड़क मार्ग का विकास होगा बल्कि 80-90 किलोमीटर की यात्रा बच जाएगी। अभी माननीय सदस्य कुंवर अखिलेश सिंह जी बोल रहे थे कि सड़कों के निर्माण में यह भी देखना चाहिए कि सड़कों की दूरी कम हो जिससे ईंधन और समय की बचत हो और देश के धन की बचत हो। अगर ये कड़ियां जुड़ जाती हैं तो ये ऐसी कड़ियां हैं जिनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

मैं दोबारा इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं जिन्हें आपने राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकार किया है। इन मार्गों के बारे में विचार कीजिए। मैंने मंत्री महोदय से स्वयं मिल कर इसके बारे में चर्चा की। नीमच से झालावाड़ मार्ग के लिए राज्य सरकार भी तैयार

है। उन्हें इसके संबंध में राज्य सरकार का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है कि इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से यह एक प्रस्ताव है जो एक व्यावहारिक सुझाव है। इसके बारे में मंत्री महोदय निश्चित रूप से विचार करेंगे।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर निवेदन करना चाहूंगा कि महत्वाकांक्षी योजनाओं में आपके मंत्रालय का महत्वपूर्ण स्थान है चाहे वह केन्द्रीय सड़क निधि से बनी सड़कों का जाल हो, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें हों या राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनने वाली सड़कें हों। यातयात की दृष्टि से आपका मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। आपने मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की है। यह बात ठीक है। कि केन्द्र की तरफ से इस प्रकार के निर्देश हैं कि जहां-जहां इस प्रकार की सड़कें बनायी जाएं, उनकी गुणवत्ता निर्धारित की जाए, समय-समय पर केन्द्रीय टीम जाकर उन्हें देखें और तय करे कि वास्तव में गुणवत्ता के आधार पर चाहे वह दो लेन वाली सड़क हो या चार लेन वाली हो। किसी प्रकार की श्रेणी के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हो लेकिन गुणवत्ता के आधार पर उनका निर्माण होना चाहिए।

जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य राजमार्गों की सुरक्षा, मरम्मत के लिए आप जो पैसा देते हैं वह राज्य सरकारों को जाता है। वहां एक व्यवस्था है। इसे देखने के लिए सी०पी०डब्ल्यू०डी० का डिपार्टमैंट हैं। फिर भी राज्य सरकार बीच में आती है। वहां ठीक से पैसा लगना चाहिए, ठीक व्यवस्था होनी चाहिए और उन राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव होना चाहिए। केन्द्र द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी और आपकी एजेंसियों के बीच में आने के बाद भी उनका रखरखाव ठीक से नहीं होता है, उनकी मरम्मत ठीक से नहीं होती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए यद्यपि आपकी एजेंसी है फिर भी इस दृष्टि से विचार करना चाहिए।

मैंने कुछ सुझाव आपके सामने रखें हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि इन सुझावों के बारे में आप निश्चित रूप से विचार करें। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अंत में मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र को केन्द्रीय सड़क निधि में से हाल में 80 लाख रुपए की सड़क को स्वीकृति दी है। इसके पहले उन्होंने कुछ स्वीकृति और भी दी थी वह ऐसी स्वीकृति देते रहें ताकि राज्य की यातायात व्यवस्था सुधर सके। इससे न केवल राज्य की व्यवस्था में सुधार होगा अपितु देश की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, आर्थिक दृष्टि से उन क्षेत्रों का विकास होगा जिन्हें अल्प विकसित या कम विकसित या पिछड़ा कहते हैं: ऐसा करके हम उनको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे और वे आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए निर्धारित समय की अवधि पूरी हो चुकी है लेकिन कई सदस्यों के नाम अभी सूची में बाकी है। यदि सभा की सहमति हो तो करीब 45 मिनट के लिए समय बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, समय बढ़ाया जाए।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेकनाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं डा० मदन प्रसाद जायसवाल को, यह विचार-परक, महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत करने के लिए मुबारकबाद देता हूं, जो हमारे विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।

महोदय, मैं इनके द्वारा दिए गए भाषण के लिए इनकी प्रशंसा करता हूं, जिसमें उन्होंने बड़े ही स्पष्ट 9 वस्तुपरक रूप से शेरशाह सूरी से लेकर पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी उत्तरोत्तर प्रधान मंत्रियों और सरकारों का योगदान स्वीकार किया है।

प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 से अब तक अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें कई पहल करने का श्रेय जाता है। निस्संदेह उनके सिर पर भारी जिम्मेदारी है। मैं उनकी कठिनाईयों को समझता हूं और मुझे उनसे सहानुभूति है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें तीन मंत्रालयों का सृजन करने के लिए बधाई देता हूं। इनमें से एक मंत्रालय है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसमें उन्होंने संचार मंत्रालय भी मिला दिया है। मैं चाहता हूं कि वे इसमें टेलीविजन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही करते, तभी सही मायने में विलय होगा। चूंकि मैं इसी से सम्बद्ध हूं इसलिए मैं उनकी पहल की प्रशंसा कर सकता हूं। दूसरा मंत्रालय है उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और तीसरा है सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय।

महोदय, मैं मेजर जनरल खण्डूड़ी जैसे विशिष्ट सिपाही के अधीन यह मंत्रालय करने के लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूं। वे सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति हैं। इसलिए, मैं कुछ मुद्दों को छोड़ दूंगा। पिछले दो वर्षों, जब से मेजर जनरल खण्डूरी ने इस मंत्रालय का कार्यभार लिया है, के दौरान इस मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों पर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में टिप्पणी की है और इसका नाम है स्वर्ण चतुर्भुज जिसके बारे में डा० जायसवाल ने भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बोला था। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उन कारणों को उल्लिखित किया गया है किसी वजह से राजमार्गों का यथाशीघ्र विकास नहीं किया गया क्योंकि यह राज्य सरकार का दायित्व था लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे तथा और भी कई समस्याएं थी। अब, पिछले दो-तीन वर्षों से नए मंत्रालय ने ये जिम्मेदारियां ले ली हैं और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास गति ढांचे और हर चीज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि जहां तक स्वर्ण चतुर्भुज का संबंध है पिछले दो सालों से वे समय से आगे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यह की 2003 था। वे एक साल आगे चल रहे हैं। इससे मुझे, अपने राज्य की ओर से कुछ सुझाव देने का बल व प्रोत्साहन मिलता है।

[श्री के०पी० सिंह देव]

महोदय, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह है कि खुरदा किले के पतन के बाद 1803 में ब्रिटिश शासन, के अधीन आने वाला अंतिम राज्य उड़ीसा ही था। इसलिए, हम केवल संघर्षरत ही रहे और वहां कोई विकास नहीं हो पाया। न तो ब्रिटिश सरकार ने और नहीं उत्तरोत्तर सरकारों ने हमारे विकास की ओर ध्यान दिया। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह अपील करूंगा कि वे पिछली गलतियां भूलाकर नई शुरूआत करें। उड़ीसा पर अधिक विचार किए जाने और उसमे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जो उसे अब तक प्राप्त होता रहा है। आज सुबह ही मैंने उड़ीसा को विशेष दर्जा देने का तर्क दिया था किन्तु यह शायद संभव नहीं होगा क्योंकि योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में होना चाहिए। उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में आ नहीं सकता। उत्तरांचल, हिमाचल या पूर्वोत्तर राज्य इस श्रेणी में आ सकते हैं। किन्तु हम तब तक इस श्रेणी में नहीं आ पाएंगें जब तक हम बंगप सागर या बंगाल की खाड़ी को विदेशी राज्य नहीं मान लेते। लेकिन हम यह चाहते हैं कि राज्य पर ध्यान दिया जाये और इसे अनुदानों के रूप में, न कि ऋण के रूप में यथाशीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये। उड़ीसा में पहले ही निरंतर प्राकृतिक आपदाओं के चलते आर्थिक संकट है। हम अपने पुलिस कर्मियों को भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। पिछले तीन महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। अब हम उनसे कह रहे हैं कि वे आधा वेतन चावल के रूप में ले लें तथा आधा नकद। उड़ीसा ऋण के बोझ तले दबा हुआ है। इसलिए, हमें विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय योजना आयोग, सरकार तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को लेना है।

किन्तु मैं माननीय मंत्री, शूरवीर और महान सैनिक को यह तर्क देना चाहूंगा कि कृपया उड़ीसा पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यहां के 38 प्रतिशत लोग आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के हैं; 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं; 70 प्रतिशत लोग कृषि श्रमिक हैं और यहां मृत्यु दर बहुत अधिक है। यहां रेल, सड़कें, सिंचाई या विद्युत इत्यादि जैसी आधारभूत संरचनाएं बहुत ही कम हैं। इसलिए हम पर पहले जितना ध्यान दिया जाता रहा है उससे कहीं अधिक कृपा किए जाने की आवश्यकता है।

सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार अंतरराज्यीय सड़कों की कुछ विशेष राज्य सड़कों, आर्थिक महत्व वाली सड़कों, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली सड़कों के लिए नवीन केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान उपलब्ध कराती है। यदि, माननीय मंत्री जी इन कार्यों को अपने प्रयासों से सम्पन्न करा सकें तो इससे अन्य राज्यों पर कोई भार नहीं पड़ेगा।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि चार महानगरों — मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को उनका अपेक्षित महत्व मिलना ही चाहिए। तब उत्तर से दक्षिण का गलियारा अर्थात् कश्मीर से कन्याकुमारी आता है। तब पूर्वोत्तर से गुजरात का गलियारा अर्थात् पूर्व से पश्चिम का राष्ट्रीय राजमार्ग है, आता है। मुझे इनसे कोई द्वेष नहीं हैं किन्तु हमें भी योजना कर्त्ताओं की दया तथा मानसून की अनिश्चितता के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, इस बारे में उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के माननीय संसदों के लिए एक नोट दिया कि वे केन्द्र सरकार से उड़ीसा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करें।

किन्तु उससे पहले मैं अपने छोटे से क्षेत्र, जहां से मैं आया हूं। जहां के लिए मैं नियम 377 के अधीन मामले तथा प्रश्नों के माध्यम से मामला उठाता रहा हूं, के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे माननीय मेजर जनरल खंडूरी से बहुत ही सकारात्मक उत्तर मिला है। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 42 पर ढेंकानाल का प्रश्न उठाया है जो क्योंझर का ज़िला मुख्यालय भी है। क्योंझर, श्री अनंत नायक का निर्वाचन क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 पर एक और ज़िला मुख्यालय है अर्थात जो कामाख्या नगर, कलकत्ता से मुम्बई बरास्ता कामाख्यानगर जाता है। यह अब आपके पूर्वाधिकारी जाने-माने डा० देबेन्द्र प्रधान द्वारा मंजूर किए गए नए राष्ट्रीय राजमार्ग 200 के अंतर्गत आता है। इससे कोलकाता का मार्ग छोटा हो जाता है। यह ढेंकानाल और क्योंझर के बीच केवल 135 कि०मी० है। यह पूरे देश के क्रोमटे के सबसे बड़े भंडार क्षेत्र से होकर गुजरता है। महोदय, भारत का 90 प्रतिशत क्रोमटे उड़ीसा में होता है। महोदय 90 प्रतिशत सुखिन्डा और कामाख्या नगर के क्षेत्रों में होता है। फिर यहां आदिवासी लोगों की आबादी है।

ढेंकानाल से भुवन अर्थात् ढेकानाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 से भुवन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200, जो नया बना है और बाजी राहत सेतु आता है। यह 45 कि०मी० लम्बी पट्टी है। बाजी राउत सेतु सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सैनानी थे जो 1938 में पुलिस फायरिंग में मारे गया, जिसे सच्चिदानंद राउत राय कवि द्वारा 17 भाषाओं में अमर कर दिया। इन्होंने अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। यह परियोजना उस समय से अधर में लटकती आ रही है जब 1990 में श्री बीजू पटनायक मुख्यमंत्री बने थे। उस समय यह परियोजना 26 करोड़ रुपए की थी। इसका शिलान्यास भी कर दिया गया था। धनराशि की पहली किस्त दे दी गई थी। लेकिन अब यह 36 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह कपिलास होते हुए ढेंकानाल से जाती है; जो भगवान चन्द्र शेखर जी की निवास स्थाली है। यहां बारहवीं सदी का शिव मंदिर है। उज्जैन की तरह महाशिवरात्रि के दौरान यहां पर लगभग 10 लाख लोग एकत्रित होते हैं। यह मार्ग झाजपुर जाता है जहां पर धुपरी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यह कोलकाता जाता है इससे दूरी कम हो गई है।

जब, नियम 377 के अंतर्गत अधीन मैंने मामला उठाया था तो मेजर जनरल खण्डूरी से मुझे यह उत्तर मिला था कि उड़ीसा सरकार इस मामले की सिफारिश करें क्योंकि हम सभी सांसद सिफारिश करते रहते हैं तो उन्होंने इसे लिया। मेरे पास अब इसके रिकार्ड हैं। मैंने उनको एक पत्र भी लिखा है कि उड़ीसा सरकार ने सिफारिश की है लेकिन उसने यह सिफारिश 21 वर्ष 2000 के बीत जाने के बाद

की है। जब अक्तूबर 2000 में आपने निर्णय लिया था तब उन्होंने इस संदर्भ में आपको नहीं लिखा था लेकिन अगस्त 2001 में उन्होंने इन दो परियोजनाओं के बारे में लिखा था।

तीसरी परियोजना बनारपाल से अंगुल तक दो लेनों वाली सड़क को चार लेनो वाली सड़क में बदलने के बारे में है। अंगुल अब उड़ीसा का शहर है जहां महानदी कोलफील्डस, नालको और आई ए०पी०एल० स्थित हैं। यह राउरकेला की तरह तेजी से विकसित हो रहा है। पुरानी ऐतिहासिक कटक-सम्बलपुर-सड़कों का आर्थिक महत्व है जो कटक से आकर आठगढ़-शंकरपुर-भापुर-रसोल मौहरपुर-बोन्टेल तक जाती है और ठीक इसी तरह से यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर अंगुल के नजदीक बडकेरा चाक में आकर मिलती है।

उड़ीसा सरकार ने अपने परिपत्र में बहरामपुर-कोरापुर 132 के०वो० लाइन सड़क की मांग की है जो 313 कि०मी० है; इतना ही नहीं इसने नयागढ़ — दासपाला — बोध-सोनपुर होते हुए खुर्दा-बोलनगीर सड़क की भी मांग की है। यह ऐतिहासिक महत्व की सड़क है तथा यह उड़ीसा की महानदी जार्ज अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यह पूर्वा उड़ीसा को पश्चिमी उड़ीसा से जोड़ती है।

चौथी सड़क जेपोर-माटे-बैपारीगुड़ा-मौथिली-मलकन गिरी — कालीमेला सड़क है। यह आंध्र प्रदेश में भद्राचलम को छत्तीसगढ़ से जोड़ती है। यह 200 कि०मी० लम्बी है, यह पूर्णत: आदिवासी बहुल क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसमें लगभग 80 से 85 प्रतिशत आदिवासी हैं। चाहे छत्तीस गढ़-बस्तर क्षेत्र हो अथवा विजयनगरम का एजेंसी क्षेत्र हो, चाहे फिर विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिले हो या फिर कोरापुट या मलकनगिरि जिले हों, विशेषत: ये वे क्षेत्र हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है जहां हमारे माननीय मंत्री अरविन्द ढ़ल्ली पर दोबार हमला हुआ है। मैं समझता हूं इससे बेहतर संचार सेवा मिल सकेगी।

पांचवी जलेस्वर और चंदनेस्वर सड़क है जो श्री खारवेल स्वाइं का क्षेत्र है, यह 35 किमी० लम्बी है।

उड़ीसा सरकार के ये कुछ सुझाव आए हैं जिनका हम सभी सांसद समर्थन कर रहे हैं ?

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जिस चीज की जरूरत है वह यह है कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसे सहायता प्रदान की जाए; इसके आर्थोपाय निकाले जाएं और नियमों तथा विनियमों की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी प्रतिष्ठित जनरल भी रहे हैं, वह एक उत्प्रेरक होने के नाते इस कार्य को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल जी के संकल्प पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उन्होंने राजमार्गों से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का जो संकल्प पेश किया है, उसमें बिहार की बदहाली की चर्चा भी है। उस पर सदन में चर्चा हेतु यह संकल्प प्रस्तुत करके उन्होंने हमें भी अपनी बात कहने का अवसर दिया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में भारत सरकार ने जो कार्य किया है और सड़कों का जो फिगर दिया है उसने 58 हजार किलोमीटर एन०एच० बनाए हैं तथा अनेक एन०एच० और बनाए जाने हैं। यह अच्छी बात है। राजमार्गों से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का यह संकल्प है। इस संबंध में मांग होती रहती है और सरकार इस पर निर्णय भी लेती है और नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं।

महोदय, बिहार सबसे उपेक्षित रहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सभापति महोदय, आप इधर से बोल रहे थे और कह रहे थे कि बिहार को एन०एच० के मामले में उसका हिस्सा नहीं मिला, तब माननीय मंत्री जी उधर से बीच-बीच में बार-बार उठकर छेपक के तौर पर उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारे ही समय में कुछ नोटिफिकेशन हुई है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं और यह बात सही है कि उनकी ही सरकार के समय में नोटिफिकेशन हुई थी।

महोदय, अभी हमारे मित्र सांसद श्री भर्तृहरि मेहताब बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि बिना किसी साइनबोर्ड के, बिना किसी सूचना के, आपकी गाड़ी जब बिहार में सड़क पर चलेगी, तो आपको बिना कुछ बताए स्वयं यह पता लग जाएगा कि बिहार की सीमा प्रारंभ हो गई है क्योंकि तब आप सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क पाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि बिहार की सीमा में आप प्रवेश कर गए हैं। वहां सड़कों की इतनी खराब हालत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।

महोदय, यह बात सत्य है कि हमने अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना ली है, लेकिन एन०एच० के मामले में बिहार को उसको अपना पूरा हिस्सा नहीं मिला। यदि पूरा हिस्सा मिला होता, तो बिहार में सड़कों की यह स्थिति नहीं होती।

लेकिन वहीं मैं माननीय मंत्री जी को जरूर बधाई देना चाहता हूं। जब से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस देश में आई है तब से कुछ हिस्सा हमें मिला है। 1998-99 और 1999-2000 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, इन दोनों टर्मों से हमें खासकर उत्तर बिहार को हिस्सा मिला जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया था। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कि 50 वर्ष में चाहे जिनकी भी सरकार रही हों, बिहार को नये एन०एच० की घोषणा में उपेक्षित किया गया था लेकिन जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने कुछ न्याय किया। श्री राजनाथ सिंह जी ने भी कुछ न्याय किया। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी इस विभाग में राज्य मंत्री बने, उन्होंने भी न्याय किया।

[श्री नवल किशोर राय]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी जी जब अक्टूबर 2000 में इस विभाग में आये तभी 12 अक्टूबर को घोषणा हुई फिर नवम्बर महीने में गजट हुआ। जो एन०एच० दिये गये, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी कर रहे थे, तीनों बार की घोषणाओं को यदि हम संकलित करके जोड़ते हैं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय श्री भुवन चन्द खण्डूरी जी जो इस समय अच्छे प्रशासक हैं, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके कर्म से गजट हुआ और बिहार को जो पिछले 50 सालों में हिस्सा नहीं मिला, वह हिस्सा मिला।

मैं कहना चाहता हूं कि जब सभापति जी बोल रहे थे तब उन्होंने कहा था कि बिहार को 375 किलोमीटर सड़क मिली है लेकिन उसमें से चार-पांच किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी। नियमों की जहां तक बात है, तो मैं बिहार का सदस्य हूं और बिहार से आता हूं। मैं नियमों पर खड़ा नहीं हूं। बिहार की वित्तीय हालत बहुत खराब है जिसकी वजह से वहां की सड़कें बहुत खराब हैं। इसलिए नियमों की कसौटी में आप बंधेंगे तो हम उपेक्षित थे और उपेक्षित ही बैठे रह जायेंगे। मैं नियमों के हवाले से बात नहीं करता हूं।

जब सभापति जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पिछली बेंच पर जो विद्यार्थी है, यदि वह न पूछे, चुप रह जाये तो आपको पूछना है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप भारत को बचाने के लिए फौज के बड़े आफिसर रहे हैं और आपने इस काम को, ईजीनियरिंग सेल की सेवा में जब आप बड़े आफिसर थे, तब भी आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो तीन टर्म से आया हूं। आज इस संसद में जब आप मंत्री नहीं थे तब भी मैंने आपकी कार्यवाही और वचन को देखा है। आपकी दृढ़ता को देखा है, नजदीक से परखा है। बिहार के सवालों पर आपसे मिलता भी रहा हूं। मुझे आशा है कि बिहार के साथ आप और न्याय करेंगे। बिहार की उन सड़कों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और जितने भी डिमांड यहां इस सदन में आये हैं, उनको भी करने की कोशिश करेंगे।

अभी प्रस्तावक महोदय, डा० मदन प्रसाद जायसवाल जी ने जो प्रस्ताव किया है, वह नेपाल की सीमा से आते हैं, उन्होंने जिन सवालों को रखा, उनको भी करने की आप कोशिश करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी बिहार में निरोग्य आंदोलन के लिए गये और बिठहरवा आश्रम उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। अभी मंजय बाबू ने चर्चा की कि 15 किलोमीटर सड़क, आप देखेंगे तो आप वहां चल नहीं पायेंगे। वह गांधी जी का स्थान है और पूरा देश वहां दर्शन के लिए जाता है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बड़ी लड़ाई के बाद बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि पर्यटन में बिहार के दो सर्किट को और जोड़ा जाये। एक गांधी जी के द्वारा बिहार में जो आंदोलन हुए, उन स्थानों को जोड़कर गांधी सर्किट के नाम से पर्यटन सर्किट बनाया जाये। दूसरा, जगत जननी सीता की जन्म स्थली सीतामढी है जो उस धरती से निकली थी। उन्हीं के कारण रामायण बनी। आज अयोध्या की बहुत धूम हमारे सदन में होती है परन्तु सीता माता जो धरती से निकली, जिनकी वजह से रामायण और अयोध्या का इतिहास बना, जिसके लिए आज पूरे देश में लड़ाई हो रही है, उस सीता के बारे में कोई खोज नहीं होती है। वह पर्यटन स्थल है। 1996 में इसी सदन में हमने इसकी चर्चा की थी। उस समय के पर्यटन मंत्री श्रीकांत जेना ने आश्वासन दिया था और बिहार सरकार के मंत्री को बुलाकर बात भी की और सर्किट बनाने का प्रस्ताव भी बना लेकिन वह सर्किट अभी तक घोषित नहीं हुआ।

1998 में बिहार विधान सभा में गवर्नर ऐड्रैस में स्वीकार किया गया कि विदर्भा से गांधी सर्किट और सीतामढ़ी से जगत जननी सीता के सर्किट को सीता सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार से एक लाख उनहत्तर हजार करोड़ रुपये की जो वित्तीय पैकेज की मांग की गई है, सांसदों की सर्वदलीय कोर कमेटी ने जो मांग की है, उसमें सीतामढ़ी के सीता सर्किट और विदर्भा के गांधी सर्किट की प्रमुखता से मांग है। राज्य सरकार का प्रस्ताव पड़ा हुआ है। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री चले गए। क्योंकि कैबिनेट की संयुक्त बात होती है, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान खींचना चाहता हूं कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मान कर एक बड़ा अध्याय जोड़ने की जरूरत है।

जहां तक सड़क का सवाल है, रघुवंश बाबू ने रेखांकित किया है, अयोध्या श्री राम की और सीतामढ़ी जगत जननी जानकी की जन्मस्थली को जोड़ने के लिए एन०एच० बनाने का सवाल आया था। अयोध्या से पडरौना तक एन०एच० बना हुआ है, पडरौना से मोतीहारी तक बना हुआ है। राज्य सरकार का पहले प्रस्ताव आया था कि मोतीहारी से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से बसइट, जो मधुबनी जिला में पड़ता है पिपरी होते हुए, बसईट से मधवापुर नेपाल के बार्डर पर पहुंचाकर, क्योंकि मधवापुर से जनकपुर धाम जो नेपाल में पड़ता है, नेपाल के प्रधान मंत्री भारत आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वहां नौलखा मंदिर है जहां दुनिया के लोग जाते हैं, जानकी के पिता जनक जी के राज्य का वह स्थान है, उससे जोड़ कर जनकपुर, सीतामढ़ी और अयोध्या को जोड़ने की परिकल्पना थी जिसमें जो एन०एच० की स्वीकृति मिली, उसे तोड़ दिया गया, डेढ़ सौ किलोमीटर का हेरफेर करके चकिया मधुबन से घुमाया गया है। हम इसके विरोधी नहीं हैं। जब रघुवंश बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने मोतीहारी से ढाका, ढाका से पिपराठी, पिपराठी से पूर्णिया होते हुए रीगा, रीगा से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से पुपरी होते हुए बसईट, बसईट से मधुवापुर, नेपाल के बार्डर तक सड़क को पहुंचा कर अयोध्या, सीतामढ़ी और जनकपुर धाम को जोड़ने वाली अन्तर्देशीय सड़क की परिकल्पना है जिसमें केवल सौ, डेढ़ सौ किलोमीटर को और शामिल करना है, बाकी सब शामिल हो चुका है, बन चुका है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कृपा आप करेंगे। मैंने पहले भी पत्र लिखा था, मंत्री जी से मिला था, मंत्री जी ने वही उत्तर दिया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस पर विचार करेंगे, हमने इसे नोट किया है। मुझे संतोष है कि मंत्री जी जब निर्णय लेंगे तो सीतामढ़ी, पुपरी और रीहोकन को सीतामढ़ी और अयोध्या जनकपुर धाम से जोड़ने वाले पथ को

टॉप प्रॉयरिटी देंगे। इसलिए उन्होंने नोट किया है। हम इस सदन में भी चर्चा कर रहे हैं, नियम 377 के माध्यम से भी पहले इस सवाल को उठाया गया है।

इसके अलावा वैशाली के बारे में जब श्री रघुवंश बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने चर्चा की है। मंजय बाबू ने गाजी को विठहरवा आश्रम से जोड़ने के लिए चर्चा की है। इस संकल्प को लाने वाले आदरणीय डाक्टर साहब ने भी गांधी सर्किट को जोड़ने का प्रस्ताव किया। उसे भी टॉप प्रॉयरिटी देकर उत्तर भारत को न्याय देंगे। इसके अलावा रून्नी सौदपुर 77 एन०एच० से वाया औराई मात्र 20 किलोमीटर की एक सड़क है जो एन०एच० 57 और एन०एच० 77 को जोड़ती है। उसे भी एन०एच० में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार से आया हुआ है, आपके पास लंबित है। नए एन०एच० के लिए ये दो-तीन डिमांड हम आपके सामने रखते हैं। जहां तक एन०एच० के और सवाल हैं, इसी सरकार द्वारा एन०एच० 77 हमें मिला।

जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवरसा घोषित हुई, उसमें पैसे भी दिये गये, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे मिलता भी रहता हूं, आपके संज्ञान में भी है कि पैसे वहां गये हैं, लेकिन काम पूरे नहीं हुए हैं। हम अपनी कमजोरियों को भी महसूस करते हैं। जब माननीय रघुवंश बाबू बोल रहे थे तो उन्होंने भी कहा है। राज्य सरकार को आपने पैसा दिया, लेकिन समय पर काम नहीं हुआ। अभी भी उसमें बहुत कठिनाई है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी एन०एच० होने के बाद भी तीन महीने सड़क बन्द रहती है। हमारा पहले से प्रस्ताव है, भनसपट्टी में, मकसूदपुर में, कटोझा में और मुजफ्फरपुर में बड़ा पुल बनाकर 12 मासी पथ बनाने की आवश्यकता है। सीतामढ़ी से सोनवरसा खण्ड उसमें है, जिसमें आप पैसा दिये हुए हैं, पांच करोड़ रुपया लम्बित है। सभापति महोदय से भी हम अनुरोध करेंगे कि राज्य सरकार से वह खर्चा समय पर हो, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। मंत्री महोदय, हम आपसे भी इस संकल्प पर चर्चा करना चाहते हैं कि एन०एच० में पूरी राशि आप देते हैं, एन०एच० का काम सीधे-सीधे भारत सरकार को अपनी तरफ से कराना चाहिए, चूंकि शत-प्रतिशत राशि आपकी है। पटना हाईकोर्ट, ने भी एक बार निदेश दिया था, तब आप मंत्री नहीं थे और दूसरे साथी मंत्री थे। उस समय निर्देशित हुआ था, लेकिन मुझे मालूम है, मेरे संज्ञान में है कि कुछ राज्यों के विरोध के कारण वह बात पारित नहीं हुई और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में, आप पिछले साल जब मंत्री बने थे तो कुछ सड़कों को एन०एच० बनाने का काम किया था, जिसमें एन०एच० 104 भी शामिल हुई, जो मेरे क्षेत्र को पार करते हुए जाती है, वह शामिल हुई। जगतजननी जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी के लिए वह महत्वपूर्ण है। एन०एच० 104, जो शिवहर से सीतामढ़ी से कुम्भा, सुरखण्डा, सुरसल, भिट्ठामोड़े, चौरौत होते हुए जाती हैं, वह सड़क भी चलने लायक नहीं है, बिहार के पी०डब्ल्यू०डी० ने अपनी कम्प्यूटर लिस्ट से उसको निकाल दिया कि अब यह पी०डब्ल्यू०डी० सड़क नहीं है, यह एन०एच० हो गई है। एन०एच० में जब पत्र लिखते हैं तो आप बताते हैं कि हमने पैसा दिया है, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ, अभी तक बोर्ड भी नहीं लगा। डेढ़ साल हो गया, वहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के लोग आन्दोलन कर रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान देंगे।

इसके अलावा हम यह रेखांकित करेंगे कि आपने प्लान और नॉन प्लान में 105 करोड़ रुपया बिहार को दिया, लेकिन अब तक 45 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। 4-5 दिन इस वित्तीय वर्ष में बाकी हैं, आप जिस पद पर हैं, यदि आप ठीक से बिहार में उन पैसों को खर्च करवा देंगे तो बहुत सारी सड़के हमारी चलने योग्य हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम आपके सामने यह मांग रखना चाहते हैं कि बिहार में यह जो सड़क है, जो आपने दी है। राजग की सरकार ने दी है, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पटना से गंगा ब्रिज से निकलकर हाजीपुर मुजफ्फपुर सीतामढ़ी सोनवरसा में एक टोल प्लाजा बनाने का प्रस्ताव है। टोल प्लाजा बने, हमे उसमें सिर्फ इतना अनरोध करना चाहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग बिहार की धरती पर पैदा हुए। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, दो सड़कें मुजफ्फरपुर और हाजीपुर आपने बनाई हैं, जो उनकी स्थली को जोड़ती हैं, वहां पर जो टोल प्लाजा आप बनायें, उसमें एक भगवान बुद्ध के नाम का एक बढ़िया सा गेट उस टोल प्लाजा के साथ बन जाये तो उस सड़क में चार चांद लगेंगे और आपके हाथों वह शुरूआत होगी तो एक बढ़िया सा भगवान बुद्ध, जिन्होंने दुनिया में लोकतंत्र का रास्ता दिया, उनकी मूर्ति के साथ वह बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। उसी प्रकार से छपरा से मुजफ्फरपुर नया एन०एच० आपने बनाया है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। भगवान महावीर की स्थली को वह टच करता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वहां भी मुजफ्फरपुर के निकट टौल प्लाजा आप बनाने वाले हैं। इसका प्रस्ताव लम्बित है तो भगवान महावीर की मूर्ति के साथ एक अच्छा सा गेट बने और तब वह टोल प्लाजा बने। उसी प्रकार से सीतामढ़ी भिट्ठामोड़ एन०एच० 104 में आपने जोड़ा है, उस पर काम होगा तो भिट्ठामोड़ से आगे नेपाल में, नेपाल भारत के सहयोग से बना हुआ वह राजमार्ग है, वह बहुत ऐतिहासिक सड़क है। जब राजमार्ग से निकलकर एन०एच० 104 में यात्री प्रवेश करेंगे तो भिट्ठामोड़ जो नेपाल देश की सीमा पर है, वहां पर भी एक टोल प्लाजा बनेगा और उसमें भी एक गेट जगतजननी जानकी के जन्मना फोटो के साथ एक बड़ा सुन्दर सा स्थल बने, वहां आप चलें तो वह पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा अच्छा काम होगा और उस इलाके का विकास हो पाएगा। नेपाल देश से जो भारत में प्रवेश करेंगे तो बिहार की धरती पर उनकी नजर उस पर पड़ेगी और ठीक से वे उसे देख पाएंगे, यह भी हमारी आपसे मांग है।

इसके अलावा मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन दुख व्यक्त करना चाहता हूं कि 149 करोड़ रुपया 2000-2001 में माननीय मंत्री महोदय बिहार को मिला, हमारे यहां सड़कों की स्वीकृति हुई, उसमें से 60 लाख रुपये अभी तक खर्च हुआ है। दो साल हो गये हैं, फिर 300 करोड़ से अधिक रुपये दिये गये हैं। अभी तक स्वीकृति

[श्री नवल किशोर राय]

का अन्तिम काम नहीं हो पाया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसको नोट करें। राज्य से सम्पर्क करके ऐसी व्यवस्था करायें कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर शुरू होने वाली 25 दिसम्बर, 2000 को यह योजना निश्चित रूप से जमीन पर उतर सके। चाहे उसमें जो भी बाधा हो, जब हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं जो जानकारी मिलती है कि केन्द्र से कुछ ऐसे मापदंड बना दिए गए हैं कि टेंडर फाइनलाइज नहीं हो रहा है। कभी चीफ इंजीनियर नहीं होते हैं इसलिए इन बाधाओं को दूर करके प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना का बिहार में धरती पर उतारने का प्रयास करें। इसके अलावा सी०आर०एफ० यानी केन्द्रीय सड़क निधि में आप काफी पैसा देते हैं। हम लोगों के अनुरोध पर आपने 31 मार्च से पहले 51 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। लेकिन वह पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। इसी तरह पहली किस्त में जो 108 करोड़ रुपए दिए थे, उसका भी उपयोग नहीं हुआ है। मेरी आपसे विनती है कि आप बिहार चलें और सी०आर०एफ० के तहत जो पैसा दिया गया है, उसकी समीक्षा करें कि वह क्यों नहीं खर्च किया गया है और जल्द से जल्द उसको खर्च कराया जाए। बिहार से कुछ नए प्रस्ताव आए हैं। रून्नी सौदपुर-नानपुरा-पुपरी-सुरसण्ड-परिहार-भीसवापथ और भुपरी मधवापुर-रून्नी केसदा गया, फिर औराईपथ, परहावा, लालबंदीपथ, सी०आर० एफ० के अंतर्गत प्रस्ताव भेजे गए हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि इसके लिए धन देकर इन सड़कों को बनाया जाए। नेपाल के प्रधान मंत्री जी यहां आए हुए हैं। जब हमारी गाड़ी नेपाल में प्रवेश करती है तो 250 रुपए भारतीय मूल के लोगों को देने पड़ते हैं। लेकिन जब नेपाल से कोई हमारे देश में आता है तो उसे कुछ नहीं देना पड़ता। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीयों को बड़ी परेशानी हो रही है इसलिए इसको दूर करने की चेष्टा करें। बिहार में नेशनल हाईवे की सड़कें बनाई जाएं और आप वहां जाकर सभी सांसदों के साथ मीटिंग करें तथा कार्यों की समीक्षा करें।

[अनुवाद]

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं डा० जायसवाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। सड़के सभी के लिए जरूरी हैं। मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चहता हूं।

महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सीमाओं पर सड़कों के निर्माण को सेना के आवागमन और भारी उपकरण की ढुलाई के कारण प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं विशेष रूप से एक सड़क का उल्लेख करना चाहता हूं यह वह सड़क है जो मवाउ से खावडा को वाया भुज जोड़ती है। यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इस देश ने इस सड़क के सीमावर्ती क्षेत्रों से 1965 और 1971 के दो युद्ध लड़े हैं। अत: इस सड़क का सेना और बी०एस०एफ० कार्मिकों के आसान आवागमन हेतु बहुत महत्व है और इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जाए।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव गांधीधाम से नारायण सरोवर सड़क के बारे में है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क में पड़ती है। मंत्रालय गांधीधाम से नारायण सरोवर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मांडवी तक विस्तार कार्य का प्रथम चरण पहले ही प्रगति पर है। मेरा केवल यह अनुरोध है कि नारायण सरोवर वाया नलिया तक इस सड़क के विस्तार के दूसरे भाग के कार्य में तेजी लाई जाए।

महोदय, मेरा तीसरा सुझाव राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के बारे में है। मैं विशेषरूप से समाखियाली से गांधीधाम सड़क का उल्लेख करना चाहता हूं। इस सड़क के एक खंड को चार लेनों का बनाने का कार्य पूरा हो गया है। दूसरा खंड सूरजबारी से समखियाली तक जाता है; को अभी पूरा किया जाना है। इस मार्ग को चार लेन का बनाने पर कृपया यथाशीघ्र विचार किया जाए।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव को लाने के लिए डा० जायसवाल को एक बार पुन: बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं डा० मदन प्रसाद जायसवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सड़कों के बारे में इस महत्वपूर्ण संकल्प को यहां पेश करके हमें इस पर चर्चा करने का मौका प्रदान किया।

महोदय, मंत्री महोदय से महाराष्ट्र राज्य के बारे में मैं मिला था और मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उनसे निवेदन किया था। मुझे खुशी हुई, उन्होंने मेरी बात को सुना। मैं उनका आभारी हूं। महाराष्ट्र राज्य ऐसा राज्य है, जो देश में सबसे ज्यादा धन देने वाला राज्य है। लेकिन आदिमजाति और जनजाति क्षेत्रों में सड़कें बहुत कम हैं। मैंने उस क्षेत्र के बारे में दो-तीन सुझाव भी दिए थे। पहला सुझाव था — आगरा से बम्बई, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए। इसी प्रकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बडालीभूई गांव हैं, यहां पर जो सड़क है, वह ठीक नहीं है और यहां यातायात करने से लोग मर जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने दीवार बना दी है, लेकिन रात के समय जानवर नजर नहीं आते हैं और अपघात हो जाता है। मेरा निवेदन है कि बम्बई से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए। एक माननीय सदस्य अहिल्याबाई का नाम लिया, इन्होंने इस क्षेत्र में राज किया है। मेरी आपसे विनती है, बडालीभूई घोडम्बे से बड़ी मार्ग गुजरात में जाता है। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव आने वाला है। दूसरा रास्ता है, लखमपुरघाया से मनवड़ आदिजाति क्षेत्र में है। इस मार्ग के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव आने वाला है। इसी प्रकार तीसरा रास्ता है — पीपड़गांव से वणी। यह रास्ता भी गुजरात राज्य में जाने वाला है। चौथा रास्ता है — भनवड़, चिपारी, दोरह, राक्षसभवन और वलसाड़, यह मार्ग भी गुजरात राज्य में जाता है। यह पूरी तरह से आदिमजाति विभाग में आता है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इन मार्गों के बारे में अवश्य विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : सभापति महोदय, डा० मदन प्रसाद जयसवाल जी द्वारा सदन में राजमार्गों के चहुंमुखी विकास के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है। मेरे बड़े भाई और सड़क परिवहन मंत्री जी के नेतृत्व राजमार्गों का चहुंमुखी विकास हो रहा है। एन०डी०ए० की सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, जो पिछले पचास सालों में नहीं हुआ, पूरे देश को राजमार्गों से जोड़ने की दिशा में विकास किया जा रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे का भी उसी प्रकार से विभाग बनाना चाहिए, जिस प्रकार से पूरे देश में दूर-संचार, रेलवे और दूरदर्शन विभाग हैं। राजमार्ग की भी अपनी एक अथारिटी होनी चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, जो सड़कों का निर्माण करायें। राज्यों को केन्द्र से जो पैसा जाता है, उसका उपयोग ठीक समय पर नहीं होता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई ऐसा विभाग या इस तरह की कोई योजना बनायें, जिससे राजमार्गों का निर्माण स्वत: ही होने लगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल प्रौजेक्ट के तहत पूरे देश को सड़कों से जोड़ने की योजना है।

उसके किनारे पर जो बोर्ड लगने हैं, उनमें हिन्दी भाषा में हर हालत में लिखा जाना चाहिए – चाहे वह चेन्नई, कलकत्ता हो या कहीं भी हो। इसके साथ-साथ जो उसके आस-पास के नेशनल हाईवे के किनारे के गांव हैं, उन्हें भी हिन्दी भाषा में लिखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से रेल विभाग के अपने गेस्ट हाउस हैं और अन्य विभागों के भी अपने गेस्ट हाउस हैं, उस प्रकार से हर ढाई सौ कि०मी० के बाद नेशनल हाईवे का गेस्ट हाउस होना चाहिए। जो यात्री सफर करते हैं, उन्हें रात हो जाती है, देरी हो जाती है तो वे उस गेस्ट हाउस के जरिए रूक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसलिए इस कार्य के लिए भी इन्हें कदम उठाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी मेरे सीमावर्ती लोक सभा क्षेत्र के निवासी हैं। उत्तरांचल और बिजनौर की सीमा एक है, बिजनौर और पौढ़ी जिला मंत्री जी का है वह दिल्ली से डेढ़-दो सौ कि०मी० के बीच में आता है, परन्तु अभी तक दिल्ली से उसे सीधे नेशनल हाईवे के जरिए नहीं जोड़ा गया है। आज गढ़वाल के लोग, कोटद्वार, नजीबाबाद, बिजनौर के लोग मुरादाबाद से घूम कर आते हैं, जिन्हें कम से कम सौ कि० मी० अधिक चलना पड़ता है। इससे पूरे राष्ट्र की हानि होती है। मैं मंत्री से कहना चाहूंगा कि वह दिल्ली से मेरठ तक नेशनल हाईवे बन चुका है, मेरठ से मवाना होते हुए बिजनौर और बिजनौर से नजीबाबाद तीरथपुर होते हुए कोटद्वार और कोटद्वार से पौडी, जो उन्हीं का लोक सभा क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस समय भी यह काम नहीं किया तो लोग इन्हें इसी प्रकार से कहेंगे जिस प्रकार से कोटद्वार में आज तक रेलवे लाईन के बारे में दिल्ली से लिंक नहीं जोड़ा गया। सतपाल महाराज जी जब रेल मंत्री बने, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे वहां अति आवश्यक है, इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान दें। दिल्ली से मुरादाबाद नेशनल हाईवे है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जरा रुकिए। समय पूरा हो चुका है इसलिए इसे समाप्त करने के लिए 15 मिनट सभा की सहमति से और बढ़ाए जाते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मेरा निवेदन है कि कार्यसूची में दो बजे से बिल और उसके बाद यह संकल्प लेना था। कुल मिला कर पांच घंटे समय दो शुक्रवार के हिसाब से मिलना चाहिए। आज यह 2 बजे कर 20 मिनट पर शुरू हुआ, आप कुल मिला कर दोनों को मिला कर अगर देखेंगे तो पांच घंटे अभी नहीं होंगे तो कम से कम सवा सात बजे तक चलना चाहिए।

सभापति महोदय : संकल्प साढ़े चार बजे शुरू हुआ है, सात बजे खत्म होना है।

श्री शीशराम सिंह रवि : मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं दिल्ली से मुरादाबाद, लखनऊ नेशनल हाईवे है, उसे देहरादून से नैनीताल नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए और नैनीताल से देहरादून को पूरे उत्तरांचल को जोड़ता है। इसके बीच में नजीबाबाद एक ऐसी जगह पड़ती है जहां सड़क में बड़ा अवरूद्ध हो रहा है। वहां सड़क ठीक नहीं है, आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वहां से मंत्री और मुख्य मंत्री भी निकलते हैं, इसलिए नजीबाबाद में बाय पास नेशनल हाईवे बनना चाहिए और जो 30-40 कि०मी० हरिद्वार से नजीबाबाद का नेशनल हाईवे है वह केवल नाम मात्र है। इसलिए इस पर पैसा लगाया जाना चाहिए। इसकी चौड़ाई और क्वालिटी बढ़नी चाहिए। गजरोला, चोपला से चांदपुर और चांदपुर से बिजनौर और बिजनौर से नजीबाबाद हलदोर और हलदोर से धामपुर, नैनीताल से देहरादून नेशनल हाईवे को मुरादाबाद से लखनऊ और दिल्ली नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए एक लिंक हाईवे बनाने की बात करनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि पौड़ी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ की जनता की जो मांग है वह पूरी की जाए। वहां की जनता आपको याद रखेंगी। ये दोनों नेशनल हाईवे जल्दी से जल्दी आप पूरा करा दें। मैं माननीय मंत्री जी को और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ए० नरेन्द्र (मेडक) : सभापति महोदय, मैं इंदिरा जी वाले मेडक क्षेत्र से जीतकर यहां आया हूं। उसमें एक ही नेशनल हाईवे है। उसमें डबल रोड है और उसे 4 लाइन का नेशनल हाईवे बनना है क्योंकि वहां रोज 10 के करीब दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें बहुत लोग मरते हैं और बहुत लोग घायल होते हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि वहां नेशनल हाईवे को तुरंत बनाया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत जो चार लाइन रोड बन रही है वह हमारे जिले में से भी निकल रही है। मेरा निवेदन है कि चतुर्भुज योजना के तहत शहर का बाई-पास प्लॉन सिलिंग लिया गया है। अगर वहां शहर का बाई-पास नहीं बनेगा तो बहुत बड़ी सुविधा की स्थिति बन जाएगी। जैसा कि माननीय पाण्डेय जी ने भी कहा कि नसीराबाद से ···*(व्यवधान)* चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से इंदौर तक चार लाइन

[श्री श्रीचन्द्र कृपलानी]

का रोड कराएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरक्की में सहयोग होगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : माननीय सभापति जी, डॉ० एम०पी० जायसवाल जी ने जो संकल्प रखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को छपरा से कुशीनगर बारास्ता बेटिया, लरिया, बागा, छितौना रेल सड़क पुल तक बढ़ाएं और सभई राज्यों में महत्वपूर्ण राजमार्गों को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करें।

यह कितना महत्वपूर्ण और सांसद-प्रिय विषय है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 20 सांसदों ने आपका हार्दिक आभार व्यक्त किया है और मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि मैं भी पहले सांसद हूं।

सभापति जी, राष्ट्रीय राजमार्गों की आज जो स्थिति है जानकारी कम होने के वजह से भी कुछ सांसदों को यह आभास होता है कि मैं या मेरी सरकार जानबूझकर राज्य मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बना रही है। इसलिए उनको धन्यवाद देने के साथ उन्होंने और आपने जो एक बात कही कि पिछले सालों में ग्रामीण सड़कों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया है,

सायं 6.49 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

तथा अच्छी सड़कों को छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इससे भी हमको बहुत समस्या पैदा हुई हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थिति में बने, इसकी जानकारी अच्छा होता कि जितने सांसदों ने भाषण दिये थे वे यहां होते। लेकिन वे इसे पढ़ लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

सन् 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे पास 21440 किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं। उसके बाद राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

1947 के बाद हर पांच वर्ष में क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 50 सालों में क्या हुआ, मैं वह बताना चाहूंगा। 1998 में जब हमारी यह सरकार आई उस बीच में कितने मार्ग परिवर्तित किए गए, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले पचास सालों में कुल 12 हजार 859 किलोमीटर वर्ग परिवर्तित किए गए लेकिन पिछले पांच सालों में यानी केवल हमारी सरकार के समय में अभी तक 23 हजार 814 किलोमीटर में काम हुआ है। दुगने से ज्यादा पांच सालों में काम हुआ, जो पचास सालों में काम हुआ था। हमने इतने कम समय में उसकी संख्या को दुगना कर दिया लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हुईं। जैसे आपने कहा कि कुछ सड़कें ऐसी स्थिति में हैं जिन पर करोड़ों रुपए ठीक करने में लग रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि इनकी संख्या एकदम इतनी ज्यादा बढ़ाने से धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। वित्त मंत्रालय के पास इतने संसाधन नहीं हैं। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि आज जब हम राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं तो उसके विकास के लिए, ठीक करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर लाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर लगता है। मैंने आपको बताया कि चार साल में 23 हजार 814 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़ाए, उसके लिए पैसा चाहिए और वह पैसा वित्त मंत्रालय से मिलता है लेकिन वह इतना कम है कि इससे काम नहीं हो सकता, इसलिए सारे सांसद शिकायत करते हैं कि सड़कों की हालत खराब है। ऐसे सर्किल से निकलना बहुत मुश्किल है। आप कम से कम हमारी मुश्किलों को समझें कि हमें ये कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। इस समय यह बात समझना आवश्यक है कि जब हम राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं तो उनमें क्यों विलम्ब होता है और कौन से झंझट सामने आते हैं। आपने बहुत विस्तार से 33 लाख किलोमीटर सड़कों का ब्यौरा दिया। उसमें से करीब 1 लाख 28 हजार स्टेट हाईवेज हैं, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। प्रस्ताव के अनुसार यदि सब को उच्चीकरण किया जाए या आधे को किया जाए तो उसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता पड़ेगी। यह हमारे समक्ष समस्या है। मैं इस आधार पर सब से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बने लेकिन धन की व्यवस्था न होने के कारण आज जो स्थिति है, वह मैं बताना चाहूंगा। इतना ज्यादा पिछले 2-3 सालों में हमने कर दिया है कि आज वित्त मंत्रालय कहता है कि हम इस पर प्रतिबंध लगा दें। आपने कहा कि दो हजार में ये आंकड़े शून्य रहे। वह इस आधार पर है। कि हम पर प्रतिबंध लगा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हम पहले दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकलन करेंगे और तय करेंगे कि पूरे पांच साल में इस पर कितना खर्च करना चाहिए। इसके आधार पर जांच-पड़ताल शुरू की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक साल में दो चीजें की हैं। मैंने क्राइटीरिया तय किया है। यदि प्रदेश के राजमार्गों की स्थिति अच्छी हो तो हमें डेढ़ करोड़ रुपए से कम खर्चा करना पड़ेगा लेकिन अगर सड़क ही नहीं है तो नई सड़क बनाने के लिए दो-ढाई और तीन करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर लगेगा जो संभव नहीं है। इस विभाग में आने के बाद जब मुझे यह स्थिति पता लगी, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को फरवरी 2001 में पत्र लिखा। मैंने नवम्बर 2000 में इस विभाग का कार्य भार सम्भाला था। मैंने उनसे कहा कि कृपया इन मानकों को देखिए और जो सड़क छांटी जाती हैं, उनके ऊपर कुछ काम कीजिए ताकि वे प्रदेश स्तर पर आ जाएं और हमें ज्यादा कठिनाई न हो। मैंने उसमें तीन मानक और जोड़े हैं। पहला मानक यह था कि जो सड़क प्रदेश राजमार्गों के मानकों के अनुसार नहीं है, जमीन उसके आधार पर नहीं है, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। इसके साथ ही उस सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अभी कहा गया कि सड़क बनी लेकिन उसके बगल पर मकान बन जाता है। फिर सड़क को चौड़ा करने की गुंजाइश नहीं रहती है। मैंने इसलिए उन्हें लिखा कि सड़क के लिए जितनी जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, वह 45 मीटर होनी चाहिए। उसे कम से कम 30 मीटर भी रखा है। जो अतिरिक्त

जमीन पड़ी हैं, उसके लिए पैसा केन्द्र देता है लेकिन जमीन उपलब्ध होनी चाहिए और उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैंने इस साल वित्त मंत्री जी से बात करने के बाद फिर फरवरी में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए बहुत सी मांगें आ रही हैं। अभी 23 हजार किलोमीटर से ऊपर की मांग हमारे पास पड़ी हैं।

आप समझ सकते हैं कि यह संभव नहीं, इसलिये यह स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ मानक बनाने पड़ेंगे, प्रायरिटी देनी पड़ेगी। मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो सड़क आप चाहते हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के बारे में विचार किया जाये तो उन्हें सैंट्रल रोड फंड से सुधारें। सैंट्रल रोड फंड मिल रहा है, उसे इन सड़कों पर लगाइये ताकि जब हम इन सड़कों को देखने जायें तो मालूम हो कि अगर परिवर्तन करना है, उनमें क्या कमी है और ऐसा न हो कि वे रिजैक्ट हो जायें, यह अच्छा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं फंड्स रिक्वायरमेंट के बारे में आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे पास 58,112 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कुछ समय पूर्व इनमें 2-3 हजार किलोमीटर कम थी। इसके बारे में आकलन किया गया था। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों को तकनीक और जमीन के हिसाब से करना चाहते हैं तो उसके लिये हमें एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। अभी उस मानक पर लाने के लिये हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इनमें साढ़े तेरह हजार किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में आयी है। हमारे 45 हजार किलोमीटर ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनमें 60 प्रतिशत दो-लेन और बाकी एक-लेन है। मेरे विचार से राष्ट्रीय राजमार्ग कम से कम दो-लेन वाला होना चाहिये। इस तरह जो हमारी समस्यायें हैं, उनमें धन एक मुख्य समस्या है। सड़कों के लिये जो धन मिल रहा है, उसके आंकड़े देना चाहूंगा। सिर्फ सड़कों के रख-रखाव के लिये या नार्मल मेनटिनेंस रखने के लिये या मजबूत करने के लिये हमें प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपया मिलना चाहिये जबकि हमें मिलता है 1700 करोड़ रुपया। पिछले साल 1800 करोड़ मिला और इस साल 1700 करोड़ रुपया मिला है। आज मेनटिनेंस के लिये हमें 2000 करोड़ रुपये की जरूरत है लेकिन हमें 800 करोड़ मिला है। इस प्रकार यह जरूरत का 40 प्रतिशत मिल रहा है। प्रश्नकाल में कहा गया कि सरकार पूरा धन दे सकती है। इस तरह से हमारे बजट पर एक दबाव रहता है। इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि इस पर पूरा धन दिया जाये जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीजों के लिये पैसा चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, अभी कनकलूड करना पड़ेगा क्योंकि सात बजे तक टाइम अलॉट था और अभी मूवर को भी बोलना है, आप संक्षेप में कहिये।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : ठीक है महोदय मैं शीघ्र समाप्त करने का कोशिश करूंगा।

[हिन्दी]

अभी जो प्रोसीजर प्रयोग में आया है, उसे मैं बता चुका हूं कि उच्चीकरण मानक आधार पर करेंगे। इसलिए मेरा सब माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपनी प्रदेश सरकारों से बात कीजिए और उन मानकों पर सड़कों को लाइए। अगर मानक के अनुसार नहीं हुआ तो मुझे दुख है कि मैं उन्हें स्वीकृत नहीं कर पाऊंगा। जब होगा तब होगा। इसके अलावा डाक्टर जायसवाल साहब का सड़क के बारे में जो प्रपोजल है, वह 150 किलोमीटर लम्बा मार्ग है जिसमें से 102 किलोमीटर बिहार में आता है। अभी यह राज्य राजमार्ग है और इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे आप देखिए और मानक के आधार पर इसे करना होगा। अभी माननीय सांसद श्री शीश राम रवि ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कहा। जो समस्या आपके लिए होती है, वही समस्या मेरे लिए भी है तो कोशिश यह होगी कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा करें। जितना धन उपलब्ध होगा, मानक के आधार पर उच्चीकरण को करने के लिए कोशिश करेंगे। फाइनैंस मिनिस्ट्री इसके लिए जितना धन देगी। मैंने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि वे इस आधार पर योजना बनाएं। मैं माननीय डाक्टर साहब से कहूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें और सरकार पर छोड़ दें कि वह कितना धन दे सकती है।

श्री शीशराम सिंह रवि : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि अपने विभाग में कैसे बनाएंगे, कैसे स्टेट लैवल पर चले जाते हैं लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। जो यहां से पैसा जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता और वह वहीं पड़ा रहता है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी समस्या को नोट कर लिया गया था। मैं एक प्रक्रिया इनको समझाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पैसा सीधा-सीधा सैंट्रल फंड के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दिया जाता है जो आकलन के आधार पर होता है। राज्य सरकार का पी०डब्ल्यू०डी० विभाग इस कार्य को करता है। वहां काम करने के लिए नौ प्रतिशत पैसा एजेंसी को चार्ज दिया जाता है। उसमें काम करने वाले ठेकेदारों को प्रॉफिट होता है। यदि सौ करोड़ का काम है तो प्रदेश सरकारों के आर्गनाइजेशन के लिए 9 करोड़ दिया जाता है।

सायं 7.00 बजे

यह व्यवस्था इस प्रकार की है। माननीय सदस्य ने यहां पर कहा था कि वहां पर हमारा अपना संगठन बनाए।

उपाध्यक्ष जी, हर प्रदेश में मेरे मंत्रालय का मात्र एक आदमी सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर लेबल का कभी एक प्रदेश देख रहा है और कभी-कभी वह दो प्रदेश को देख रहा होता है। उनके द्वारा किसी प्रकार का सुपरविजन, मॉनीटर करना संभव नहीं है। यह व्यवस्था हमारी है। जिस प्रकार रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैनपावर है, उसके कारण हम लोग अपना संगठन अभी खड़ा नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन और खासकर 22 माननीय सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस संकल्प पर अपने विचार को रखा है और उसका समर्थन किया है। हमने अभी-अभी अपने दो मुख्य सांसदों को सड़क दुर्घटना में गंवा दिया है। माननीय राजेश पायलट जी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई और अभी चार दिन पहले राज्य सभा के माननीय सासंद श्री दयानंद सहाय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसके कारण दो दिन तक राज्य सभा बंद रही। इसलिए मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं कि जितनी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग में ली गईं, बहुत सी जगहों पर ऐसी सड़कें ले लीं गई हैं, जहां पर सड़कें ही नहीं हैं, गांवों से वहां सड़कें नहीं हैं ऐसी सड़कें ले ली गई हैं, जहां पर सड़कें ही नहीं हैं, गांवों से वहां सड़कें नहीं हैं। ऐसी सड़कें ले ली गईं और राजमार्गों की पूरे देश में उपेक्षा की गई है। इसलिए मैंने कहा कि जो राजकीय राजमार्ग हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग में लिया जाए। पिछली बार सरकार ने एल०आर०पी० रोड़ बनाई। हमारे सिविल एविएशन के मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं एक मिनट में इनके क्षेत्र में अररिया से लेकर गललिया होकर किशनगंज जाने की चर्चा करना चाहता हूं। बिहार में एक सड़क जाती है जो पश्चिम बंगाल में जाती और फिर वह बिहार चली जाती है। यदि इस सड़क पर लूपलाइन एल०आर०पी० का अररिया से गललिया तक बन जाता है तो कम से कम बिहार के लोगों को बंगाल और फिर से बिहार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिहार के लोगों का इससे जो टाइम और पैसा वेस्ट होता है, वे उससे बच जायेंगे। चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अर्थ का अभाव है। लेकिन मैंने जो प्रस्ताव किया है और जितने भी माननीय सासंदों ने मांग की है, उसके लिए भारत सरकार कहीं से राशि ले ले, भले ही वह वर्ल्ड बैंक से लेकर इसकी व्यवस्था करें। यदि वह इतना वायदा करते हैं तो मैं अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा डा० मदन प्रसाद जायसवाल द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सायं 7.02 बजे

[हिन्दी]

(दो) पिछड़े लोगों के बहुंमुखी विकास के लिए नीति बनाना

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के और विशेष कर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के बहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाए और उसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अगली बार इस पर बोलें।

सायं 7.03 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे जूट विनिर्मित उपकर (संशोधन) विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 8 मार्च, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का

निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

(5) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे उत्तर प्रदेश (लेखानुदान) विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

(6) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

सायं 7.4½ बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा के स्थगन के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा राज्य सभा के साथ केन्द्रीय कक्ष संसद भवन, नई दिल्ली में संयुक्त बैठक के लिए समवेत होने के लिए मंगलवार, 26 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात यह सभा संयुक्त बैठक में विचारार्थ कार्य को पूरा करने के उपरांत सोमवार, 15 अप्रैल, 2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाएगी।

7.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 26 मार्च, 2002/5 चैत्र, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार,22 मार्च, 2002/ 1 चैत्र,1924 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
100	7	श्री हरीनाऊ शंकर महाले	श्री हरीभाऊ शंकर महाले
259	4	मोहम्मद शहाबुददीन	मोहम्मद शहाबुद्दीन
423	नीचे से 10	अनुच्छेद243 का आदि का संशोधन	अनुच्छेद 243य घ आदि का संशोधन

पी०एल०एस०-48/23/17/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।